द्वितीय माला, खण्ड २४—अंक २४

१८ दिसम्बर, १९५८ (गुरुवार)

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

Second Lok Sabha
(Sixth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २४ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

(AI) LSD.

# विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २४--अंक २१ से २६--१५ दिसम्बर से २० दिसम्बर, १९५८)


पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से ९३६, ९३८, ९३९, ९४०, ९४२ से ९४७ और ९५० . . . . २३२१–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४८, ९४९ और ९५१ से ९६२ . २३४३–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६३ से १५३३, १५३५ से १५४१, १५४३ से १५८० और १५८३ से १५८५ . . २३६०–२४०४

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . . . . २४०४

याचिका समिति . . २४०५

कार्यवाही सारांश

याचिका समिति . . . २४०५

पांचवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से सन्देश . . . २४०५

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक . . . . २४०५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . . २४०५

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक . २४०६

मत विभाजन के आंकड़ों की शुद्धि

समितियों के लिये चुनाव . . २४०६-०७

प्राक्कलन समिति २४०६

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड . . . . २४०६-०७

जीवन बीमा निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया २४०८

विधेयक पुरःस्थापित . . २४०८-१०

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५८ . २४०८

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५८ . . २४०९

| | पृष्ठ |
|---|---|
| (३) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ . . | २४०९-१० |
| (४) उड़ीसा बाट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९५८ . | २४१० |
| वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . | २४११-४९ |
| दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक . . . . . | २४४९-५४ |
| संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव | |
| लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . | २४५४ |
| प्रवर समिति का प्रतिवेदन | |
| कार्य मंत्रणा समिति . . | २४५४ |
| तैंतीसवां प्रतिवेदन | |
| दैनिक संक्षेपिका . . . | २४५५-६२ |
| **अंक २२—मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से ९९७, १०३१, ९९८ से १००२ और १००४ से १००८ . | २४६३-८७ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १००३, १००७ से १०५९ और ५५० . . | २४८७-२५०९ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १६६२, १६६६ से १६६९, १६७१ से १६७७, १६७९ से १६८० . | २५०९-८७ |
| स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . | २५४८-४९ |
| गन्ना उत्पादकों द्वारा हड़ताल | |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . | २५४९-५० |
| लोक लेखा समिति . . . . | २५५० |
| ग्यारहवां प्रतिवेदन | |
| दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . . | २५५१ |
| अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . | २५५१-५२ |
| फोलीडोल का यातायात | |
| देश में तेल की खोज में प्रगति के बारे में वक्तव्य . . . | २५५२-५४ |
| विनियोग (संख्या ५) विधेयक—पुरःस्थापित . . | २५५४ |
| कार्य मंत्रणा समिति . . . . | २५५४ |
| तैंतीसवां प्रतिवेदन | |
| सत्र की अवधि का बढ़ाया जाना . . . . | २५५५ |
| विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक—पारित . . . | २५५५ |
| विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक—पारित . . . | २५५६ |

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक . . . . . २५५६–९९
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५५६–९४
खण्ड २ से ५ और ६ . . . . २५९९–२६०२
फिल्म उद्योग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . २६०३–१०
दैनिक संक्षेपिका . . . . . .

**अंक २३—बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०६० से १०७४ . . . . २६११–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ से ११०४, ११०६, ११०७, ११०७क और ११०८ से ११३६ . . . . . २६३३–६०
अतारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १७४२, १७४४ से १९४६, १९४८ से १९६१, १९६३ से १९८६, १९८८ से १९९५, १९९५क, १९९५ख, १९९५ग, १९९५घ, १९९५ङ, १९९५च और १९९५छ . . २६६१—२७९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २७९२–९३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २७९३
तैंतीसवां प्रतिवेदन
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २७९३
हवाई अड्डों का विकास
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४
दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४
विशेषाधिकार समिति . . . . . २७९४–९५
छठा प्रतिवेदन
विनियोग (संख्या ५) विधेयक . . . . . २७९६
विचार करने का प्रस्ताव . . . . २७९६
खण्ड २, ३ अनुसूची और खण्ड १ . . . . २७९६
पारित करने का प्रस्ताव २७९६
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक . . . . . २७९६–२८१५
खण्ड ६ से १४, १६ से ३५, १५, ३६ से ५७ . . . २७९६–२८१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २८१४–१५
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . . २८१५–२५
विचार करने का प्रस्ताव
सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी करने के बारे में चर्चा . . . . . २८२५–४३

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . २८४३–४६
दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८४७–६२

**अंक २४––गुरुवार, १८ दिसम्बर, १९५८**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४३ से ११४७ और ११४९ २८६३–८२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . २८८२-८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७, ११४१, ११४२, ११४८, ११५० से ११६८, ११६८क, ११६८ख, ११६९ से ११७६, ११७६क, ११७७, ११७७क, ११७८ से ११८०, ११८०क और ११८१ . . . २८८४–२९००
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९६ से २०१४, २०१६ से २१३१, २१३१क, २१३१ख, २१३१ग और २१३१घ २९००–५७
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . २९५७–६०
संसद् भवन के बाहर प्रदर्शन
सभा पटल पर रखे गये प . . . . . २९६०-६१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २९६१
तीसवीं से चौतीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश
याचिका समिति . . . . . २९६१
तेईसवीं बैठक का कायवाही सारांश
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति २९६१
ग्यारहवां प्रतिवेदन
तारांकित प्रश्न संख्या १४०३ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि २९६१-६२
शस्त्र विधेयक––पुरःस्थापित . . २९६२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक २९६३–७३
विचार करने का प्रस्ताव २९६३–७१
खण्ड २ और १ . . २९७१
पारित करने का प्रस्ताव . २९७१–७३
चलचित्र (संशोधन) विधेयक . २९७३–८२
विचार करने का प्रस्ताव
गन्ने की अधिक कीमत निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव . . २९८२–३००७
कुलटी की भट्टियों के बन्द हो जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३००७–१२
दैनिक संक्षेपिका . . ३०१३–२१

पृष्ठ

**अंक २५—शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५८**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८२, ११८३-क, ११८४ से ११८७, ११९० से ११९३ और ११९५ से ११९८ ... ३०२३—४४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ... ३०४५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८३, ११८३-क, ११८८, ११९४, ११९९ से १२०६, १२०८ से १२२१ और १२२३ से १२४९ ... ३०५०—७३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२०१ और २२०३ से २२१८ ... ३०७३—३११३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ... ३११३

जानकारी का प्रश्न ... ३११३-१४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ३११४—१६

राज्य सभा से संदेश ... ३११६

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ... ३११६

चौथा प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ... ३११६

बत्तीसवां प्रतिवेदन

सदस्य द्वारा क्षमा याचना ... ३११७

चलचित्र (संशो न) विधेयक ... ३११७—३१

विचार करने का प्रस्ताव ... ३११७—२५

खण्ड २ से ६ और १ ... ३१२५—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... ३१३१

तैंतीसवां प्रतिवेदन

देश में भूमि सुधार की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये एक समिति के बारे में संकल्प ... ३१३१—५१

देश के सभी लोक सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प ... ३१५२

आन्ध्र में चीनी के सहकारी कारखानों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ३१५२—६०

दैनिक संक्षेपिका ... ३१६१—६९

**अंक २६—शनिवार, २० दिसम्बर, १९५८**

सभा पटल पर रखे गये प ... ३१७१-७२

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति ... ३१७२

दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ... ३१७३

दसवीं व ग्यारहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

| | पृष्ठ |
|---|---|
| राज्य-सभा से संदेश . | ३१७३ |
| संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक . . | ३१७३ |
| राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया | |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . | ३१७४ |
| आसाम रेलवे ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा कर्मचारियों का अस्थायी रूप से हटाया जाना | |
| अनुपस्थिति की अनुमति . . | ३१७४ |
| तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के उत्तर की शुद्धि | ३१७५ |
| अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक | ३१७५—७९ |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . | ३१७५—७८ |
| खण्ड २ और १ . | ३१७९ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . | ३१७९ |
| विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक | ३१७९—८४ |
| विचार करने का प्रस्ताव . | ३१७९—८४ |
| खण्ड १ और २ . | ३१८४ |
| पारित करने का प्रस्ताव . | ३१८४ |
| लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक . . . | ३१८४—९६ |
| संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा से सहमत होने का प्रस्ताव | |
| लोक तिमि त्व (संशो न) वि यक . | ३१९६—३२३० |
| प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रू में विचार करने का प्रस्ताव . . | ३१९६—३२१५ |
| खण्ड २ से १४, १६ और १८ से २३, २८-क और २८-ख, १५, १७, २९, ३० से ३७ और १ . . . . | ३२१५—३० |
| संशो त रूप में पारित करने का प्रस्ताव | ३२३० |
| उड़ीसा बांट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक . | ३२३१ |
| विचार करने का प्रस्ताव | ३२३१ |
| खण्ड २, ३ और १ | ३२३१ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . | ३२३१ |
| आन्ध्र में चावल की वसूली के बारे में आधे घंटे की चर्चा | ३२३१—३८ |
| दैनिक संक्षेपिका . . | ३२३९—४१ |
| छटे सत्र का कार्यवाही सारांश . . . . . | ३२४१—४४ |


नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

# लोक-सभा

गुरुवार, १८ दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### इस्पात संयंत्रों की प्रगति

+

†*११३८. **श्री उ० च० पटनायक :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री राम कृष्ण :**
**श्री मुरारका :**
**श्री मोहन स्वरूप :**
**श्री विभूति मिश्र :**

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन इस्पात संयंत्रों की प्रत्येक संयंत्र वार, निर्माण की प्रगति क्या है ; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय काल में कितने इस्पात के उत्पादन की आशा की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिए परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ९३**]

†**श्री तंगामणि** : विवरण में बताया गया है कि प्रत्येक इस्पात संयन्त्र के लिये ६७० इंजीनियर और ६३०० प्रवीण प्राविधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी संख्या में लोग प्रशिक्षित हो चुके हैं और कितनी संख्या में लोग काम आरम्भ होते ही काम पर आने को तैयार होंगे ?

†**इस्पात, खाद और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जहां तक भट्टी की प्रथम अवस्था का सम्बन्ध है चालकों अथवा अन्य प्रबन्ध करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था कर ली गयी है। उनमें से बहुत से लोग इंजीनियर और चालक देश में और विदेशों में भी प्रशिक्षण ग्रहण कर चुके हैं। प्रारम्भिक अवस्थाओं में हमें कुछ संख्या में विदेशी प्राविधिज्ञों पर भी आश्रित रहना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० च० पटनायक** : मैं यह जानना चाहता हूं कि भिलाई के मुकाबले में रूरकेला में देर क्यों हो रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे विचार में, मैंने जो विवरण सभा-पटल पर रखा है यह उसका न्यायपूर्ण अनुमान नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में कहा गया है कि दिसम्बर, १९५८ तक रूरकेला और भिलाई में इमारत का काम समाप्त हो जायेगा । क्या हम यह जान सकते हैं कि लगभग किस तिथि तक दुर्गापुर संयन्त्र का इमारत का काम समाप्त हो जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं कोई निश्चित तिथि तो नहीं बता सकता क्योंकि दुर्गापुर में इमारत का काम बहुत देर से आरम्भ किया गया था ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव**: दुर्गापुर के १,५०,००० किलोवाट के तापीय संयन्त्र के निर्माण में हम संयन्त्र और मशीनरी किस देश से प्राप्त कर रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : दुर्गापुर के सम्बन्ध में कुछ ब्रिटिश सार्थों से एक करार हुआ है और यह १,५०,००० किलोवाट विद्युत् संयन्त्र भी इस सारे का एक अंग है ।

†**श्री हेम बरुआ** : रूरकेला, यद्यपि उसे भिलाई से पहले आरम्भ किया गया था, के मामले में देरी हो रही है । क्या यह सत्य है कि रूरकेला के ठेकेदारों और जर्मन निर्देशालयों में परस्पर समन्वय नहीं है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इन दोनों परियोजनाओं और उनकी गति का मुकाबला करना ठीक नहीं, क्योंकि दोनों बड़ी तीव्र गति से चल रहे हैं और दोनों बड़ी अच्छी तरह से चल रहे हैं । रूरकेला में कुछ कठिनाइयां थीं और उसका कुछ कारण यह भी था कि सम्भरण करने वाले बहुत अधिक संख्या में थे । और प्रारम्भिक अवस्थाओं में उनका परस्पर समन्वय नहीं था । परन्तु समय निकलने पर अधिक समन्वय होता गया और मेरा विचार है कि अब रूरकेला में काम अच्छा चल रहा है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या चौथे इस्पात संयन्त्र की गति अनुसूची के अनुसार है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : चौथे इस्पात संयन्त्र के लिये अभी कोई अनुसूची नहीं तैयार हुई है ।

†**श्री प्र० चं० बोस** : जो लोग यहां काम कर रहे हैं क्या उनके आवास के लिये संयन्त्रों के पास ही मकान बनाये जायेंगे ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी हां, बड़ी तेजी से नगर बस रहे हैं ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारा इन विदेशी विशेषज्ञों से कब तक छुटकारा हो जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह कहना तो कठिन है । हमें काफी वर्ष अभी विदेशी प्राविधिज्ञों पर आश्रित रहना पड़ेगा । उदाहरण के लिए आप देखिए कि इतने वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी टाराज़ में काफी विदेशी प्राविधिज्ञ कार्य कर रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन सब संयंत्रों के चालू हो जाने पर भारत इस्पात उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जायेगा ? यदि नहीं, तो कितनी कमी बाकी रह जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कुछ माननीय सदस्य :** मांगें बढ़ जाती हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** कुछ माननीय सदस्यों ने उत्तर दिया कि हमारी मांगें बढ़ जायेंगी। परन्तु मुझे आशा है कि उन मागों के बढ़ने तक संयन्त्र पूरा उत्पादन करने लगेंगे, और यह हमारी आवश्यकताओं के लिए काफी होंगे। मांग बढ़ेगी और हमें इस्पात संयन्त्रों की व्यवस्था करनी होगी।

†**श्री रामा नाथन् चेट्टियार:** क्या सरकार को इन तीनों संयन्त्रों से उत्पादित इस्पात जो कि द्वितीय योजना के अन्त तक तैयार होगा अथवा जो तब तक गैर-सरकारी संयन्त्रों द्वारा तैयार होगा, की बिक्री का आश्वासन प्राप्त हो गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** बिक्री के सम्बन्ध में हमें कोई कठिनाई की आशंका नहीं है ।

†**श्री मुरारका :** विवरण में कहा गया है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक, रूरकेला भिलाई और दुर्गापुर के संयन्त्रों के उत्पादन से इस्पात के उत्पादन का व्यापक लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा। क्या द्वितीय योजना में निर्धारित लक्ष्य इन संयन्त्रों के उत्पादन से पूरा हो जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** लक्ष्य पूरे हो जायेंगे। वास्तविक उत्पादन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कुछ अन्य चीजों पर भी आश्रित है।

## कार्य का विकेन्द्रीयकरण

†**११३९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ के वर्ष में मंत्रालय में कार्य के विकेन्द्रीयकरण की दिशा में क्या कुछ किया गया है ;

(ख) क्या इस दिशा में कोई योजना विचाराधीन है; और

(ग) यह योजना किस अवस्था में है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया):** (क) से (ग). कार्य के विकेन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में विभिन्न पग उठाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाता रहा है । कुछ मामलों के लिए जैसे सेवा मुख्यालयों का असैनिक मंत्रालयों अथवा विभागों से नीति के मामलों के अतिरिक्त अन्य प्राविधिक मामलों पर पत्र व्यवहार करना, और वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) को सीधे कुछ मामलों को प्रस्तुत करना, इत्यादि पर अन्तिम निर्णय हो गया है। और आदेश जारी कर दिये गये हैं सेवा मुख्यालयों को अधिक वित्तीय अधिकार देने का मामला विचाराधीन है। सके अतिरिक्त श्रम समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** कितने नये पदों का निर्माण किया गया है और कितनों को ब्रिगेडियर अथवा इससे ऊंचे पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है ? क्या इसका केन्द्रीयकरण से कुछ सम्बन्ध है ?

†**श्री रघुरामैया:** कितने नये पदों का निर्माण किया गया है इसके लिए अलग प्रश्न का नोटिस प्राप्त होना चाहिये। यह प्रश्न केन्द्रीयकरण से सम्बन्धित है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जब पदों में वृद्धि होगी, चाहे उनका शक्तियों के प्रत्यायोजन से सम्बन्ध होगा अथवा नहीं, उसका विकेन्द्रीयकरण से सम्बन्ध तो होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** नये पदों के प्रश्न के अतिरिक्त, यह भी कि इन पदों के निर्माण के लिए ही तो विकेन्द्रीय करण नहीं हो रहा ?

†**श्री रघुरामैया :** जी, नहीं। मुझे यह पता नहीं कि वह किन नये पदों का उल्लेख कर रहे हैं। प्रत्यायोजन का इन नये पदों के निर्माण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक दिन यह कहा गया था कि कुछ संख्या में ब्रिगेडियरों के पद निर्माण किये गये थे।

†**श्री रघुरामैया :** वे अलग प्रश्न है और यदि नोटिस दिया गया तो मैं स सम्बन्ध में सारी जानकारी प्रस्तुत करूंगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। कुछ लफ्टिनैन्ट जनरल और ब्रिगेडियरों के पदों की रचना की गयी है। यदि उनका विकेन्द्रीयकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो फिर उनकी रचना का औचित्य क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य पुनः वही प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर भी वही दिया जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** मैं जानना चाहूंगा कि इन पदों के निर्माण का औचित्य क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि विकेन्द्रीयकरण में वित्तीय अधिकार भी दिये जायेंगे। क्या युद्ध सामग्री के कारखानों के सुपरिन्टैन्डेन्टों को भी वित्तीय अधिकार होंगे कि वे उत्पादन करने और सामग्री प्राप्त करने सम्बन्धी आर्डरों को निपटा सकें।

†**श्री रघुरामैया :** हां, नीचे के निर्माण में युद्ध सामग्री के कारखाने भी होंगे। सारा प्रश्न विचाराधीन है कि हम उनके खरीद सम्बन्धी अधिकारों की वृद्धि करें अथवा न करें।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या विकेन्द्रीयकरण की योजना पर विचार करने के लिये दिल्ली में हाल ही में कोई सम्मेलन हुआ था ? यदि हां, तो क्या केन्द्रीय उत्पादन नियन्त्रण इकाई की स्थापना कलकत्ता में हो रही है, ताकि उत्पादन का केन्द्रीयकरण करके नीचे के निर्माणों के उत्पादन का मार्ग दर्शन किया जाय ?

†**श्री रघुरामैया :** मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न का विषय बिलकुल अलग है। इसमें तो केवल विभिन्न नीचे के विभागों को कुछ वित्तीय और अन्य अधिकारों को देने का प्रश्न है। वह किसी केन्द्रीय समिति का उल्लेख कर रहे हैं जो कि उत्पादन का निर्देशन करेगी। इसके लिये अलग नोटिस की आवश्यकता है।

†**श्री हेम बरुआ:** माननीय उपमंत्री ने अभी कहा कि प्रतिरक्षा प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण के लिये कई प्रकार के पग उठाने पर विचार किया जा रहा है। क्या इंग्लैंड की परिषद प्रणाली भी सरकार के विचाराधीन है ?

†**श्री रघुरामैया :** पता नहीं, मेरे मित्र केन्द्र की समितियों का उल्लेख कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ:** वहां तीन विभागों के लिये तीन परिषदें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रघुरामैया :** हमारे भी सेना समिति, नौसेना समिति इत्यादि हैं और ये प्रतिरक्षा मंत्री की सहायता करती हैं। परन्तु इनमें और इंग्लैंड की इस प्रकार की समितियों के कार्य में काफी भेद है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की नई सेना कमान का निर्माण किया जा रहा है ?

†**श्री रघुरामैया :** इसका यहां क्या अर्थ है ?

**कुछ माननीय सदस्य** उ` —

†**अध्यक्ष महोदय :** काफी हो गया है ।

## 'यूथ होस्टल'

†*११४३. { **श्री रा० च० माझी:**
**श्री सुबोध हंसदा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ोजना के आरम्भ से सरकार ने सीधे कितने यूथ होस्टलों (युवक आवास गृहों) के निर्माण की परियोजनाओं को हाथ में लिया है; और

(ख) क्या ये होस्टल सीधे सरकार के नियन्त्रण में हैं अथवा ठेके पर चलाये जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) सरकार ` कोई यूथ होस्टल (युवक आवास गृहों) का निर्माण नहीं किया है। डलहौजी में एक मारत को यूथहोस्टल बनाने के लिये खरीदा गया है ।

(ख) भारत सरकार के सीधे नियन्त्रण में वर्तमान काल में कोई होस्टल नही है । डलहौजी में होस्टल के अभिकर्त्ता का निर्णय इमारत के ठीक-ठाक करने के बाद किया जायेगा ।

†**श्री रा० च० माझी:** क्या राज्य सरकारों को कोई अनुदान दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां, ब त सी राज्य सरकारों को अनुदान दिया गया है ?

†**श्री रा० च० माझी:** उसकी राशि कितनी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** १९५७-५८ में दो यूथ होस्टलों के निर्माण के लिय बिहार सरकार को १०,००० रुपये का अनुदान दिया गया था। पश्चिमी बंगाल सरकार को तीन होस्टलों के लिये ४५,००० का अनुदान दिया गया था। ये कुछ अनुदान हैं जो कि दिये गये थे ।

**श्री अ० मु० तारिक:** क्या इज़्ज़त-मा वज़ीरे तालीम को यह इल्म है कि बहुत से पहाड़ी मुकामात पर डिफेंस के खाली मकानात पड़े हुये हैं और इस सिलसिले में महकमा तालीम ने उन खाली मकानात को यूथ ोस्टल में तबदील करने के लिये कोई कदामात किये हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रियासत जम्मू और काश्मीर में कितने यूथ होस्टल हैं और उनके लिये कितनी इमदाद दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक यूथ होस्टल एसोसिएशन है जिसको सरकार सहायता देती है, मदद देती है और वह करीब ११५ यूथ होस्टल चला रही है। सके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को बराबर हम लिखते रहते हैं और महसूस कर रहे हैं कि जितने भी मकान मिल सकें खास तौर पर पहाड़ों पर उनको यूथ होस्टलस के लिये काम में लाया जाय और स्टेट गवर्नमेंट्स की हम इसमें मदद करेंगे ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** मेरा यत्न प्रतिरक्षा मंत्रालय के खाली मकानों से सम्बन्धित था। क्या शिक्षा मंत्रालय ने पहाड़ों पर पड़े प्रतिरक्षा मंत्रालय के खाली मकानों को प्राप्त कर की व्यवस्था की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह सामान्य प्रश्न है, यदि माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो मैं इसका पता करूंगा ।

†**श्री रंगा :** क्या ये होस्टल स्थायी और पक्की इमारतों में हैं अथवा केवल अस्थायी चीज ही है। बताया गया कि बिहार सरकार को १० हजार रुपया दिया गया, उनसे भी दस हजार इसमें और सम्मिलित करने की आशा की जा सकती थी। २० हजार से हम पक्की इमारत में होस्टल का निर्माण हो जाने की आशा रखते ? किस उद्देश्य के लिये यह दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अब तो हाल ही में ोक लगा दी गयी है, हमने कह दिया है कि हम अधिक से अधिक राज्य सरका ों को ४०,००० तक देंगे। कई मामलों में मारत तो होती है, उसे ठीकठाक करके उसे होस्टल में परिवर्तन करना होता है। सामान्यता २०,००० में नई इमारत का बन जाना सम्भव है, परन्तु यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उनका कहना था कि उनकी योजनायें हैं और हमें सहायता चाहिये, हमने अनुदान स्वीकृत कर दिये।

†**श्री रंगा:** यह तो असन्तोषजनक स्थिति का द्योतक है, क्या संघ सरकार, उनको भेजी गयी योजनाओं की छान-बीन करने की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती और उसे राज्य सरकार पर ही छोड़ देती है। वे जैसा चाहें १० हजार का प्रयोग कर ले ? क्या विचार है, क्या योजना है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** दिये गये अनुदानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार से प्राप्त होने पर योजना की छान- ीन करके उसके आधार पर ही अनुदान स्वीकृत किये जाते ।

बिहार सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्थापनायें प्राप्त हुईं। समुचित छान-बीन के बाद अनुदान दे दिया गया । यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि वह १०,००० और २०,००० इत्यादि किस विशेष ोस्टल पर खर्च हुआ मुझे उसके लिये नोटिस दें। मेरे पास सविस्तार सा ी जानकारी है। कि किस होस्टल की इमारत पर क्या खर्च हुआ ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या सरकार को पता है नैनीताल, शिलांग और दारजिलिंग में कई सेना बैरके वर्षों से खाली पड़ी हैं। उन्हें बड़ी आसानी से यूथ होस्टलों में परिवर्तित किया जा सकता था। इन प्रतिरक्षा मंत्रालय की इमारतों के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय ने क्या का वाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदयः** यह तो कार्यवाही का सुझाव है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

†**श्री भक्त दर्शन :** मैं जानना चाहता हूं कि यह जो यूथ होस्टल की योजना बनाई जा रही है उसमें यूथ की क्या परिभाषा है क्योंकि बहुत से बूढ़े लोग भी जवान होना चाहते हैं ?

**डा० का० ला० श्रीमाली :** जिस में जवानी हो वह जवान है।

†**श्री तिम्मय्याः** द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सरकार कितने होस्टल बनाने का विचार रखती है और उसका प्रत्येक राज्य में वितरण कैसे होगा ?

†**अध्यक्ष महादयः** यह लम्बा प्रश्न है। कुल संख्या यदि उनके पास हो तो वह बता सकते हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इसके उत्तर के लिये अलग नोटिस चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री कोडियान वह, यहां सब से छोटे युवक हैं।

†**श्री कोडियान :** राज्य सरकारों को इन होस्टलों को चलाने के लिये वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय भारत के 'यूथ होस्टल्स एसोसिएशन' को भी वित्तीय सहायता दे रहा है। वह सहायता की राशि क्या है और क्या कोई व्यवस्था है जिसके द्वारा यह देखा जा सके कि यह राशि संघ द्वारा उपयुक्त रूप में खर्च की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमालीः** हम १९५३-५४ से अनुदान दे रहे हैं और तत्सम्बन्धी आंकड़े ये हैं :—

| | |
|---|---|
| १९५३-५४ | ४,६२० रुपये |
| १९५४-५५ | ८,००० रुपये |
| १९५५-५६ | १०,००० रुपये |
| १९५६-५७ | १०,००० रुपये |
| १९५७-५८ | १५,००० रुपये |
| १९५८-५९ | १५,००० रुपये |

†**कुछ माननीय सदस्य** उठे--

†**अध्यक्ष महोदय :** १०,००० की क्या चिन्ता है, हम प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ का खर्चा करते।

## केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी-बटी संगठन

+

*११४४. { **श्री भक्त दर्शन :**
**श्री नवल प्रभाकरः**
**श्री मूलन सिंह :** }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी-बूटी संगठन की स्थापना में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) सी० एस० आई० आर० की गवर्निंग बाडी की बैठक जो कि १५ अक्टूबर १९५८ को हुई थी उसने केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी-बूटी संगठन की स्थापना की मंजूरी दे दी है । इस संगठन के काम काज के प्रबन्ध के लिये जिम्मेवार ११ सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद् बना ली गई है। अगली कार्यवाही करने के लिये जितनी जल्दी हो सकेगा परिषद की बैठक होगी।

(ख) अभी संगठन बन रहा है । इस पर अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ।

**श्री भक्त दर्शन** : यह विषय हमारे देश के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है और पिछले तीन चार वर्षों से इस पर विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है।

†**डा० म० मो० दास** : मामला निसंदेह देश के लिए बड़े महत्व का है, परन्तु राज्य सरकारें और विभिन्न मंत्रालय इन पर कार्य कर रहेहैं। और यह संस्था केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाओं का समन्वय करने के लिये ही थी।

**श्री भक्त दर्शन** : इस संबन्ध में दूसरी पंच वर्षीय योजना में कितने रुपयों की व्यवस्था की गई है और क्या यह आशा की जाती है कि इस आर्थिक वर्ष में वह रुपया खर्च किया जा सकेगा ?

†**डा० म० मो० दास**: यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इसके अतिरिक्त और संस्थायें कौन थीं तो मैं उन्हें बताता हूं कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय की अखिल भारतीय डाक्टरी गवेषणा परिषद् है।

**श्री भक्त दर्शन** : माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न को नहीं समझा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संस्था को चलाने के लिये कितने रुपयों की व्यवस्था की जा रही है और क्या यह आशा की जाती है कि इस आर्थिक वर्ष में वह खर्च भी हो सकेगा या नहीं।

†**डा० म० मो० दास** : योजना के बाकी समय के लिए अर्थात् आगामी दो वर्षों में, कुल मिला के ७ लाख रुपये का खर्चा किया जायेगा ।

†**डा० सुशीला नायर** : डाक्टरी व्यवस्था के लिए औषधीय जड़ी बूटियां बहुत महत्व की वस्तु हैं। क्या इस संस्था में भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् का प्रतिनिधि लिया गया है , और क्या इस विषय की काम रही सभी संस्थाओं से पूरी सहायता प्राप्त की गयी है ?

†**डा० म० मो० दास** : इस संस्था की कार्यकारिणी में इस दिशा में काम करने वाली सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि लिये गये हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : भारतीय डाक्टरी गवेषणा परिषद् का प्रतिनिधित्व इस नयी संस्था में क्या है ?

†**डा० म० मो० दास** : इस संस्था की कार्य कारिणी के ११ सदस्यों में से एक परिषद् का प्रतिनिधि है ।

**श्री भक्त दर्शन** : पिछली बार इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि इस संस्था का प्रधान कार्यालय अभी तक निश्चित नहीं हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका निश्चय हो चका है कि इस का प्रधान कार्यालय कहां रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० म० मो० दास**: अभी तो इसका मुख्य कार्यालय केन्द्रीय चिकित्सा गवेषणा संस्था में है। परन्तु संस्था का विकास होते ही इसका मुख्यालय भी दिल्ली में बदल दिया जायेगा।

†**श्री रंगा** : सभी कुछ दिल्ली में ?

†**श्री जयपाल सिंह** : रूसी दल जो इन क्षेत्रों में गये थे जहां कि औषधीय पौधे काफी पैदा होते हैं, और उनका मत था कि वे इस संस्था के लिए बहुत मूल्य की चीज है। क्या उस टीम ने इन जड़ी बूटियों को और कहीं उगाने की योनजा दी है, यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

**श्री विभूति मिश्र**: मैं जानाना चाहता हूं कि जो ११ आदमियों की कमेटी बनाई गई है, उस में यूनानी, ऐलोपैथिक, होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक के जानकारों के भी प्रतिनिधि हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : बहुत से देशी पौदे विभिन्न प्रणालियों में प्रयोग होते हैं। हमारे कुछ आयुर्वेदिक पौदे ऐलोपैथिक औषधियों में भी प्रयोग होते हैं। हम पौदे की भेषजीय विशेषता को महत्व देते हैं परन्तु हम चिकित्सा प्रणाली के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहे। जिस किसी पौदे में भेषजीय विशेषता होगी, वह सामने आ जायेगा।

†**श्री भक्त दर्शन** : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया जिस को श्री विभूति मिश्र के साथ मैं भी समझना चाहता हूं कि क्या इस में आयुर्वेद प्रणाली के प्रतिनिधियों को भी, जिनकी जानकारी मैडिसिनल प्लैन्ट्स के बारे में बहुत बढ़ी हुई है, रखा गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं ठीक से प्रश्न नहीं समझ सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आयुर्वेद प्रणाली का भी कोई प्रतिनिधि है ?

†**श्री भक्त दर्शन** : मैं यह जानना चाहता हूं कि ११ आदमियों की जो कमेटी बनाई गई है, क्या उस में ऐसे कोई विशेषज्ञ भी हैं जो आयुर्वेद प्रणाली के जानकार हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : डा० आर० एन० चोपरा जैसे वैज्ञानिक तथा अन्य व्यक्ति हैं जो इस विषय में, जिस में आयुर्वेदिक पौदे सम्मिलित हैं, दीर्घकाल से गवेषणा कर रहे हैं। परन्तु यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सम्मिति में कोई कविराज या आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वाले कोई सज्जन हैं या नहीं, तो इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है।

## रूरकेला इस्पात संयंत्र का सामान्य सेवा व्यय

†*११४५. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में सामान्य सेवा व्यय (जनरल सर्विसेंस चार्ज) १३ करोड़ रु० से बढ़कर १८ करोड़ रु० हो गया है ;

(ख) यदि हां तो, इस वृद्धि का क्या कारण है ; और

(ग) कितनी वृद्धि सामान में वृद्धि के कारण हुई है और कितनी मजदूरों की संख्या में वृद्धि के कारण ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान्। "सामान्य सेवाओं" पद में टनभार आक्सीजन संयंत्र, शक्ति, आय तथा पानी के वितरण की पारस्परिक संबद्ध सारी सेवा में (इन में दबाव-नल, बिजली के तार ले जाने वाले नल, तार (केबिल्स), पानी के नल, आदि सम्मिलित हैं) तथा दफ्तर की इमारतें, टेलीफोन तथा वातिनाल प्रणाली,[1] मोटर पूल व ईंधन नियन्त्रण एवं औज़ार आते हैं। इन मदों के लिए १३ करोड़ रु० का प्राक्कलन अक्टूबर/नवम्बर १९५५ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सम्मिलित था। १९५६ में प्राक्कलनों के पुनरीक्षण के समय वृद्धि का पता चला।

(ख) वृद्धि के कारण निम्न हैं :

(१) विशिष्ट विवरणों में परिवर्तन ;
(२) भौतिक मूल्यों तथा वेतन की दरों में वृद्धि ;
(३) अतिरिक्त सामान के लिये व्यवस्था ; और
(४) आरम्भ में परामर्शदाताओं द्वारा किया गया न्यून प्राक्कलन।

(ग) तफसील उपलब्ध नहीं है।

†**श्री मुरारका** : क्या यह वृद्धि स्वीकार करने के पूर्व सरकार से इस बारे में परामर्श किया गया था, तथा यदि हां, तो सरकार का वह प्राविधिक एजेंसी क्या थी जिसने यह वृद्धि उचित समझी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : परामर्शदाताओं ने दूसरी जांच भी की थी तथा परियोजना प्राधिकारी पूर्णतया संतुष्ट थे कि यह वृद्धि उचित थी।

†**श्री मुरारका** : इस वृद्धि से किस फर्म को लाभ होगा ? क्या इस फर्म का परामर्श देने से कोई संबंध है अथवा वह परामर्शदाताओं में से एक है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कदाचित इस से बहुत सी फर्में सम्बद्ध हैं। यदि पृथक पूर्व सूचना दी जाये तो मैं नाम बता सकता हूं क्योंकि मैंने पढ़ा है कि इसमें अनेकों मदें हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने परामर्श दिया क्या ठेकेदार भी वही थे ? क्या कोई स्वतंत्र परामर्श लिया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : नहीं, उस समय हम प्राक्कलन की स्थिति में थे। अतः उस समय ठेकेदारों का प्रश्न सामने नहीं था।

†**श्री रंगा** : ये प्राक्कलन बनाते समय भी आशा की जाती है कि वे ९५ परसेंट ठीक हैं। परन्तु माननीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी से हमें पता लगता है कि यह बात नहीं थी। काल के मध्य में विशिष्ट विवरणों में परिवर्तन की अनुमति देने का क्या कारण था तथा मूल प्राक्कलनों में ही इतने अधिक न्यून प्राक्कलन की अनुमति क्यों दी ? क्या इस से उस धन राशि का सर्वथा गलत विचार नहीं होगा जो उन्हें इस विशिष्ट इस्पात संयन्त्र या किसी और संयंत्र के लिए निर्धारित करनी होगी ? लोक लेखा समिति इन्हीं बातों की कई वर्षों से शिकायत कर रही है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि बीच समय में परिवर्तन हुआ। क्योंकि यह आरम्भ में हुआ था जब कि मूल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया था। तत्पश्चात् परिवर्तन संयंत्र को अधिक कार्य कुशल बनाने के लिए किये गये और नई मदें बढ़ानी पड़ी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Pneumatic Tube System.

उदाहरणार्थ, कोयले को गैस के संभरण में मूल प्राक्कलन ४८.४२ लाख था। पुनरीक्षित प्राक्कलन ७१.१ लाख था। १००,००० मी एम बी गैस होल्डर के स्थान पर ५०,००० मी एम बी गैस होल्डर चुनने के कारण लागत में कमी हुई। परन्तु मेन के एक भाग को बड़ा करने से लागत में वृद्धि हुई। फिर कम्प्रेसर स्टेशन (उर्वरक कारखाना) के साथ तेज़ गैस का मेन जोड़ने तथा तेज़ गैस की उपंककी अर्हा[1] के नियंत्रण के लिये सामान से, वं भौतिक मूल्यों और वेतनों की दरों में वृद्धि होने के कारण भी वृद्धि हुई। मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। परन्तु ऐसी बहुत सी मदें हैं जिनके डिज़ाइन बदले जाते हैं और उस परिवर्तन से अधिक व्यय हुआ है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या मूल प्राक्कलनों और पुनरीक्षित प्राक्कलनों के समयों के बीच कोई कार्यवाही की गई थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कार्यवाही किस पर ?

†**श्री सिंहासन सिंह** : मूल प्राक्कलन के अनुसार कार्य करने पर।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : नहीं, श्रीमान्। कोई कार्य नहीं हुआ था। यह बिल्कुल आरम्भ की बात है।

†**श्री सूपकार**: ६ करोड़ रुपये की वृद्धि में कितनी वृद्धि विशिष्ट विवरणों में परिवर्तन के कारण हुई और कितनी अन्य कारणों से ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं बता चुका हूं कि अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री त० ब० विटेठलराव** : माननीय मंत्री ने कहा है कि परियोजना प्राधिकारी वृद्धि से सन्तुष्ट थे। क्या मैं यह समझूं कि सरकार से बिल्कुल परामर्श नहीं किया गया या १९ करोड़ रु० का प्राक्कलन अन्तिम रूप से स्वीकार करने के पूर्व उनसे परामर्श किया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह १९५५ में हुआ था और मुझे विश्वास है कि सरकार से अवश्य परामर्श किया गया होगा।

†**श्री नारायणन् कुट्टी मेनन** : वहां निर्माण कार्य आरम्भ होने के बाद क्या मजदूरों को दिये गये वेतन में कोई वृद्धि हुई है, और क्या स ६ करोड़ रु० की राशि में कुछ राशि निर्माण में मज़दूरों के बढ़े हुये वेतन की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : नहीं, मेरा विचार है कि इसका निर्माण-काल में मज़दूर-व्यय की वृद्धि से अधिक सम्बन्ध नहीं है। प्राक्कलन में यह वृद्धि अधिक वस्तुओं की आवश्यकता के कारण हुई।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें तफसील तथा ६ करोड़ रु० का व्यय सम्मिलित है। एवंम माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि स वृद्धि के ठीक ठीक कारण क्या हैं। अतः मेरा सुझाव है कि यह मामला प्राक्कलन समिति को विस्तृत जांच करने तथा वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिये सौंप दिया जाये। मैं उन्हें अनुदेश दे दूंगा कि वे इस मामले पर तुरन्त विचार करना आरम्भ कर दें तथा यथाशीघ्र सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि यही मामला प्राक्कलन समिति के समक्ष है। हमने उन्हें बताया है कि यह मूल प्राक्कलन है, यह वृद्धि है और यह संयंत्रवार वृद्धि है। अतः

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Catarofic Value

यह प्रश्न वास्तव म उससे उत्पन्न होता है। वे इस पर विचार कर रहे हैं तथा हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री रंगा** : एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें अभी तक नहीं दी गई है । क्या पुनरीक्षित प्राक्कलन भी उन्हीं प्रविधिक परामर्शदाताओं ने बनाया था जिन्होंने मूल प्राक्कलन तैयार किया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जैसा कि आपने बहुत ही ठीक कहा है, इस बात पर भी प्राक्कलन समिति विस्तार से विचार करेगी । वास्तव में दोनों समय वही परामर्शदाता थे, परन्तु वृद्धि का कारण विशिष्ट विवरणों में परिवर्तन होना है । यह मुख्य बात है । अतः वास्तव में परामर्शदाताओं के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है । उदाहरणार्थ, यदि पहले तीन कमरे थे और अब उन्हें चार चाहियें तो मूल्य में वृद्धि होगी ।

†**श्री मुरारका** : माननीय मंत्री ने कई बार इस सदन में यह विचार उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है कि मेरे इस प्रश्न का आधार वह जानकारी है जो उन्होंने प्राक्कलन समिति को दी है । माननीय मंत्री के लिये व्यंग करना एवं सदन में यह विचार उत्पन्न करना उचित नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । जब तक कि माननीय सदस्य मुझे यह न बतावें कि वह प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं, मैं नहीं जानता कि उस समिति का सदस्य कौन है । प्रत्यक्ष है कि माननीय मंत्री ऐसा कोई विचार उत्पन्न नहीं होने देना चाहते कि वह जांच से कोई बात छिपाना चाहते हैं । उन्होंने सारा मामला प्राक्कलन समिति के समक्ष रख दिया है । दोनों ही ठीक हैं । मैं समझता हूं कि श्री मुरारका प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं हैं ।

†**श्री मुरारका** : नहीं, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अतः इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

†**श्री मुरारका** : फिर भी, अभी माननीय मंत्री ने कहा था कि यह प्रश्न प्राक्कलन समिति को दी गई जानकारी से उत्पन्न हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्राक्कलन समिति से कोई जानकारी नहीं मिलती । अनेकों बातों का पूर्वानुधान करने के लिये माननीय सदस्य निश्चय ही बधाई के पात्र हैं ।

## बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

+

†*११४६. { **श्री वारियर** :
**श्री वासुदेवन् नायर**:
**डा० राम सुभग सिंह** : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की १९५६-५७ और १९५७-५८ की लेखा परीक्षा रिपोर्टें सभा-पटल पर रखेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ६४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं एक औचित्य के प्रश्न पर खड़ा होता हूं । माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर माननीय सदस्यों के अनुपूरक प्रश्न पूछने के अधिकार का खंडन करता है । बताया गया है कि जानकारी सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी है । सूचना कार्यालय से मुझे पता लगा है कि जब तक कि प्रश्न स्वयं हमारे नाम में न हो तब तक ऐसा विवरण सदस्यों को नहीं दिया जा सकता । अतः प्रश्न का उत्तर देने का यह ढंग नियम ५० के अन्तर्गत माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित करता है । प्रथम, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती कि किन प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया जायेगा एवं किन प्रश्नों का उत्तर सभा-पटल पर विवरण रख कर दिया जायेगा । अतः पहले से यह जानना मेरे लिये मानवीय दृष्टि से असम्भव है कि माननीय मंत्री क्या उत्तर देंगे, तथा जब तक विवरण मेरे हाथ में न हो, मेरे अधिकार का खंडन होता है । अतः मेरा निवेदन है कि सभा-पटल पर विवरण रख कर प्रश्नों के उत्तर देने का ढंग समाप्त किया जाये या आप सूचना कार्यालय को यह अनुदेश दे दें कि हमें भेजी जाने वाली प्रश्न-सूची में नीचे यह नोट आवश्यक हो कि उन प्रश्नों सम्बन्धी विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिनका उत्तर सभा पटल पर रखे गये विवरणों से दिया जायेगा । हमें ये विवरण भी मिलने चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सभा पटल पर रखेगी एवं उत्तर है कि एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने लेखा परीक्षा रिपोर्टों की बजाये रिपोर्ट सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा है तथा रिपोर्ट रखने के बारे में मना करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : रखे गये विवरण में माननीय मंत्री कहते हैं :

> "लेखा परीक्षा जांच रिपोर्ट पर, विश्वविद्यालय को उससे उत्पन्न बातों का स्पष्टीकरण करने तथा लेखा परीक्षा को सन्तुष्ट करने का पूर्ण अवसर मिलने से पहले संसद् में विचार करना उचित न होगा ।"

मैं नहीं समझता कि उन्हें यह कहने का अधिकार है, क्योंकि लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पहले सम्बद्ध प्राधिकारियों को पूर्ण अवसर देता है । इस मामले में मंत्री महोदय ने सदन के अधिकार का खंडन किया है । इसके अतिरिक्त इसी विवरण में माननीय मंत्री ने कहा है कि आपत्तियां काफी महत्वपूर्ण हैं । मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय ने जमींदारी बांड बाजार की दर से अधिक मूल्य पर लिये हैं ।

†**श्री तंगामणि** : हमें यह अवश्य विदित होना चाहिये कि सभा-पटल पर कैसे विवरण रखे जायेंगे । यह बहुत छोटा विवरण है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समाधान सरल है । इस मामले में सदैव ही मतभेद हो सकता है । प्रश्न पूछे जाने पर पहिले माननीय मंत्री स्वयं यह निर्णय करते हैं कि विवरण बड़ा है या छोटा है । यदि विवर छोटा है तो वह उसे सदन में पढ़ेंगे, यदि बड़ा है तो उसे सभा-पटल पर रखेंगे तथा प्रतियां सूचना कार्यालय में रखी जायेंगी । यदि माननीय सदस्य विवरण में सम्मिलित जानकारी से सन्तुष्ट न हों तो वे यहां अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं । इसमें औचित्य प्रश्न की कोई बात नहीं है । माननीय सदस्य का कहना है कि वह नहीं जानते कि उत्तर के लिये उन्हें सूचना कार्यालय जाना है

---

†मूल अंग्रेजी में

या विवरण सदन में पढ़ा जायेगा । यदि विवरण सूचना कार्यालय में रखे जाते हैं तो माननीय सदस्यों को अवसर मिलता है । यदि माननीय मंत्री ने विवरण सभा-पटल पर रखा है तथा माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं, तो मैं उन्हें यहां अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा । इसमें औचित्य प्रश्न की कोई बात नहीं है ।

माननीय सदस्य साधारण रूप से कह देते कि वे चाहते हैं कि विवरण यहां पढ़ा जाये । निश्चय ही माननीय मंत्री इसे पढ़ सकते हैं । यह कितना बड़ा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह लगभग एक पन्ने का तीन चौथाई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इसे पढ़ सकते हैं । मैं समय देने को तैयार हूं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं इसे पढ़ दूंगा ।

'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की १९५६-५७ की लेखा परीक्षा जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के महालेखापाल (लेखा परीक्षा विभाग के बाहर) से अप्रैल १९५८ के आरम्भ में प्राप्त हुई थी । उसमें प्रकट किये गये मत विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं । लेखा परीक्षा की कुछ आपत्तियां दूर कर दी गई हैं तथा अन्य की जांच हो रही है । लेखा परीक्षा जांच रिपोर्ट पर, विश्वविद्यालय को उससे उत्पन्न बातों का स्पष्टीकरण करने तथा लेखा परीक्षा को सन्तुष्ट करने का पूर्ण अवसर मिलने से पहले संसद में विचार करना उचित न होगा । अन्त में, पर्याप्त महत्वपूर्ण समझी जाने वाली अनिश्चित आपत्तियां केन्द्रीय सरकार की विनियोग लेखा तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित की जायेंगी और वह रिपोर्ट संसद् की लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की जायेगी । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की १९५७-५८ की लेखा परीक्षा जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।'

उपरोक्त बताये गये प्रशासकीय कारणों की दृष्टि से सरकार लेखा परीक्षा जांच रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखना उचित नहीं समझती ।'

डा० राम सुभग सिंह ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं सदन को बता दूं कि महालेखापाल स्वयं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय गये थे एवं विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से विचार विमर्श किया था । उस विचार विमर्श के फलस्वरूप, उस रिपोर्ट में की गई कुछ आपत्तियां वापस ले ली गई हैं ।

उदाहरण के लिये उन्होंने जमींदारी उन्मूलन बांडों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया और यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को हानि उठानी पड़ी । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वह आपत्ति लेखा परीक्षा द्वारा वापस ले ली गई है । अतः यह वार्ता विश्वविद्यालय और महा लेखापाल के बीच चल रही है । इस अवस्था में प्रतिवेदन को पटल पर रखना उचित नहीं होगा । लोक निधि के बारे में मुझे कुछ भी छिपाना नहीं है । उसका सारा लेखा-जोखा लोक लेखा समिति के समक्ष यथासमय रखा जायेगा और यदि कोई महत्वपूर्ण बातें बिना तय की हुई रह जायेंगी तो वे भी रखी जायेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इससे केवल एक साधारण सी बात यह उत्पन्न होती है कि क्या वह लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने के लिये तैयार हैं । माननीय मंत्री ने कहा

†मूल अंग्रेजी में

है कि यह अभी समय से बहुत पूर्व है तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्राधिकारी जब इन प्रतिवेदनों को देख लेंगे तो निश्चय ही हम उन्हें सभा-पटल पर रखेंगे। यह साधारण सा उत्तर है। इससे और अधिक क्या चाहिये ?

†**श्री रंगा** : ऐसे सभी मामलों में लेखा परीक्षा को कोई वक्तव्य विशेष देने से पहले सम्बन्धित प्रशासन को यह बात मनवाने का प्रयत्न करने का अवसर रहता है कि यह व्यय किस प्रकार हुआ। महालेखा परीक्षक अथवा राज्यों में महालेखा पाल जो भी वक्तव्य देते हैं उसको सहमत वक्तव्य समझा जाता है जब कि व्यय करने वाला विभाग अथवा सम्बन्धित प्रशासन इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि जो वक्तव्य दिया गया है वह सही है। इसलिये उसके पश्चात् कोई भी वाद-विवाद नहीं हो सकता। केवल उसकी व्याख्या की जा सकती है और वह व्याख्या सरकार अथवा संसद् आदि के समक्ष दिया जा सकता है : अतः माननीय मंत्री इस प्रकार की आपत्ति किस प्रकार उठा सकते हैं ?

†**डा० राम० सुभग सिंह** : वह छपा हुआ होता है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन आता है तो संबंधित पक्ष को उन बातों की व्याख्या करने का अवसर दिया जाता है। इस मामले में जब प्रतिवेदन विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के पास भेजा गया था तो उन्होंने कुछ चीजों की व्याख्या की थी। और उनके स्पष्टीकरण के आधार पर कुछ आपत्तियां वापस ले ली गई थीं। वही वार्ता अब भी जारी है। अतः इस अवस्था में प्रतिवेदन को पटल पर रखना उचित नहीं होगा। यदि कुछ बातें अनिर्णीत रह जायेंगी तो मैं उन्हें लोक लेखा समिति के समक्ष रखूंगा। किन्तु जब तक वार्ता जारी है तब तक हम प्रतिवेदन को सभा-पटल पर किस प्रकार रख सकेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाये। जब कि माननीय मंत्री का कहना यह है कि वह प्रतिवेदन के साथ वह व्याख्या भी सभा पटल पर रखना चाहेंगे जिससे कुछ बातों से सभा इस बात से सहमत हो जाय जो प्रतिवेदन में उठाई गई हैं जिससे सभा अन्य चीजों के साथ उन पर भी विचार कर सके जब तक कि उस कार्य में अधिक समय न लगे।

†**श्री तंगामणि** : आगामी वर्ष का प्रतिवेदन भी पटल पर रखा जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखे जाते हैं तो यदि जिन संस्थाओं के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन होता है वे यदि थोड़े समय के भीतर प्रतिवेदन के साथ कुछ बातों पर व्याख्या तैयार कर लेती हैं, तो निश्चय ही इसमें कोई हानि नहीं। किन्तु यदि प्रतिवेदन पर विचार करने में अत्याधिक समय लगता है तो सरकार यथाशीघ्र लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख सकती है। मैं यही निदेश दूंगा। अतः लेखा परीक्षा प्रतिवेदन यदि व्याख्या शीघ्र ही प्राप्त हो सकती हो तो उसके साथ यथाशीघ्र सभा पटल पर रखा जा सकता है।

अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

**कुछ माननीय सदस्य** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य जो कुछ चाहते हों मुझे लिख कर दे दें। मैं सारे सदस्यों की बात एक साथ नहीं सुन सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये, श्री मुनिस्वामी।

†**डा० राम० सुभग सिंह** : इसमें एक बात अन्तर्निहित है।

†**श्री नारायणन् कुट्टी मेनन** : एक औचित्य प्रश्न उठाया गया है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा है कि विश्वविद्यालय को व्याख्या करने का अवसर दिया जाना चाहिये। यदि वे उसकी व्याख्या करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे अब बताया गया है कि जमीदारी बांड का व्यापार पहले ही तय हो चुका है। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े मद भी ऐसे हैं जिन पर आपत्ति की गई है। मैं उन सब आपत्तियों की चर्चा नहीं करना चाहता। किन्तु बात यह है कि वह यह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय को स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिये समय दिया जाये। किन्तु अन्य अवसरों पर आपने देखा होगा कि अन्य प्रतिवेदन के प्रकाशित होने पर उसे अपने विचारों का स्पष्टीकरण करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वही सिद्धान्त सभी मामलों में लागू किया जाना चाहिये। न्यायाधीश जी० के० शिन्दे का एक न्यायिक प्रतिवेदन भी है। उन्होंने कुछ समय पूर्व एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। वह प्रतिवेदन अभी तक न तो प्रकाशित हुआ है और न ही उसकी कोई प्रति उन व्यक्तियों को दी गई है जिनको विश्वविद्यालय ने अपना शिकार बनाया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। अगला प्रश्न.... (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री नारायणन् कुट्टी मेनन** : लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अब विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण के लिये भेजा गया है। कुछ मामलों में समझौता हो सकता है। हम नहीं जानते कि विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण के साथ मूल लेखा परीक्षा प्रतिवेदन हमें प्राप्त होगा किन्तु समझौते के पश्चात् अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होगा। मुझे आशंका इस बात की है कि विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण के साथ हमें मूल लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा और आगे की बातें नहीं प्राप्त होंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि मूल लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिसमें वे सभी कमियां अथवा बुराइयां जो बताई गई हैं व्याख्या सहित सभा-पटल पर रखा जायेगा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं तो पूर्णतया सभा के आधीन हूं। सामान्यतः यह प्रक्रिया तो नहीं है। किन्तु यह सभा सर्वोच्च अधिकार-प्राप्त निकाय है। यदि स्पष्टीकरण मांगे बिना प्राप्त होते ही लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तत्काल ही सभा के समक्ष रख दिया जाता है तो यह बड़ी गलत प्रक्रिया होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सम्बन्धित पक्ष को स्पष्टीकरण का एक अवसर दिया जाना चाहिये। स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात् केवल अनिर्णीत बातें ही लोक लेखा समिति के समक्ष रखी जायेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह लेखा परीक्षा से सम्बन्धित चीज़ है। वास्तविक प्रक्रिया क्या है? क्या यह प्रक्रिया है कि लेखा परीक्षक एक अस्थायी निर्णय पर पहुंच कर लेखाओं की जांच कर वह कहता है —"मैं ये बुराइयां समझता हूं; अब आपको जो कुछ कहना हो कह सकते हैं।" यदि वे कुछ बताते हैं अथवा स्पष्टीकरण करते हैं तो वह उसे चाहे ठीक कर सकता है। इस चीज़ को इस प्रकार यहां तय करने का प्रयत्न करने के बजाय वास्तव में प्रक्रिया क्या है, इसका पता लगाऊंगा और उसके पश्चात् यह निदेश दूंगा कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिये। मैं परामर्श लूंगा..... (**अन्तर्बाधा**) सभी माननीय सदस्य मुझे मंत्रणा दे रहे हैं। मैं इस पर विचार करूंगा

†मूल अंग्रेजी में

और यदि आवश्यकता हुई तो लोक लेखा समिति से परामर्श लूंगा और उसके पश्चात् प्रक्रिया निर्धारित करूंगा। यदि किसी को सुझाव देना हो तो मैं माननीय सदस्यों और सरकार दोनों से सुझाव चाहूंगा और अन्त में इस पर अन्तिम निर्णय दूंगा। अब हम अगला प्रश्न लेंगे। अब मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री तंगामणि** : यह १९५६–५७ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के ही बारे में है। १९५७–५८ का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। श्री मुनिस्वामी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

## हिमाचल प्रदेश परिषद् बैंक लेखा

†***११४७. श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५८ के द्वितीय सप्ताह में भारत के राज्य बैंक की शिमला की शाखा में हिमाचल प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् के लेखे में केवल पांच नये पैसे जमा थे जैसा कि २० सितम्बर १९५८ के दिल्ली संस्करण के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में छपा था; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिषद् द्वारा १९ सितम्बर, १९५८ को बैंक के नाम जारी किया गया कोई चेक अस्वीकृत हो गया था ?

†**गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां। किन्तु यह चेक परिषद् द्वारा २७ अगस्त, १९५८ को जारी की गई थी जिस दिन भारत के राज्य बैंक की शिमला शाखा में उनके खाते में ५७, ४५४ रुपये जमा थे और उसके साथ ही विभिन्न खजानों में जिसमें कसुम्पती (शिमला) का खजाना भी शामिल है परिषद् की लगभग ६ लाख रुपये की निधि जमा थी।

(ख) जी नहीं।

†**श्री मुनिस्वामी** : अन्य किन-किन बैंकों में यह प्रादेशिक परिषद् अपना हिसाब रखती है तथा उनमें उसकी जमा राशि और देय राशि की क्या स्थिति है ?

†**श्री दातार** : प्रादेशिक परिषद् द्वारा अनियमितता भी की गई थी। नियमानुसार उनके हिसाब में कितनी राशि जमा थी इसका ध्यान रखे बिना वे खजाने को भेज सकते थे। किन्तु इस मामले में अनुमति लिये बिना और सामान्य नियमों का पालन किये बिना उसने भारत के राज्य बैंक की स्थानीय शाखा में अपना हिसाब खोल लिया और वह ऐसा तब तक नहीं कर सकती थी जब तक कि सरकार द्वारा बैंक को उस कार्य के लिये मान्यता न मिली हुई हो। इसी कारण यह कठिनाई उत्पन्न हो गई। उस दिन इस चेक के भुगतान के लिये काफी नकद रुपया था। इसी बीच उसने एक नियम का और उल्लंघन किया जिसके अनुसार किसी भी समय किसी न किसी बैंक में कम से कम १०,००० रुपये की राशि जमा होना आवश्यक होता है। जब कि परिषद् के साथ ऐसा नहीं था।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : माननीय मंत्री के भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' है। क्या इण्डियन एक्सप्रेस के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार पूर्णतया गलत है ? यदि ऐसा है तो इस गलत प्रचार के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है। यह प्रादेशिक परिषद् का काम है कि वह उतनी ही राशि खजानों से मांगे जितनी कि उनमें जमा है। वस्तुतः पांच खजाने काम कर रहे हैं जिनमें काफी रुपया उपलब्ध है। सर्वप्रथम तो उसे बैंक के लिये चेक नहीं जारी करना चाहिये था जो सर्वथा अनियमित था और दूसरी बात यह कि उसे सारी राशि व्यय नहीं कर डालनी चाहिये थी ।

## राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†*११४९. श्री विभूति मिश्र :
श्री राम कृष्ण :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर:
श्री झूलन सिंह :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार ने कलकत्ता, पूना और अम्बाला में तीन प्रादेशिक कार्यालय खोलने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आयेगा ।

(ग) योजना कहां तक लाभदायक सिद्ध हुई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार २६ लाख रुपये के अनुमानित व्यय पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तीन सौ और अधिक संस्थाओं में राष्ट्रीय अनुशासन योजना चलाने का है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

क्या मैं विवरण पढ़ कर सुना दूं ? यह भी छोटा सा है।

(क) जी हां,। कलकत्ता, पूना और अम्बाला नगर में तीन प्रादेशिक कार्यालय पहले से ही स्थापित किये जा चुके हैं ।

(ख) इन कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार है :—

कलकत्ता—पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश ।

पूना—बम्बई राज्य और मध्य प्रदेश ।

अम्बाला—पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर ।

(ग) समय-समय पर जो रिपोर्टें मिलती हैं उनसे पता लगता है कि यह योजना स्कूलों/संस्थाओं के छात्रों में, जिनमें यह लागू की गई है, अनुशासन की भावना उत्पन्न करने में लाभदायक सिद्ध हुई है ।

(घ) इस योजना को कुल तीन सौ संस्थाओं में लागू करने का विचार है ।

**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के छः ही सूबों में इस को क्यों लागू किया गया है, और सूबों को क्यों छोड़ दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं निवेदन कर चुका हूं कि हम धीरे धीरे इस स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मकसद यह है कि जैसे जैसे उस का संगठन बढ़ता जाये, वैसे वैसे यह काम फैलाया जाय। मुमकिन है कि अगर एक दम फैलाया जाय, तो सफलता न मिले। इस लिये धीरे धीरे काम को बढ़ाने की योजना है।

**श्री विभूति मिश्र** : सरकार विद्यार्थियों को किस तरह की शिक्षा देती है और कौन से कदम उठाती है, जिस से कि उन में डिसिप्लिन पैदा हो ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : कई बातें होती हैं। उन को ड्रिल कराई जाती है। क्लास रूम में कुछ लैक्चर होते हैं। उन को भारतवर्ष का इतिहास भी पढ़ाया जाता है। ये सब काम किये जाते हैं ताकि बच्चों में देश का स्वाभिमान बढ़े।

**श्री विभूति मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता था कि विद्यार्थियों को क्या बौद्धिक शिक्षा दी जाती है, ताकि उन में डिसिप्लिन पैदा हो। इस का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है।

**डा० का० ला० श्रीमाली** : स्कूलों में पहले से जो काम होता है, यह नैशनल डिसिप्लिन स्कीम खाली उस को सप्लीमेंट करती है। वैसे तो बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास करना और उन का चरित्र बनाना वगैरह सब स्कूल का ही काम है। यह फ़िज़िकल ड्रिल और लैक्चर वगैरह तो एडीशनल होते हैं, ताकि उन में संयम पैदा हो सके।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या सरकार का विचार दक्षिण के राज्यों में प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने का है और क्या इस योजना को दक्षिणी राज्यों में भी कार्यान्वित करने का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा विचार इस योजना के क्षेत्र को बढ़ाने का है क्योंकि अधिक निधि उपलब्ध है तथा अन्य राज्य भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं निश्चय ही हम इस योजना का क्षेत्र बढ़ाना चाहेंगे।

**श्री भक्त दर्शन** : माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिया है, उस में बताया गया है कि अगले दो वर्षों में सारे देश में इस योजना को केवल तीन सौ संस्थाओं में फैलाया जायगा और उन्होंने यह भी बताया है कि धीरे धीरे उस को सारे देश में फैलाने का विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि धीरे धीरे चलते हुये सारे देश में इस को फैलाने के लिये कितने वर्ष लगेंगे।

**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी कोई पूरा ढांचा तो नहीं बन सका है। काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि सारे देश को कवर करने के लिये करोड़ों रुपयों की ज़रूरत है। उतने साधन अभी हमारे पास नहीं हैं।

†**श्री बंरो** : इस योजना और राष्ट्रीय छात्र सेना दल तथा सहायक छात्र सेना योजना में क्या समायोजन है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : राष्ट्रीय छात्र सेना दल स्कूल के छात्रों के लिये नहीं है; यह मुख्य रूप से विश्वविद्यालय तथा हाई स्कूलों की दो उच्चतर कक्षाओं के छात्रों के लिये है। सहायक छात्र सेना निम्न कक्षाओं के लिये है वह विश्वविद्यालय अथवा उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिये नहीं है। जहां तक राष्ट्रीय अनुशासन योजना का सम्बन्ध है, हमने ये निदेश दे दिये हैं कि जहां कहीं

†मूल अंग्रेजी में

पहले से सुविधाएं विद्यमान हों यह योजना लागू कर दी जानी चाहिये । मैं एक समिति की स्थापना करने का विचार कर रहा हूं जो सहायक छात्र सेना दल और राष्ट्रीय छात्र सेना दल तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बीच अधिकाधिक समायोजन स्थापित करने के प्रश्न की जांच करेगी ।

**श्री नवल प्रभाकर :** क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे, अब वह इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, इस के क्या कारण हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** दिल्ली में भी चल रहा है । उसका आफिस यहां ही है ।

**श्री नवल प्रभाकर :** पहले वह रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के तहत चलता था ।

**डा० का० ला० श्रीमाली :** अब वह सारी स्कीम एजूकेशन मिनिस्ट्री के पास है ।

## अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

### रूस को गये भारतीय वकील प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ श्री श्रीनारायण दास :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वकील प्रतिनिधि मंडल ने, जिसने हाल ही में रूस का दौरा किया था, सोवियत विधि एवं न्याय सम्बन्धी पद्धति के बारे में कोई प्रतिवेदन तैयार करके सरकार को प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो यदि ऐसा कोई प्रतिवेदन दिया गया है तो उसकी विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या विधि मंत्री ने उनके ऊपर जो कुछ प्रभाव पड़ा उस पर टिप्पणी तैयार की है जिस पर विधि आयोग विचार करेगा ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन):** (क) यह प्रतिनिधि मंडल गैर-सरकारी प्रतिनिधि मंडल था, इस कारण सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : प्रतिनिधि मंडल ने वहां की न्यायिक और विधिक पद्धति के किस पहलू में सबसे अधिक दिलचस्पी ली जिसे वे भारत में भी अपनाना चाहेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन :** भारत में हम अपनी ही पद्धति अपनाना चाहेंगे ।

†**श्री श्री नारायण दास :** क्या प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सोवियत रूस में अथवा भारत वापस आने पर एक दूसरे से मिले थे और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इस बारे में अपने टिप्पण पर एक दूसरे से परामर्श किया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री अ० कु० सेन :** जी नहीं । हमने टिप्पणों को अदला-बदली नहीं की ।

†**श्री तंगामणि** : प्रतिनिधियों का चुनाव करने से पहले क्या देश की किसी-विधि जीवी संस्था से परामर्श लिया गया था अथवा उनका चुनाव पंचनिर्णय से कर लिया गया था ?

†**श्री अ० कु० सेन** : वस्तुत: प्रतिनिधि मंडल का चुनाव जब मैं इस प्रतिनिधि मंडल में आया तो उससे पहले ही किया जा चुका था। मैं नहीं समझता कि किसी विधि जीवी संस्था से इस बारे में परामर्श लिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिनिधिमंडल के सोवियत रूस जाने और वहां से वापस लौटने में अविलम्बनीय लोक महत्व का क्या विषय अन्तर्निहित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मैं इस प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं दे सकता। बहुत से प्रतिनिधि मंडल जाया करते हैं। हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह उचित नहीं कि जब एक मन्त्री किसी विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का अगुआ होता है, चाहे वह सरकारी हो अथवा गैर-सरकारी, तो प्रतिनिधिमंडल सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ? मैं इस बारे में सरकार का मत जानना चाहूंगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : सरकारी प्रतिनिधिमंडल के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सामान्य प्रथा है। इस प्रतिनिधिमंडल में ऐसे लोग थे कि उसका प्रतिवेदन न तो मांगा गया था और न ही उसका विचार करना ही सम्भव था और मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के प्रतिवेदन की कोई तात्कालिक आवश्यकता ही है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : मुझे विश्वास है कि माननीय विधि मंत्री और श्री चटर्जी, इस सभा के भूतपूर्व अग्रणी सदस्य, दण्डिक और व्यवहार सम्बन्धी मुकदमों में सोवियत पद्धति कितनी सस्ती है और मुकदमों का निबटारा कितनी जल्दी होता है इस पर बोल चुके हैं। क्या विधि आयोग के प्रतिवेदन में भी मुकदमे की सुनवाई कम खर्च में और उसे जल्दी निबटाने के बारे में कोई प्रस्ताव रखा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति। क्या हम अल्प-सूचना प्रश्न के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये दिये गये समय में रूस की न्यायिक पद्धति के बारे में चर्चा करते रहेंगे और क्या यहां की न्यायिक पद्धति से उसकी तुलना कर बाद में यह पूछेंगे कि यह पद्धति यहां क्यों नहीं लागू की जाती ? मूल प्रश्न में सीधी सादी बात यह पूछी गई है कि क्या उन्होंने कोई टिप्पण तैयार किया है और क्या वह उसे सभा-पटल पर रखेंगे। उसका उत्तर उन्होंने यह दे दिया है कि उन्होंने कोई टिप्पण तैयार नहीं किया है। मैं पद्धति पर विस्तार में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : व्यक्तियों को छांटने में कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जो चुनाव पहले किया जा चुका था, मेरे चुनाव का आधार वही था।

†**श्री सिंहासन सिंह** : सरकार ने इस प्रतिनिधिमंडल पर तमाम रुपया व्यय किया है। यह प्रतिनिधि मंडल एक विशेषज्ञों का प्रतिनिधि मंडल था जो रूस में चलने वाले विधि के विधिशास्त्र का अध्ययन करने के लिये गया था।

मैं समझता हूं कि एक टिप्पण यहां रखा जाना चाहिये जिससे हम निश्चित रूप से यह जान सकें कि प्रतिनिधिमंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला और क्या उस पद्धति का कोई विशेष लाभ है अथवा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य इस पर तर्क कर रहे हैं। मैं कई प्रश्नों के लिये अनुमति दे चुका हूं। अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## एयरक्राफ्ट कैरियर 'हरक्युलिस' के लिये जेट विमान

†*११३७. **श्री वि० च० शुक्ल:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर क्राफ्ट कैरियर "हरक्युलिस" के लिये जेट विमानों की खरीद के बारे में तब से कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) कुछ 'सी हॉक' विमान खरीदने का निश्चय किया गया है।

## भूतपूर्व शासकों पर व्यय कर

†*११४१. **श्री वें० प० नायर:**
**श्री प्र० के० देव:**
**श्री वि० चं० प्रधान :**

क्या **वित्त** मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा १५ अक्टूबर, १९५८ तक भूतपूर्व शासक कुल कितने व्यय कर के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराये गये हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० के० गोपाल रेड्डी)** : केन्द्रीय सरकार द्वारा १५ अक्टूबर १९५८ तक के चार व्यक्तियों को मिलने वाले राजाधिदेय का हिसाब लगाया है जिससे व्यय-कर के रूप में २,२१,३२५ रुपये की और मांग की गई है।

## प्रविधिज्ञों की आवश्यकता

†*११४२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय तथा उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में कितने प्रविधिज्ञों की आवश्यकता होगी इसका हिसाब लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितने प्रविधिज्ञों की आवश्यकता होगी; और

(ग) इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) तृतीय योजनाओं की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकार ने विभिन्न स्तरों पर टैक्निकल व्यक्तियों को प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने तथा उपलब्ध व्यक्तियों का और अच्छा उपयोग करने के बारे में कुछ कार्यवाही की है। जब भी आवश्यकता होगी इस दिशा में और आगे कार्यवाही की जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में।

## इस्पात के कारखानों में उपोत्पाद संयंत्र

†*११४८. **श्री नाथ पाई** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीनों इस्पात के कारखानों के उपोत्पाद संयंत्रों की लागत बहुत बढ़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संयंत्र की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). माननीय सदस्य संभवतः रूरकेला और दुर्गापुर के कारखानों में हुई वृद्धियों के परिणामस्वरूप उपोत्पादों संयंत्रों की लागत में होने वाली वृद्धि के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं। जिस समय रूरकेला परियोजना का ब्यौरेवार प्रतिवेदन तैयार किया गया था और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये अन्तिम रूप से ब्यौरे तय किये गये थे और उसके लिये टेंडर मांगे गये थे उस समय अशोधित कोल तार के डिस्टिलिंग (आसवन) के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था और इस सम्बन्ध में निर्णय किया गया था कि क्या कोलतार का दोनों कारखानों के लिये केवल एक ही केन्द्र में डिस्टिलेशन किया जाये अथवा यह काम अपने अपने कारखानों को सौंप दिया जाये। उस समय सरकार इस प्रश्न पर भी विचार कर रही थी कि कोलतार का किस स्थिति तक डिस्टिलेशन किया जाये। इसलिये रूरकेला के ब्यौरेवार विस्तृत प्रतिवेदन में उपोत्पाद सम्बन्धी केवल उसी संयंत्र की कीमत सम्मिलित की गई थी जोकि केवल कोलतार को बारीक करेगा और टार, बेनजोल और अमोनिया को एकत्रित करेगा। उस समय कोलतार छानने वाले यूनिट अथवा बेंजोल रेक्टीफिकेशन यूनिट की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये जो मुख्य ठेका दिया गया था उसमें केवल कोलतार को बारीक करने और टार बेनजोल तथा अमोनिया को एकत्रित करने वाला एक संयंत्र सम्मिलित था। परन्तु बाद में यह निर्णय किया गया कि वहां पर कोलतार का विभिन्न उत्पादों में विश्लेषण भी किया जाये ताकि उन उपोत्पादों को बेचा जा सके। तदनुसार रूरकेला के उपोत्पाद के संयंत्र के लिये दूसरा टेंडर मांगा गया जिसमें कोलतार का डिस्टिलेशन और बेन्जोल का शोधन करने वाले यूनिट भी सम्मिलित हैं।

रूरकेला के सम्बन्ध में कोलतार का डिस्टिलेशन करने वाले और बैन्जोल का शोधन करने वाले यूनिटों सहित उपोत्पाद संयंत्र की नौतलपर्यन्त निशुल्क कीमत ५९८ लाख रुपये है जबकि कोलतार का डिस्टिलेशन करने वाले और बेन्जोल का शोधन करने वाले यूनिटों से रहित उपोत्पाद संयंत्र की कीमत ३०८ लाख रुपये थी। दुर्गापुर के सम्बन्ध में कोलतार छानने वाले यूनिट की कीमत १०८ लाख रुपये है।

## विस्थापित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता

†*११५०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष विस्थापित विद्यार्थियों की सहायता के लिये जो अनुदान दिया जाता है उस में से राज्य सरकारों द्वारा चलाये गये बहुत से नये उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विस्थापित विद्यार्थियों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

निम्नलिखित प्रकार के विद्यार्थियों को फीस में माफी दी जाती है :—

(१) प्राइमरी और मिडिल कक्षाओं के उन विद्यार्थियों को जिन के माता पिता की आय १०० रुपये प्रति मास या उस से कम है;

(२) हाई स्कूलों के विद्यार्थी जिनके माता-पिता की आय १५० रुपये मासिक या उस से कम है ।

पुस्तकों आदि पर आने वाले आनुषंगिक व्ययों के लिये नकद सहायता अस्थायी रूप से दी जाती थी, परन्तु अब उसे समाप्त कर दिया गया है ।

विधवाओं के बच्चों को जोकि अनाथालयों में रह रहे हों फीस माफी के अतिरिक्त छात्रवृत्ति भी दी जा रही है ।

**विश्व विपणि में इस्पात के भावों में गिरावट**

†११५१. **श्री नागी रेड्डी:**
**श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व विपणि में गत छः महीनों में इस्पात के भावों में गिरावट हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी गिरावट हुई है; और

(ग) भारत में तैयार किये जाने वाले इस्पात की कीमत विश्व की इस्पात की कीमत की तुलना में कैसी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). जी, हां परन्तु वास्तव में गत छः महीनों से पहले तो भावों में और भी अधिक गिरावट हुई थी ।

(ग) कुछ एक वर्गों के इस्पात के बाजार भाव स्वदेशी इस्पात के नियंत्रित भावों से कम है और किन्हीं वर्गों के अधिक भाव हैं । पर हां, भारतीय नियंत्रित भाव में अधिभार भी सम्मिलित हैं । अधिभार की दृष्टि से भारत में तैयार किये जाने वाले स्वदेशी इस्पात की कीमत वर्तमान बाजार भाव से कम है ।

**नन्द गांव और अथमल्लिक की गद्दियों का उत्तराधिकार**

†*११५२. **श्री प्र० के० देव :**
**श्री भंजदेव :**
**श्री प्र० गं० देव :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नंद गांव और अथमल्लिक के स्वर्गीय राजाओं के उत्तराधिकारियों के रूप में किस किस को अभिस्वीकार किया गया है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**गृह–कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: राष्ट्रपति ने नंद गांव के स्वर्गीय राजा के किसी भी उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं किया है। अथमल्लिक की गद्दी के उत्तराधिकारी का प्रश्न विचाराधीन है ।

## बेलाडिला क्षेत्र में लौह अयस्क की खोज

*११५३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एक जापानी सार्थ 'निशू' ने मध्य प्रदेश सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि वह उस राज्य के बस्तार जिले के बेलाडिला क्षेत्र में लौह अयस्क की खोज के लिये तैयार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: जी, हां :

## सम्बद्ध कालेजों के शिक्षकों के वेतन क्रम

†*११५४. **श्री झूलन सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री ३ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध तथा संगठित कालेज के शिक्षकों के वेतन क्रमों में वृद्धि करने के लिये बनायी गयी योजना से इन शिक्षकों को कितना लाभ हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

### विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयोग की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालयों के कालेजों के शिक्षकों के वेतन क्रमों को बढ़ाने के लिये १९५७–५८ में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को धन प्रदान किया है :–

| विश्वविद्यालय का नाम | कालेजों की संख्या | दी गयी राशि रुपये |
|---|---|---|
| १. बम्बई | १५ | १,२५,०००.०० |
| २. कलकत्ता | ९५ | ६,८८,०००.०० |
| ३. उस्मानिया | ३ | ४,९२९.६४ |
| ४. पूना | ९ | ३९,७५२.५० |
| ५. सरदार वल्लभ भाई विद्यापीठ | २ | ७,३७७.५८ |
| ६. सागर | २ | ३,४४६.८० |
| ७. पंजाब | २५ | ७६,२३९.२१ |
| ८. आन्ध्र | ३ | ३२,४४३.९९ |
| ९. एस० एन० डी० टी० विमनेज | २ | ७,३१७.७४ |
| १०. मद्रास | १ | १५,६७४.०० |
| कुल | १५७ | १०,००,१८१.४६ |

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये राशियां सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को दी हैं। विश्वविद्यालय स्वयं सम्बन्धित शिक्षकों को राशियां बांट रहे हैं।

**कल्याण पदाधिकारी**

†*११५५. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की घरेलू तथा व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिये कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में कोई कल्याण पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं; और

(ग) क्या कानपुर और दिल्ली में भी उस प्रकार के पदाधिकारी नियुक्त करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता २

बम्बई . १

मद्रास . . . १

(ग) कानपुर में फिलहाल तो कल्याण पदाधिकारी नियुक्त करने की कोई संभावना नहीं है, परन्तु दिल्ली में प्रत्येक मंत्रालय में इस प्रकार के पदाधिकारी पहले से ही नियुक्त हैं।

**आदमपुर हवाई अड्डा**

†*११५६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदमपुर हवाई अड्डे में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्य में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**अनुसूचित जातियों को घर बनाने के लिये सहायता**

*११५७. **श्री नवल प्रभाकर:**
**श्री भक्त दर्शन :**

क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के हरिजन कल्याण बोर्ड ने जिन लोगों को ७५० रुपये एक घर बनाने के लिये देने का निश्चय किया था उन्हें पहली किश्त के तौर पर २५० रुपये दे दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहली किश्त के बाद से कोई और किश्त नहीं दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यह सहायता कितने मकानों के लिए देने का निश्चय किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). १९५७-५८ में जिन ८६ मामलों में मंजूरी दी गई थी उन्हें और कोई किश्त नहीं दी गई क्योंकि मकान बनाने का काम तसल्लीबख्श नहीं था ।

(घ) १९५६-५७ में १६६ और १९५७-५८ में ३५० मकानों के लिये ।

१९५८-५९ में १.६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जो २१३ मकानों के लिये सहायता के रूप में दिये जायेंगे ।

**इम्फाल में हथियारों का पकड़ा जाना**

†*११५८. **श्री अ० क० गोपालन:**
**श्री कुन्हन:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने इम्फाल के कुछ लोगों से कुछ हथियार पकड़े हैं ;

(ख) क्या वे हथियार स्वदेश में निर्मित हथियार हैं अथवा वे विदेशी हथियार हैं ; और

(ग) यदि वे विदेशी हैं तो वे किस देश से आये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) जी हां ।

(ख) और (ग). ऐसा प्रतीत होता है कि ये वे हथियार हैं जिन्हें गत विश्व युद्ध के बाद सेना वहां के जंगलों में फेंक गई थी । इन में से कुछ तो ब्रिटेन के बने हुए हैं और कुछ जापान के । शेष के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

**सैनिक शिक्षा के लिये निदेशालय**

†*११५९. **श्री सुगन्धि :**
**श्री उ० च० पटनायक :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक शिक्षा के लिये भी उसी प्रकार का एक निदेशालय स्थापित करने की कोई योजना है, जैसाकि समुद्री सेना के लिये एक निदेशालय है और विमान बल के लिये निदेशालय स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजोठिया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**नौसेना सम्बन्धी साहित्य**

†*११६०. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
**श्री मोहम्मद इलियास :**
**श्री प्रभातकार :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी नौ सेना द्वारा जिन विभिन्न पुस्तिकाओं, गोपनीय संहिता पुस्तकों तथा अन्य प्रकार की पुस्तकों का इस्तेमाल किया जाता है, वे सभी ब्रिटेन में तैयार की जाती

†मूल अंग्रेजी में

हैं और उन पर यह लिखा रहता है कि वे ब्रिटेन की महारानी तथा रायल नेवी की सम्पत्ति हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी, हां । भारतीय नौसेना बहुत सी ऐसी पुस्तकों का उपयोग करती है जो कि ब्रिटेन में तैयार की गई हैं,परन्तु भारतीय नौसेना द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी संहितायें भारत में ही तैयार की जाती हैं ।

(ख) जी, हां । भारतीय नौसेना का निरन्तर यही प्रयत्न रहता है कि वह अपनी पुस्तकें स्वयं तैयार कराये और कुछ एक पुस्तकें तैयार भी हो चुकी हैं ।

## दिल्ली में मद्यसार की खपत

†*११६१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में देसी और विदेशी मद्यसार की खपत बहुत बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को आसाम प्रतिकर भत्ता

†*११६२. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैसाकि आसाम में नियुक्त अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आसाम प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा है वैसे ही वहां पर आयोजित जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को आसाम प्रतिकर भत्ता देने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस के लिये कोई तिथि निर्धारित कर दी गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## अस्पृश्यता

†*११६३. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनगणना आयुक्त से यह कहा गया है कि वह आगामी जनगणना में इस बारे में सुझाव देवे कि किस प्रकार से इस सम्बन्ध में विनिश्चय किया जा सकता है कि देश में अस्पृश्यता किस सीमा तक समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयुक्त से इस बारे में कोई उत्तर आया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का यह विचार है कि यदि प्रश्नावली में इस प्रकार का प्रश्न सम्मिलित कर दिया, तो इससे कोई विश्वसनीय परिणाम प्राप्त न हो सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## स्वतंत्रता संग्राम के शहीद

*११६४. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन शहीदों का स्मारक बनाने के लिये कोई कदम उठा रही है, जिन्होंने भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के दौरान में विदेशों में अपने प्राणों की आहुति दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) कोई ऐसा खास कदम नहीं उठाया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## रत्नगिर पहाड़ी में पायी गयी वस्तुएँ

†*११६५. **श्री बै० च० मालिक :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के कटक जिले के रत्नगिर पहाड़ी की कई अत्यन्त सुन्दर प्राचीन वस्तुओं को अध्ययन करने के लिये वहां से हटा लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब हटाया गया था ;

(ग) वे किस-किस प्रकार की वस्तुयें थीं और उनके अध्ययन से क्या-क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(घ) क्या उन्हें जनता को दिखाने की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो किस स्थान पर ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां ।

(ख) मई, १९५८ में ।

(ग) उन में मिट्टी की बनी चीजें, मनके, टेराकोटा प्लेक[1] और छोटी छोटी पत्थर की मूर्तियां हैं । उन के सम्बन्ध में अभी तक अध्ययन किया जा रहा है ।

(घ) खुदाई का काम पूरा हो जाने और प्रतिवेदन के प्रकाशित हो जाने के बाद ही यह प्रश्न उत्पन्न होगा ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## अमरीकी आयात-निर्यात बैंक ऋण

†*११६६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वित्त** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी आयात-निर्यात बैंक द्वारा नेशनल रेयन कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) क्या उसे अमरीकी विकास ऋण निधि की ओर से भी कोई राशि दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Terracotta Plaques.

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). अमरीकी आयात-निर्यात बैंक ने नेशनल रेयन कार्पोरेशन लिमिटेड को १८ लाख रुपयों का ऋण दिया है। फर्म को विकास ऋण निधि की ओर से कुछ भी ऋण नहीं दिया गया है।

## निर्धन विद्यार्थियों को प्रविधिक शिक्षा के लिये सुविधायें

†*११६७. **श्री आचार** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार योग्य परन्तु निर्धन विद्यार्थियों को प्रविधिक स्कूलों में शिक्षा जारी रखने के लिये सुविधायें देने का कोई विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी और उन पर कुल कितनी राशि खर्च आयेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). सरकार योग्य निर्धन विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोलिटेक्निक संस्थाओं में प्रविधिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने के लिये छात्रवृत्तियां देने का विचार रखती है। इसके लिये एक ब्योरेवार योजना तैयार की जा रही है।

इस चालू योजना-अवधि में छात्रवृत्तियां देने के लिये ३० लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

## दिल्ली मजदूर श्रमिक संघ द्वारा प्रदर्शन

†*११६८. **श्री ब्रज राज सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मजदूर श्रमिक संघ ने २ दिसम्बर, १९५८ को एक जलूस निकाला था और संसद् भवन के पास प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रदर्शनकारियों ने भारतीय संविधान की एक प्रति को भी जला दिया था; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). २ दिसम्बर, १९५८ को मजदूर श्रमिक संघ के लगभग ५० व्यक्तियों ने संसद् भवन के सम्मुख प्रदर्शन करते हुए उस याचिका का उत्तर मांगा था जोकि उन्होंने ११२१ हस्ताक्षरों सहित अध्यक्ष महोदय (स्पीकर) को प्रस्तुत की थी।

(ग) जी, हां।

(घ) पुलिस ने मजदूर संघ के प्रधान और १२ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## मजदूरों द्वारा प्रदर्शन

†*११६८-क. **श्री आसर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेलीगांव, तथा अन्य स्थानों जैसे देहो रोड और किरकी में सी० ओ० डी० में काम करने वाले मजदूरों को गाड़ियों के आने जाने के असुविधाजनक समयों के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि मजदूरों ने उक्त मांग के समर्थन में २४ और २५ नवम्बर, १९५८ को तेलिगांव डिपो में प्रदर्शन किया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) गाड़ियों के असुविधाजनक समयों के कारण केवल सी० ओ० डी० तेलीगांव दभाड़े के कर्मचारियों को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देहो रोड अथवा किरकी के कर्मचारियों से इस प्रकार की कठिनाइयों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) जी, हां।

(ग) स्थानीय सैनिक अधिकारी गाड़ियों के सुविधाजनक समयों के सम्बन्ध में स्थानीय रेलवे प्राधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड से भी बातचीत प्रारम्भ की गयी है।

## सैनिक ट्रकों की आवश्यकता

†*११६८-ख. **श्री गोरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैनिक ट्रकों की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा उपमंत्री द्वारा दिये गये बयान के तथ्यों के बारे में टेल्को तथा प्रीमियर आटोमोबाइल कम्पनी द्वारा प्रैस को जारी किये गये बयानों पर विचार किया है; और

(ख) क्या सरकार, जैसा कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग परिषद् ने सुझाव दिया है, सेना की आवश्यकताओं की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विचार रखती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां।

(ख) सेना की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जांच करने के लिये किसी विशेषज्ञ समिति को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। सेना के लिये ट्रकों की आवश्यकता को सभी स्वीकार करते हैं। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने निर्णय किया है कि क्योंकि इस बात पर निर्भर नहीं किया जा सकता कि शत प्रतिशत ट्रकों की आवश्यकता स्वदेशी ट्रकों से ही पूरी हो सकेगी, इसलिये शस्त्रास्त्रों की फैक्टरियों में पड़े हुए अतिरिक्त ट्रकों को ही इस कमी को पूरा करने के लिये इस्तेमाल किया जाये। आशा है कि प्रतिवर्ष लगभग २००० ट्रकों की आवश्यकता होगी। प्रतिरक्षा मंत्रालय को इस बात का भी विश्वास है कि लगभग ९० प्रतिशत आवश्यकता स्वदेशी ट्रकों से ५ वर्ष की अवधि में पूरी हो सकेगी और इससे प्रतिरक्षा सम्बन्धी आयव्ययक में भी बड़ी भारी बचत हो सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

## नेपाल को सहायता

†*११६९. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल सरकार को अपनी विकास योजनायें कार्यान्वित करने के लिये दी जा रही सहायता के बारे में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

नेपाल को भारतीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास योजनाओं में सितम्बर, १९५८ के पश्चात् यह प्रगति हुई है :—

(१) फेवटल बांध और सिरसिया खोला डाइवर्शन की मरम्मत हो चुकी है और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में पानी के और पम्प लगाये गये हैं और वाटर वर्क्स की व्यवस्था की गई है ।

(२) त्रिशूली जल विद्युत परियोजना करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और छिद्र करने वाली मशीनरी उस स्थान पर पहुंचा दी गई है ।

(३) तीन सड़कों के मार्ग परिवर्तन की मंजूरी दी गई है । एक और सड़क का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और एक नई सड़क का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ।

(४) एयर फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है ।

(५) बड़े हाकिमों, कमिश्नरों और पुलिस प्रशासन आदि की नियम पुस्तिकायें तैयार हो चुकी हैं और अल्प बचत योजना, वनों और डाक तथा तार विभागों का पुनर्गठन हो चुका है ।

(६) औषधालयों और स्नातकोत्तर कक्षाओं को चलाने के लिये राजदूत के स्वविवेक अनुदान में से और अनुदान दिये गये हैं ।

## दिल्ली शराब लाइसेंस का मुकदमा

†*११७०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन बातों की ओर आकृष्ट किया गया है जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने ३० सितम्बर, १९५८ को भूतपूर्व दिल्ली राज्य के खिलाफ धोमीमल एण्ड सन्ज़ की अपील पर कही थी; और

(ख) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये इस मुकदमे के निर्णय को देखते हुए दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने एल-२ लाइसेंस देने के लिये फिर से आवेदन पत्र मांगे थे । उन्हें इस मामले के अन्य पहलुओं को, जिनका उल्लेख उक्त न्याय करते समय किया गया था, भी देखने के लिये कहा गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

## विश्वविद्यालय शिक्षा

*११७१. **श्री राम कृष्ण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से छात्र जो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये उपयक्त और योग्य नहीं होते विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे छात्रों को प्रवेश न देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

***शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ख्याल है कि कई ऐसे छात्र विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं जो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये उपयुक्त और योग्य नहीं होते । इन की ठीक-ठीक संख्या का पता लगाने के लिये कोई आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ८ और ९ जुलाई, १९५८ की बैठक में इस विषय पर विचार किया गया था कि विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिये कोई परीक्षा रख दी जाये परन्तु आयोग को इस में सन्देह था कि विश्वविद्यालयों के लिये सभी छात्रों की परीक्षा लेना सम्भव होगा । यह तय हुआ कि योजना आयोग की जन शक्ति समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जाने पर और कालेजों में दाखिले की स्थिति के बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

इस समय आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों से आंकड़े एकत्र कर रहा है ।

## तिब्बती सीमा सुरक्षा दल के लिये मुफ्त राशन

*११७२. **श्री भक्त दर्शन :**
**श्री नवल प्रभाकर :**

क्या गृह-कार्य मंत्री ३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों के समीपवर्ती तिब्बती सीमान्त क्षेत्रों में नियुक्त सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को मुफ्त राशन देने की योजना के बारे में, जो विचाराधीन थी, क्या इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ;

(ग) वह निर्णय कब से लागू होगा ; और

(घ) क्या वह सुविधा सीमा सुरक्षा दल के अतिरिक्त सीमान्त क्षेत्रों में स्थिति अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगी ?

**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख) : जी हां । सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि इस सिलसिले में मौजूदा इन्तजाम ठीक है और उसमें कोई तबदीली करने की जरूरत नहीं है ।

(ग) और (घ) सवाल नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**रूरकेला के 'ग' जोन में मिट्टी की खुदाई का ठेका**

†*११७३. **श्री मुरारका** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला के 'ग' जोन में मिट्टी की खुदाई का एक ठेका दिये जाने के बाद उसकी राशि की ३,०७,५०० रुपये से बढ़ा कर ४२,६७,५०० रुपये कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ठेकेदार का क्या नाम है ; और

(ग) १४०० प्रतिशत की यह वृद्धि किन परिस्थितियों में की गई थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**मैसर्स होचीफ गैमन, बम्बई के साथ ठेका**

†*११७४. **श्री नाथ पाई** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के होचीफ गैमन, बम्बई के साथ ठेके सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकतम मूल्य कैसे निर्धारित किया गया था ;

(ख) यह किसने निर्धारित किया था ; और

(ग) क्या किसी अन्य इंजीनियरिंग कार्य में भी अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). ठेकेदार के साथ बातचीत करने के बाद अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया था । एच० एस० पी० एल० की एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति ने टैक्नीकल मंत्रणाकारों के परामर्श से यह बातचीत की थी और अधिकतम मूल्य स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया था ।

अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की बातचीत कच्चे माल, मजूरी और अन्य सेवाओं के आधार पर की गई थी ।

(ग) रूरकेला में किसी अन्य सिवल इंजीनियरिंग ठेके के लिये कोई अधिकतम मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

**मंदिरों की वास्तुकला का अध्ययन**

†*११७५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला का अध्ययन तथा सर्वेक्षण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन मंदिरों का अध्ययन किया जा चुका है ; और

(ग) कितने समय में काम पूरा हो जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ९५**]

(ग) ऐसे कामों के लिये समय निश्चित करना सम्भव नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड़कवासला

†*११७६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड़कवासला में निर्धारित संख्या से कम छात्र सैनिक भर्ती किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड़कवासला में निश्चित संख्या से कुछ कम छात्र सैनिक लिये गये हैं।

(ख) इस कमी के ठीक-ठीक कारण से बताना तो कठिन है परन्तु सम्भव है कि सेना में नौकरी के जोखिम और सेवा काल की कठिनाइयों ; सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति में सुधार होने से रोजगार मिलने की सम्भावनायें बढ़ जाने और सेना में नौकरी के लाभ आदि के बारे में जनता को पूरी जानकारी न होने के कारण यह कमी रह गई हो। सरकार को इन सब समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है और वह इन्हें हल करने का उपाय कर रही है।

## दिल्ली में बुनियादी शिक्षा

†*११७६क. **श्री अ० क० गोपालन** :
**श्री कुन्हन** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम से कोई अभ्यावेदन मिला है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के ग्राम्य क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा की बजाय वही साधारण शिक्षा दी जाये जो नगरीय क्षेत्रों में दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## राष्ट्रमण्डल संस्था[1], लंदन

†*११७७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रमंडल संस्था, लंदन अपनी प्रदर्शनी दीर्घाओं का विस्तार करने के साथ-साथ भारत सम्बन्धी प्रदर्शनी दीर्घा का भी विस्तार करने का विचार कर रही है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Commonwealth Institute.

**आयात बीजकों में अधिक मूल्य लिखना**

†*११७७-क. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
**श्री मोहम्मद इलियास :**
**श्री प्रभात कार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात का आयात करने वाले कई व्यापारी बीजकों में अधिक मूल्य लिख देते हैं ताकि विदेशी बैंकों में उनका रुपया जमा हो जाये जो कि वैसे कानून के खिलाफ है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत )**: (क) डायरेक्टर आफ एन्फोर्समेंट को इस बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) और (ग). डायरेक्टर आफ एन्फोर्समेंट इन मामलों की जांच कर रहा है और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कुछ एक के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाही आरम्भ की जा रही है । एक मामले में अदालत के पास शिकायत भेजी गई थी परन्तु अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया था ।

**बथुला में तेल के लिये खुदाई**

†*११७८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री राम कृष्ण :**
**श्री हेम राज :**
**श्री दलजीत सिंह :**
**सरदार इकबाल सिंह :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में होशियारपुर के निकट **बथुला** स्थान पर तेल के लिये जो खुदाई शुरू हुई थी उस में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : १० दिसम्बर, १९५८ तक ३२२६ मीटर गहरी खुदाई हो चुकी थी ।

**कनाडा द्वारा गेहूं के लिये दिया गया ऋण**

†*११७९. **श्री राम कृष्ण :**
**श्री विश्वनाथ राय :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री स० म० बनर्जी :**
**श्री अचार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कनाडा से गेहूं खरीदने के लिये एक भारत-कनाडा करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख). जी हां। करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ९६**]

**रूरकेला के लिये सिविल इंजीनियरिंग परामर्शदाता**

†*११८०. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला के लिये सिविल इंजीनियरिंग परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं ;

(ख) यदि यह सार्थों का 'कंसोर्टियम' है तो उसमें कौन-कौन सी सार्थे हैं ;

(ग) उन्हें कितना शुल्क तथा अन्य पारिश्रमिक दिया जायेगा ; और

(घ) इस काम के लिये उन्हें किस प्रकार चुना गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). जर्मन सिविल इंजीनियरिंग ठेकेदारों जिनमें होचीफ ए० जी० एसन, ग्रुएन एण्ड बिलफिंगर ए० जी० मनहीम, फिलिप होज़मेन ए० बी० फ्रैंकफर्ट-आन-दि मेन एण्ड सीमन्स बानियन जी० एम० बी० एच म्यूनिच हैं, को इस्पात ढलाई शाप, रोलिंग मिल्ज़, वाटर सप्लाई सिस्टम और उपोत्पाद संयंत्र सम्बन्धी सिविल इंजीनियरिंग काम के डिज़ाइन और देख रेख के लिये परामर्शदाता इंजीनियर नियुक्त किया गया है; रूरकेला में 'हाट एण्ड रोल्ड रोलिंग मिल्ज़' के सिविल इंजीनियरिंग का ठेका मिल जाने के कारण मैसर्ज़ होचीफ ने देख भाल के काम के ठेके से अपना नाम वापस ले लिया है।

(ग) डी० एम० ४,७४१,८००+१,६७०,००० रुपये ।

(घ) अक्तूबर, १९५६ में जो इस्पात शिष्ट मंडल पश्चिम जर्मनी गया था उसकी सिफारिशों के आधार पर परामर्शदाता नियुक्त किये गये थे।

**"गैस क्लीनिंग प्लांट"**

†*११८०-क. **श्री नाथ पाई** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला के लिये गैस क्लीनिग प्लांट की सप्लाई सम्बन्धी करार पर अन्तिम रूप से हस्ताक्षर हो जाने के बाद भी उसके मूल्य में १२ लाख रुपये से अधिक की वृद्धि स्वीकृत कर ली गई ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस वृद्धि का टैक्नीकल परीक्षण किन प्राधिकारियों ने किया और किन्होंने इसकी स्वीकृति दी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). जी नहीं। हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्ज़ लुर्गी में जुलाई १९५६ में जो करार हुआ था उसकी संविदा की विभिन्न मदों के मूल्यों में कुछ समायोजन हुआ है जिसके फलस्वरूप नौतल पर्यन्त निःशुल्क लागत में

†मूल अंग्रेजी में

१२ लाख रुपये की वृद्धि हुई है और कुछ मदों की लागत में १६ लाख रुपये की कमी हुई है। वास्तव में ४ लाख रुपये की बचत हुई है।

## जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक

*११८१. श्री भक्त दर्शन :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर के जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक बनाने पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ;

(ख) उस निधि के उपयोग करने पर किस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ग) उस स्मारक का स्वरूप क्या है ; और

(घ) वह कब तक बन जायेगा ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) केवल ८,६६,०६४ (आठ लाख छियान्नवे हज़ार और चौंसठ रुपये)।

(ख) सरकारी अनुदान इस शर्त पर दिया गया है कि उसके खर्चे की लेखा परीक्षा भारत के कोम्पट्रोलर और ओडीटर जनरल अपने स्वविवेक से कर सकें।

(ग) सभा की मेज़ पर विवरण रखा है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ६७]

(घ) अप्रैल १६५६ में।

## व्यय कर

†११६६. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० नवम्बर, १६५८ तक व्यय करके कितने करदाताओं की गणना की गई अथवा उन्हें पंजीबद्ध किया गया; और

(ख) ३० नवम्बर, १६५८ तक (राज्यवार) कुल कितना व्यय कर निर्धारित किया गया और कितना वसूल किया गया ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) ३०-११-१६५८ तक विभाग की पंजियों में व्यय करदाताओं की कुल संख्या ७४,७७ थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३०-११-१९५८ तक विभिन्न कमिश्नरों के अधीन जो कुल व्यय कर मांगा गया था तथा एकत्र किया गया उसके आंकड़े नीचे दिये जाते हैं (क्योंकि कुछ कमिश्नरों के क्षेत्राधिकार में एक से अधिक राज्य हैं इसलिये कुछ राज्यों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं)।

(आंकड़े हजार रुपयों में)

| क्रम संख्या | कमिश्नर के अधीन क्षेत्र | ३०-११-५८ तक जो मांग की गई | ३०-११-५८ तक जो वसूली की की गई |
|---|---|---|---|
| १. | आसाम त्रिपुरा और मनीपुर | २७ | — |
| २. | आंध्र प्रदेश | ५ | — |
| ३. | बम्बई | ३,४८ | १,३९ |
| ४. | बिहार और उड़ीसा | — | — |
| ५. | दिल्ली और राजस्थान | २,२१ | १,७३ |
| ६. | केरल और कोयम्बटूर | — | — |
| ७. | मद्रास | ६ | — |
| ८. | मैसूर | ३ | ३ |
| ९. | मध्य प्रदेश, नागपुर और भंडारा | १,६० | — |
| १०. | पंजाब और हिमाचल प्रदेश | ३,१४ | १२ |
| ११. | उत्तर प्रदेश | ९६ | — |
| १२. | पश्चिमी बंगाल | १,३० | २३ |
| | कुल | १३,१० | ३,५० |

[ऊपर दिये गये आंकड़ों में वे मांगें और वसूलियां भी शामिल हैं जो केन्द्रीय सरकार ने निजी थैलियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के कर निर्धारण के बारे में व्यय कर अधिनियम की धारा २० के अन्तर्गत की थीं]।

### दान कर

†१९९७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दान कर देने वालों की कितनी संख्या निर्धारित की गई है अथवा कितनों का पंजीयन किया गया है ; और

(ख) ३० नवम्बर, १९५८ तक कुल कितना उपहार कर एकत्र किया गया था ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ३,२७० (१-११-१९५८ तक)

(ख) ४६.६४ लाख रुपये ।

† मूल अंग्रेजी में।

## शिक्षा विकास कार्यक्रम

†१९९८. **श्री राम कृष्ण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ के लिये और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये राज्यों से प्राप्त हुए अन्तिम रूप से तैयार किये गये शिक्षा विकास कार्यक्रमों का परीक्षण किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो परीक्षण का क्या परिणाम रहा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). १९५८–५९ के लिये अन्तिम रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम सभी राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं और उनका परीक्षण किया जा चुका है। कुछ मामलों में जहां शिक्षा के लिये की गई धन व्यवस्था योजना आयोग द्वारा अनुमोदित खर्च से अधिक थी उनके बारे में राज्यों से आवश्यक समायोजन करने के लिये कहा गया था।

१९५९–६० के लिये कुछ राज्यों से प्रारूप कार्यक्रम प्राप्त हुए हैं। शिक्षा कार्यकारी ग्रुप की बैठक में इन पर विचार किया जा रहा है। जनवरी, १९५९ के दूसरे सप्ताह तक सभी राज्यों के बारे में चर्चा पूरी हो जायेगी।

१९६०–६१ के बारे में प्रारूप कार्यक्रम १९५९ की समाप्ति तक मिल जायेंगे।

## गृह विज्ञान शिक्षा

†१९९९. **श्री राम कृष्ण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह विज्ञान शिक्षा के विस्तार की योजना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). गृह विज्ञान शिक्षा के विस्तार की कोई योजना इस मंत्रालय के पास नहीं है। प्रारम्भिक स्कूलों की छात्राओं के लिये गृह विज्ञान को, यदि वह उपयुक्त ढंग की हो, एक बुनियादी विषय के रूप में मान्यता दी जाती है। बहुप्रयोजनीय माध्यमिक स्कूलों में यह एक विषय है। कालेजों के लिये ३१–५–१९५५ को भारत और अमरीका सरकारों ने टैक्नीकल सहायता मिशन के आप्रेश्नल ऐग्रीमेंट (नं० ४१) पर हस्ताक्षर किये जो तीन वर्ष तक के लिये था और जिसके अन्तर्गत भारत में गृह विज्ञान शिक्षा तथा गवेषणा का विकास करने में सहायता देने के हेतु एक अमरीकन विश्वविद्यालय के जरिये भारत के चुने हुए विश्वविद्यालयों और कालेजों को मंत्रणा, अमरीका में प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी गई है। देश में गृह विज्ञान शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इस करार की अवधि १–६–१९५८ से तीन वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

## गैर-सरकारी टैक्नीकल संस्थायें

†२०००. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी गैर-सरकारी टैक्नीकल संस्थाओं में छात्र योग्यता के आधार पर दाखिल नहीं किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार को मालूम है यह सही नहीं है । केन्द्रीय सरकार जिन शर्तों पर गैर सरकारी टैक्नीकल संस्थाओं को सहायक अनुदान देती है उन में एक यह भी शर्त होती है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये स्थान रक्षित करने के बाद शेष छात्रों को योग्यता के आधार पर दाखिल किया जाये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## दुर्गापुर और भिलाई में सामान्य सेवा व्यय

†२००१. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर और भिलाई में सामान्य सेवा व्यय बढ़ा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) इस प्रकार की वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस वृद्धि की सूचना सरकार को कब दी गई थी और वह कब स्वीकार की गई थी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (घ). दुर्गापुर स्पात संयंत्र के संविदा में, संयंत्र के विभिन्न सैक्शनों का वर्णन कोक की भट्टी, अभिवमन भट्टी[1] तथा इस्पात पिंघलाने की शाप के रूप में कर दिया गया है। इसी प्रकार के एक सेक्शन का नाम 'सामान्य सेवा' है। स का तात्पर्य यह है कि एक दूसरे से सम्बन्धित सभी सेवाओं जैसे स्टीम का वितरण, विद्युत शक्ति का वितरण, अभिधमन भट्टी की गैस का वितरण, कोक की भट्टी की गैस का वितरण, जल संभरण, नाली व्यवस्था पर नालियों तथा आक्सीजन का वितरण काम के विभिन्न सेक्शनों में करना है । इस में दबाव वाले नल, बिजली के कंडुइट्स और केबल, जल संभरण वाले नल तथा पम्प, नालियां, छोटी-छोटी पुलियां और नालियां, मलनाला और परनालियों वाले पम्प, एक आक्सीजन संयंत्र तथा अनेक नियंत्रणकारी गियर, बल्ब तथा औजार जैसे यथार्थ निर्माण कार्य शामिल हैं । उन निर्माण कार्यों की लागत जिस का अनुमान मूल प्राक्कलन में ६.४३ लाख रुपय लगाया गया था जबकि पुनरीक्षित प्राक्कलन के १३८ करोड़ रुपये में से ७.६८ करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में जिस के विभिन्न सेक्शनों के लिये लागत का अनुमान दिया गया है, ऊपर लिखी गई बहुत सी चीजें या तो सम्बन्धित उत्पादन सेक्शनों में जैसे कोक की भट्टियां, अभिधमन भटटी, खुले चूल्हे संयंत्र आदि में अथवा अलग मदों में जैसे जल संभरण परनाली व्यवस्था तथा विद्युत संभरण सुविधाओं में शामिल कर लिये गये हैं। एक मद ऐसा है

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Blast Furnace

जिसे 'सामान्य कार्य' कहते हैं । इस में केवल दो इमारतें शामिल हैं—एक प्रमुख, प्रशासकीय कार्यालय तथा दूसरा कर्मचारी प्रशिक्षण विभाग है । न दो इमारतों की अनुमानित लागत ० .७२ करोड़ रुपे है ।

### सांध्यकालीन शिक्षण संस्थाएं

†२००२. श्री कुम्भार : क्या शिक्षा मं ी एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) संघ क्षे ों में स समय केन्द्रीय सरकार द्वारा (संघ-वार) किन-किन सांध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं (माध्यमिक स्कूलों, कालेजों और टेक्निकल संस्थाओं) को वित्तीय सहायता दी जा रही है और वे कहां पर स्थित हैं ;

(ख) न संस्थाओं में कितने छात्र पढ़ते हैं ; और

(ग) उन में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों तथा महिला छात्रों की संख्या कितनी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली). : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

### अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूमि

†२००३. श्री कुम्भार : क्या गृह-कार्य मंत्री ११ सितम्बर, १६५८ के अतारांकित श्न संख्या १८४२ के उत्तर के सम्बन में यह बताने की कृपा करेंगे कि थम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में संघ क्षेत्रों में अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों को कितनी कृषियोग्य भूमि आवंटित की गई है और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई जानकारी एक कर ली गई है और पटल पर रखी जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला क विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ६८]

### आदिम जाति क्षेत्रों के लिये स्वास्थ्य योजनायें

†२००४ श्री कुम्भार : क्या गृह-कार्य मंत्री ११ सितम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में १५ और १६ फरवरी, १६५८ को हुए राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसार संघ क्षेत्रों और राज्यों के आदिमजाति के क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्यायें हैं और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई जानकारी एक की गई है और पटल पर रखी जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ६६]

†मूल अंग्रेजी में

**केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड**

†२००५. **श्री कुम्भार :** क्या **शिक्षा** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के विभिन्न संघ क्षेत्रों और राज्यों में काम करने वाले भिन्न-भिन्न केन्द्रों में अनुसूचित जातियों की महिलाओं की नियुक्ति का ब्योरा दिया गया हो ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** मनीपुर, पाण्डिचेरी, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, बम्बई, बिहार, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के बारे में मांगी गई जानकारी बताने वाला क विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १००]**। दिल्ली, त्रिपुरा और जम्मू तथा काश्मीर के बारे में जानकारी 'कुछ नहीं' है। शेष राज्यों संघ क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है जो उपलब्ध होते ही दी जायेगी।

**बम्बई राज्य द्वारा लोहे और इस्पात के लिये मांग**

†२००६. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य सरकार की १९५८-५९ में लोहा, इस्पात और कोयले की कितनी मांग थी ;

(ख) अब तक कितनी मात्रा आवंटित की गई है ; और

(ग) आवंटित कोटे में से राज्य सरकार ने कितनी मात्रा उठा ली है?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह ):** (क) से (ग). जानकारी नीचे दी गई है :

| | मांग (अप्रैल-सितम्बर, १९५८) | आवंटन (अप्रैल-सितम्बर, १९५८) | भेजी गई मात्रा (अप्रैल-सितम्बर, १९५८) |
|---|---|---|---|
| | (टन) | (टन) | (टन) |
| कोयला | ६५४,९१८ | ५२८,२२२ | ४५६,९८४ |
| तैयार इस्पात | ८५,९५२ | ४१,०६८ | २३,०४४ |
| कच्चा लोहा | १७,८३४ | १७,८३४ | उपलब्ध नहीं। |

**जलगांव जिले में खुदाई**

†२००७. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बम्बई के जलगाँव जिले में हाल ही में कोई खुदाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). जी हां, १९५७ में खुदाई की गई थी जिस के निम्न परिणाम निकले :—

(१) बहाल में हुई खुदाई से पता लगा है कि ३५ फीट की गहराई पर कुछ चीजें मिली हैं जिन से जान पड़ता है कि वे बर्तनों तथा प्राचीन वस्तुओं के आधार पर चार सांस्कृतिक कालों की हैं। सर्वप्रथम (सरका १ मिलीनियम ई० पू०) काल चेलोलिथिक है। उस काल का मुख्य बर्तन उद्योग लाल रंग के बर्तनों पर काली चित्रकारी करना था जिस के साथ ही साथ गमले के ऊपर रखने का कंकड़ पाया जाता है ।

(२) बहाल के सामने टेकवाड़ा में गड़ी हुई चीजों में, जो कि चेलोलिथिक काल की बताई जाती हैं, (सरका १ मिलनियम ई० पू०) एक चित्रित बर्तन और कुछ काले और भूरे प्याले एवं माला के कुछ कृत्रिम दाने तथा एक शेलखड़ी का टुकड़ा मिला है ।

## दौलताबाद का किला

†२००८. **श्री पांगरकर:** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दौलताबाद के किले की देख रेख पर १९५७–५८ में कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) १९५८–५९ में कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) ६०९४·० रुपये ।

(ख) ५,००० ०० रुपये ।

## इस्पात की खरीद

†२००९. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** ७ अप्रल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८३ के उत्तर के संबंध में और २१ अगस्त, १९५८ को सभा पटल पर रखे गये विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तथा आयातकों द्वारा अलग-अलग प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक मामले में संविदा की अवधि बढ़ाने के लिये किस तारीख को स्वीकृति दी गई थी; और

(ख) कितनी मात्रा अन्तर्ग्रस्त थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा ।

## पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां

†२०१०. **श्री कुम्भार** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों , अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन छात्रों ने जिन्हों ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से अनुपूरक परीक्षा पास की थी, १९५८–५९ के लिये मट्रिक के आगे की छात्रवृत्तियों के लिये नये सिरे से अथवा उन्हें फिर से देने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रत्येक राज्य से और प्रत्येक वर्ग के कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी के लिये १९५८-५९ में कितना आवंटन किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के पास से राज्यवार तथा वर्गवार, जिन्हों ने अनुपूरक परीक्षा पास की थी, कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, इस सम्बन्ध में जाकनारी तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा उस को एकत्र करने में लगभग ८३,००० प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करनी पड़ेगी ।

मांगी गई जानकारी एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणाम के समान नहीं होगा ।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को १९५८-५९ में छात्रवृत्ति देने के लिये २२५ लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है तथा तीनों वर्गों में निधियों का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है :—

| समुदाय का नाम | आवंटित राशि (लाख रुपये) |
|---|---|
| अनुसूचित जातियां | १२५ |
| अनुसूचित आदिमजातियां | २५ |
| अन्य पिछड़े वर्ग | ७५ |
| योग रुपये | २२५ |

## सेना कर्मचारियों के लिये सामान

†२०११. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय नौ-सेना के जे० सी० ओ०, एन० सी० ओ० तथा ओ० आर० को संभरित सामान के "प्रभृत"[1] मदों (भुगतान पर दिये जाने वाले मदों) में हाल ही में कोई परिवर्तन किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : जी नहीं ।

## भंगियों की बस्तियां

†२०१२. **श्री मोहन नायक** : क्या वित्त मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक भंगियों के लिये बस्तियां बसाने के लिये दिये गये ऋण तथा अनुदान की राशि दिखाई गई हो ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भारत सरकार को १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक भंगियों के लिये बस्तियां बसाने के बारे में राज्य सरकार से ऋण और अनुदान मांगने के सम्बन्ध में कोई निवेदन नहीं प्राप्त हुआ है ।

†मूल अंग्रेजी में
[1]Charged.

## मैट्रिक से आगे की छात्रवृत्तियां

†२०१३. **श्री मोहन नायक** : क्या शिक्षा मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में भारत सरकार की योजना के अधीन १९५७–५८ में और १९५८–५९ में मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये उड़ीसा में वर्षवार (१) अनुसूचित जातियों, (२) अनुसूचित आदिम जातियों तथा (३) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को दी गई छात्रवत्तियों की राशि दिखाई गई हो ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ता० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

| समुदाय का नाम | उड़ीसा राज्य के छात्रों को १९५७-५८ में दी गई छात्रवृत्ति की राशि |
|---|---|
| | रुपये |
| अनुसूचित जातियां | ५३,०४१ |
| अनुसूचित आदिमजातियां | ५२,५८७ |
| अन्य पिछड़े वर्ग | ४,९८,९७८ |
| योग रुपये | ६,०४,६०६ |

उड़ीसा राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को १९५८–५९ में दी गई छात्रवत्ति संबंधी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि १९५८–५९ की छात्रवत्तियां अभी दी जाने को हैं ।

## राजस्थान में स्मारक

†२०१४. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के स्मारकों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) राजस्थान में १९५६–५७ और १९५७–५८ में राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक–कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ख) १९५६-५७ . . १,३०,८६८·०० रुपये

१९५७-५८ . . . . १,७४,०७२·०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

## उड़ीसा में 'बाद की देख-भाल' का कार्यक्रम[1]

†२०१६. **श्री प्र० गं० देव :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में बन्दियों के पुनर्वास के लिये बाद की देख-भाल के कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** उड़ीसा के लिये बाद की देख-भाल के सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिये अस्थायी रूप से द्वितीय योजना काल में लगभग १५.५ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। बन्दियों के पुनर्वास के लिये अलग से कोई राशि निश्चित नहीं की गई है।

## विदेशी भ्रमण के लिये विदेशी मुद्रा

†२०१७. **श्री वें० प० नायर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहू जैन लिमिटेड के श्री शान्ति प्रसाद जैन को विदेश भ्रमण के लिये १९५७-५८ में कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी; और

(ख) यह विदेशी मुद्रा कितने काल के विदेश भ्रमण के लिये मंजूर की गई थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई):** (क) साहू जैन लिमिटेड के श्री शान्ति प्रसाद जैन को १९५७-५८ में विदेश भ्रमण के लिये कोई भी विदेशी मुद्रा नहीं दी गई थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## महावाहिनी गुल्म निधि[2]

†२०१८. **श्री उ० च० पटनायक :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५८ को भारतीय सेना की प्रत्येक महावाहिनी तथा गुल्म की महावाहिनी गुल्म निधि कितनी थी;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति की (पदानुसार) कितनी मासिक "कटौती" (अनिवार्य) होती है;

(ग) राशि कहां और कैसे जमा की जाती है;

(घ) निधि की प्रबन्ध व्यवस्था कैसे होती है;

(ङ) इसके व्यय पर क्या नियंत्रण है; और

(च) व्यय की लेखा परीक्षा कौन करता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) किसी यूनिट/महावाहिनी की महावाहिनी निधि में बहुत सी निधियां सम्मिलित होती हैं (गुल्म निधि एक ऐसी ही निजी निधि है), तथा इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि प्रत्येक यूनिट/महावाहिनी की महावाहिनी निधियों में कुल कितना धन था। यह समझा जाता है कि जानकारी एकत्रित करने में जितना समय व परिश्रम लगेगा उसके अनुसार फल प्राप्त नहीं होगा और न ही यह सूचना देने के लिये आवश्यक प्रत्येक महावाहिनी/गुल्म का नाम बताना लोकहित में होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] After-care programme.

[2] Regimental Battalion Fund.

(ख) महावाहिनी निजी निधियों सहित विभिन्न महावाहिनी निधियों, के चन्दे जो स्वेच्छा से दिये जाते हैं, वे प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक निधि तथा प्रत्येक पद के भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) महावाहिनी निधियां अनुमोदित बैंकों में जमा की जाती हैं तथा सरकारी प्रतिभूतियों तथा प्रमाणपत्रों में विनियोजित की जाती हैं।

(घ) यूनिट का आफिसर कमांडिग निधियों का न्यासी के रूप में प्रबन्ध करता है।

(ङ) कमांडिग आफिसर निधियों की वार्षिक आय का २५ प्रतिशत भाग या २००० रु०, जो भी कम हो, व्यय कर सकता है। इससे अधिक व्यय के लिये ब्रिगेड/उप-क्षेत्र/क्षेत्र कमांडर की मंजूरी लेनी होती है।

(च) महावाहिनी निधियों में से लिये हुए व्यय की प्रत्येक तिमाही पर स्टेशन कमांडर के आदेशानुसार लेखा परीक्षा बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा होती है।

**मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स**

†२०१६. **श्री आगाड़ी:** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भद्रावती के मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को एक निगम में परिवर्तित करने की योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी तफसील क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) यह समझा जाता है कि मैसूर सरकार ने कारखाने को एक निगम में परिवर्तित करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार से अभी सरकारी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भर्ती) योजना**

†२०२०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भर्ती) योजना के अतर्गत आई० पी० एस० में सर्वसाधारण से कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत) :** (क) हां।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों तथा अतिरिक्त अधिकारियों की कुल आवश्यकता की दृष्टि से यह महसूस किया गया कि सर्वसाधारण में से अधिक आयु के व्यक्तियों की भर्ती करना न ही आवश्यक है और न ही लाभदायक।

**कोलम्बो योजना के अन्तर्गत नेपाल को सहायता**

†२०२१. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या वित्त मंत्री निम्न बातों सम्बन्धी एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने १ अप्रैल से ३० नवम्बर, १६५८ तक नेपाल सरकार को कितनी सहायता दी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सहायता का धन किन-किन बातों पर व्यय किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १ अप्रैल से ३० नवम्बर, १९५८ तक के काल में नेपाल सरकार को वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता पर लगभग ७६,००,००० रु० व्यय किये गये ।

(ख) सिंचाई तथा जल संभरण की छोटी योजनायें, प्रावेक्षण सर्वेक्षण, सड़कों का निर्माण तथा देख रेख, विमान सर्वेक्षण/त्रिकोणीयन तथा मानचित्रन/जल-विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक जांच ।

रक्सोल से आमलेखगंज तक तंग रेलवे लाइन को छोटी लाइन में बदलने तथा हितौरा तक इसे बढ़ाने के लिये इंजिनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण ।

ग्राम विकास ।

इंजिनियरिंग, शिक्षा, डाक तथा तार, विधि एवं संसदीय कार्य, वित्त तथा लेखा, वन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवायें ।

नेपाल सरकार के नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था ।

## अपहृत बच्चे

†२०२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर-नवम्बर, १९५८ में दिल्ली में कितने बच्चे अपहरण किये गये; और

(ख) इन में से अब तक कितने मिल गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) ३२ (नाबालिग) ।

(ख) २२ ।

## तेल शोधक कारखाने

†२०२३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री बर्मन :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० च० सामन्त :**
**श्री वि० चं० शुक्ल :**
**श्री दामानी :**
**श्री राम कृष्ण :**
**श्री लीलाधर कटकी :**
**श्रीमती मफीदा अहमद :**

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोहाटी तथा बरौनी में प्रस्तावित तेल शोधक कारखानों सम्बन्धी परियोजना-अध्ययन में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) दोनों तेल शोधक कारखानों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि आसाम में ७.५ लाख टन का तथा बिहार में बरौनी में १५ से २० लाख टन का तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जाये ।

(ग) आसाम के तेल शोधक कारखाने के लिये रूमानिया सरकार से करार हो गया है तथा बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिये दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

## १६६१ की जनगणना

†२०२४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री हेम राज :**
**श्री विभूति मिश्र :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६१ की जनगणना की तैयारी के सम्बंध में और क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) पिछली जनगणना की अपेक्षा आगामी जनगणना में किन-किन विभिन्न बातों के बारे में परिवर्तन किये जायेंगे ;

(ग) जनगणना कार्य में गणनात्मक तथा प्रशासनात्मक क्या परिवर्तन करने का विचार है ; और

(घ) गणना कब समाप्त होगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जनगणना कार्यों के राज्य सुपरिन्टेन्डेन्ट नामज़द करने के लिये राज्य सरकारों को लिखा जा चुका है तथा जनगणना आयुक्त के परामर्श से उनका संवरण-कार्य आगे बढ़ रहा है ।

जनगणना आयुक्त ने मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जनांकिकी तथा आर्थिक गवेषणा तथा आत्म विशिष्ट हितों की विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सहायता से आगामी जनगणना के लिए प्रारूप प्रश्नावली तैयार की है । राज्य संख्याकी विभाग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा अन्य विशिष्ट संस्थाओं की सहायता से प्रश्नों की उपयुक्ता तथा इस बात का पता लगाने के लिये प्रश्नों की जांच करने का विचार है कि उनमें कोई रूप-परिवर्तन करना आवश्यक है या नहीं ।

(ख) पिछली जनगणनाओं के साथ निरन्तरता व तुलनात्मकता बनाये रखने के लिये किसी जनगणना में कभी आमूल परिवर्तन किये जाते हैं । फिर भी, आयोजन आयोग की आवश्यकतायें ध्यान में रखी जायेंगी ।

(ग) गणकों की कार्यकुशलता में सुधार होने पर गणनात्मक तथा प्रशासनात्मक निरन्तरता बनाई रखनी होगी । राज्य पुनर्गठन हो जाने के कारण समूचे भारत में प्रथम बार गठन, प्रशासन तथा प्रयोजन में एकता प्राप्त होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १९५१ में जनगणना में १३ दिन लगे। १९६१ में कदाचित इस काल में वृद्धि नहीं होगी। जनगणना फरवरी १९६१ में आरम्भ होगी तथा ३ मार्च १९६१ के आस पास समाप्त हो जायेगी।

## हिन्दी में विधि शब्दावली

†२०२५. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **शिक्षा** मंत्री २६ अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी में विधि शब्दावली तैयार करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने और आगे क्या प्रगति की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: २६-८-१९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ का उत्तर देने के उपरान्त समिति ने ३६२ शब्द और बनाये हैं।

## अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद

†२०२६. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक हिन्दी के किन किन अधिनियमों का अनुवाद हो गया है।

†**विधि उपमंत्री (श्री इजार नवीस)** : अब तक २६६ केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है। अनुवाद हो चुके अधिनियमों की एक नामावली सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १०१]** भाग १ अनुवाद हुए मुख्य अधिनियमों के नाम, भाग २ में संशोधनकारी अधिनियमों के नाम जिनका अलग अनुवाद हुआ है, भाग ३ में उन अधिनियमों के नाम हैं जिनके अनुवाद छप रहे हैं एवं भाग ४ में अनुवाद हो चुके उन अधिनियमों के नाम हैं जो निरसित हो चुके हैं।

## विद्यार्थियों की रहन सहन की हालत

†२०२७. **श्री दी० चं० शर्मा:**
**श्री कोडियान:**
**श्री वासुदेवन नायर:**
**श्री नागी रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों की रहन सहन की हालतों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण समाप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

†२०२८. **श्री राम कृष्ण :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करने में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्यों;

(ग) १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में राज्यवार कितने कालिजों में त्रिवर्षीय डिग्री कार्यक्रम आरम्भ होना था; और

(घ) इस राज्य में कितने कालिजों में त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ हो गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तथा (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १०२**]

**सैनिकों को सुविधायें**

**२०२९. श्री पद्म देव**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिकों को छुट्टी के दिनों में विश्राम और मनोरंजन की सुविधायें कहां-कहां दी गयी हैं और ये सुविधायें क्या हैं ?

**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: छुट्टी के दौरान में सैनिकों के विश्राम और मनोरंजन के लिये सरकार ने कहीं भी कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी हैं। ताहम सरकार ने सम्मिलित पूंजी से नियत किराया देने पर पर्वतीय स्थानों पर छुट्टी काटने के लिए जाने वाले सेवादलों के अफ़िसरों को ऐसे क्वार्टर देने की मंजूरी दे रखो है, जो वहां सेवा कर रहे आफ़िसरों की आवश्यकताओं से फालतू हैं। ऊटाकमंड में "रत्नटाटा आफ़िसर्ज़ हालिडे होम" नाम का एक प्राईवेट होस्टल भी है, जो असार्वजनिक निधि से चल रहा है। होस्टेल में ३६ अतिथियों के लिये जगह है और ऊटाकमंड जाने वाले सेवादलों के आफ़िसर वाजवी दरों पर वहां घर की तरह आराम से रह सकते हैं। बम्बई में 'कार्न्वालिस फ़्लीट केण्टीन" है जो नौसेना द्वारा असार्वजनिक निधि से चल रही है। इस केण्टीन में जहाज़ियों को खर्चा देकर छुट्टियों के दौरान में दो महीनों तक रहने की सुविधाएं प्राप्त हैं। विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरामगाह हैं। सराय भी हैं जिनका, छुट्टी पर उन स्थानों पर जाने वाले सेवादलों के सेविवर्ग, थोड़े समयों के लिए रहने का लाभ सठा सकते हैं।

**बंदियों को छोड़ा जाना**

†२०३०. { **श्री स० म० बनर्जी**:
**श्री तंगामणि**:

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या (१) संघ राज्य क्षेत्रों (२) राज्यों के केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये बंदी गांधी जयन्ती के अवसर पर २ अक्टूबर १९५८ को छोड़ दिये गये;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य का प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे कितने बंदी छोड़े गये; और

(ग) क्या इनमें राजनीतिक बंदी सम्मिलित थे ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

## जापान से इस्पात-उत्पादकों का आयात

†२०३१. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक कितनी तथा कितने मूल्य की मूल किस्म की इस्पात एवं इस्पात से बनी वस्तुओं का कच्चे सामान के रूप में आयात हुआ है तथा १९५९ में इनकी कितनी मात्रा व कितने मूल्य की वस्तुओं के आयात करने का विचार है ;

(ख) इन आयातों की क्या शत हैं ;

(ग) भावी आयातों का क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) इस्पात-उत्पादों के ऐसे आयातों की विभिन्न श्रेणियां क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह ):** (क) जनवरी से अक्टूबर १९५८ में जापान से १५,६२,३६,७५४ रु० के १८४,८९१ टन मूल किस्म की इस्पात का आयात हुआ। १९५८ में जापान से आयात का अभी कोई ठीक प्राक्कलन नहीं किया जा सकता । इस्पात से बनी वस्तुओं के कच्चे सामान के रूप में आयात की गई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) साधारणतया इस्पात का आयात "सी० आई० एफ०" (लागत बीमा भाड़ा) के आधार पर आयातकर्त्ताओं द्वारा विक्रताओं के नाम अप्रतिसंहार्य प्रत्ययपत्र[1] किये गये भुगतान से होता है ।

(ग) जापान से इस्पात के भावी आयात का अभी कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं बनाया गया है ।

(घ) १९५८ के आयात मुख्यकर रेलवे की लाईन, ढांचा संबंधी वस्तुओं, प्लेटों, चादरों, स्ट्रपों, छड़ों, की किस्म के थे ।

## कोयला उत्पादन

†२०३२. **श्री त० ब० विट्ठलराव:** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने कोयला क्षेत्र समवाय हैं जिसका वार्षिक उत्पादन ३० लाख टन तथा अधिक है ; और

(ख) १९५८ के प्रथम नौ मासों में उनका उत्पादन कितना था ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) दो ।

(ख) ५८ लाख टन ।

## तेल शोधन प्रशिक्षण स्कूल

†२०३३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल शोधन उद्योग के लिए बनाई बम्बई में एक प्रशिक्षण स्कूल खोलना निश्चित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Irrevocable Letter of Credit

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

### नागा पहाड़ियों में तेल की खोज

†२०३४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा पहाड़ी क्षेत्र में तेल की खोज की योजना निश्चित हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) तथा (ख) : नागा पहाड़ी क्षेत्र में तेल की खोज करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

### मनीपुर नृत्य महाविद्यालय

†२०३५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर नृत्य कालिज में आज कल कोई होस्टल नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां कुछ होस्टल-व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) संगीत नाटक अकादमी ने अपने १९५९-६० के आयव्ययक में होस्टल के लिये उपबंध किया है ?

### सरकार द्वारा की गई साधारण बीमा पालसियां

†२०३६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में सरकार ने आग तथा विविध जोखिम पालिसियों की कितनी बीमा किस्त दी ; और

(ख) ऐसा कितना व्यापार सरकारी समवायों को दिया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). जानकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है तथा तैयार होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

### अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का पुनर्वास

†२०३७. **श्री रा० च० माझी**: क्या **गृह कार्य** मंत्री १९५६-५७ के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट (पृ० ४५) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांधों, औद्योगिक संयंत्रों, कारखानों तथा अन्य राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के निर्माण के फलस्वरूप बने उन विस्थापित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों के आंकड़े उपलब्ध हैं जिन का पुनर्वास हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो यह जानकारी देने वाला विवरण सभापटल पर कब रखा जायेगा ?

†**गृह कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) तथा (ख) : नहीं श्रीमान् । नवीनतम उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिये हुए हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १०३]**

## कल्याण विस्तार परियोजनायें

†२०३८. **श्री रा० चं० माझी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कल्याण विस्तार परियोजनाओं के कौन-कौन भाग केन्द्रीय सहायता से स्थापित हो गये हैं एवं कौन-कौन भाग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष में स्थापित होंगे ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं में सारे जिले आते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो कितने आते हैं ; और

(घ) उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ऐसी परियोजनायें कहां स्थापित हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ने कल्याण विस्तार परियोजनाओं की स्थापना का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है । फिर भी, ५३२ कल्याण विस्तार परियोजनायें, ४६० बाह्य सामुदायिक विकास खंड तथा ७२ आन्तरिक सामुदायिक विकास खंड अब तक स्थापित हो चुके हैं । बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ कर सारी कल्याण विस्तार परियोजनायें अब सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा विकास के लिये लिये जाने वाले खंडों में स्थापित होंगी । चालू वर्ष में अर्थात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष में विकास के लिये सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा लिये जाने वाले २०० खंडों में से, कल्याण विस्तार परियोजनायें अभी तक केवल चार खंडों में आरम्भ हुई हैं ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) २७६ जिले ।

(घ) रानीगियम में एक ।

## उड़ीसा में स्त्रियों और बालकों के लिये पुस्तकालय

†२०३९. **श्री पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने उड़ीसा में बच्चों और स्त्रियों के पुस्तकालयों के लिये स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को अनुदान मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये १९५८-५९ में कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५८-५९ में अभी तक इस कार्य के लिये बारह स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को ५,१५०·०० रुपये मंजूर किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**किरायेदारी के संशोधित नियम**

२०४०. { **श्री भक्त दर्शन:**
**श्री नवल प्रभाकर:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी बोर्डों के क्षेत्रों में किरायेदारी के संशोधित नियमों के सम्बन्ध में जारी किये आदेशों की एक प्रति ; और

(ख) प्रत्येक छावनी में इस संशोधित नियमावली से कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया है यह बताने वाला एक विवरण ?

**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) पुराने अनुदान और पट्टे के अधिकारों को सम्पूर्ण अधिकारों में बदलने के नियम, खुलासे तौर पर देने वाले, भारत सरकार के पत्र संख्या ४।४।एलसी।५९९९–एल।डी (सी एण्ड एल)।५७, दिनांक ३१-१०-५७ की एक प्रति संलग्न है ।

(ख) सरकार नीचे दिये गये चार मामलों में अधिकारों के बदले जाने में सहमत है, परन्तु सरकार द्वारा हक-शुफा, तबादले के विलेख के प्रमित रूप, मिलिट्री एस्टेट आफिसरों को सरकार की ओर से छावनियों में असैनिक क्षेत्रों के भूमि-अनुदानों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर करने के प्रतिनिधि नियुक्ति अधिकारों आदि के बारे में प्रशासन-आदेशों के अभी जारी न होने के कारण विलेख नहीं लिखे गये :–

| | |
|---|---|
| पूना छावनी . | १ |
| रानीखेत छावनी . | १ |
| आगरा छावनी से काटे गये क्षेत्र . | २ |

इन आदेशों के जल्दी जारी होने की आशा है ।

असैनिक क्षेत्रों में तबादले के ४७० प्रार्थनापत्रों और बंगला-क्षेत्रों के बारे में ७० प्रार्थना-पत्रों पर विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है ।

**भ्रष्टाचार**

†२०४१. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ की धारा ५ (३) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं ; और

(ख) उच्चतम न्यायालय की स्थिति तक कितने मामलों में दण्ड दिया गया है ?

†**गृह कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ की धारा ५ (३) दाण्डिक धारा नहीं है कि जिसके अधीन अभियोग चलाया जाये । यह तो एक साक्ष्य नियम है जिस का उपयोग केन्द्रीय सरकार के सत्रह कर्मचारियों के मामलों में अन्तर्ग्रस्त है ।

(ख) उपरोक्त निर्दिष्ट किये गये केन्द्रीय सरकार के सत्रह कर्मचारियों में से पांच परीक्षण न्यायालय द्वारा दण्डित किये गये, छः व्यक्ति दोषमुक्त घोषित किये गये और शेष छः व्यक्तियों पर अभी मुकदमे चल रहे हैं । परीक्षण न्यायालयों द्वारा दण्डित पांच कर्मचारियों में से चार ने उच्च न्यायालयों में अपीलें की हैं । दो को अपील की अनुमति मिल गई है और शेष दो की अपील खारिज

†मूल अंग्रेजी में

कर दी गई है। एक अपील अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष निलम्बित है। केन्द्रीय सरकार के एक कर्मचारी की जो अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी, उस ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है जो वहां निलम्बित है।

**पश्चिमी सीमा पर तस्कर व्यापारी**

†२०४२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोने और अन्य वस्तुओं आदि के चौर्यानिग्न के सम्बन्ध में अगस्त से नवम्बर, १९५८ तक भारत-पाकिस्तान पश्चिम सीमा प्रदेश पर कितने व्यक्ति मारे गये हैं अथवा घायल हुए हैं या गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** सोना और अन्य वस्तुओं आदि के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में अगस्त से नवम्बर, १९५८ तक भारत-पाकिस्तान पश्चिम सीमा प्रदेश पर मारे गये, घायल अथवा गिरफ्तार हुए व्यक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| मारे गये व्यक्ति . . | ५ |
| घायल . . . | १ |
| गिरफ्तार . | ८० |

**जब्त शुदा सोना और चांदी**

†२०४३. **श्री राम कृष्ण :**
**सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २११३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकार में जब्तशुदा सोने और चांदी के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो एकत्रित जानकारी का क्या स्वरूप है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). जी हां। एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १०५]**

**वैज्ञानिकों और प्रविधिज्ञों की केन्द्रीय पदाली**

†२०४४. **श्रीमती इला पालचौधरी**
**श्री राम कृष्ण :**
**श्री नौशीर भरूचा:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिकों और प्रविधिज्ञों की केन्द्रीय पदाली के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् को परामर्श देने के लिये सरकार द्वारा हाल में बताई गई अठारह व्यक्तियों वाली समिति के सदस्यों के क्या क्या नाम हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समिति के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) समिति की सदस्यता की कितनी अवधि है; और

(घ) समिति की स्थापना के पश्चात् अब तक इसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित गो० ब० पन्त)**:(क) इस समिति की अभी पूरी तरह स्थापना नहीं हुई है।

(ख) इसका कार्य है—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् को परामर्श देना। यह केन्द्रीय पदावली के प्रशासन सम्बन्धी सब मामलों में उस पर नियंत्रण करती है।

(ग) दो वर्ष किन्तु यह पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होती है।

(घ) अभी समिति की बैठक नहीं हुई है।

## दिल्ली में स्कूलों की इमारतें

†२०४५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **शिक्षा** मंत्री ३ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्कूलों की शेष इमारतों का निर्माण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो मोहल्लेवार कितनी इमारतें अभी तक बन चुकी हैं; और

(ग) उन पर कुल कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) १९५८-५९ में बनाई जाने वाली ५३ इमारतों में से १४ इमारतें पूरी हो चुकी हैं और चालू वित्तीय वर्ष में वह १५ इमारतें भी पूरी हो जाने की सम्भावना है जो अभी बन रही हैं।

(ख) १. गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल, आरामबाग लेन, नई दिल्ली।

२. गवर्नमेंट हायर सैकण्डरी स्कूल, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।

३. गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, रूपनगर दिल्ली।

४. गवर्नमेंट ब्वायज हायर सैकण्डरी स्कूल, पहलादपुर, दिल्ली।

५. गवर्नमेंट ब्वायज हायर सैकण्डरी स्कूल, गांधीनगर, दिल्ली।

६. गवर्नमेंट ब्वायज हायर सैकण्डरी स्कूल, मैहरोली, दिल्ली।

७. गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, रमेशनगर, दिल्ली।

८. गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, मेडिकल एनक्लेव, नई दिल्ली।

९. जूनियर बेसिक स्कूल, हसनपुर, दिल्ली।

१०. जूनियर बेसिक स्कूल, नसीरपुर, दिल्ली।

---

†मूल अंग्रेजी में

११. जूनियर बेसिक स्कूल, पोचनपुर, दिल्ली ।

१२. जूनियर बेसिक स्कूल, बपरौला, दिल्ली ।

१३. जूनियर बेसिक स्कूल, बख्तावरपुर, दिल्ली ।

१४. जूनियर बेसिक स्कूल, मोलारबंद, दिल्ली ।

(ग) १२,५०,८९३ रुपये की अनुमानित लागत में से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक ८,८७,७५९ रुपये खर्च किये गये ।

**भिलई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के लिये उपकरणों की लागत वृद्धि**

†२०४६. **श्री मुरारका:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें बताई गई हों :

(१) भिलई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के लिये अलग अलग संविदे करने के पश्चात् विभिन्न उपकरण संभरणकर्ताओं को कितनी वृद्धि मंजूर की गई है;

(२) इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(३) इसके दावों का परीक्षण एवं मंजूरी किस एजेंसी द्वारा की गई है ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह ):** (१) से (३). भिलई इस्पात कारखाने के लिये संयंत्र, उपकरण और स्टोर्स का संभरण करने के लिये सोवियत संगठनों के साथ किये गये संविदों में कीमतों में वृद्धि का विशिष्ट उल्लेख नहीं है । फिर भी स्वेज नहर बंद होने के फलस्वरूप अतिरिक्त भाड़े के रूप में सोवियत रूस के संगठनों को ७,८५,९८५ रुपये दिये गये थे ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये इण्डियन स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी के साथ किये गये करार में मजूरी की दरें, वेतन और सामान की कीमत में मान्यतायुक्त वृद्धि या कमी के लिये कीमतों में परिवर्तन की अनुमति दी गई है इस सिलसिले में २७० लाख रुपये के दावे प्राप्त हुए हैं ।

इसके अतिरिक्त यदि करार में वर्णित कारखाने में कोई परिवर्तन हो तो उसी के अनुसार इण्डियन स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी और हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड में कीमतों के परिवर्तन के बारे में समझौता किया जाता है । विचार है कि इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप सितम्बर, १९५८ के अन्त तक १६,७५६,२२३ रुपये खर्च किये जायेंगे ।

**रूरकेला के लिये ब्लास्ट फर्नेस (भट्टियां)**

†२०४७. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में ब्लास्ट फर्नेस संभरण करने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् लगभग ५२ लाख रुपये की वृद्धि मंजूर की गई है;

(ख) यह वृद्धि रुपयों के रूप में देय है अथवा विदेशी मुद्रा के रूप में; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस वृद्धि के दावे की परिनिरीक्षा किस एजेंसी द्वारा की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हां । ब्लास्ट फर्नेस कारखाने में डिजाइन और प्रारूप में कुछ परिवर्तन के फलस्वरूप यह वृद्धि हुई थी और इसकी मंजूरी अन्तिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् नहीं प्रत्युत ब्याज सम्बन्धी प्राथमिक पत्र जारी कर देने के पश्चात् दी गई थी ।

(ख) विदेशी मद्रा में ।

(ग) परामर्शदाता—आई० जी० के० डी० के साथ विस्तृत चर्चा के बाद हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के टेकनीकल परामर्शदाता ने इन परिवर्तनों की सिफारिश की थी और इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय के परामर्शदाता मैसर्स इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, लन्दन ने इसका अनुमोदन किया था ।

## रूरकेला में जोन 'बी' में मिट्टी के काम का ठेका

†२०४८. **श्री मुरारका**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला के 'बी' जोन में मिट्टी के काम का फर्म को ठेका देने के पश्चात् ठेके की रकम ५८,९१,६०० रुपये से बढ़ा कर १,५८,६४,००० रुपये कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ठेकेदार का क्या नाम है; और

(ग) रकम में वृद्धि किन परिस्थितियों के अन्तर्गत की गई थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) ठेके की रकम ५८.९१ लाख रुपये से बढ़ाकर लगभग ८५ लाख रुपये कर दी गई है ।

(ख) मैसर्स माडर्न इण्डिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ।

(ग) प्रारम्भ में रूरकेला कारखाने में ५ लाख टन इस्पात उत्पादन की क्षमता थी । इसी क्षमता के आधार पर ५८,९१,६०० रुपये का ठेका जारी किया गया था । तत्पश्चात् यह उत्पादन क्षमता बढ़ाकर दस लाख टन कर दी गई और मिट्टी के काम में वृद्धि होने के कारण ठेके की लागत भी बढ़ा कर ८५ लाख रुपये कर दी गई ।

## रूरकेला में लिये बेलन मिलें

†२०४९. **श्री मुरारका**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला में बेलन मिलों के लिये सिविल इंजीनीयरिंग के ठेके के लिये कुल कितने टेंडर प्राप्त हुए थे;

(ख) क्या प्रत्येक स्थिति यें न्यूनतम टेंडर स्वीकार किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) भारत में फर्मों से पांच टेंडर और विदेशी फर्मों से दो कीमत प्राप्त हुई थीं इसके अतिरिक्त एक भारतीय फर्म——मैसर्स गमन्स ने यह कहा है कि यदि उन्हें जर्मन फर्म मसर्स होचीफ के साथ सहयोग की अनुमति दी गई तो वह इस काम के लिये टेंडर दे सकेंगे ।

(ख) और (ग) टैक्नीकल परामर्शदाताओं का यह मत था कि न्यूनतम टेंडर दाताओं के पास आवश्यक अनुभव है । उपकरण अथवा इस काम को करने के लिये उपयुक्त कर्मचारीवर्ग नहीं ह अतः उस पर विचार नहीं किया जा सका । मैसर्स होचीफ गैमन से वार्ता के पश्चात् यह ठेका दूसरे स्वीकार्य टडर के बाद वाले टेंडरदाता को दे दिया गया ।

## इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सेवाएं

†२०५०. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने अभी तक क्या-क्या यथार्थ सेवायें प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) उन्हें अभी तक कुल कितनी रकम दी गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा सामान्य परामर्श के लिये उत्तरदायी हैं । दुर्गापुर वर्क्स के लिये कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का ब्यौरा मैंने १३ अगस्त, १९५८ को श्री मुरारका द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर में और सामान्य परामर्श के बारे में २६ अगस्त, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ के उत्तर में बता दिया था । इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी का क.म अनवरत; और वह दोनों समझौतों के अधीन दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं ।

(ख) १२४,४०,००० रुपये ।

## रूरकेला में जल संभरण

†२०५१. **श्री नाथ पाई** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला में सम्पूर्ण करखाने में उत्पादन प्रारम्भ होने तक क्या वहां जल संभरण किया जा सकेगा ;

(क़) क्या जल संभरण आवश्यकता के अनुसार होगा ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) और (ख) . जी हां ।

(ग) रूरकेला इस्पात कारखाना में ब्राह्मणी नदी से जल संभरित किया जायेगा । ग्रीष्म काल में नदी में पर्याप्त पानी बनाये रखने के लिये ब्राह्मणी नदी का एक उपधारा–सांख में एक जलाशय बनाया जा रहा है । यह बांध लगभग पूरा हो चुका है और १९५९ के बाद का गर्मियों में इस्पात कारखाने की आवश्यकता पूर्ति के लिये समुचित मात्रा में जल एकत्रित कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**अध्ययन के लिये विदेश जाने वाले छात्र**

२०५२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये जाने वाले छात्रों को अनुमति देने के लिये प्रत्येक विषय की क्या योग्यताएं अथवा कसौटी निर्धारित है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: अध्ययन के लिये विदेश जाने वाले प्राइवेट भारतीय छात्रों के लिये रखी गयी योग्यताओं/कसौटी के बारे में विवरण साथ लगा है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०६]**

**शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स**

†२०५३. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रतिरक्षा संगठन असैनिक क्षेत्र में सनिकों की खपत के लिये शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स तथा अन्य विशेष कोर्स का उपबन्ध करता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के कोर्स की एक सूची लोक-सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). भारत में प्रतिरक्षा संगठन विशेष रूप से सनिकों को असनिक जीवन में खपाने के लिये किसी शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा किसी अन्य विशेष कोर्स का उपबन्ध नहीं करता है। किन्तु सनिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है और अपनी सेवा काल और देश के विभिन्न भागों में इस प्रयोजन के लिये विभिन्न अवस्थाओं में दी जाने वाली ट्रेनिंग का उद्देश्य यद्यपि सैनिक कार्यों का कुशल परिचालन है फिर भी वह सन्य जीवन से मुक्त होने पर असैनिक जीवन में उनके लिये पर्याप्त सहायक सिद्ध होती है। असैनिक जीवन में लाभप्रद व्यवसाय के योग्य बनने की दृष्टि से सैनिकों के लिये कुछ व्यावसायिक और टैक्नीकल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाती है। इस सिलसिले में १५ दिसम्बर, १६५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ६८० के उत्तर के सम्बन्ध में लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण के भाग (१) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

**भारत में पाकिस्तानी**

†२०५४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानूनी पासपोर्ट बगर या निर्धारित समय से अधिक तक इस समय कितने पाकिस्तानी धोखे से भारत में ठहरे हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: पहली फरवरी १६५८ को इनकी संख्या निम्न थी :—

| | |
|---|---|
| (१) कानूनी पासपोर्ट बगैर रहने वाले . . . | ८,२८३ |
| (२) पारपत्र में निर्धारित अवधि बीतने के पश्चात् रहने वाले | ८१,५५१ |

बाद की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## ड्रिलिंग कर्मचारियों की भर्ती

†२०५५. **श्री हेम राज :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में ड्रिलिंग कार्य के लिये रिगपेन और टापपेन के पदों पर भरती देहरादून स्थित काम दिलाऊ दफ्तरों के मार्फत की जाती है ;

(ख) क्या इस प्रकार की भरती की सुविधाएं कांगड़ा और होशियारपुर जिलों के काम दिलाऊ दफ्तरों में विद्यमान हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां, किन्तु आंशिक रूप में।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## पंजाब में विकास योजनाओं के लिये इस्पात का कोटा

†२०५६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से विकास योजनाओं सम्बन्धी इस्पात के कोटे में वृद्धि करने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## पंजाब में समाज कल्याण केन्द्र

†२०५७. **श्री दलजीत सिंह :**
**सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में अभी तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अधीन पंजाब के पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में कितने समाज कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं

(ख) उक्त अवधि में इन केन्द्रों में कितनी योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं ; और

(ग) प्रत्येक योजना पर कितनी कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) अभी तक तो पिछड़े हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं निश्चित की गयी है ; परन्तु यदि माननीय सदस्य का पिछड़े हुए क्षेत्रों से अनुसूचित क्षेत्रों का तात्पर्य है तो इनके सम्बन्ध में जानकारी निम्नलिखित है :—

| | अनुसूचित क्षेत्र | अन्य क्षेत्र |
|---|---|---|
| १९५७–५८ . . . | शून्य | ५ |
| १९५८–५९ . . . . | शून्य | ३ |

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बालवाड़ी, कला तथा कौशल की कक्षायें, प्रसूती से पूर्व, प्रसूती के पश्चात् तथा प्रसूती के समय की सेवायें, ग्राम स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम ।

(ग) केन्द्रों में प्रत्येक मद पर आने वाले खर्च अलग अलग नहीं रखे जाते । केन्द्रों द्वारा इन सभी योजनाओं पर अर्थात् उनके कर्मचारियों, प्रशासन व्यवस्था और यात्रा भत्ता आदि विभिन्न मदों पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही लोक-सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## विज्ञान मन्दिर

†२०५८. **श्री दलजीत सिंह :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री पाणिग्रही :**
**श्री राम कृष्ण :**

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में देश में किस-किस स्थान पर विज्ञान मन्दिर स्थापित किये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृति-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** अभी तक सबारे में निर्णय नहीं किया गया है कि भविष्य में किस-किस स्थान पर विज्ञान मन्दिर स्थापित किये जायेंगे ।

## उड़ीसा के कुम्हार जाति के विद्यार्थीयों को छात्रवृत्तियां

†२०५९. **श्री कुम्भार** : क्या **शिक्षा** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य की कुम्हार जाति के विद्यार्थियो को मैट्रिक के बाद शिक्षा के लिये दो गई छात्रवृत्तियां उन विद्यार्थियों से वसूल कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं;

(ग) उड़ीसा राज्य की इस जाति के विद्यार्थियों की ओर से छात्रवृत्तियों को पुनः आरम्भ करने और नई छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में जो आवेदन प प्राप्त हु हैं, उन के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

उड़ीसा राज्य की कुम्हार जाति के विद्यार्थियों से १९५८–५९ के लिये दस छात्रवृत्तियों को पुनः प्रारम्भ करने और बीस नयी छात्र वृत्तियों के लिय आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । पुनः प्रारम्भ करने के लिये प्राप्त १० आवेदन पत्रों में ९ को मंजूरी दे दी गई है । जहां तक १० वें आवेदन पत्र का सम्बन्ध है, उस में सभी आवश्यक जानकारी न ी दी गई है, और इसलिये सम्बन्धित विद्यार्थियों से वह जानकारी मांगी गई है ।

---

†भूल अंग्रेजी में

नयी छात्र वृत्तियों के लियेप्राप्त २० आवेदन पत्रों में से ७ विद्यार्थियों को जो कि स्टैण्डर्ड के अनुसार हैं, छात्र वृत्तियों के लिय चुना गया है ।

**कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के वकील**

†२०६०. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **विधि** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या कलकत्ता सिटी सिविल कोर्ट के लिये केन्द्रीय सरकार के वरिष्ट तथा कनिष्ठ वकीलों के स्थानों के लिये आवेदन पत्र मांगे गये थे;

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान पदाधिकारियों को किस कारण से नियुक्त किया गया था;

(ग) इन दो वकीलों की नियुक्ति के समय से ले कर उन दोनों को जेब खर्चे और यात्रा भत्तों के रूप में कितनी-कितनी राशि अदा की गई है;

(घ) सरकारी वकीलों की नियुक्ति के समय से ले कर आज तक सिटी सिविल कोर्ट में ऐसे कितने मामलों का निर्णय हो चुका है अथवा विचाराधीन है जिन में भारत सरकार पक्षी अथवा प्रति-पक्षी के रूप में हैं; और

(ङ) इन दो वकीलों द्वारा, उन की नियुक्ति के समय से ले कर अब तक कितने फौजदारी मुकदमों में भारत सरकार की ओर से पैरवी की गई ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) उन्हें कलकत्ता सिटी सिविल कोर्ट में नियुक्त करने से पहले वकीलों की अनुभव की अवधि और उपयुक्तता पर विचार किया गया था और इस बात को भी ध्यान में रखा गया था कि क्या निर्धारित शर्तें उन्हें स्वीकार हैं या नहीं ।

(ग) ३०-११-१९५८ तक जेब से किये गये खर्चों के लिये दी गई राशि — वरिष्ठ वकील को १,२००.८२ रुपये

(कोर्ट फीस, प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिये दी गई राशि आई) — कनिष्ठ वकील को कुछ भी नहीं।

यात्रा भत्ता — कुछ नहीं ।

(घ) ३०-११-१९५८ तक न्यायालय द्वारा निपटाये गये मुकदमे ३९

३०-११-१९५८ तक विचाराधीन मुकदमे ५२

निपटाये गये कुल ३९ मुकदमों में से १६ केन्द्रीय सरकार के वकीलों द्वारा निपटाये गये थे और शेष २३ अन्य वकीलों द्वारा निपटाये गये थे ।

(ङ) कोई भी नहीं । फौजदारी मुकदमे केन्द्रीय सरकार के वकीलों को नहीं सौंपे जाते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**मनीपुर क्षेत्रीय परिषद् के चेयरमैन का हटाया जाना**

†**२०६१. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर क्षेत्रीय परिषद् के पूर्वर्ती चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव परिषद् के थोड़े से बहुमत से पास हुआ था अथवा दो-तिहाई बहुमत से; और

(ख) पिछले चेयरमैन को किन-किन परिस्थितियों में उन के स्थान से अलग किया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) चेयरमैन को हटाने का प्रस्ताव थोड़े से बहुमत से पास हुआ था। स पर मनीपुर के शासक ने क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा २२(२) के अधीन प्राप्त शक्ति से उन्हें उन के स्थान से अलग कर दिया था।

**कृत्रिम वर्षा करना**

†**२०६२. श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम वर्षा करने की प्रविधि में शिक्षण प्राप्त करने के लिये किसी पदाधिकारी को विदेश भेजा गया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये पदाधिकारी भेजने के लिये मद्रास सरकार की ओर से कोई प्रार्थना की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है;

(घ) क्या विदेशों से कृत्रिम वर्षा करने के कोई उपकरण प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो किस देश से; और

(च) क्या हमारे वज्ञानिकों ने उस का परीक्षण किया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वर्षा तथा मेघ भौतिक विज्ञान गवेषणा युनिट के एक पदाधिकारी को कोलम्बो योजना की ओर से वर्षा तथा मेघ भौतिकीय गवेषणा प्रविधि और कृत्रिम वर्षा करने के सम्बंध में परीक्षणों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिय छः मास के लिये आस्ट्रेलिया भेजा गया था।

(ख) जी, हां। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार से प्रार्थना प्राप्त हुई थी ।

(ग) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा उस प्रार्थना पर विचार किया गया है, परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**खराब जलवायु सम्बन्धी भत्ता**

†२०६३. **श्री पाणिग्रही :** क्या **वित्त** मंत्री यह बता ने की कृपा करें कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोई ऐसे नगर हैं जिन में केन्द्रीय सरकारी व्यापारि ों की नियुक्ति पर उन्हें खराब जलवायु सम्बन्धी भत्ता अदा किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से स्थान हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) जी हां ।

(ख) सभा पटल पर क विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०७]**

**सोने का तस्कर व्यापार**

†२०६४. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त मं ी** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अभी तक बम्बई में कितनी कीमत का तस्कर व्यापार का सोना पकड़ा गया है;

(ख) तस्कर व्यापार में ग्रस्त कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं; और

(ग) उस में से कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १ अप्रैल, १९५८ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक १८९८३ तोले सोना पकड़ा गया था ।

(ख) १८९ ।

(ग) ४० व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये थे, उनमें से अभी तक २८ व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है । शेष में से एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया है और ११ व्यक्तियों पर अभी तक मुकदमा चल रहा है ।

**सेवा काल में वृद्धि**

†२०६५. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नियुक्त भारत सरकार के कितने गजेटिड आफिसरों को सेवा निवृत्ति की आयु तक पहुंच जाने पर सेवा काल में बृद्धि की गई है; और

(ख) उन में से कितने अधिकारियो को चौथी और पांचवों बार 'वृद्धि' दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**रूरकेला इस्पात कारखाने का उप महाप्रबन्धक**

†२०६६. **श्री महन्ती :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में स्पात कारखाने के लि क उप महाप्रबन्धक को नियुक्त किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन का चुनाव किस प्रकार से किया गया है; और

(ग) उन्हें किस वेतन क्रम पर नियक्त किया गया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) विभागीय पदोन्नति के द्वारा।

(ग) १३००-६०-१६००

**ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थी**

†२०६७. **श्री हेम बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ब्रिटेन में कितने भारतीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनमें से महिलायें कितनी हैं और वे किस-किस विषय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ; और

(ख) लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त द्वारा उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन को संघटित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी के अनुसार ब्रिटेन में १-१-५८ को कुल ३,८५० भारतीय विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनमें से लगभग १५ प्रतिशत विद्यार्थी चिकित्सा विज्ञान में, ५५ प्रतिशत इंजीनियरिंग और टेक्नालोजी में, २० प्रतिशत व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक विज्ञान में, और १० प्रतिशत विद्यार्थी मानवशा शास्त्र, शिक्षक शिक्षण और विधि में हैं। शेष प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाकाल सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**सेना कर्मचारियों का पुनर्गठन**

†२०६८. {**सरदार इकबाल सिंह** :<br>**श्री रामेश्वर टांटिया** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्तरों पर सेना कर्मचारियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्योरा है ; और

(ग) यह योजना कब चालू हो जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). इस समय विभिन्न स्तरों पर सेना कर्मचारियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है। कुछ समय पूर्व कुछ वरिष्ठ पद बनाने तथा कुछ पदों को ऊंचा करने, जिससे कि वे पद उनसे सम्बद्ध जिम्मेदारियों के अनुरूप हो जायें, के सम्बन्ध में निर्णय किया गया था। उसी निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित निर्णयों के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है :—

(१) लैफ्टिनेंट जनरल की रैंक में डिप्टी चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ के पद की रचना ;

(२) आर्मी हेड क्वार्टर में प्रिंसिपल स्टाफ़ आफिसरों के पदों को ऊंचा करके मेजर जनरल से लैफ्टिनेंट जनरल करना तथा मेजर जनरल के पद में डिप्टी पी० एस० ओ० के पदों की रचना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) १५ कौर के जी० ओ० सी० के पद को लैफ्टिनेंट जनरल की लोकल रैंक से लैफ्टिनेंट जनरल की सब्सटेंटिव रैंक में बदलना ।

(४) डायरेक्टर आफ़ सिगनल्स के पद को ऊंचा करके मेजर जनरल का बनाना ।

(५) कोर आफ़ इंजीनियर्स में मेजर जनरल के अतिरिक्त पद की रचना ।

(६) तीन कमानों में प्रशासन के प्रभारी ब्रिगेडियरों के पदों की रचना ।

(२) स्वतंत्रता से पूर्व उपरिलिखित पदों में से अधिकांश उच्चतर रैंक के थे जो अब स्वीकार किए गए हैं ।

**भारत में फोर्ड प्रतिष्ठान प्रशिक्षण केन्द्र**

†२०६९. { **सरदार इकबाल सिंह :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **शिक्षा** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बोर्ड प्रतिष्ठान प्रशिक्षण केन्द्र कितने हैं ;

(ख) ये किन स्थानों पर स्थापित हैं ; और

(ग) इस समय कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०८]**

**दिल्ली प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग**

२०७०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्य आयुक्त को भेजे गये पत्र में निहित निर्णयों को कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत)** : दिल्ली प्रशासन के सरकारी काम हिन्दी में किये जाने के बारे में समय निश्चित करने के लिये दिल्ली के चीफ़ कमिश्नर ने १५ सितम्बर, १९५८ को छः सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। कमेटी की अब तक दो बैठकें हुई हैं और उम्मीद है कि वह अपनी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को जल्दी ही दे देगी ।

**पब्लिक स्कूल**

२०७१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री ९ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २११८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पब्लिक स्कूलों के बारे में सरकार द्वारा जो नीति निर्धारित की गयी है उसे वास्तव में किस हद तक कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) प्रत्येक पब्लिक स्कूल के छात्रों को केन्द्रीय छात्रवृत्ति के रूप में कितनी राशि दी जा रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पब्लिक स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के बारे में भविष्य में क्या नीति अपनाई जायेगी ?

**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १०९]**

**उत्तर प्रदेश में गंधक के निक्षेप**

**२०७२. श्री भक्त दर्शन** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल ज़िले में रूपगंगा नदी की घाटी में गन्धक के निक्षेपों की और विस्तारपूर्वक जांच करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मई और और जून, १९५८ में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग नें गढ़वाल ज़िले की रूपगंगा नदी की घाटी में गन्धक के निक्षेपों की जांच का कार्य किया था । इसके बाद काम बन्द कर दिया गया क्योंकि क्षेत्र आशानजक नहीं था ।

**विद्यार्थी पर्यटनों के लिये अनुदान,**

†**२०७३. श्री आगड़ी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में विद्यार्थी पर्यटनों के लिए शिक्षा संस्थाओं को सरकार ने कितना अनुदान दिया; और

(ख) राज्यवार कौन-कौन सी संस्थाओं को यह दिया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ४,२८,३८१ रुपये (३०-११-५८ तक)

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ? **[देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबंध संख्या ११०]**

**त्रिपुरा में तेल का सर्वेक्षण**

†**२०७४. श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या यह सच है कि रूसी तेल विशेषज्ञ त्रिपुरा गए थे और वहां पर उन्होंने तेल के लिए सर्वेक्षण किया था, और

(ख) यदि हां, तो उनके सर्वेक्षण की ब्यौरेवार रिपोर्ट क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) उनकी राय यह है कि जमीन की तहों से संकेत आशाजनक मिलते हैं । परन्तु सामान्य भूतत्वीय वातावरण इतना उपयुक्त नहीं है जितना पंजाब, गंगा की घाटी, राजस्थान, खम्भात तथा उड़ीसा का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## दुर्गापुर के लिये कोयला लादने का संयंत्र

†२०७५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि न्यूरम बर्ग की एक संस्था से दुर्गापुर के लिए कोयला लादने का संयंत्र मंगाया गया है जो प्रति घंटा १५०–२५० टन कोयला लादेगा ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** इस्पात संयंत्र के निकट जो बिजली घर बनाया जा रहा है, उसके लिए दामोदर घाटी निगम में मैसर्स एम० ए० एन० न्यूरन बर्ग, पश्चिम जर्मनी को कोयला नियंत्रण संयंत्र का आर्डर दिया गया है तथा कोयला लादने के संयंत्र का आर्डर नहीं दिया गया है ।

## मनीपुर में नैपाली

†२०७६. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैपाली शरणार्थियों का आना रोक दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लाडार पहाड़ियों क कंगपोकपी क्षेत्र के आदिम जातियों ने इन नैपालियों को निकालने के लिए बार बार प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) मनीपुर प्रशासन ने आदेश जारी किये हैं जिस में गांवों की खास भूमि अथवा बिना बसी भूमि पर जिन्हों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है उन को निकालने के लिये आयुक्त को अधिकार दे दिये गये हैं । परन्तु जहां पर आदिम जातियो ने स्वयं भूमि का हस्तांतरण कर दिया है उस के लिये उन को विधि न्यायालयों में जाना होगा ।

भविष्य में आदिम जातियों के संरक्षण के लिये आसाम भूमि और राजस्व विनियम १८८६ के अध्याय १० के उपबन्धों को हाल में ही लागू कर दिया गया है जिन के अनुसार आदिम जातियों की किसी भी भूमि को गैर उपादिम जातियों में हस्तांतरण आयुक्त की स्वीकृति से हो सकेगा ।

## मनीपुर पदाधिकारियों की मुअत्तली

†२०७७. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में ७ पदाधिकारियों समेत १४ पुलिस कर्मचारी अक्तूबर १९५८ में मुअत्तल कर दिये गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) ३ सब-इंस्पैक्टर तथा एक सिपाही मुअत्तल किया गया ।

(ख) एक सब-इंस्पैक्टर कर्त्तव्य पालन ठीक प्रकार से न करने के कारण तथा अन्य रिश्वत लेने के आरोपों पर मुअत्तल किये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**कोयले के निक्षेप**

२०७८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश की गोदावरी घाटी और बिहार के करनपुर नामक स्थान में कोयले की खोज के लिये भू-छेदन का जो कार्य चल रहा है उस में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे०मालवीय) :** गोदावरी की घाटी के कोयला क्षेत्रों का अनुसंधान पूरा कर दिया गया है और व्यधन के लिये स्थान चुन लिये गये हैं। कार्य शीघ्र ही शुरू किया जायेगा ।

करनपुरा में स्टेट कॉलिरीज के मुख्य खनि इंजीनियर द्वारा चुने हुए अनेकों ब्लाकों में १९५६ में कोयले के लिये व्यधन शुरू किया गया। अब तक कुल १,१३,५५१ फुट व्यधन किया गया और गिडि ए, गिडि सी, सीधा बी, स्याल ए और डी ब्लाकों में ३०० मिलियन टन से भी ज्यादा कोयले की मात्रा अब तक प्रमाणित की जा चुकी है। दक्षिणी करनपुरा के गिडि ए और सौंधा बी ब्लाकों में और उत्त ी करनपुरा में बचरा ब्लाक में जांच का काम खत्म हो गया है और "राष्ट्रीय कोयला विकास निगम" खनन कार्य को आगे बढ़ा रहा है। अन्य ब्लाकों में भी कार्य प्रगति पर है।

**जम्मू में कोयले के निक्षेप**

२०७९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जम्मू में कोयले के काफी बड़े निक्षेप वाले एक क्षेत्र का हाल में पता चला है ?

**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** जम्मू के जांगलगली क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से व्यधन करने के परिणामस्वरूप भारतीय भूगर्भीय सर्वक्षण विभाग ने एक महत्वपूर्ण कोयला-भंडार का पता लगाया है। नये कोयला भंडार में अ ेकों कोयले की पट्टियां हैं, जिस में से एक की २२ फुट मोटाई होने का अनुमान लगाया गया है। इस क्षेत्र में व्यधन का कार्य फिर से शुरू किया जायेगा। इस क्षेत्र की भूवृत्तिकी स्थिति उलझी हुई होने के कारण संचित मात्रा का निश्चय करने के लिये अभी काफी प्रमाण नहीं मिले हैं ।

**अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को हिन्दी का मैट्रिक के आगे अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियां**

†२०८०. **श्री थानुलिंगम नायर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में हिन्दी का मैट्रिक के आगे अध्ययन करने के लिये मद्रास राज्य के कितने विद्यार्थियों को भारत सरकार ने छात्रवृत्तियां दी थीं ; और

(ख) यह छात्रवृत्तियां किस आधार पर दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :**

(क) १९५७-५८ ३० छा वृत्ति ों के कोटे में से ३० विद्यार्थियों को। इस के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अधिक हुए ४ और मद्रास को दिये गये ।

१९५८-५९ ३० के कोटे में से २६ विद्यार्थियों को ।

(ख) परीक्षा में प्राप्त नम्ब ों के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्रों का विकास

†२०८१. **श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री भक्त दर्शन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगरपालिका निगम की ग्राम्य क्षेत्र समिति ने सरकार को दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार को ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** :(क) और (ख). दिल्ली की मेयर दिल्ली नगरपालिका निगम की ग्राम्य क्षेत्र समिति के सदस्यों समेत २३ नवम्बर १९५८ को संघ गृह-मंत्री से मिली थी। दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में कई बातों पर विचार किया गया था। दिल्ली के मुख्यायुक्त तथा दिल्ली नगरपालिका निगम के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है।

## रूरकेला इस्पात कारखाने में विस्फोट

†२०८२. **श्री महन्ती** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इस्पात कारखाना, रूरकेला में ६ नवम्बर, १९५८ में विस्फोट की दुर्घटना में एक स्त्री मज़दूर तथा उस का बच्चा मर गया था ;

(ख) यदि हां, तो विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ ; और

(ग) मृत के परिवार को कितना प्रतिकर दिया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं। विस्फोट में एक तीन वर्ष का बालक मरा था।

(ख) स्थान बनाने के लिये किये गये उत्स्फोटन से विस्फोट हुआ था।

(ग) कामगर प्रतिकर अधिनियम के अधीन कोई प्रतिकर देय नहीं है परन्तु प्रसादतः कुछ राशि देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

## अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†२०८३. **श्री मोहन नायक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न में कितने गजटेड पदाधिकारी हैं :—

(१) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में कार्य करने वाली गृह-कार्य मंत्रालय की शाखा में ;

(२) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त के कार्यालय में ;

---

†मूल अंगेजी में

(३) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के प्रादेशिक सहायक आयुक्त के कार्यालय में ;

(ख) इन में से कितने पदाधिकारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) (१) ग्यारह ।

(२) नौ ।

(३) नौ ।

| | (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|---|
| (ख) अनुसूचित जाति | २ | २ | .. |
| अनुसूचित आदिमजाति | | .. | १ |

## शिक्षा निदेशालय, दिल्ली

†२०८४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के क्या कार्य हैं ;

(ख) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली किन विभागों के लिये जिम्मेदार है ; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन का समाज शिक्षा विभाग दिल्ली नगर निगम द्वारा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के निम्नलिखित कार्य है :—

(१) दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में हाई तथा हायर सैकन्डरी की तथा प्रदेश के शेष क्षेत्रों में प्राथमिक से हायर सैकेन्डरी की शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(२) प्रदेश की प्राथमिक से हायर सैकन्डरी के सभी स्कूलों का निरीक्षण ।

(३) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के लिये पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण ।

(४) उन स्कूलों को छोड़ कर जो दिल्ली नगर निगम के नियंत्रणाधीन है शेष अनुदान-प्राप्त स्कूलों को मान्यता देना तथा अनुदान देना ।

(५) जूनियर बेसिक/प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण ।

(६) दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्रों में समाज शिक्षा कार्यक्रम की क्रियान्विति ।

(७) सैकन्डरी शिक्षा के बारे में विकास योजनाओं की क्रियान्विति ।

(८) एन० सी० सी० तथा ए० सी० सी० कार्यक्रमों की दिल्ली के स्कूलों में क्रियान्विति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) सरकारी हाई तथा हायर सैकन्डरी स्कूल (निगम क्षेत्र के ऐसे स्कूलों में प्राइमरी तथा मिडिल विभाग समेत)

(२) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्रों में सरकारी मिडिल तथा प्राइमरी स्कूल ।

(३) अंधे तथा बहरों के लेडी नायर स्कूल ।

(४) बाल घर

(५) अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल

(६) ग्राम्य क्षेत्रों में सरकारी पुस्तकालय

(७) हायर सैकन्डरी शिक्षा का बोर्ड

(८) सरकारी औद्योगिक स्कूल

(ग) अभी नहीं । मामला विचाराधीन है ।

## शिक्षा पाठचर्या समिति

†२०८५. **श्री सुगन्धि :**
**श्री उ० च० पटनायक :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही एक शिक्षा पाठचर्या समिति सेना में शिक्षा पाठचर्या को बनाने तथा पुनर्गठन के लिये बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो सेना शिक्षा दल के कितने पदाधिकारी उसके सदस्य हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नही । परन्तु चार सेना पदाधिकारियों के एक तदर्थ दल ने हाल में ही शिक्षा परीक्षाओं के विभिन्न माणपत्रों के लिये पाठचर्या की जांच की है ।

(ख) एक पदाधिकारी ।

## राज्य सरकारों को मार्गोपाय अग्रिम[1]

†२०८६. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में अब तक आयोजना की योजनाओं के लिये (राज्यवार) केन्द्रीय सहायता के रूप में कितना मार्गोपाय अग्रिम दिया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अब तक आयोजना की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में मार्गोपाय अग्रिम की रूप में दी गई धनराशि नीचे दी जाती है :—

(करोड़ रुपयों में)

| राज्य का नाम | अब तक दिया गया धन |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | १३.६२ |
| आसाम | ५.७८ |
| बिहार | १३.१३ |

†मूल अंग्रेजी में
[1]Ways and means advances

| | |
|---|---|
| बम्बई | २२.३८ |
| केरल | ६.१४ |
| मध्य प्रदेश | १४.७८ |
| मद्रास | १३.३६ |
| मैसूर | ९.८२ |
| उड़ीसा | ८.५८ |
| पंजाब | १२.८१ |
| राजस्थान | ७.४६ |
| उत्तर प्रदेश | २०.४३ |
| पश्चिम बंगाल | १३.७७ |
| जम्म तथा काश्मीर | ३.२७ |
| जोड़ | १६५.३३ |

**क्वार्टर डैक पर नौसेना कर्मचारियों द्वारा सलामी**

†२०८७. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
**श्री मोहम्मद इलियास :**
**श्री प्रभात कार :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे नौसेना के कर्मचारियों को यह आदेश है कि जब भी वह क्वार्टर ैक पर जायें सलाम (सैल्यूट) करें; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा का क्या महत्व है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां ।

(ख) क्वार्टर डैक पर नौसेना का चिह्न फहराया जाता है और इस चिह्न को देश का चिह्न मान कर उसका आदर करने के हेतु सलामी ी जाती है ।

**हथियारों और गोला बारूद का निर्माण**

†२०८८. **श्री दिनेश सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मं ी यह बताने की कृपा करें कि :

(क) हथियारों और गोला बारूद का निर्माण सरकारी क्षेत्र में होता है अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में;

(ख) क्या देश में 'शिकार' के लिये गोला बारूद बनाया जाता है; और

(ग) यदि हां, ो कौन-कौन निर्माता हैं तथा वार्षिक उत्पादन कितना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) दिनांक ६ अप्रैल, १९४८ तथा ३० अप्रैल १९५६ के सरकारी औद्योगिक नीति संकल्प की शर्तों के अनुसार हथियारों और गोला बारूद बनाने की तथा अन्य प्रतिरक्षा उपकरणों को बनाने की जिम्मेदारी सरकारी क्षे की है। परन्तु र सरकारी क्षेत्र में असैनिक उपयोग के लिये हथियार और गोला बारूद बनाने वाले वर्तमान कारखानों को, जिनको इस निर्माण की अ ज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं, इनके बनाने की अनुमति है। परन्तु वह अप कार्यों को बढ़ा नहीं सकते हैं।

(ख) जी हां; कुछ आयुध कारखानों में कुछ हथियार व्यापारियों को १२ ोर की गोलियों को पुनः बनाने की अनुमति है।

(ग) जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

**अन्य पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां**

†२०८९. **श्री सिदय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देने के लिए कितनी नम्बरों की न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १११]**

**पंजाब में समाज कल्याण केन्द्र**

†२०९०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाब राज्य में केन्द्रीय समाज कल्याण ोर्ड के अधीन इस समय कितने तथा किन स्थानों पर समाज कल्याण केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में पद-वार कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) उनमें अनुसूचित जाति के कितने हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**त्रिपुरा में बढ़ईगीरी तथा लोहारगीरी के नमूने के एकक**

†२०९१. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन ने बढ़ईगीरी के नमूना एकक तथा लोहारगीरी के नमूना एकक स्थापित करने की योजना की क्रियान्विति में कितनी धनराशि व्यय की है;

(ख) इन एककों में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या इन एककों के विस्तार की कोई योजना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) बढ़ईगीरी के नमूना एकक पर ३० नवम्बर, १९५८ तक ६८,८४० रुपये तथा लोहारगीरी के नमूना एकक पर ४३,४५४ रुपये व्यय हुए हैं।

(ख) २४।

(ग) इस समय कोई नहीं।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

## त्रिपुरा में छोटे पैमाने के उद्योग

†२०९२. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन ने १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक छोटे पैमाने के उद्योगों को कुल कितनी आर्थिक सहायता दी है;

(ख) छोटे पैमाने के ऐसे कुल कितने उद्योग हैं जिन्हें सहायता दी जा चुकी है और जो फिलहाल चालू नहीं हैं;

(ग) इन उद्योगों में कुल कितने आदमी काम कर रहे हैं; और

(घ) क्या छोटे पैमाने के न उद्योगों को बन्द करने के कारण मालूम करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** :

(क) १९५६-५७ . . १,२८,२५० रुपये

१९५७-५८ . . . . . ६,२८,३५० पये

१९५८-५९ . . . . . २६,९५० रुपये

(ख) ११ ।

(ग) एक उद्योग में जो फिलहाल चालू नहीं है, छै आदमी ल हुए थे। अन्य दस उद्योगों ने अपना काम शुरू नहीं किया है और इसलिये उन्होंने किसी को काम पर नहीं रखा है।

(घ) जी हां। कहा जाता है कि क उद्योग का अर्था इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग का काम स्थानीय जल के अनुपयुक्त होने के कारण रोक दिया गया है। वह समूह अन्य यांि क काम अपनाना चाहता है। वह प्रशासन विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने के बाद उस प्रस्थापना की जांच करेगा।

अन्य दस उद्योगों में से छै उद्योग अपना काम, जिसके लिये उन आर्थिक सहायता दी गयी थी, चालू नहीं करना चाहते। प्रशासन ने उन सभी छै उद्योगों को उन्हें दिया गया धन वापिस करने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं।

## त्रिपुरा में प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र

†२०९३. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६-५७ और १९५७-५८ में त्रिपुरा के प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों में कुल कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) ऐसे प्रशिक्षित कितने व्यक्तियों को इन केन्द्रों में रोजगार मिला हुआ है; और

(ग) प्रशिक्षित व्यक्तियों की औसत मासिक आय कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों ने केवल १९५७-५८ में काम करना आरम्भ किया है। प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्तियों में से किसी ने भी उस वर्ष प्रशिक्षण पूरा नहीं किया। फिर भी यह कहा जा सकता है कि ९०व्यक्तियों वर्ष १९५८-५९ में अपना प्रशिक्षण पूरा किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) स वर्ष जिन व्यक्ति ों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया उनमें से १४ व्यक्ति उत्पादन के कुशल कर्मचारि ों के तौर पर काम कर रहे हैं। अन्य लोग अपना व्यापार चलाने के लिए सहकारी समितियां बना रहे हैं।

(ग) कुशल कर्मचारियों के तौर पर नियुक्त व्यक्तियों में से प्रत ेक ५० स ६० रुपये प्रति मास के बीच कमाता है।

## खान मालिकों को प्रोत्साहन

†२०९४. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद्-सदस्य श्री वी०सी० शुक्ल की अध्यक्षता में नियुक्त उपसमिति ने इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें कि खान मालिकों को खनिजों से लाभ उ, ाने के लिए क्या क्या प्रोत्साहन और कौन-कौन सी सुविधायें दी जायें, प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, ो किस प्रकार की सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कार ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) समिति से अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था। समिति ने बताया कि खान मालिकों, विद्यमान प्लान्ट आपरेटर्स खनन संथाओं आदि से प्रश्नावलियों के उत्तरों द्वारा तथा साक्ष्य लेकर विस्तृत जानकारी इकट्ठी करनी है और इसलिये उसने समय बढ़ाने की प्रार्थना की। समिति को ३० अप्रैल, १९५९ तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। चूंकि समिति का निर्देश एक ऐसे विषय के बारे में है जो खनिज उद्योग के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, समिति ने खनिज मंत्रणा बोर्ड को एक मूल्यवान रिपोर्ट दे सकने के लिये अपनी जांच में एक विस्तृत क्षेत्र शामिल करने के लिये कोई प्रयत्न बाकी नहीं रख छोड़े हैं।

## हिन्दी अध्यापन तथा पर्यवेक्षक

†२०९५. **श्री तंगामणि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने के लिये सम्पूर्ण भारत से अध्यापक और पर्यवेक्षक भर्ती किये जाते हैं ; और

(ख) इस समय कितने अध्यापक और पर्यवेक्षक हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख)

| | |
|---|---|
| पर्यवेक्षक . . | १ |
| सहायक पर्यवेक्षक | ८ |
| अध्यापक . . . . . | १६२ |

†मूल अंग्रेजी में

**रूरकेला क्षेत्र का यूनेस्को द्वारा अध्ययन**

†२०९६. **श्री कुम्भार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के परामर्शदाता ने पुनर्वास तथा भर्ती के मामलों का पूरा पूरा सर्वेक्षण करने, स्थानीय समस्याओं का अध्ययन करने तथा रूरकेला इस्पात संयंत्र परियोजना क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक व आर्थिक हालतों की जांच करने के लिये नवम्बर, १९५८ में रूरकेला इस्पात संयंत्र परियोजना देखी है ;

(ख) क्या वह अपने निर्णयों की एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । वह दक्षिणी एशिया में औद्योगीकरण के सामाजिक प्रभाव सम्बन्धी यूनेस्को गवेषणा केन्द्र, कलकत्ता को, जिसके अधीन वह भारत के इस्पात विषयक नगरों का प्रारम्भिक अध्ययन कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

(ग) जी नहीं ।

**असैनिक आयुध पदाधिकारी[1]**

†२०९७. **श्री गोरे :**
**श्री हेम बरुआ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी फिलहाल कुल कितने असैनिक आयुध पदाधिकारी हैं ;

(ख) उनमें से कितनों की साधे भर्ती की गयी थी; और

(ग) क्या यह सच है कि अधिकार असैनिक आयुध पदाधिकारी १९६४ तक सेवा निवृत्त होंगे और वर्ग ३ सेवा निवृत्ति वेतन लेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) ३४२ जिनमें पदावलि से बाहर काम करने वाले ८६ पदाधिकारी सम्मिलित हैं ।

(ख) २०४ जिनमें पदावलि से बाहर काम करने वाले ८२ पदाधिकारी सम्मिलित हैं ।

(ग) जी नहीं ।

**दिल्ली में ठगी के मामले**

†२०९८. **श्री वै० च० मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दिल्ली में और खास कर चांदनी चौक जैसे महत्वपूर्ण व्यापार-केन्द्र में ठगी के अनेक मामलों की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस विषय में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). सरकार को इस तरह की कुछ शिकायतें मिली हैं । आवश्यक कार्यवाही की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Civil Ordnance Officer

### विदेशी मुद्रा

†२०९९. { **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ सितम्बर, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५८ की अवधि के बीच सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के जरिये देश की विदेशी मुद्रा का किस प्रकार उपयोग किया गया है ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी संस्थाओं को उस अवधि में दस लाख या उससे अधिक रुपये की विदेशी मुद्रा का कोटा मिला है ; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी फर्मों ने सरकार के जरिये स्थगित भुगतान विशेषाधिकार से लाभ उठाया है ?

**†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) विदेशी मुद्रा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग ५८१ करोड़ रुपये के तथा सरकारी क्षेत्र में लगभग ४५७ करोड़ रुपये के आयात के लिये मुख्यत काम में लायी गयी थी ।

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और तैयार हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

### संगीत भारती

†२१००. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री जाधव :**

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगीत भारती नामक संस्था भारत सरकार के वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में उसकी सहायता से कार्य करती है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता दी जाती है ; और

(ग) उसके क्या कार्य हैं ?

**†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) और (ख). उस संस्था को कोई आवर्तक अनुदान नहीं दिया जाता । १९५२–५३ में १०,००० रुपये का अनुदान और भवन-निर्माण के लिये १९५६–५७ में ४०,००० रुपये का ऋण दिया गया था ।

(ग) यह संस्था भारतीय नृत्य और संगीत के विकास के लिये है ।

### ब्रिटिश काउंसिल छात्रवृत्तियां

†२१०१. { **श्री वासुदेवन् नायर :**
**श्री नागी रेड्डी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में कितने उम्मीदवारों ने ब्रिटिश काउन्सिल छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन किया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने और कौन कौन चुने गये ; और

(ग) जो छात्रवृत्तियां दी गयीं उनका विस्तृत विवरण क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सलग्न है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११२**]।

**यूथ होस्टल**

†२१०२. **श्री वासुदेवन् नायर :**
**श्री नागी रेड्डी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यूथ होस्टलों के निर्माण के लिये किसी राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कौन कौन से राज्य हैं और कितनी कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सरकारों को क्रमश: ४५,००० और १०,००० रुपये के अनुदान दिये गये हैं।

**जम्मू और काश्मीर राज्य में केन्द्रीय करों की वसूली**

†२१०३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ में भारत सरकार ने जम्मू और काश्मीर राज्य से कर और अन्य राजस्व के तौर पर कितनी धनराशि वसूल की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है :—

| | १९५६–५७ (लाख रुपये) | १९५७–५८ (लाख रुपये) |
|---|---|---|
| आय-कर . . | १७.८८ | २१.६० |
| केन्द्रीय उत्पादन शुल्क . | ७.२१ | ८.४० |
| धन-कर . . . | — | .०९ |
| सम्पदा शल्क . | — | .१३ |

**कामरूपी सत्रीय नृत्य और संगीत**

†२१०४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कामरूपी सत्रीय नृत्य और संगीत का अध्ययन करने तथा उसके बारे में प्रतिवेदन देने के लिये सगीत नाटक अकादमी ने कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## नैपाली सिक्कों का पकड़ा जाना

†२१०५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५३ में कानपुर पुलिस ने लगभग १३ मन नैपाली सिक्के पकड़े और वे अब भी उसके पास हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये सिक्के किनसे पकड़े गये ;

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या नैपाल सरकार ने उनके लिये दावा किया है और उनको उन्हें वापस करने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १९५१ में (१९५३ में नहीं ) कानपुर पुलिस ने नैपाल के १३ मन चांदी के सिक्के पकड़े थे और उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे सिक्के अब भी उनके पास हैं ।

(ख) और (ग). यह विषय उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है।

(घ) इन सिक्कों पर नैपाल के राणा लेफ्टिनेंट जनरल राणा शमशेर जंग बहादुर ने नैपाल सरकार के जरिये दावा किया था।

(ङ) नैपाल सरकार को यह सूचना दी गई है कि यह मामला कानपुर के सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है और लेफ्टिनेंट जनरल राणा शमशेर जंग बहादुर उस न्यायालय में अपना दावा करें ।

## हिमाचल प्रदेश में स्त्री शिक्षा

†२१०६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५०५ के उत्तर के संबंध में सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि हिमाचल प्रदेश में स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९५६-५७ के बाद से हिमाचल प्रदेश में स्त्री शिक्षा के विकास के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(१) लड़कियों के दो प्राथमिक और तीन लोअर मिडिल स्कूलों को मिडिल स्कूल बना दिया गया ।

(२) ४४१ नई शिक्षा संस्थायें स्थापित की गई जहां सहशिक्षा की सुविधायें प्रदान की गईं ।

(३) सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत समाज-शिक्षा के क्षेत्र में लगभग ५,५३० स्त्रियों को शिक्षित किया गया ।

(४) चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये जहां केवल स्त्रियों के लिये प्रशिक्षण का प्रबन्ध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाली छात्राओं के लिये २६ छात्रवृत्तियां और ५३ वृत्तियां स्वीकार की गईं ।

**हिमाचल प्रदेश में बन्दूक के लाइसेंस**

†२१०७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८-५६ में अब तक हिमाचल प्रदेश में बन्दूकों के कितने लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) उनमें से आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**पंजाब में इस्पात की पुनर्वेलन मिलें**

†२१०८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में किन-किन स्थानों में इस्पात की पुनर्वेलन मिलें स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) सरकार ने पंजाब में किसी भी नई पुनर्वेलन मिल को स्थापना के लिये स्वीकृति नहीं दी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**निवेली लिगनाइट परियोजना**

†२१०९. **श्री नंजप्प :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १३ अगस्त, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि क्या निवेली लिगनाइट परियोजना की थर्मल परियोजना और ब्रिकेटिंग और कार्बोनाइजिंग परियोजना अनुसूची के अनुसार चलाई जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** निवेली थर्मल पावर स्टेशन योजना के बारे में अब तक कितना काम किया जा चुका है, इसके लिये १५ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४७ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । जहां तक ब्रिकेटिंग और कार्बोनाइजिंग योजना का संबंध है, प्रविधिक सहयोग मंडल के अन्तर्गत प्राप्त अग्रिम संयंत्र के बारे में प्रयोग किये जा रहे हैं ।

**पुलिस वालों की विधवाओं को पेंशन**

†२११०. **श्री जीन चन्द्रन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह हिदायतें दी हैं कि पुलिस के उन सिपाहियों की विधवाओं को, जो काम करते हुए मर जायें, कम से कम २५ रुपये पेंशन दी जानी चाहिये, और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस विशिष्ट अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता देती है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) और (ख). जी नहीं। राज्य सरकारों से यह अवश्य कहा गया है कि वे उन पुलिस कर्मचारियों की विधवाओं को उपयुक्त पेंशन देने की वांछनीयता पर विचार करें जो काम करते हुए मार डाले जायें अथवा उनकी मृत्यु अपनी ड्यूटी करने के कारण हो।

**रिक्शाचालक औद्योगिक सहकारी संस्था, दिल्ली**

†२१११. **श्री जाधव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिक्शा चालक औद्योगिक सहकारी संस्था, दिल्ली कब स्थापित हुई थी;

(ख) उस की स्थापना के पश्चात् प्रतिवर्ष कितना सरकारी ऋण स्वीकृत किया गया;

(ग) इस संस्था के कितने सदस्य हैं और लाइसेंस प्राप्त रिक्शा चालकों तथा अन्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि ऐसी शिकायतें की जाती हैं कि इस संस्था का प्रबन्ध ठीक नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) इस संस्था का पंजीयन २२ जुलाई, १९५५ को हुआ था।

(ख) इसके पंजीयन के बाद से इस संस्था को कोई भी सरकारी ऋण नहीं दिया गया है और न ही संस्था ने कभी ऋण की मांग की। मशीनरी, औजार और उपकरण खरीदने के लिये ५० प्रतिशत अंशदान के आधार पर इस संस्था को ५०० रुपये की सहायता अवश्य दी गई थी। ऐसा मालूम हुआ है कि इस संस्था ने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से भी कुछ ऋण लिया है।

(ग) २५ नवम्बर, १९५८ को इस संस्था के ३८२ सदस्य थे। संस्था के उपनियमों के अनुसार रिक्शा न चलाने वाले ५ व्यक्ति इस के सदस्य हो सकते हैं। किन्तु वस्तुतः इस समय रिक्शा न चलाने वाले केवल दो ही व्यक्ति इस के सदस्य हैं।

(घ) और (ङ). संस्था से निकाले गये ७ सदस्यों ने कुछ शिकायतें की थीं। जब भी वे शिकायतें प्राप्त हुई तो उन की जांच की गई। जिस प्रकार की शिकायतें की गयी थीं, उनको देखते हुए उन आदमियों को यह सलाह दी गई कि वे अपने मामले मध्यस्थ निर्णय के लिये सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार के पास भेजें। प्रारम्भिक जांच के बाद, जो कि कुछ शिकायतों के संबंध में अब भी की जा रही है, यदि कुछ गंभीर प्रकार के दोष पाये जायेंगे तो बम्बई, सहकारी संस्था अधिनियम, १९२५ की धारा ४३ के अन्तर्गत, जैसी कि वह दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लागू है, स्थानीय प्रशासन द्वारा नियमित कार्यवाही की जायेगी।

**लोक-निर्माण कार्य विभाग, मनीपुर**

†२११२. **श्री लै० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के लोक-निर्माण विभाग का आधे से अधिक काम प्रादेशिक परिषद् को दे दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, परिषद् को जितना काम सौंपा गया है क्या उस के अनुपात में ही उन के पास कर्मचारी और सामान है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ?

**मनीपुर के लिये नियुक्ति मंडल**[1]

†२११३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को मिला कर एक नियुक्ति मंडल की स्थापना के लिये मनीपुर से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) स्थानीय समाचारपत्रों में निकलने वाले कुछ लेखों में नियुक्ति मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया है ।

(ख) प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के सभी पदों पर नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती हैं । तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में तदर्थ विभागीय भर्ती समितियां स्थापित की जा चुकी हैं ।

**मनीपुर प्रादेशिक परिषद्**

†२११४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के पशु चिकित्सा, पशुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग प्रादेशिक परिषद् को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं, और

(ख) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). पशु चिकित्सालय, पशुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को प्रादेशिक परिषद् को हस्तान्तरित करने के प्रश्न पर प्रशासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

**उड़ीसा में 'केअर प्रोग्राम'**

†२११५. **श्री बै० चं० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने 'केअर प्रोग्राम' के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य सरकार से योजनायें मांगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). मार्च, १९५६ में सभी राज्य सरकारों से जिस में उड़ीसा सरकार भी सम्मिलित है, इस सम्बन्ध में प्रार्थना की गई थी और मार्च, १९५७ में उन से 'केअर' कार्यक्रम से संबंधित योजनायें बनाने के लिये कहा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Appointment Board.

**असिस्टेंटों का स्थायी किया जाना**

†२११६. { **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री कुन्हन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय में कितने ऐसे असिस्टेंट हैं जो लगभग १० से १५ वर्ष पहले भर्ती किये गये थे, किन्तु अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे असिस्टेंटों की संख्या ८५० है ।

**अर्ध-स्थायी असिस्टेंट**

†२११७. { **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री कुन्हन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय में ऐसे कितने अस्थायी असिस्टेंट हैं जो अर्ध-स्थायी घोषित कर दिये गये हैं, किन्तु जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : लगभग ५५० ।

**महाकवि तुलसीदास का स्मारक**

२११८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस में हिन्दी के महाकवि तुलसीदास की स्मृति में एक स्मारक स्थापित करने के लिये जो योजना तैयार की गयी है, क्या उस स्मारक संस्था की ओर से वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता की मांग की गयी है, और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां। तुलसी स्मारक समिति ने राजापुर, अयोध्या, काशी और सोरों में कवि तुलसीदास का स्मारक बनाने की योजना सन् १९५५ में बनाई थी पर शुरूआत के लिए वित्तीय सहायता बांदा ज़िले के राजापुर में, स्मारक बनाने के लिये मांगी थी ।

(ख) सहायता देना सम्भव नहीं हो सका । समिति से कहा गया था कि जब प्रस्तावित योजना का कुछ भाग पूरा हो जाए तब वह फिर से दरख्वास्त दे ।

**इस्पात संयंत्रों की परियोजना रिपोर्टें**

†२११९. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्टों के लिये कितनी राशि दी गई ; और

(ख) इसमें विदेशी मुद्रा कितनी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). रूरकेला इस्पात संयंत्र की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करना परामर्शदाताओं के बहुत से कर्त्तव्यों में से एक था और इस लिये प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट के लिये उन्हें कुछ नहीं दिया गया।

भिलाई इस्पात संयंत्र के मामले में, प्रारम्भिक रिपोर्ट एक जांच की रिपोर्ट के रूप में थी, जो रूसी विशेषज्ञों के एक दल द्वारा उस बात-चीत से पहले तैयार की गई थी जिस के फलस्वरूप भारत सरकार और सोवियत रूस की सरकार के बीच एक सम्पूर्ण इस्पात संयंत्र स्थापित करने का करार हुआ। जैसा कि पहले कई बार बताया जा चुका है, की जाने वाली विविध सेवाओं के लिये जर्मन परामर्शदाताओं को २८५० लाख रुपये और सोवियत सरकार को २५०० लाख रुपये का शुल्क दिया जाना है।

## मध्य प्रदेश को शिक्षा के लिये अनुदान

२१२०. **श्री रा० च० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८-५६ में केन्द्र द्वारा शिक्षा की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के लिये मध्य प्रदेश सरकार को अब तक कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) १६५७-५८ में मध्य प्रदेश को शिक्षा के लिये जो अनुदान मंजूर किया गया था उसमें से कितना धन व्यय नहीं हो सका।

**शिक्षा मंत्री (डा० का० लां० श्रीमाली) :** (क) राज्य शिक्षा विकास योजनाओं (जिनमें तकनीकी शिक्षा शामिल है) को अमल में लाने के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में फिलहाल ७६ लाख रुपया नियत किया गया है। इस के अलावा बालिका शिक्षा और महिला अध्यापक प्रशिक्षण विस्तार की केन्द्र संचालित योजना के लिये ७.६८ लाख रुपया नियत किया गया है।

(ख) १६५७-५८ में सामान्य शिक्षा योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में ५५.७८ लाख रुपये की मंजूरी की गई थी। स्वीकृत राशि में से जितना खर्च किया गया है उसके वास्तविक आंकड़े राज्य सरकार ने अभी पेश नहीं किये हैं।

## टोंक में तांबे के निक्षेप

२१२१. **श्री पहाड़िया :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टोंक जिले के निवाई और राजमहल क्षेत्र में लाल पत्थर की जो खानें हैं उनमें तांबे के निक्षेप पाये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के सर्वेक्षण के बाद इसकी जांच कराने का कोई प्रस्ताव है ?

**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां। टोंक जिले में बालू पत्थर की खदानों का पता चला है। निम्बाहेरा प्रदेश में डूंगला के समीप तांबे के निशान देखे गये हैं। पुरानी खोदी हुई खोहों की जांच से निर्णय किया गया है कि निक्षेप चौड़ाई में कुछ ही फुट से ज्यादा नहीं है और यह बिल्कुल लाभप्रद भी नहीं है।

(ख) अभी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## पैट्रोलियम गोष्ठी

†२१२२. **श्री हेम राज :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया और सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग (ईकेफे) के क्षेत्र के कौन-कौन से देश दिल्ली में होने वाली पैट्रोलियम गोष्ठी में भाग ले रहे हैं ;

(ख) इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस में किन विषयों पर विचार किया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) ईकेफे पैट्रोलियम गोष्ठी में भाग लेने वाले देश ये हैं :

(१) अफगानिस्तान
(२) आस्ट्रेलिया
(३) ब्रिटिश बोर्नियो और सिंगापुर (सहायक सदस्य)
(४) बर्मा
(५) चीन (गणराज्य)
(६) फ्रांस
(७) भारत
(८) इंडोनेशिया
(९) जापान
(१०) लाओस
(११) नीदरलैण्ड
(१२) पाकिस्तान
(१३) फिलीपीन
(१४) थाइलैण्ड
(१५) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ
(१६) ग्रेट ब्रिटेन का संयुक्त राज्य और उत्तरी आयरलण्ड
(१७) संयुक्त राज्य अमेरिका
(१८) संघात्मक जर्मन गणराज्य ।

(ख) भारत सरकार द्वारा २५,००० रुपये व्यय किये जाने का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) विषय ये हैं :

(१) ईकेफे प्रदेश का पैट्रोलियम उद्योग ।
(२) पैट्रोलियम निक्षेपों की भूगर्भविद्या विशेष रूप से ईकेफे क्षेत्र में ।
(३) ईकेफे क्षेत्र में पैट्रोलियम की सम्भाव्यतायें और विकास की सम्भावनायें ।
(४) खोज के लिये सर्वेक्षण के तरीके विशेष रूप से ईकेफे क्षेत्र में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) ईकेफे क्षेत्र में पैट्रोलियम की खोज की स्थिति ।

(६) पैट्रोलियम विकास कार्यक्रम विशेष रूप से ईकेफे क्षेत्र में ।

(७) पैट्रोलियम की खोज और विकास में सुरक्षा ।

(८) ईकेफे क्षेत्र में पैट्रोलियम के संसाधनों के विकास के लिये टेक्निकल जनशक्ति, उपकरण और प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें ।

**हिन्दी सीखने में सहायता के लिये चार्ट**

†२१२३. **श्री हेम राज :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने हिन्दी सीखने में सुविधा के लिये प्रादेशिक-व-देवनागरी लिपियों में कोई चार्ट तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां तक सफल सिद्ध हुए हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) चार्ट पूरे तैयार नहीं हुए हैं यद्यपि ये तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**सरकारी पदाधिकारियों द्वारा सांस्कृतिक संगठनों से लिया जाने वाला मानदेय**

†२१२४. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालयों के पदाधिकारी सरकारी सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों से भारी मानदेय ले रहे हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार का मानदेय लेने के लिये सरकार से पूर्व अनुमति ले ली गई थी :

(ग) क्या अनुमति दे दी गई थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) नहीं जी ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

**कृषि आय-कर न्यायाधिकरण, त्रिपुरा**

†२१२५. **श्री हाल्दर :**
**श्री दशरथ देब :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कोई कृषि आय-कर न्यायाधिकरण है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस न्यायाधिकरण के सदस्यों को कोई पारिश्रमिक दिया जाता है ; और

(ग) क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद के सदस्य भी इस न्यायाधिकरण के सदस्य बन सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक वकील सदस्य और अकाउन्टेन्ट सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिये ५० रुपये दिये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

## त्रिपुरा में भूमि का अधिग्रहण

†२१२६. {**श्री हाल्दर :**
**श्री दशरथ देब :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ और १९५८-५९ के बीच अब तक त्रिपुरा में सरकारी कामों के लिये कुल कितने एकड़ भूमि ली गई ;

(ख) इस प्रकार ली गई कुल कितने एकड़ भूमि का मुआवजा देना शेष है ; और

(ग) मुआवजा देने में देर के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) अप्रैल, १९५४ और नवम्बर, १९५८ के बीच सरकारी कामों के लिये १०,३७८·५९ एकड़ भूमि ली गई थी ।

(ख) ३,७५५·१५ एकड़ ।

(ग) देर के दो मुख्य कारण ये हैं :

(१) इस भूमि के स्वत्व और स्वामित्व सम्बन्धी झगड़े अभी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन हैं ; और

(२) अभारतीय राष्ट्रजनों को मुआवजा देने का प्रश्न अभी तक तय नहीं हुआ है ।

## त्रिपुरा में निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

†२१२७. {**श्री हाल्दर :**
**श्री दशरथ देब :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सीमा-शुल्क विभाग, त्रिपुरा द्वारा १९५५-५६ से १९५८-५९ में अब तक कुल कितने मूल्य की सूखी मछली, बीड़ी और सूत निषिद्ध वस्तुओं के रूप में पकड़ा गया ;

(ख) अब भी कितने मूल्य की ऐसी वस्तुयें सीमा-शुल्क विभाग के पास पड़ी हैं ;

(ग) जिन व्यक्तियों से ऐसी वस्तुयें पकड़ी गई थीं उन के विरुद्ध कितने मुकदमे चलाये गये ; और

(घ) कितने मुकदमों का फैसला विभाग के पक्ष में हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

**त्रिपुरा में सोने और चांदी का पकड़ा जाना**

†२११८. { **श्री हाल्दर :**
**श्री दशरथ देब ।**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सीमा-शुल्क विभाग ने १९५६-५७ से १९५८-५९ में अब तक त्रिपुरा में कुल कितने का चोरी से लाया हुआ सोना और चांदी पकड़ा ;

(ख) कुल कितने का पकड़ा हुआ सोना अब भी उन के पास है ;

(ग) जिन व्यक्तियों से इस प्रकार का सोना पकड़ा गया था उन के विरुद्ध कितने मुकदमे चलाये गये ; और

(घ) कितने मुकदमों का फैसला विभाग के पक्ष में हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) स्थल सीमा-शुल्क विभाग द्वारा १९५६-५७ से १९५८-५९ (नवम्बर, १९५८ तक) में त्रिपुरा में पकड़े गये चोरी से लाये गये सोने और चांदी का कुल मूल्य ७२,२६२ रुपये है ।

(ख) ४१,३६९ रुपये का पकड़ा हुआ सोना अब भी उन के पास है ।

(ग) और (घ). केवल एक ऐसा मुकदमा विधि न्यायालय में चलाया गया था जो अभी विचाराधीन है । विभाग ने ६ मामलों में मध्यस्थ-निर्णय करवाया था जिन में से चार का फैसला उस के पक्ष में हुआ है ।

**केन्द्रीय सरकार के अफसरों की अचल सम्पत्ति का ब्यौरा**

†२१२९. **श्री आचार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९५५ के पश्चात् सरकार द्वारा केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचरण) नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अफसरों के अचल सम्पत्ति के कितने ब्यौरों की जांच की गई

(ख) कितने ब्यौरे झूठ या गलत पाये गये ; और

(ग) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) १३७ ।

(ख) और (ग). अधिकांश ब्यौरों में गलत या अधूरी जानकारी दी गई थी । १०६ मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ; ५ मामलों में जांच पूरी तौर से नहीं की गई क्योंकि उन में किसी बुरे आशय का आभास नहीं मिला और २६ मामलों में जांच की जा रही है ।

**दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये क्रेन**

†२१३०. **श्री आचार :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता पर सीमा-शुल्क की प्रक्रिया के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये निर्माण सामग्री के रुके रहने के बारे में 'मैनचेस्टर गार्डियन' में व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यान दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस कारण से काम की प्रगति में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है ; और

(ग) क्या यह सच है कि एक बड़ा क्रेन, जोकि इंगलैण्ड से ो महीने पू भेज दिया गया था, जहाज से उतरने के लिये रुका पड़ा है और वह केवल प्रवि क कारणों से ी नहीं छोड़ा जा रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) कभी-कभी कुछ विलम्ब अवश्य आ है किन्तु कलकत्ता में सीमा-शुल्क की प्रक्रिया के कारण काम की प्रगति पर बहुत बड़ा असर कभी भी नहीं पड़ा है और न उस में बाधा उत्पन्न हुई है ।

(ग) यह सच नहीं है कि एक बड़ा क्रेन जहाज से उतरने के लिये पड़ा हुआ है यद्यपि उसे इंगलैण्ड से दो महीने पहले भेज दिया गया था । वस्तुतः क्रेन जहाज से आया था और निश्चित स्थान को भेज दिया गया था किन्तु कुछ अतिरिक्त पुर्जे बाद को ठेकेदार द्वारा इंगलैण्ड से विमान द्वारा भेजे गये किन्तु आयात लाइसेंस के न होने पर उन्हें रोक लिया गया । तथापि, परियोजना अधिकारियों ने सीमा-शुल्क पदाधिकारियों से इस विषय में बातचीत की और सीमा-शुल्क विभाग ने उन पुर्जों को छोड़ दिया ।

## रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२१३१. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जैसे मुख्य केन्द्रों में रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवा दिये हैं ;

(ख) इस काम के लिये मद्रास में कितने मकान बनवा दिये ग हैं ;

(ग) क्या मद्रास में सारे मकान घिर ग थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारत के रिज़र्व बैंक ने बम्बई, नागपुर और मद्रास में अपने कर्म वारियों के लिये क्वार्टर बनाये हैं । दिल्ली में रिज़र्व ैंक के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाये गये हैं किन्तु रक्षित बैंक ने उन का भुगतान किया है ।

(ख) रिज़र्व बैंक ने मद्रास में २२२ क्वार्टर बनाये हैं ।

(ग) और (घ). जी नहीं । ऊपर की मंजिलों में पानी की कमी के कारण लगभग क्वार्टर अभी नहीं घिरे हैं किन्तु पानी के उपयुक्त संभरण के लिये व्यवस्था की जा रही है ।

## मेसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी और मेसर्स कौशल कन्सट्रक्शन कम्पनी को ठेके

†२१३१-क. **श्री नाथ पाई** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह तय हो गया है कि मेसर्स हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी और मेसर्स कौशल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को जो अतिरिक्त काम दिया जायेगा उस के लिये उन्हें ऊंची दरों से भुगतान किया जायेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) ऊंची दरों के कारण उन्हें कितनी अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी ; और

(घ) उन को किस प्रकार का अतिरिक्त कां दिया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**:(क) से (घ). सारी स्थिति स्पष्ट करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११४]**.

**नाजायज बच्चों के लिये केन्द्र**

**२१३१-ख. श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाजायज बच्चों के संरक्षण के लिये सरकार द्वारा भारत में कहीं कोई केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों में खोले गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ऐसे से बच्चों के प्रतिवर्ष जन्म और मरण के कोई आंकड़े एकत्रित किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो पि ले पांच वर्षों के आंकड़े क्या ? और

(ङ) क्या सरकार ऐसी सामाजिक संस्थाओं को कोई आर्थिक सहायता देती है जो ऐसे बच्चों का संरक्षण करती हैं और पिछले पांच वर्षों में ऐसी सहायता किन-किन संस्थाओं को दी गई ?

**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क), (ख) और (ङ). आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**रोहतांग दर्रे पर रस्सी का पुल**

†**२१३१-ग. श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने कुलू घाटी और लाहौल घाटी को जोड़ने के लिये रोहतांग दर्रे पर रस्सी का एक पुल बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण के बतौर सहायता अथवा किसी अनुदान के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**हिन्दी**

**२१३१-घ. श्री भक्त दर्शन :**
**श्री जगदीश अवस्थी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री श्री नित्यानन्द कानूनगो ने ६ दिसम्बर, १९५८ को इलाहबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के समक्ष भाषण देते हुए ये शब्द कहे

†मूल अंग्रेजी में

थे—"मेरी हिन्दी की परिभाषा यह है कि कोई भी भारतीय भाषा जो गलत बोली जाये हिन्दी है"; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन अर्थों में उन शब्दों का प्रयोग किया था ?

**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) और (ख). वाणिज्य मंत्री ने हिन्दी की कोई परिभाषा नहीं दी थी बल्कि उन्होंने देश में एक भावना की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि इसके लिये एक समान भाषा की जरूरत है और वह केवल हिन्दी ही हो सकती है। देश में एक भावना को पैदा करने के लिये सबों के अन्दर दूसरों की गलतियां बर्दाश्त करने के माद्दे पर जोर देते हुये उन्होंने यूंही मजाकिया तौर पर कहा था कि कुछ लोग यह समझते हैं कि अगर वे अपनी भाषा गलत बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वे हिन्दी बोल रहे हों।

---

## स्थगन प्रस्ताव के बारे में

### संसद् भवन के बाहर प्रदर्शन

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर—मध्य) : श्रीमान्, हम लोगों ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और आपने उसका उत्तर दिया है। आप के उस उत्तर के सम्बन्ध में मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं। संसद्-भवन के बाहर महाराष्ट्र के जो दर्शनकारी आये हैं वे संसद् के किसी अधिनियम को भंग करने नहीं आये हैं वे तो संसद् के सामने यह मांग रखने आये हैं कि संसद् अपने अधिनियम में परिवर्तन करे।

एक बात और है। मैसूर तथा महाराष्ट्र का सीमा विवाद भी है। क्षेत्रीय परिषद् अभी इस विवाद को निबटा नहीं पाई है। ऐसी अवस्था में सरकार को मध्यस्थ निर्णय का सिद्धान्त मानना चाहिये था पर खेद है कि इस मामले में सरकार इस सिद्धान्त को भी स्वीकार नहीं कर रही है। सीमा विवादों की बात एक नयी बात है। अतः मेरा निवेदन है कि आप इस प्रस्ताव की अनुमति दे दें और माननीय गृह-कार्य मंत्री मध्यस्थ निर्णय के प्रश्न पर कुछ काश डालें।

†**श्री नाथ पाई :** (राजापुर) : मेरा निवेदन है कि प्रदर्शनकारियों में बम्बई और पूना के मेयर तथा बम्बई के लगभग १०० एम० एल० ए० तथा बम्बई के मुख्य-मुख्य नगरों के नगरपिता आये हैं। अतः हमें उनकी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये वे लोग संसद् देखने नहीं आये हैं बल्कि संसद् से न्याय मांगने आये हैं। अभी हमारे प्रधान मंत्री ने भी अहमदाबाद में कहा था कि यदि जनता किसी बात को नापसंद करे तो उसे चाहिये कि वह संसद् के सामने अपील करे। अतः ये लोग अपील करने ही आये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं पूछता हूं कि इस मामले में स्थगन प्रस्ताव कैसे स्वीकार किया जा सकता है। यह बात दूसरी है कि यह मामला विचारनीय है या नहीं। मैं चर्चा को रोकना नहीं चाहता बल्कि जब मैं आवश्यक समझता हूं तब चर्चा की अनुमति भी देता हूं।

स्थगन प्रस्ताव सरकार की किसी असफलता या अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय के सम्बन्ध में होना चाहिये। इस मामले में पृथक महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की मांग है और यह काफी अर्से से चल रही है। इस मामले में कोई अविलम्बनीयता की बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

जहां तक इस सत्याग्रह का प्रश्न है क्या मैं सत्याग्रहियों को सभा के भीतर आ जाने दूं। संसद् के अधिनियम में परिवर्तन कराने के और भी बहुत से तरीके हैं। पहले बेलगांव के प्रश्न पर भी सत्याग्रह हुआ था। मेरा कहना है कि अधिनियम परिवर्तन कराने का मार्ग सत्याग्रह नहीं है। संस् द्वारा पारित अधिनियम का हमें सम्मान करना चाहिये। आप सरकार से क्या यह आशा करते हैं कि वह संसद् द्वारा पारित अधिनियम को कार्यान्वित न करे? जब संसद् ने अधिनियम बना दिया है तो उसके खिलाफ कैसे जाया जा सकता है। इस अधिनियम में संशो न करने के अन्य कई त ीके हैं; स्थगन प्रस्ताव इसका कोई इलाज नहीं है।

मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : आप हम लोगों की बातें सुने बिना ही अपना निर्णय दे रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह आज या कल हुई किसी घटना का मामला नहीं है। यह मामला काफी अर्से से चला आ रहा है। अतः अविलम्बनीयता का कोई प्रश्न नहीं है। साथ ही संसद् के किसी अधिनियम को बदलने के लिये स्थगन प्रस्ताव कोई समुचित उपाय नहीं है।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : सीमा विवाद का मामला अभी चल ही रहा है और क्षेत्रीय परिषद् में इस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री नाथ पाई** : क्षेत्रीय परिषद् के सभापति हमारे गृह-का मंत्री हैं। सलिये इस सभा का भी इससे सम्बन्ध है। क्षेत्रीय परिषद् अभी तक इस मामले को निबटा नहीं पाई है। आज बाहर जो प्रदर्शनकारी आ हैं उन्हें विश्वास है कि संसद् उनके साथ न्याय करेगी। इसी विश्वास को लेकर वे यहां आये हैं। आपको ऐसी शान्तिप्रिय भावना को प्रोत्साहन देना चाहिये। मैं नहीं समझता कि गृह-कार्य मंत्री प्रदर्शनकारियों से क्यों जाकर नहीं मिलते और उन्हें क्यों नहीं बताते कि इतना काम हो गया है और यह किया जायेगा। बार-बार हम से कहा जाता है कि इस मामले में संसद् से अपील करो और जब लोग अपील करने आये हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था सीमा विवाद के समायोजन का काम गृह-कार्य मंत्री को सौंपा गया था। उन्होंने सभा को आश्वासन दिया था कि यह बातें शान्तिपूर्वक तय कर दी जायेंगी। पर आज तक भी यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया। क्यों? ये प्रदर्शनकारी इस संसद् के सामने अपील करने आते हैं मैं पूछता हूं कि एक बार दिये गये आश्वासन को क्यों पूरा नहीं किया गया? क्या यह माननीय मंत्री का उत्तर-दायित्व नहीं है?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय सदस्यों की बातें सुन ली हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे मामले के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव लाना कहां तक उचित है? सीमा विवाद के सम्बन्ध में एक आश्वासन दिया गया है। चर्चा उठा कर या संकल्प प्रस्तुत करके इस मामले पर वाद विवाद किया जा सकता है या अधिनियम का संशोधन करने के लिये विधेयक लाया जा सकता है। मैं स्थगन प्रस्ताव वाले उपाय को ठीक नहीं समझता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं नही समझता कि इस मामले के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। चाहे सीमा क्षेत्रों का मामला हो या किन्हीं बड़े क्षेत्रों का, वे सभी उन राज्यों के अंग हैं जिन्हें इस संसद् ने बनाया है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी भी राज्य के किसी गांव को दूसरे राज्य में सम्मिलित करे। केवल संसद् ही यह कार्य कर सकती है।

जहां तक क्षेत्रीय परिषदों का सवाल है इन परिषदों के कृत्यों तथा उनके कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में लोगों को कुछ गलतफहमी है। क्षेत्रीय परिषदों को अपना निर्णय किसी राज्य पर लादने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय परिषदें सामान्य हितों के मामले पर चर्चा कर सकती हैं पर केवल वही निर्णय मान्य होंगे जो दोनों पक्षों को स्वीकार होंगे। यदि कोई पक्ष किसी बात से सहमत न हो तो क्षेत्रीय परिषद को अपना निर्णय उस पर लादने का कोई अधिकार नहीं है।

सीमा विवादों को निबटाने के लिये मैं यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे प्रयत्नों का अभी तक कोई फल नहीं निकला है। फिर भी मैं प्रयत्न कर रहा हूं। मैं इस बात से हतोत्साहित नही हुआ हूं कि लोग अच्छे कार्यों का, चाहे उन्हें मैं करूं या कोई और, मूल्य नहीं समझते। इस संसार में हर एक को सही मार्ग पर चलना चाहिये अन्य लोग चाहे कुछ भी कहते रहें। अतः मैं समझता हूं कि शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है।

संसद् ने अधिनियम पारित किया था। अतः यदि दोनों राज्यों के सीमा क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना होगा तो उसे संसद् ही कर सकेगी। इस मामले को सुलझाने में मैंने कुछ यत्न किये हैं, जो उन लोगों को पता है जो इस मामले में रुचि लेते रहे हैं। यही नहीं, सीमा विवादों के सम्बन्ध में जब भी कभी मेरे सामने कोई शिकायत आई है हमने उसे हल करने का भरसक प्रयत्न किया है। यह सब निर्णय तो आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर किये गये थे। जहां तक द्विभाषी बम्बई का सम्बन्ध है, संसद् का यही मत था कि यह निर्णय ठीक है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : कांग्रेस दल के सदस्य भी इस निर्णय के विरुद्ध थे।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यदि प्रदर्शन ही इस समस्या का हल हो, तो मेरा इस बात से मतभेद है। यदि इस प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप हम कुछ करें, तो हो सकता है कि उस काम से असंतुष्ट लोग एक और बड़ा प्रदर्शन करें। हो सकता है उसके बाद एक तीसरा प्रदर्शन हो। तो इस प्रकार प्रदर्शन ही होते जायेंगे। जो लोग यहां आये हैं, उनके साथ मुझे सहानुभूति है। संसद् के निर्णय के विरुद्ध सत्याग्रह करना लोकतंत्र के बुनियादी आधारों के विरुद्ध है।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : यह संसद् भी सत्याग्रहों के बल पर ही बनी है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : क्रान्ति के समय सत्याग्रह हुए थे। पर अब जब देश स्वतंत्र हो गया है, यदि सत्याग्रह होते रहेंगे तो कोई भी सरकार न प्रगति कर सकती है और न उसमें शन्ति रह सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैंने स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी है। मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में स्थगन प्रस्ताव लाना समुचित नहीं है। यदि इस विषय को अन्य किसी रूप में प्रस्तुत किया जायेगा तो निश्चय ही मैं उस पर विचार करूंगा।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : चूंकि बाहर से आये २,००० व्यक्ति यहां आकर संसद्-सदस्यों में नहीं मिल सकते, अतः मैं सभी संसद्-सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे बाहर चलकर उनसे मिलें।

**(श्री श्री० अ० डांगे तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से बाहर चले गये)**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): मेरा निवेदन है कि सभा की बैठक कुछ मिनट के लिए स्थगित कर दी जाये ताकि हम लोग उनसे जाकर मिल सकें। मैं माननीय मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वे भी उन लोगों से मिलें।

†**अध्यक्ष महोदय:** मैंने स्थगन प्रस्ताव पर अपना निर्णय दे दिया है। माननीय सदस्यों को बाहर जाने से मैं रोक नहीं सकता। पर सभा को स्थगित करना एक गलत परिपाटी का सूत्रपात करना होगा।

**(कुछ और सदस्य सभा से बाहर चले गये)**

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

### आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह):** मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के आगे दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :-

(१) विवरण संख्या १, छठा सत्र १९५८ **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११५]**।

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ४, पांचवां सत्र १९५८ **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११६]**।

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १३, चौथा सत्र, १९५८ **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११७]**।

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १५, तीसरा सत्र, १९५७ **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११८]**।

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १९, दूसरा सत्र १९५७ **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११९]**।

### उन्मुक्तियों की घोषणायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** मैं विदेशियों का पंजीयन अधिनियम १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत उन्मुक्तियों की निम्नलिखित घोषणाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) संख्या १/३४/५८/एफ० १, दिनांक ४, सितम्बर, १९५८ . (१ घोषणा)

(२) संख्या १/३८/५८/एफ० १, दिनांक १०, सितम्बर, १९५८ . (२ घोषणायें)

(३) संख्या १/४१/५८/एफ० १, दिनांक ६ नवम्बर, १९५८ . . (१ घोषणा)

(४) संख्या १/४२/५८/एफ० १, दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ . (१ घोषणा)

(५) संख्या २३/२६/५८/एफ० १, दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ . (३ घोषणायें)

(६) संख्या २३/२८/५८/एफ० १, दिनांक २१ नवम्बर, १९५८ . (३ घोषणायें)

**[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०-११३८/५८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

### केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०–११५६–५८]**

---

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

### तीसवीं से चौंतीसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश

†**सरदार हुकम सिंह** (भटिण्डा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठे सत्र में हुई बैठकों (तीसवीं से चौंतीसवीं) के कार्यवाही- सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

---

## याचिका समिति

### तेईसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** (सागर): मैं याचिका समिति की छठे सत्र में हुई तेईसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

---

## सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

### ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी बैठक का ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

## तारांकित प्रश्न संख्या १४०३ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब०रा० भगत)**: भारत बीमा कम्पनी तथा ज्युपिटर जनरल बीमा कम्पनी द्वारा जीवन बीमा निगम को 'नियंत्रित' व्यापार के हस्तान्तरण सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या १४०३ पर श्री तंगामणि द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न का मैंने २ अप्रैल, १९५८ को जो उत्तर दिया था उसमें एक गलती थी और मैं उसे सही करना चाहता हूं । तंगमणि के प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० र० भगत]

बताया था :

"नियंत्रक किस लिए ? हम पहले ही एक प्रशासक नियुक्त कर चुके हैं जो दोनों समवायों का कार्य कर रहा है । जहां तक जीवन बीमा का सम्बन्ध है, जीवन बीमा निगम को एकाधिकार प्राप्त है; अतः वह व्यापार समाप्त हो गया है । जहां तक सामान्य व्यापार का सम्बन्ध है, चूंकि दोनों समवाय सामासिक समवाय है अतः वे बड़ा अच्छा व्यापार कर रहे हैं । व्यापार में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ।"

सही स्थिति इस प्रकार है :—

भारत और ज्युपिटर दोनों समवाय जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २(२) की शर्तों के अनुसार सामासिक समवाय हैं । इन बीमा समवायों का 'नियंत्रित व्यापार' अर्थात् जीवन बीमा व्यापार, उपरोक्त अधिनियम की धारा ४४ (ग) के अनुसरण में जीवन बीमा निगम को प्राप्त नहीं है ।

जहां तक जीवन बीमा व्यापार का सम्बन्ध है, इन दोनों बीमा समवायों ने जीवन बीमा निगम की स्थापना के बाद नया बीमा व्यापार करना समाप्त कर दिया । जहां तक सामान्य बीमा व्यापार का सम्बन्ध है भारत बीमा समवाय ने इस प्रकार का व्यापार करने के लिये अपना पंजीयन १९५५ तक प्रतिवर्ष नया कराता गया यद्यपि इस समवाय ने नया बीमा व्यापार करना बहुत पहले ही बन्द कर दिया था । १९५६ में इस समवाय ने पंजीयन नया कराने के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया अतः बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा ३(४)(च) के अन्तर्गत उसका पंजीयन जून १९५६ से रद्द कर दिया गया । अतः यह समवाय बीमा का नया व्यापार नहीं कर रही है ।

चूंकि 'भारत' समवाय का सामान्य व्यापार सम्बन्धी पंजीयन, भारत केवल ऐसा ही व्यापार करता था, १९ जून, १९५६ को ६ महीने से अधिक समय से रद्द नहीं था जैसा कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, की धारा २(३) (एक) (ग) के अधीन अपेक्षित था अतः उपरोक्त अधिनियम की धारा २(२) के अधीन 'भारत' समवाय एक सामासिक बीमा समवाय था ।

'ज्युपिटर जनरल बीमा कम्पनी' सामान्य बीमा समवाय के रूप में बना रहा और उसका व्यापार दिन पर दिन वृद्धि कर रहा है ।

---

## शस्त्र विधेयक*

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि शस्त्र तथा गोला-बारूद सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

"कि शस्त्र तथा गोला-बारूद सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक १८-१२-५८ में प्रकाशित ।

†मूल अंग्रेजी में

# भारतीय प्रशुल्क (संशोधन विधेयक)

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री मनुभाई शाह द्वारा १७ दिसम्बर, १९५८ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मैं कल बता रहा था कि हमारी प्रशुल्क नीति के कारण देश में कुछ क्षेत्रों में कैसे कुछ एक व्यक्तियों ने एकाधिकार जमा रखा है । यहां तक कि संरक्षित उद्योगों के क्षेत्र में भी हमारी नीति बड़ी दोषपूर्ण है । केरल में त्रावनकोर एलक्ट्रो-केमीकल्स इंडस्ट्रीज ने, जोकि केलशियम कारबाईड की निर्माता है कितने दिनों तक मशीनरी व संयंत्र मंगाने के लिये लाइसेंस लेने के लिये कोई आवेदन पत्र नहीं दिया, तब भी केरल सरकार उस उद्योग को वित्तीय सहायता देने को तैयार है । इसी प्रकार प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन में "कन्ट्रोलर आफ केपिटल इशूस" के उस केमिकल उद्योग को लिखे गये एक पत्र का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उनको इस उद्योग के लिये १५ लाख रुपये स्वीकार हुए हैं और यदि आपका कारखाना सरकार द्वारा विहित शर्तों का पालन करने को तैयार हो तो वह उसको सहायता दे सकते हैं । उन्हें इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि इस उद्योग ने लाइसेंस नहीं रिन्यू करवाया है । मेरी समझ में नहीं आता कि जो फर्म रुपये की कमी के कारण अपना लाइसेंस नहीं ले सकती उसको और वित्तीय सहायता देने का क्या लाभ है ।

मेरा निवेदन है कि कन्ट्रोलर आफ केपीटल इशूस तथा सरकार के अन्य अधिकारियों को सरकारी नीति को भली भाँति समझना चाहिये । और "संरक्षित उद्योगों" के साथ सोच समझ कर पत्र व्यवहार करना चाहिये । विभिन्न सरकारी विभागों में पूर्ण समन्वय होना चाहिये और उन्हें पता होना चाहिये कि सरकार का दूसरा विभाग इस उद्योग के लिये क्या क्या कर रहा है तथा उसकी क्या शर्तें हैं ।

इसके बाद उद्योगों को संरक्षण देते समय हमें उनके उत्पादकों का पूरा पूरा उपयोग उठाने का भी कार्यक्रम साथ ही बनाना चाहिय । केलसियम कारबाइड उद्योग में 'एसटलीन' एक बहुमूल्य उप-उत्पाद है किन्तु उसके प्रयोग की सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है । इसका पूरा व्यापार आज भी एक अंग्रेजी कंपनी, इंडियन ऑक्सीजन व एसटलीन कंपनी, के एकाधिकार में है ।

मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सभा पटल पर एक विवरण रखें कि कितने उद्योगों को 'संरक्षित उद्योग' घोषित किया गया है तथा उनकी क्या स्थिति व दशा है । उनमें से कितने उद्योग टाटा, बिड़ला व डालमिया-जैन ग्रुप के उद्योग हैं । हम यह भी जानना चाहते हैं कि देश के कितने नये उद्योगों को संरक्षण दिया गया है तथा कितने पुराने उद्योगों को ।

सरकार ने इलेकट्रिक मोटर उद्योग को संरक्षण दिया था । उसके लिये उन्हें इस्पात की चद्दरों की आवश्यकता थी । उसके लिये सरकार ने टाटा के एक अन्य संरक्षित उद्योग को यह लिखा कि वह इलेकट्रिक मोटर के लिये इस्पात की चद्दरों का कम से कम मूल्य लगाये । परन्तु टाटा ने सरकार के इस अनुदेश की रत्ती भर भी परवाह नहीं की । फिर भी हम टाटा के उद्योगों को संरक्षण देते जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

अब मैं प्रशुल्क आयोग के बारे में एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। हमें यह देखना चाहिये कि क्या वर्तमान प्रशुल्क आयोग देश के बढ़ते हुए आयोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा ? हमें इसके लिये योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति प्राप्त करने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिये और समय-समय पर इसके सदस्यों में परिवर्तन करते रहना चाहिये। इसके लिये हमें वही तरीका अपनाना चाहिये जैसे कि हमने परिसीमा आयोग में अपनाया है। इसे कुछ 'एसोसिएट सदस्य' रखने चाहिये जो अपने अपने उद्योगों के विशेषज्ञ हों। इसके अलावा हमें यह भी नहीं मालूम कि इस आयोग के सदस्यों का क्या स्टेटस है तथा इनकी कैसे नियुक्ति की जाती है। आशा है माननीय मंत्री इस पहलू पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : इस बात पर कुछ कहने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री वें० प० नायर ने सदस्यों के बारे में जो बातें कहीं हैं वे पूर्णतया उचित नहीं हैं। यह ठीक है कि इस समय प्रशुल्क आयोग निष्पक्ष निकाय नहीं कहा जा सकता।

पहले तो संरक्षण इस कारण दिया जाता था कि आद्योग पनप रहे थे किन्तु अब वह स्थिति बदल चुकी है। अब इस विदेशी विनियम के अभाव के कारण आयात कम कर रहे हैं अतः हमें अब यह देखना है कि क्या हमारे उद्योगों को विदेशी माल से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है अथवा नहीं। आयात की कमी के कारण संरक्षण दोहरा हो गया है।

सब से दुखद बात तो यह है कि कतिपय उद्योगों में वस्तु निर्माण की लागत बढ़ती ही जा रही है जब कि अन्य देशों में लागत कम हुई है। चीन तथा इंगलैण्ड में कास्टिक सोडा की लागत कम हुई है किन्तु हमारे यहां नहीं। यद्यपि इस वर्ष हमारे यहां भी थोड़ी कमी हुई है किन्तु अन्य देशों की लागत की कमी से तुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि यहां की कमी नगन्य है। इस कारण हमारे निर्माताओं को भी चाहिये कि उतनी ही लागत पर चीजें तैयार करने का प्रयास करें जितनी पर विदेशों में चीजें बन जाती हैं। हमारी वृद्धिशील लागत का हमें परीक्षण करना चाहिये। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक लागत कम नहीं हो जाती तब तक मूल्य भी ठीक न होंगे और हम प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे।

इसके बाद दूसरी बात है मूल्यों का स्थायित्व। इसके लिये दो तीन बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। एक तो रेल का भाड़ा कम होना चाहिये। हम तभी विदेशों से प्रतियोगिता कर सकते हैं। अन्य देश इस प्रकार की रियायतें देते हैं। किन्तु सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

दूसरी कठिनाई है विद्युत् शक्ति की। अभी तक हमारे यहां कच्चे माल तथा विद्युत् के उपर अधिक जोर नहीं दिया गया है। हमें इस सम्बन्ध में पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि यह देखे कि इस का विकास किस रीति से होगा। इस प्रकार से कोयला के अभाव की भी समस्या हमारे सामने है। हमें सुव्यवस्थित योजना बनानी चाहिये।

इस के अतिरिक्त प्रशुल्क आयोग को चाहिये कि वह प्रत्येक उद्योग के बारे में यह भी बताया करे कि गत प्रतिवेदन के पश्चात् से इस उद्योग ने लागत में कितनी कमी की है तथा प्रतियोगिता करने के लिये कितनी क्षमता बढ़ाई है। आप चीन की वस्तुओं की कीमत को ही देखें कितनी

†मूल अंग्रेजी में

कम है। यह बात अलग है कि यह कम कीमत पर भी बेच देते हैं किन्तु हमारी सरकार को भी तो हमारे उद्योगों की सहायता करनी चाहिये। हमें अपनी समस्या को तो हल करना है।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (अन्तरिक मनीपुर): श्रीमान् वर्तमान विधेयक से ८ उद्योगों को संरक्षण दिया जा रहा है तथा ४ पर से संरक्षण हटाया जा रहा है। जब हम आयोग के प्रतिवेदनों को देखते हैं हमें ज्ञात होता है कि आयोग ने तो उद्योगों के मूलभूत प्रश्न पर भी कभी विचार नहीं किया।

माननीय मंत्री ने कहा कि वस्तुओं के मूल्य घटाने का केवल मात्र तरीका यही है कि उत्पादन ज्यादा किया जाये। उत्पादन अधिक करने के लिये सरकार उत्पादकों को रियायतें दे रही है। वे रियायतें प्रेरक हैं किन्तु यदि वास्तविक प्रेरणा वास्तविक उत्पादन को दी जाये तो सारी स्थिति एक दम से ठीक हो जाये।

प्रशुल्क आयोग ने उद्योगों को संरक्षण देने की दृष्टि से अच्छी तरह नहीं परखा। यह नहीं देखा गया कि उन्होंने कितनी प्रगति की है अथवा नहीं। वास्तव में इन लोगों को देश से कोई सम्बन्ध नहीं ये तो निजी लाभ के लिये ही उत्पादन करते हैं। इन लोगों को अधिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा हो गई है।

इस के भी अतिरिक्त हमारे देश में बहुत ही थोड़े ऐसे कारखाने हैं जो ठीक लागत का हिसाब बनाये रखें। शेष तो हिसाब रखते ही नहीं हैं। हमें किसी भी उद्योग को संरक्षण देने से पूर्व उपभोक्ताओं के हितों का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये।

जहां तक सोड़ा ऐश तथा कास्टिक सोड़ा उद्योगों का सम्बन्ध है इन्हें १९५२ में संरक्षण दिया गया था किन्तु अभी तक भी इन की स्थिति नहीं सुधरी है। इन के विकास में एक रुकावट है कि यहां कारखानों के निकट नमक के निक्षेप नहीं होते। नमक के निक्षेपों का होना अत्यावश्यक है। सरकार को चाहिये कि इन उद्योगों पर दबाव डाले कि यह प्रशुल्क आयोग की सिफारिश शीघ्रतिशीघ्र कार्यान्वित कर दें।

अलूमिनियम उद्योग का भविष्य भी बड़ा ही उज्वल है। एक तो हवाई जहाजों में इस का प्रयोग होता है दूसरे भारी धातुओं के स्थान पर भी इसे प्रयुक्त किया जाने लगा है। इस उद्योग के मूल्यों के ढांचे का परीक्षण भी आयोग ठीक प्रकार से नहीं कर सका। हमारे यहां वेलन का काम न होने के कारण हमें अलूमिनियम की चादरें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। यदि सरकार स्वतः इस ओर ध्यान दे तो यह कठिनाई भी दूर हो जाये।

इसके पश्चात् रेशम कृमिपालन उद्योग है। इस उद्योग में लगभग ५० लाख व्यक्ति काम करते हैं। इसे संरक्षण इस कारण दिया गया था ताकि यह उद्योग पनपे किन्तु इस का विकास भी उचित रीति से नहीं हो सका है। हमें और भी अधिक महत्वकांक्षी बनकर प्रयास करते रहना चाहिये।

इसी प्रकार वाइक्रोनेटस उद्योग भी यद्यपि पनप गया है तदपि इसने भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। आयोग ने प्रतिवेदन में भी इस उद्योग को कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है। उन्हें सारी सुविधायें मिलीं थीं इन्हें निर्यात के लिये पूरा प्रयास करना चाहिये था। इससे इन्हें लाभ भी अधिक होता और देश को भी फायदा पहुंचता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अचौ सिंह]

जहां तक कोक्रोआ उद्योग का सम्बन्ध है यह सीमित सा उद्योग है इससे हम यह आशा नहीं कर सकते कि वह निर्यात संवर्धन करेगा। यदि हम देश के अन्य भागों में इस की खेती की व्यवस्था करें तो लाभ उठाया जा सकता है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : वैसे तो श्री नायर इस विधेयक पर बहुत कुछ कह चुके हैं किन्तु मैं आज इस कारण बोल रहा हूं कि कल मंत्री महोदय ने मोटर उद्योग के बारे में कुछ बातें कहीं थीं।

कल माननीय मंत्री ने मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में कतिपय भविष्यवाणी की और कहा कि निकट भविष्य में यह उद्योग अच्छे स्तर पर आ जायेगा और स्वदेशी उत्पादन होने लगेगा। किन्तु यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि गत दो सप्ताह में कुछ एक घटनायें ऐसी ही घटी हैं।

५ दिसम्बर, १९५८ का प्रतिरक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि उन्होंने जर्मनी तथा जापान से मोटरें खरीदने का करार किया है। मैं तो समझता हूं कि यह वक्तव्य प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की कटुवालोचना है।

यहां छोटी कारें बनती हैं वह भी ठीक मूल्य पर नहीं मिलती। उनको खरीदने के लिये ग्राहकों को अधिक मूल्य देना पड़ता है। यह स्थिति है हमारे उद्योग की। माननीय मंत्री मेरी इस बात को गलत नहीं कह सकते।

कल माननीय मंत्री ने कहा था कि १९५९ तक हमारे देश में ८० प्रतिशत पुर्जों वाली कारें बनने लग जायेंगी। मुझे इस प्राप्ति में भी सन्देह है।

प्रतिरक्षा उपमंत्री ने कहा था कि ८ वर्ष के कार्य के बावजूद भी हिन्दुस्तान मोटर्स ने स्टुडबेकर ट्रकों का पर्याप्त अंश तैयार नहीं किया। इसी प्रकार प्रीमियर वालों ने मिलिट्री ट्रकों में भी विशेष प्रगति न की। इसके पश्चात् प्रतिरक्षा विभाग ने टेल्कों वालों को ३०० ट्रकों का आर्डर दिया किन्तु वह अपने मूल्यों को घटाने के लिये तैयार नहीं हैं।

संरक्षण देने का वास्तविक आशय यही होता है कि उद्योग प्रगति करे तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करे। धर तो प्रतिरक्षा उपमंत्री ने वक्तव्य दिया उधर टेल्कों वालों ने इसे नहीं माना। अब हमारी समझ ही में नहीं आता कि दोनों में सच कौन बोलता है। कम से कम हमें तथ्य का तो पता लगना चाहिये। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सही बातों को जाने।

**(पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये)

हमें यह तो ज्ञात होना चाहिये कि क्या श्री टाटा ठीक कहते हैं अथवा श्री रघुरामैया।

आज यह तथ्य है कि इस उद्योग का एक-एक कारखाना बड़ी ईमानदारी रहित ढंग से काम कर रहा है। ये लोग अत्यधिक विदेशी मुद्रा का सर्वनाश कर रहे हैं। जिम्मेदारी का तो कोई अनुभव नहीं कर रहे हैं।

जब ये उद्योग प्रतिरक्षा विभाग की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते तो इस में देशभक्ति का तत्व कहां गया। यह बात हमारी समझ से बाहर है। हमें नहीं पता कि जनता कब तक इन सब बातों को सहन करती रहेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस कारण इस समय यही वांछनीय है कि इस उद्योग के गत वर्षों के कार्य की जांच की जाय। जांच से ही सारी बातों का वास्तविक ज्ञान होगा। तभी पता चलेगा कि गत आठ वर्षों में यह लोग क्या करते रहे हैं। जब तक यह न होगा हमें अपनी प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिये भी विदेशों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। आज हमारे पड़ोसी देशों में भारत की तुलना में एक चौथाई कीमत पर मोटर कारें खरीदी जा सकती हैं। हमें इन्हें संरक्षण देने से क्या लाभ है। यदि यह उद्योगपति हमें आश्वासन दें कि भविष्य में वह ठीक ढंग से चलेंगे और उत्पादन को वृद्धि के साथ-साथ लागत कम करने के प्रश्न पर भी विचार करेंगे तो हमें इस बात पर पुनः विचार करना चाहिये अन्यथा नहीं।

यह उद्योग भारतीय संसद् का विश्वास खो बैठा है इस के कार्य की पूरी जांच होनी चाहिये और सरकार को प्रशुल्क नीति का पुनरीक्षण करना चाहिये। यह तो बहुत ही अच्छा है कि सरकार इस सारबान उद्योग पर स्वयं ही अधिकार कर ले।

यह भी आवश्यक है कि अब उद्योग मंत्रालय भी पृथकत्व त्याग कर आगे उठे। उन्हें सब से सहयोग करना चाहिये।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं ने तो केवल यह ही कहा था कि मामले की सूचना हमें दी जानी चाहिये थी। यदि मुझे निर्गम का नियंत्रक हमें कहता कि वह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की भी सिफारिश चाहता है तो उसे हमारे पास आना चाहिये था। हम निस्सन्देह उस बात पर विचार करते।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : यह ठीक है किन्तु मंत्रालयों में भी तो परस्पर समन्वय होना चाहिये। सहयोग से ही काम होना चाहिये। अब प्रतिरक्षा मंत्रालय को ८ वर्ष से ट्रकों के लिये दूसरों का मुंह ताकना पड़ रहा है। क्या उद्योग मंत्रालय का कर्तव्य नहीं कि वह मोटर गाड़ी उद्योग वालों पर देश का आवश्यकताओं को पूरा करने की बातों का दबाव दे। प्रतिरक्षा मंत्रालय को समुचित मूल्यों पर ट्रक मिले ही नहीं। क्या यह वक्तव्य वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की निन्दा नहीं है।

हमें पता लगा है कि सरकार के पास विदेशी समवायों ने कहा था कि वे यहां कारें बनाने को तैयार हैं और लोग उन कारों को चार हजार रुपये तक खरीद सकेंगे किन्तु यहां जो कारें बनती हैं उन के निर्धारित मूल्य ही अन्य देशों के अधिकतम मूल्यों से भी कहीं अधिक हैं। क्या इस स्थिति में उद्योग मंत्रालय का कर्तव्य नहीं है कि वह यह देखे कि यह उद्योग वाले लोगों को लूटें तो न। यह मूल्य अत्याधिक हैं। माननीय मंत्री ने यह भी तो हमें नहीं बताया कि यह उद्योग कितना लाभ उठाते हैं। सरकार को इस वर्तमान स्थिति का उपचार करना चाहिये। आज भारतीय ग्राहक इस उद्योग वालों के पीछे घूमता है। यह स्थिति बड़ी चिन्तनीय है। यदि यह उद्योग ठीक चलता तो आज देश में अनेक कारें होती।

मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस उद्योग के बारे में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : पहले वक्ताओं ने भी कहा है कि संरक्षण एकाधिपत्य की प्रवृत्ति के विकास का नाम है। उन्हों ने मोटर उद्योग का उदाहरण भी दिया।

†**श्री मनुभाई शाह** : वर्तमान विधेयक मोटर उद्योग से सम्बन्धित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आचार** : समय थोड़ा है। इस कारण मैं संक्षेप सी कुछेक बातें कहूंगा। हमें सब से पहले तो इस बात पर ध्यान देना है कि हमारे उद्योग उन्नति करें। मेरा यह आशय नहीं कि उपभोक्ताओं को मंहगी चीजें मिलें। उन के हितों का ध्यान रखा जाना भी अत्यावश्यक है।

दूसरा तर्क यह था कि एकाधिपत्य का विकास हो रहा है और सरकार उसे प्रोत्साहन दे रही है। किन्तु यह बात गलत है। इस देश में तो हम दोनों क्षेत्रों का युक्तिसंगत विकास कर रहे हैं। एकाधिपत्य का प्रश्न ही नहीं उठता।

हमारे हां प्रशुल्क आयोग है जो इस प्रश्न पर विचार करेगी ही। प्रशुल्क आयोग ही इस प्रकार के सारे विषयों पर विचार करता है। जिन उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है उन्हें पर्याप्त कारणों के बाद ही दिया जाता है।

हां, यह मैं भी अनुभव करता हूं कि जहां तक उपभोक्ता का संबंध है प्रशुल्क आयोग ने इस प्रश्न पर उस गहन दृष्टि से विचार नहीं किया जिस से होना चाहिये था। यदि उद्योग अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अब मेरे राज्य में ही रेशम उद्योग का उदाहरण है। उन्हें २५ वर्ष से निरन्तर संरक्षण दिया जाता रहा है। किन्तु मैं नहीं समझता कि वह आज तक क्यों अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो सके। यदि वे प्रगति कर चुके हैं तब भी संरक्षण जारी नहीं रहना चाहिये। क्योंकि वास्तव में संरक्षण उन्हीं उद्योगों को दिया जाना चाहिये जो अभी खुले हों अथवा शैशावावस्था में ही हों।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस वाद विवद के लिये मैं सभा को धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य श्री वें० प० नायर ने कल प्रशुल्क आयोग के गठन के बारे में प्रश्न उठाया। विधेयक प्रस्तुत करते समय भी प्रशुल्क आयोग के गठन इत्यादि के बारे में जानकारी दी थी तथा सरकार की नीति पर प्रकाश डाला था। धारा ४में आयोग में लिये जाने वाले सदस्यों की अर्हतायें निश्चित हैं। मैं तो इस समय केवल इतना ही कर सकता हूं कि आयोग के कार्य का पुनरीक्षण करते समय आयोग के कार्य की सराहना करूं। उन्होंने वास्तव में ही महान कार्य किया है। जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया है उन्हें यो ही संरक्षण नहीं दिया गया। ४३ उद्योगों में से जो युद्ध से पूर्व अथवा उस अवधि के दौरान खुले थे उन में २३ पर से आज संरक्षण हटा दिया गया है। यह बात नहीं है कि जो उद्योग भी प्रार्थना पत्र भेजे उसे संरक्षण दे ही दिया जाता है। २३ उद्योगों में से आयोग ने ६ के प्रार्थनापत्र तो वैसे ही रद्द कर दिये थे। यह तो मैं इस कारण बता रहा हूं कि आयोग कितना गहन अध्ययन करता है। आयोग के सदस्य भी उच्च कोटि के सक्षम व्यक्ति हैं। आयोग के प्रतिवेदनों की सराहना विदेशों तक में की गई है तथा "गाट" जैसी संस्थाओं ने भी इस की सिफारिशों पर भारतीय उद्योगों के दावों को स्वीकार किया है। अतः हम अपने आयोग पर वास्तव में ही गर्व कर सकते हैं।

श्री घोष ने संरक्षित उद्योगों के मूल्यों की कमी का उल्लेख किया। यह महत्वपूर्ण बात थी। कल मैं ने कई ऐसी वस्तुओं के नाम बताये जिन के मूल्यों में निरन्तर कमी आती रही है। हम मूल्यों की तुलना विदेशी वस्तुओं से कर सकते हैं। इस देश का औद्योगिक आधार बड़ा ही कम है। हमारे देश की औद्योगिक प्रगति कुछ भी नही है। अभी विकास हो ही रहा है। यदि हम अधिक औद्योगिक विकास करेंगे तभी गरीबी से लड़ सकते हैं। हजारों वर्षों की निर्धनता तभी दूर हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह मूल्यों की तुलना उन देशों के मूल्यों से न करें जहां की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे ही ढ़ांचे पर आधारित है। उस के अतिरिक्त हमें इस देश के मूल्यों के ढ़ांचे पर विचार करना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये जो माननीय सदस्य इस विषय में चि रखते हैं उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि प्रशुल्क आयोग ने कच्चे माल, पूंजी, श्रम, वितरण प्रणाली, ईंधन मूल्य, परिवहन की लागत इत्यादि सब बातों पर गहन विचार किया है। इस सामूहिक परीक्षण के पश्चात् ही संरक्षण दिया जाता है जब विदेशी मुद्रा का अभाव है तो श्री घोष ने यह प्रश्न भी उठाया था। मैं ने सारी यह स्थिति भी सभा के समक्ष रख दी थी अब मैं पुनः उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता। प्रशुल्क आयोग का परीक्षण अत्यावश्यक है क्योंकि आयोग तो एक आर्थिक उपकरण है, एक वित्तीय उपकरण है जिस से हम लोग भारतीय उद्योगों के स्वास्थ्य को ठीक प्रकार से जांच सकते हैं।

गत बार मैं ने कहा था कि यह केवल किसी स्थानीय समस्या का परीक्षण नहीं है। संरक्षण देने से पूर्व, आयोग उद्योग के सारे हालात को अच्छी तरह से देखता है। हमें उस से पता चल जाता है कि भारतीय उद्योग किस ओर को अग्रसर हो रहे हैं। अतः इस आयोग का महत्व बहुत ही अधिक है।

एक सदस्य ने मोटर उद्योग के बारे में प्रश्न उठाया था तथा मोटरों के मूल्यों की बात भी की थी। हमें आशा है कि १९५९ के अन्त तक दो गाड़ियां ७०/७५ प्रतिशत तक यहां ही बननी आरम्भ हो जायेंगी। एक तो हिन्दुस्तान कार है दूसरे विलीं की जीप तथा मरसीडीज बेन्ज है मैं ने यह नहीं कहा कि १९५९ के अन्त तक सभी कारों की स्थिति वैसी ही हो जायेगी।

श्री नायर अब पुनः विदेशी विनिमय का प्रश्न उपस्थित करते हैं। मैं इस प्रश्न का अनेक बार उत्तर दे चुका हूं। हिन्दुस्तान मोटर के ६० प्रतिशत पुर्जे तो अब भी स्वदेशी होते हैं। वास्तव में इस में थोड़ा हमारा दोष भी है। गत वर्ष यह उद्योग अनेक बार हमारे पास विदेशी विनिमय लेने की गर्ज से आया ताकि इन की न्यूनतम आवश्यकतायें तो पूरी हो जायें। किन्तु हमारे लिये वह कार्य संभव न था। अब हम ने उन की न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी कर दी हैं। अतः कल मैं ने यहां वक्तव्य दिया था कि दूसरी योजना की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही हमें आशा है कि हमारे देश के मोटरों तथा ट्रकों में ८० प्रतिशत स्वदेशी पुर्जे होंगे। यह वक्तव्य मैं ने वास्तविक गणना के आधार पर दिया था। मैं किसी विवादास्पद बात में अब पड़ना नहीं चाहता जो कुछ मैं ने कहा है वह शुद्ध अनुमान के आधार पर ही कहा है। कोई भी बात अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है इस आर्थिक जगत में तो मूल्यों का निर्धारण उत्पादन की मात्रा से हुआ करता है। अतः विदेशी मुद्रा की भीषण कमी नाइट्रों के कारण इस देश का मोटर उद्योग विकसित नहीं हो सका है—अतः देश की सामूहिक अविकसित अवस्था के कारण सभी उद्योग जिन में मोटर उद्योग भी शामिल है मूल्यों की दृष्टि से क्षुब्धावस्था में है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** उप प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्य के बारे में आप क्या कहेंगे।

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बात इस विषय से संगत नहीं है। प्रतिरक्षा उपमंत्री ने उन बातों के सारे कारण स्पष्ट किये ही हैं। अतः उन बातों का वर्तमान विधेयक से किसी प्रकार का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। जहां तक प्रशुल्क नीति का सम्बन्ध है वहां मैंने भारत सरकार की नीति का स्पष्टीकरण किया है। मैं भी भारत सरकार की ओर से ही बोल रहा हूं। प्रशुल्क नीति पर बोलते समय मैंने तो यह कहा है कि भारत सरकार का यह अनुमान है कि १९६०-६१ तक सभी मोटर गाड़ियों के पुर्जे ८० प्रतिशत तक स्वदेशी ही होंगे।

जहां तक हमारी लागतों का प्रश्न है यह बड़ी ही जटिल है। प्रशुल्क आयोग विदेशी उद्योगों की लागत की जांच तो कर नहीं सकता। अतः हम तो आर्थिक प्रमापानुसार चलते हैं। हम तो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

यह देखते हैं कि कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ । उस में कितने मानव घंटे लगे तथा कितना रुपया अभी व्यय हुआ । प्रशुल्क आयोग इन सब बातों पर भली भांति विचार करता है । विदेशी उद्योग के लागत के ढांचे का विश्लेषण करना तो बड़ा ही कठिन है ।

जहां तक संरक्षण का सम्बन्ध है वह प्रत्येक उद्योग के अपने ढांचे पर आधारित है । उद्योग जितना भारी होता है उतनी ही देर उसे विकसित होने में लगती है ।

अलकली उद्योग पर केवल एक या दो उद्योगपतियों का ही एकाधिपत्य नहीं है । सोडा ऐश में भी चार लोग उत्पादन कर रहे हैं और पांचवां खुल रहा है । अभी भी प्रतियोगिता के लिये बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है । माननीय मित्र पूछ रहे थे कि क्या वर्तमान उत्पादन स्तर से हम कभी आत्म-निर्भर हो जायेंगे कि नहीं । वास्तव में बात यह है कि जब कभी मैं इन बातों की व्याख्या करने लगता हूं तो बहुत से माननीय सदस्य सभा में उपस्थित ही नहीं होते । इस कारण यह गलत धारणायें उन के मन में फैल जाती हैं । अब जहां तक सोडा ऐश ही का सम्बन्ध है हमें आशा है कि १६६० तक हमारे यहां २,४६,००० टन ऐश तैयार होने लगेगी जबकि हमारी मांग केवल २,३६,००० टन की ही होगी । हम ने अनेक अनुज्ञप्तियां दी हैं । किसी का एकाधिपत्य नहीं है । अलकली के उद्योग के बारे में हम पर्याप्त रूप से सतर्क रहे हैं । सभी प्रकार का सोडा, ऐश, कास्टिक सोडा इत्यादि चीजें भी ज्यादा मात्रा में पैदा होने लगेंगी ।

मैं पुनः माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार योंही किसी उद्योग को संरक्षण नहीं देती । प्रत्येक उद्योग के दावों का ठीक विचार किया जाता है । जिसे संरक्षण की आवश्यकता न हो उसे एक दिन भी संरक्षण नहीं दिया जाता ।

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री ने कहा कि अलकली में एकाधिपत्य नहीं है परन्तु कोई भी देख सकता है कि तीन चार उद्योगपतियों के पास ६० प्रतिशत अधिकार हैं । क्या यह एकाधिपत्य नहीं है । सोडा ऐश पर डालमिया जैन समूह का अधिकार है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** कुछ नामों से कुछ लोग क्षुब्ध रहते हैं । इसका यह अर्थ नहीं है कि इस उद्योग में नये उपक्रमी नहीं आये हैं । जहां तक एकाधिपत्य की परिभाषा का सम्बन्ध है वह तो विद्यमान नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता पूर्व) : माननीय मंत्री ने कहा है कि १६५६ तक हमारे देश की दो गाड़ियों में ७५ प्रतिशत स्वदेशी भाग होंगे । क्या यह प्रतिशत भागों की संख्या से लिया जायेगा अथवा मूल्य के आधार पर ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर अपनाया है । हम सी० के० डी० रैंक के कारखाने की कीमत लेते हैं और फिर थराव प्रतिशत में से स्वदेशी पुर्जों के आधार पर मूल्य कम कर देते हैं । वास्तव में निर्माता तो यही कहते रहे हैं कि सरकार की गणना का ढंग बड़ा ही कड़ा है किन्तु हम ने इसी ढंग को अपना रखा है । इस के अनुसार ७०/७५ प्रतिशत तक उस अवधि तक पहुंच ही जायेंगे ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : क्या रेशम बोर्ड रेशम का आयात स्वतः करता है तथा फिर विभिन्न राज्यों को वितरण करता है अथवा बोर्ड आयात की आज्ञा व्यक्तियों को दे देता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** पहले तो यही बात थी किन्तु अब जब से विदेशी मुद्रा की कठिनाई पैदा हुई है तब से अनुज्ञप्तियां देने की नीति छोड़ दी गई है । वितरण के लिये हम ने सहकारी संस्थाओं को आज्ञा दी है । उत्तर प्रदेश के रेशम उद्योग को वहां की औद्योगिक सहकारी संस्था के माध्यम से ही वितरण किया जाया जाता है । इसी प्रकार से मैसूर क्षेत्र में भी । उन क्षेत्रों में वितरण कार्य के लिये हम ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया है । उन्हें अभ्यंश आवंटित किया जाता है । प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में यह लिखा है कि हम ने रेशम बोर्ड के माध्यम से आयात का संचालन किया था किन्तु प्रत्येक ६ मास के पश्चात् हम स्थिति का पुनरीक्षण करते हैं तथा विदेशी मुद्रा के संसाधनों को देख कर ही नियंत्रित नीति अपनाते हैं । सामान्य सिद्धान्त यही है कि छोटे व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिये । यह बातें आयात तथा वितरण के बारे में हैं । वितरण का कार्य बोर्ड का आन्तरिक कार्य है । जहां कोई संस्था न हो वहां यह नहीं चल सकता ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खंड १, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड १, अधिनियन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गये ।**

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वें० प० नायर:** प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि सोडा ऐश के उद्योग में न केवल उत्पादन पर अपितु वितरण पर भी कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार है । उन्हों ने यह बताया है कि कुछ प्रबन्धक अभिकर्ताओं ने मिल कर एक वितरण समवाय खोल दिया है और इस प्रकार इस उद्योग पर एकाधिकार कर लिया है । निसन्देह इस का उत्पादन १४ कारखानों में होता है तथापि ८० से ९० प्रतिशत उत्पादन पर चार या पांच बड़े फर्मों का एकाधिकार है ।

इस पर जो नई अनुज्ञप्तियां दी गई हैं वे भी उन्ही फर्मों को दी गई हैं जिन के अधीन पहिले से ही कारखाने चल रहे हैं । अतः यह अनुचित है । सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

इस वस्तु के कुल उत्पादन के ४५ प्रतिशत का उपयोग धोबी करते हैं। यदि सरकार ने प्रबन्धक एजेंटों को १० प्रतिशत का रक्षण दिया तो फल यह होगा कि धोबियों को बहुत अधिक कीमत देनी होगी। अतः सरकार को प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिये।

†**श्री दासप्पा** : सब से पहिले मैं रेशम बोर्ड को उस के द्वारा किये गये कार्य के लिये धन्यवाद देता हूं। निसन्देह हमारे देश में रेशम के उत्पादन में २७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेशम की चमक और चिकनाई में काफी वृद्धि हुई है तथापि अभी इतने बढ़िया रेशम का उत्पादन नहीं हो सका है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड के समकक्ष आ जाये। मैसूर और रांची के रेशम गवेषणा केन्द्रों को उक्त बात पर ध्यान देना चाहिये।

कच्ची रेशम का अयात, राज्य व्यापार निगम के द्वारा होने लगा है। राज्य व्यापार निगम यह कार्य कुछ मान्यता प्राप्त आयातकर्ताओं द्वारा कर रही है। यह ठीक नहीं है। राज्य व्यापार निगम को या तो यह आयात स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिये या रेशम का काम करने वाली संस्थाओं या सहकारी समितियों को यह काम देना चाहिये। इसी प्रकार अनुज्ञप्तिप्राप्त व्यापारी रेशम के कबाड़ के निर्यात में बहुत लाभ कमा रहे हैं। अतः सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये। और इस उद्योग तथा इस के उपभोक्ताओं की मुनाफाखोरी से रक्षा करनी चाहिये। रेशम बोर्ड का कार्यालय बंगलौर से हटाकर बम्बई भेज दिया गया है। और इस की इमारत का किराया भी ५००) रु० से बढ़ा कर ३००० रुपये हो गया है। रेशम उत्पादकों के हित में इस कार्यालय का बंगलौर में रहना अधिक उचित है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें ज्ञात है कि हमारा रेशम घटिया प्रकार का है और हम इस के सुधार के लिये जापानी विशेषज्ञों की सहायता ले रहे हैं। हमें विश्वास है कि जापान तथा हमारे बीच टेक्नीकल जानकारी के पारस्परिक विनियम से हमारे रेशम की किस्म का सुधार होगा।

आयात व निर्यात के सम्बन्ध में मैं माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि अनुज्ञप्तियां देते समय माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों पर ध्यान रखा जाता है। राज्य व्यापार निगम रेशम का आयात चाहे मान्यताप्राप्त आयातकर्ताओं द्वारा करे या सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा तथापि वितरण के समय इसके मूल्यों पर नियंत्रण रहता है। अतः आयातकर्ता अधिक मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। मैं उन्हें आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम अपनी नीतियां निर्धारित करते समय सहकारी समितियों, उपभोक्ताओं, राज्य सरकारों या सम्बद्ध संस्थाओं का भी ध्यान रखते हैं।

जहां तक रेशम के कबाड़ के निर्यात का सम्बन्ध है, इस कार्य में हजारों स्थानों से कबाड़ जमा कर उस का निर्यात करना होता है अतः इस सम्बन्ध में दूसरी नीति अपनानी होती है। तथापि हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि रेशम के कबाड़ के ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिल सकें।

क्षार उद्योग के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब कभी सभा में वाणिज्य या आर्थिक नीति पर चर्चा होती है तो वे देश में दस या पन्द्रह फर्मों के अन्य फर्मों से अधिक विकसित होने के कारण उसे एकाधिकार कहते हैं, वस्तुतः एकाधिकार की मान्य परिभाषा के अन्तर्गत भी इसे एकाधिकार नहीं कहा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोडा ऐश के उद्योग में भी हम नये उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देते हैं। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सदैव उन्हें पूर्ववर्तिता और प्रोत्साहन प्रदान करते रहेंगे।

वितरण के सम्बन्ध में मैंने अपने वक्तव्य में जिक्र किया था। एक विशेष कारखाने में वितरण प्रणाली सन्तोषप्रद नहीं थी इसलिये प्रशुल्क आयोग ने इस ओर ध्यान दिलाया था। तथापि इस से यह तो सिद्ध नहीं होता कि वहां एकाधिकारिता है। वस्तुतः आयात होने वाले सोडा ऐश के वितरण का अधिकार हम ने वर्तमान उत्पादकों के अतिरिक्त अन्य एजेन्सियों को भी दिया है।

कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इस सम्बन्ध में संघ हैं। वस्तुतः हम किसी विशेष फर्म या व्यक्ति को पूर्ववर्तिता नहीं देते हैं। हमें जितनी भी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती है हम उससे छोटे उपभोक्ताओं को यथासंभव लाभ प्रदान करना चाहते हैं। वस्तुतः हमारी आयात नीति का आधार ही यह है कि वास्तविक उपभोक्ताओं को लाभ हो। व्यापारी वर्ग इसका विरोध कर रहा है। विदेशी मुद्रा में कमी होने के उपरांत भी हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि कच्चे माल के मूल्यों में अनुचित वृद्धि न होने पावे। अतः केवल उन्हीं उद्योगों को संरक्षण दिया गया है जिन्हें वस्तुतः रक्षण और सहायता की आवश्यकता है।

जहां तक रेशम बोर्ड के कार्यालय के बंगलौर से बम्बई स्थानान्तरण का प्रश्न है इसके कई कारण हैं पहिले रेशम बोर्ड कई वर्षों तक बम्बई में था तत्पश्चात् उसका कार्यालय दिल्ली में आ गया था। दिल्ली से वह मैसूर गया लेकिन पुनः बम्बई में आ गया। इसका कारण यह है कि बोर्ड के अध्यक्ष और प्रशासनिक मुख्य अधिकारी वस्त्र आयुक्त हैं। अतः इस कार्यालय के बम्बई में रहने पर उन्हें कार्य करने में सुविधा होती है। उक्त कार्यालय के बम्बई या मैसूर में रहने से वस्त्र आयुक्त को इसका काम देखने में बड़ी अड़चन होती है अतः इस कार्यालय का पुनः बम्बई में स्थानान्तरण करना ही उपयुक्त समझा गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## चलचित्र (संशोधन) विधेयक

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मैं प्रस्ताव* करता हूं कि :

"कि चलचित्र अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

चलचित्र अधिनियम संसद् ने १९५२ में पारित किया था। अधिनियम से राज्यों के पृथक चलचित्र विवाचन बोर्डों का उत्पादन कर दिया गया और एक- क ही बोर्ड स्थापित किया गया था।

इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को चलचित्र विवाचन केन्द्रीय बोर्ड बनाने का अधिकार दिया गया तथा कतिपय सिद्धान्तों के अन्तर्गत बोर्ड के संचालन के लिये कुछ नियमों के निर्माण का अधिकार भी दिया गया। अब इस अधिकार को लागू हुए ६ वर्ष हो चुके हैं। इस अवधि में न्यायालय

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]

द्वारा दिये गये विनिर्णयों के कारण सरकार की विधियां और भी स्पष्ट हो गई हैं। अब यह संभव हो गया है कि उन विनिर्णयों का पुनः प्रारूपण कर सकें और पहले की अपेक्षा उन्हें अधिक स्पष्ट बना सकें। अनुभव से हमें यह भी ज्ञात हो गया है कि हम किस प्रकार से नियमों को और भी स्पष्ट बनायें।

वर्तमान विधेयक से अधिनियम के प्रवर्तन में कोई सारवान परिवर्तन न होगा। अधिनियम ऐसा ही रहेगा। वास्तव में मुख्य उद्देश्य है अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना जिसने विभिन्न नियमों को ही विधेयक में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है।

इसी के साथ हम ने इस अवसर पर बहुत से अन्य खण्डों को भी दोबारा स्पष्ट कर दिया है। अतः विधेयक सारवान न होकर प्रक्रियात्मक है। खण्ड ४, ५, ६, ७ तथा ७-क नियमों में हैं ही अतः वह प्रवर्तन में ही हैं। उन्हें मुख्य अधिनियम में रख दिया गया है। उन्हें रखते समय थोड़ी भाषा भी बदल दी गई है।

खंड ४ में मुख्य बात है कि सलाहकार तालिकाओं वाला उपबन्ध जो मूल विधेयक में न था इस में रख दिया गया है। निदेशक तत्वों वाला एक उपबन्ध भी संविधान के अनुच्छेद १९ से ले लिया गया है। यह निदेशक तत्व का सिद्धान्त अब भी लागू है और संविधान के तत्सम्बन्धी अनुच्छेदों को दृष्टि में रख कर यह बनाया गया है। पहले तो यह नहीं था किन्तु अब हम इसे बीच ही में सम्मिलित कर रहे हैं।

वास्तविक परिवर्तन कोई नहीं है। खंड ३ के परिवर्तन इस कारण आवश्यक समझे गये हैं कि अनुभव से हम ने यह सीख लिया है कि इस समय अधिक कार्य बोर्ड के सभापति को ही करना पड़ता है। इस समय तो बोर्ड सामूहिक रूप से ही सारा काम करता है किन्तु इस कारण कि सभापति भी अकेले कार्य कर सके यह परिवर्तन कर दिया गया है ताकि अन्तर तो न पड़े बात स्पष्ट हो जाये और कार्य भी शीघ्र हो। प्रत्यायोजन का यह अधिकार खंड ७ (ख) में दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार की पुनरीक्षण शक्तियां आज नियमों में व्यवस्थित हैं। उन्हें भी अधिनियम का ही अंग बनाया जा रहा है।

खंड ७ (ङ) तथा ७ (च) के उपबन्ध सामान्य प्रकार के संविहित उपबन्ध हैं जिन का अभिप्राय सदस्यों का संरक्षण है। अब उन्हें अधिनियम में ही लाना ठीक समझा जाता है।

अतः जो भी संशोधन या परिवर्तन किये गये हैं उनका उद्देश्य संसद् की आज्ञा का पालन करना है तथा अधिनियम को अधिक स्पष्ट तथा विधि की दृष्टि से ठोस बनाने से है। अतः इस में सिद्धान्त का कोई भी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सभा विधेयक पारित करेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मेरा एक संशोधन है। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर १ मार्च, १९५९ तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाय।"

श्रीमान् यह विधेयक केवल मात्र प्रक्रियात्मक ही नहीं है। इस विधेयक में कुछ उपबन्ध ऐसे रखे जा रहे हैं जिन का निर्वचन न्यायालयों को करना होगा। अतः यह विधेयक मूलभूत महत्व का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यक्तिगत रूप से तो मैं संविहित विवाचन ही के विचार का विरोध करता हूं क्योंकि कलात्मक कृतियों को जनता की अभिरुचि पर ही छोड़ देना चाहिये । किन्तु सारे देशों में ही विवाचन बोर्ड हैं अतः हमें भी इस पर आपत्ति नहीं है । इंग्लैण्ड में भी विवाचन बोर्ड है किन्तु वहां संविहित ढंग पर उसका निर्माण नहीं हुआ है । यह कलात्मक प्रश्न है । वहां यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक चलचित्र पर उस बोर्ड का प्रमाणीकरण ही प्राप्त किया जाये । उनकी वैध शक्ति कुछ नहीं है ।

१९२१ में अमेरिका से भी चलचित्र विवाचन का विचार उदय हुआ । वहां सरकार ने किसी प्रकार की कार्यवाही न की । चलचित्रों के उत्पादकों ने ही एक बोर्ड बनाया और चित्रों के लिये कुछ मानक निश्चित कर लिये । यही बोर्ड वहां काम कर रहा है और इसका काम संतोषप्रद है । यदि भारत में ऐसा बोर्ड बने तो संभवतया कोई भी निर्माता अपने चलचित्र वहां न दिखाये किन्तु अमेरिका में ९८ प्रतिशत चलचित्र उसी बोर्ड से प्रमाणिकता प्राप्त करते हैं ।

अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा बोर्ड किस प्रकार से चलता है । बम्बई में इस बोर्ड का सभापतीत्व एक बहुत ही "कलात्मक" पुलिस के जरनैल करते हैं । शेष सदस्यों में से कोई तो सीमा-शुल्क अधिकारी हैं और कोई कुछ और ।

जहां तक निदेशक सिद्धान्तों का प्रश्न है उनके बारे में भी स्पष्टता नहीं है । कई स्थानों पर मद्यपान के दृश्य अपराध की कोटि में आ जाते हैं और कई स्थानों पर नहीं । २७ फरवरी, १९५४ के गजट के अनुसार वह चलचित्र नहीं दिखाये जायेंगे जो कि जनता को हिंसात्मक कार्य करने के लिये भड़कायें । मैं पूछता हूं—कला का उद्देश्य क्या है ? क्या कला द्वारा सामाजिक अन्याय की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । खैर इस समय तो स्थिति जैसी है वैसी है परन्तु भविष्य में तो और भी खराब हो सकती है ।

युद्ध काल में गवरनर जनरल ने वह सारे चित्र प्रदर्शित किये जाने पर रोक लगा दी थी जिनसे युद्ध की विभीषिका पर प्रकाश पड़ता था । कारण यह था कि यदि लोग उन्हें देखेंगे तो सेना में कभी भी भर्ती न होंगे । किन्तु इस समय हमें संसार में शान्ति की आवश्यकता है । हम चाहते हैं कि लोग युद्ध से घृणा करने लग जायें । वैसे वास्तविक समस्या तो है कला में यथार्थवाद तथा आदर्शवाद की । साहित्यिक क्षेत्र में तो इस समस्या का समाधान हो गया है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि आज क्या कोई सज्जन रोमीले ज़ोला के उपन्यास को फेंक देगा ? यदि हम यथार्थ को चलचित्रों के क्षेत्र में भी सहन करें तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है ।

मैं विवाचन के विरोध में नहीं हूं बल्कि मेरा सारा विरोध ही निदेशक सिद्धान्तों के बारे में है । मैं प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें जो नियम बनाने हों उन्हें निर्माताओं, लेखकों तथा अन्य कलाप्रिय महानुभावों के साथ बातचीत करने के पश्चात् ही तैयार करना चाहिये । किन्तु विधेयक में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है ।

मुझे स्मरण है कि १९४८ में २७ मार्च को बम्बई में एक बैठक हुई थी जिसमें सरकार ने निर्माताओं को निदेश सिद्धान्तों की एक व्यापक संहिता देने का वचन दिया था । किन्तु वह बात न बन सकी यदि यह ही हो जाता तो बहुत सा सामाजिक अपव्यय ही बच सकता था । हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का अपव्यय हो । देश की कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जानी चाहिये ।

यदि हम चलचित्रों को वास्तव ही में एक प्रमाणिक स्तर पर लाना चाहते हैं तब यह आवश्यक है कि हमें इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये परिचालित कर देना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मूल प्रस्ताव तथा परिचालन का प्रस्ताव सभा के सामने है।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : मैं यह दावा नहीं करता कि मैं कला का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हूं तथापि इस विधेयक पर कुछेक बातें कहूंगा।

यह सर्वविदित है कि अब चलचित्र उद्योग की जड़ें जम गई हैं। इस का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। सरकार ने स्वयं इस बात को अच्छी तरह से समझा है और इसी कारण उन्होंने चलचित्रों को संस्कृति के दर्शन का प्रभावपूर्ण माध्यम बनाने का प्रयास किया है।

थम विधेयक १९५२ में पुरःस्थापित किया गया था; सके पश्चात् उसके स्थान पर यह विधेयक रखा गया है।

इस विधेयक को देख कर मुझे तो लगता है कि सरकार स्वीकारात्मक सहायता देने के अतिरिक्त सभी नकारात्मक कार्य करती जा रही है क्योंकि अब विवाचन बोर्ड के पास और भी तीक्ष्ण काट के शस्त्र संभरित कर दिये ग हैं। मैं विवाचन बोर्ड के बारे में भी अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। अन्य देशों में भी हमारे यहां के सदृश प्रवृत्तियां चल रही हैं। यह तो अवांछनीय बात है कि चलचित्रों वाले धन बटोरने के लिये सामाजिक अत्यावश्यकताओं की ओर तनिक भी ध्यान न दें।

हमें बच्चों के लिये पृथक चलचि बनाने चाहियें अन्य देशों में बच्चो के लिये चलचित्र पृथक बनाये जाते हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। रूस में भी १९३६ से ही बच्चों की फिल्में बनाने का काम चल रहा है। यहां भारतवर्ष में भी बच्चों की फिल्में बनने लगी हैं किन्तु अभी तक वे फिल्में केवल हिन्दी भाषा में ही बनती हैं। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि चलचित्र हिन्दी में क्यों बनाये जाते हैं बल्कि मुझे तो आपत्ति इस बात पर है कि अन्य भाषाओं में इस प्रकार के चलचित्रो का निर्माण होना चाहिये। इस बारे में हमारी सरकार को अवश्य ही कार्यवाही करनी चाहिये। सब निर्माताओं से कहना चाहिये कि वे बच्चों के लिये चित्र भी बनायें।

चलचित्रों के शैक्षणिक योग पर मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। चलचि शिक्षा का एक महान माध्यम बन सकते हैं। चलचित्र जांच समिति ने इस सारे पहलू पर बड़े प्रभावपूर्ण शब्दों में प्रकाश डाला है।

जहां तक विवाचन बोर्ड का सम्बन्ध है मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं कि उनकी काट से नग्न विदेशी चलचित्र किस प्रकार बच जाते हैं। भारतीय चित्रों में तो वह मद्य पीने के दृश्यों को भी कटवा देते हैं वास्तव में हमारे विवाचकों को युक्तियुक्त आधार पर ही चलचित्रों का विवाचन करना चाहिये। अतः मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस बात की भी उपयुक्त व्यवस्था करें। विवाचन बोर्ड में बड़े उच्चस्तरीय व्यक्ति होने चाहियें।

इस विधेयक द्वारा एक सलाहकार तालिका का निर्माण होगा किन्तु हमें यह पता नहीं है कि इनका निर्माण होगा किस रीति से।

†**डा० केसकर** : सलाहकार तालिकाएं तो विद्यमान हैं किन्तु वे कार्य नहीं कर रही हैं। सदस्यों की अर्हतायें आदि उन नियमों में उल्लिखित हैं जिन्हें संसद् के समक्ष रखा गया है। यदि माननीय मंत्री कोई आलोचना करना चाहते हैं तो वह पहले उन्हें देख लें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ईश्वर अय्यर** : मुझे स बात का पता है कि सलाहकार तालिकाएं तो हैं। किन्तु इस अधि नियम के अन्तर्गत तो उनका चुनाव इस रीति से ही होगा। हमें इनमें सदस्य रखने के लिये क्षेत्रीय सरकारों से भी परामर्श करने की व्यवस्था करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन भी दिया है जिस पर विचार करना चाहिये। मैं और अधिक समय सभा का नहीं लेना चाहता।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी:** (नवदीप): मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने फिल्म उद्योग के लिए बहुत कुछ किया है। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे सरकार को करीब २ करोड़ रुपये का राजस्व मिलता और करीब २,५०,००० व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। मेरे मिश्र ने जोला की पुस्तकों पर चि बनाने की बात कही पर मैं समझती कि हमारे देश के लोग अपने बच्चों को चि नहीं देखने देंगे। साथ ही चलचित्र विवाचन बोर्ड में कानून का एक ज्ञाता होना भी आवश्यक है क्योंकि कई बार कानून दृष्टि से गलत बातें भी विवाचन बोर्ड स्वीकार कर देता है। साथ ही विवाचन बोर्डों में क्षेत्रीय भाषा जानने वाला भी एक व्यक्ति अवश्य होना चाहिये ताकि भाषा सम्बन्धी कोई त्रुटि न छूटने पाये।

श्री कानूनगो ने फिल्म उद्योग वालों से जो ३० तिशत कटौती की बात का पालन करने की मांग की है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि फिल्म उद्योग उस वायदे को अवश्य पूरा करे। साथ ही कुछ अच्छी फिल्में तैयार करे।

फिल्म उद्योग समिति ने एक फिल्म संस्था बनाने की सिफारिश १९५१ में की थी पर अभी तक हम वह संस्था नही बना पाये हैं। यदि हम चाहते हैं कि निर्माता अच्छी फिल्में बनायें तो आवश्यक है कि हम फिल्म संस्था बनायें। हमारे प्रोत्साहन से बनी **पाथेर पंचाली** तथा काबुली वाला फिल्में बनी थीं जिन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। अत. सरकार शीघ्र ही निकट भविष्य में फिल्म संस्था बनायेगी ऐसा मुझे विश्वास है।

इस विधेयक में मैंने संशोधन द्वारा यह मांग की कि यदि विवाचन बोर्ड किस फिल्म में कोई गलती छोड़ दे और बाद में वह गलती किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बताई जाय तो उसमें समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

जहा तक बच्चों की फिल्मों का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करती हूं कि बच्चों की अधिकाधिक फिल्में तैयार की जायें। अभी तक फिल्म डिवीजन ने बच्चों की केवल दो फिल्में बनाई हैं। रूस से हमें कुछ बच्चों की फिल्में प्राप्त हुई हैं। रूस की स्थिति और भारत की स्थिति में अन्तर है। अत: मेरा नि दन है कि विवाचन बोर्ड अच्छी प्रकार से यह निश्चय करने के बाद उन फिल्मों को दिखाने की अनुमति दे कि वे फिल्में भारतीय वातावरण के अनुकूल हैं या नहीं।

मैं इस विधेयक का स्वागत करती।

**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने जो बिल उपस्थित किया है मैं उसको आम तौर से समर्थन करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने यह बात नहीं देखी है कि फिल्म बोर्ड आफ सेन्सर्स में जो मेम्बर होंगे उनकी नियुक्ति के लिये सरकार किन-किन बातों का ध्यान रखेगी या रखती है। हो सकता है कि नियमों में यह दिया हो, लेकिन मैंने नहीं देखा है। सबसे पहले मैं इसकी तरफ रकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फिल्म को सेन्सर करने वाले जो मेम्बर हों, उनकी नियुक्ति करते समय इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिये कि फिल्म बनाने का जो उद्योग है, उसके साथ उनका कोई आर्थिक

†मूल अंग्रेजी में

रिश्ता है या किसी और तरह का सम्बन्ध तो नही है, जिसमें कि वे लोग निष्पक्ष भाव से अपना निर्णय कर सकें। इसके लिये अच्छा यह होता कि कानून में ही इस बात का समावेश होता कि फिल्म उद्योग के साथ उनका किसी तरह का आर्थिक सम्बन्ध, या किसी कम्पनी के साथ डाइरेक्टरशिप वगैरह का सम्बन्ध तो नही है। अगर इस तरह का सम्बन्ध वह रक्खें तो ठीक नही होगा। अगर इस बात का जिक्र कानून में है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नही है तो उस के होने की जरूरत है।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहूंगा वह यह है कि यह बात सही है कि आज समाज के लिये फिल्म का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, यद्यपि इसके सम्बन्ध में भिन्न लोगों की अलग-अलग रायें हो सकती हैं। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उसने काफ़ी महत्व का स्थान अपना लिया है। जहां तक मनोविनोद का ताल्लुक है, इस उद्योग से समाज को मनोविनोद बहुत होता है, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में सभी देश के लोग इस बात को मानते हैं कि जहां सका मनो विनोद के लिये महत्वपूर्ण स्थान है, वहां शिक्षा के लिये भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। फिल्म उद्योग चाहे प्राइवट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में, दोनों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जहां समाज के लोगों का मनोविनोद हो वहां समाज के लोगों की शिक्षा का भी पूरा ख्याल रक्खा जाय। जो सेन्सर बोर्ड के मेम्बर होते हैं वे इस बात को जरूर ध्यान में रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि प्राइवेट क्षेत्र में जो फिल्में तैयार की जाती हैं, उनकी स्वीकृति के समय सेन्सर बोर्ड की ओर से पूरा ख्याल नहीं किया जाता। अन्य माननीय सदस्यों की तरह से मैं भी फिल्म एन्क्वायरी रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि जल्दी से जल्दी अच्छी फ़िल्मों का उत्पादन हो, अगर उस पर सरकार का पूरा कंट्रोल न हो तो भी उसका कुछ नियंत्रण जरूर हो जिस तरह से और क्षेत्रों में सरकार क्रियात्मक रूप से भाग ले रही है, वह चाहती है कि देश में उद्योग धंधे बढ़ें, धन बढ़े, उसी तरह से इसमें भी उसे भाग लेना चाहिये। लेकिन उसे सिर्फ यही ध्यान नहीं रखना चाहिए कि देश में धन बढ़ जाय और लोगों को शिक्षा न मिले। आजकल फिल्म जो है वह शिक्षा का जबर्दस्त माध्यम है। बच्चों को किताब से किसी चीज को पढ़ने में जितना समय लगता है, किताब से ज्ञान प्राप्त करने में उसे जितना समय लगता है, और जितना ध्यान देना पड़ता है, अगर फिल्म उद्योग के द्वारा वह किया जाये तो उतना ज्ञान बहुत थोड़े समय में हो सकता है। मैं नहीं जानता लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है और जहां तक मेरा शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्ध है, उसकी बिना पर कह सकता हूं कि अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में इस फिल्म उद्योग ने बिल्कुल ही नहीं के बराबर काम किया है। हमारे देश में चाहे वैज्ञानिक शिक्षा हो, भूगोल या इतिहास की शिक्षा हो और चाहे और प्रकार की शिक्षा हो, सब में स्कूली शिक्षा का किताबी शिक्षा का ही ज्यादातर प्रयोग रहता है जबकि फ़िल्में इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण योगप्रदान कर सकती है। इस दिशा में सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। अब यह जो बच्चों के फिल्मों की योजना स्वरूप दिल्ली में एक सोसाइटी बनी है और एक, दो अन्य स्टेटस में भी सम्बन्धित राज्य सरकारों ने जो इस प्रकार की सोसाइटियां अपने वहां पर बनाई हैं, वे बिल्कुल अपर्याप्त हैं। अभी तक जो किताबी शिक्षा स्कूल, कालिजों से दी जा रही है उसमें फ़िल्मों से विद्यार्थियों के ज्ञान-वर्धन करने की कोई खास चेष्टा नहीं की जा रही है और यह उपेक्षित सी है। फिल्म्स के जरिए हम अपने बालकों के दिमागों पर जो जानकारी अथवा ज्ञानवर्धक चीजें जल्दी से जल्दी अंकित कर सकते हैं, उसकी तरफ सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। मैं मन्त्री महोदय से यह आशा करता हूं कि वे इस दिशा में शीघ्र ध्यान देंगे और अगर फ़िल्म उत्पादन पर पूरा नियन्त्रण नहीं तो कम से कम स फिल्म उद्योग को सही लाइन्स पर रैगुलेट करने के लिए, उसके रैगुलेशन के लिए ही सही, किसी एक संस्था को स्थापित करने के लिये आवश्यक क़दम उठायेंगे। उस विभाग की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि बहुत दिनों से विचार हो रहा है कि एक नेशनल फिल्म बोर्ड कायम किया जाये। उस दिशा में

क्या प्रगति अब तक ई है, यह हम लोग जानना चाहेंगे ? उसमें यह भी दिया हुआ है कि एक फ़िल्म इंस्टीच्यूट की स्थापना होगी। जैसेकि मेरे से पूर्व एक माननीय सदस्य ने कहा कि फिल्म इंस्टीच्यूट होगा तो उससे सरकार को भी फ़िल्मों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी मिलेगी और उसके द्वारा जो फ़िल्म सम्बन्धी अनुसन्धान होंगे, उनसे सरकार के अलावा प्राइवेट सैक्टर में काम कर रहे फ़िल्म उद्योग को भी फ़ायदा होगा। सलिये मैं उसकी तरफ़ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि फ़िल्म जब बन कर तैयार हो जाती है और जब उसे सेंसर बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाता है तब अक्सर मौक़ों पर सेंसर बोर्ड की तरफ से यह कहा जाता है कि अमुक फ़िल्म खराब है, आपत्तिजनक है या कि अमुक फ़िल्म का उतना हिस्सा आपत्तिजनक है और लाचार होकर प्रोडयूसर को उतनी कांट छांट करनी पड़ती है यह एक तरह का राष्ट्रीय अपव्यय होता है। मेरी समझ में यह अच्छा होता अगर कोई संस्था इस तरह की बना दी जाती जिसके कि पास फ़िल्म निर्माता अपनी फ़िल्म्स तैयार करने के पहले उनकी स्क्रिप्टस उस संस्था के पास मंजूरी के लिए भेज देते और उस संस्था की राय लेकर अगर फ़िल्मों का निर्माण किया जाय तो इस तरह का राष्ट्रीय अपव्यय जो आज होता है, वह नहीं हो सकेगा। इसलि स प्रकार की संस्था का निर्माण होना ज़रूरी है।

एक बात की ओर मैं सदन और मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न किया था जिस में कि मैं ने फ़िल्म फ़ाइनेंस कारपोरेशन स्थापित करने का सवाल उठाया था, मैं इस से इंकार नहीं करता कि फिल्म उद्योग में आज प्राइवेट सैक्टर काफी पूंजी लगा रहा है और यह ठीक भी है कि प्राइवेट सैक्टर के लोग फ़िल्म व्यवसाय में अपनी पूंजी लगायें क्योंकि सरकार या राष्ट्र के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस उद्योग में उसे लगा दें फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग या कुछ संस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जिन के कि पास पैसे का अभाव हो लेकिन जिन में कि फ़िल्म्स बनाने की आकांक्षा हो और उन में अच्छी फिल्में बनाने का आवश्यक गुण और काबलियत हो लेकिन चूंकि उन के पास पैसे का अभाव है इसलिये वह इस उद्योग में भाग नहीं ले सकते हैं जबकि ऐसे लोग जोकि फ़िल्म निर्माण सम्बन्धी खास योग्यता नहीं रखते हैं लेकिन जिन के पास काफ़ी पूंजी होती है वे मुनाफ़ा कमाने के खयाल से इस उद्योग में अपनी पूंजी लगाते हैं और वे इस क्षेत्र मे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिये यह सरकार का कर्तव्य है कि वह एक फिल्म वित निगम की स्थापना करे जो इस प्रकार की संस्थाओं को आर्थिक सहायता कर सके भले ही वह कोआपरेटिव सोसाइटी हो, या वहां के लोगों का कोई एक समाज हो जोकि कुछ अपना पैसा लगाये और कुछ जनता का पैसा उस में लगाये और इस तरह से इस उद्योग की सरकार को सहायता करनी चाहिये ताकि केवल नफ़े के खयाल से ही फिल्में न बनें बल्कि लोगों के ज्ञान प्रसार की दृष्टि से और लोगों में एक अच्छा टेस्ट निर्माण करने की दृष्टि से भी हमारे देश में फिल्में बनने लगें। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार थोड़ी रकम से एक फिल्म फ़ाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना जल्द से जल्द करे ताकि अभी जो एक तरह से फिल्म व्यवसाय में बड़े बड़े पूंजीपतियों की एक तरह से मोनोपली बनी हुई है और सिर्फ अपने नफ़े को दृष्टि में रख कर जो फिल्मों का निर्माण करते हैं, उन लोगों की मोनोपली न रह जाये और कुछ दूसरे लोग भी जो इस मे दिलचस्पी रखते हैं उन को भी इस काम को करने का मौका मिले।

इस के अतिरिक्त मुझे यह निवेदन करना है कि अब तक जो फिल्में सर्टिफ़ाई की जाती थीं मुझे ठीक से तो नहीं मालूम लेकिन शायद अब तक पांच वर्ष के लिये सर्टिफ़ाई की जाती थीं। अब यह हो सकता है कि आज जिस भावना को लेकर सेंसर बोर्ड ने किसी एक फिल्म को सर्टिफ़ाई किया हो, कुछ दिनों के बाद उसी फिल्म का कोई भाग आपत्तिजनक प्रतीत होने लगे इसलिये यह ज़रूरी है कि फ़िल्में केवल पांच वर्ष के लिये ही सर्टिफ़ाई हों और पांच वर्ष के बाद फिर उन को रेन्यू किया जाय

ताकि अगर कोई खामी फिल्म के किसी भाग में समाज कल्याण की दृष्टि से प्रतीत हो तो उस खामी को दूर किया जा सके । यह दस वर्ष का जो समय इस में दिया गया है वह सिर्फ़ पांच वर्ष का रक्खा जाये ।

सरकार जो रूल्स बनायेगी अथवा बने हैं वह हमारे सामने रक्खे जायेंगे लेकिन मैं चाहूंगा कि फिल्म सेंसर बोर्ड को सरकार के द्वारा जो डाइरेक्शन्स ईश्यू किये जायें, वे भी यहां सभापटल पर रक्खे जायें, सदन में विचारार्थ नहीं बल्कि सूचनार्थ, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाये तो उत्तम होगा । हमारे संविधान के आधार पर फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये जिन मूलभूत सिद्धान्तों को इस बिल में स्थान दिया गया है वह तो ठीक है मैं यह नहीं चाहता हूं कि उन से दूसरे तरह के डाइरेक्टिव्स ईश्यू किये जायें लेकिन जहां तक उन प्रिंसिपल्स का ताल्लुक है, जिस प्रिंसिपल के आधार पर सरकार फ़िल्म सेंसर बोर्ड को काम करने की हिदायत देती है, वह प्रिंसिपल्स जिन पर कि उसे काम करना है, उन प्रिंसिपल्स की एक कापी सदन के पटल पर रक्खी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वैसे अभी दो, चार बातें और कहनी थीं लेकिन चूंकि समय का अभाव है इसलिये मैं यहां पर समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द एक इस प्रकार की संस्था स्थापित करे जोकि प्राइवेट सैक्टर वालों कों, चिल्ड्रेन फिल्म्स सोसाइटी और दूसरे जो लोग इस व्यवसाय में काम करते हैं, उन को यह संस्था ऐडवाइस दे और इस संस्था द्वारा जो अनुसंधान किये जायें उन से वे लोग फ़ायदा उठायें ताकि देश और समाज की भलाई करने वाले फ़िल्म तैयार किये जा सकें और शिक्षा के क्षेत्र में भी ज्ञानवर्धन की जो आज बड़ी कमी है उस की पूर्ति भी ज्ञानवर्धक फ़िल्मों को बना कर बहुत हद तक की जा सकती है । इसलिये मैं समझता हूं कि एक इस तरह की संस्था का निर्माण अवश्य होना चाहिये ।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : मूल अधिनियम में चलचित्र की जो परिभाषा दी गई है उस में कुछ सुधार करना आवश्यक है । इस में कहा गया है कि जनता को दिखाने के लिये कोई चित्र यदि कोई अध्यापक स्कूल के बच्चों को प्राजेक्टर द्वारा कोई चित्र दिखलाता है तो वह भी इस कानून के अन्दर आ जायेगा । अतः इस परिभाषा में सुधार करने की परम आवश्यकता है ।

खण्ड ५ख(१) के उपबंधों में भी कुछ त्रुटियां हैं । उस में सुरुचि तथा नैतिकता की बात कही गई है । पर सुरुचि तथा नैतिकता ऐसी भावनायें हैं । जिन की कल्पनायें नित्य प्रति बदलती जा रही हैं । पहले जो बातें अरुचिपूर्ण तथा अनैतिक थीं, आज की सभ्यता में वे अब अरुचिपूर्ण तथा अनैतिक नहीं मानी जाती हैं । अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस संबंध में भी कुछ उपाय करें ताकि इन की परिभाषायें स्पष्ट हो जायें ।

खण्ड ४(तीन) को लीजिये । कभी-कभी विवाचन बोर्ड किसी फिल्म के कुछ अंशों को निकाल देने का आदेश देता है। यदि निर्देशक या निर्माता उस अंश को बिना निकाले चित्र प्रदर्णित करता है तो क्या होगा । अतः सरकार को या विवाचन बोर्ड को चाहिये कि वह तभी प्रदर्शन करने का प्रमाणपत्र दे जब निर्माता उस आपत्तिजनक अंश को निकाल कर ठीक प्रति बोर्ड के पास जमा कर दे ताकि यदि बाद में निर्माता उस का प्रदर्शन करे तो सरकार उसके विरुद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही कर सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस समय भी निर्माता को एक संशोधित प्रति सरकार के पास जमा करनी पड़ती है ।

†**श्री हेम बरूआ** : माननीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी से मुझे प्रसन्नता हुई ।

खण्ड ५क को लीजिये । सरकार फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति देते समय उसे 'क' और 'ख' वर्गों में बांट देती है । 'क' केवल वयस्कों के लिये और 'ख' सार्वजनिक अर्थात् सब के लिये । अब प्रश्न यह है कि 'क' वर्ग की फिल्मों को देखने से बच्चों (१८ वर्ष से कम आयु वालों) को रोकने का उत्तरदायित्व किस पर है, माता पिता पर या सिनेमा के प्रबन्धकों पर । यह एक बड़ी समस्या है । सिनेमा के प्रबन्धकों के सामने आयु का पता लगाने तथा लोगों की नाराजी मोल लेने आदि की अनेक कठिनाइयां आती हैं । अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन बातों के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश अवश्य डालेंगे ।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : इस विधेयक को देख कर हमें काफी खेद है क्योंकि यह कोई व्यापक विधेयक नहीं है । इस में केवल विवाचन संबंधी उपबन्ध रखे गये हैं । पर केवल विवाचन सम्बन्धी उपबन्ध ही पर्याप्त नहीं हैं । आज हमारे देश में फिल्म उद्योग इस्पात तथा वस्त्र उद्योग के टक्कर का उद्योग बन रहा है । अतः इस के अन्य उपांगों पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है । आज हमारे देश के बहुत से नवयुवक तथा नवयुवतियां फिल्मों में काम करने के लिये बम्बई व कलकत्ता भाग कर जाते हैं । पर निर्माता उन्हें धोका देते हैं और उन बेचारों की जिन्दगी बरबाद हो जाती है । अतः सरकार को चाहिये कि इस प्रकार जाली निर्माताओं की धोकाधड़ी से बचने के लिये भी कुछ उपबन्ध रखे जायें ।

आप जानते हैं कि फिल्मों के निर्माण में आज ५० लाख या करोड़ों रुपये व्यय किये जाते हैं । अच्छे निर्माता कभी-कभी पैसे की कमी के कारण प्रतिद्वन्दिता में भाग नहीं ले पाते अतः कुछ निर्माता गन्दी तथा परकीय प्रभाव की फिल्में बनाते हैं । मेरा निवेदन है कि व्यय के विनियमन के लिये तथा परकीय प्रभाव की फिल्मों के निर्माण के विनियमन के लिये भी कुछ उपबन्ध होना आवश्यक है ।

माननीय मंत्री को चाहिये था कि वह इस सम्बन्ध में एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करते । हमारे देश की नई पीढ़ी का भविष्य बहुत कुछ फिल्मों के अच्छे-बुरे होने पर निर्भर है । केवल विवाचन संबंधी उपबन्धों से इस उद्योग का सुधार नहीं होगा । अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री भविष्य में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें ताकि यह उद्योग एक मजबूत कदमों पर खड़ा हो सके ।

†**श्री सम्पत** (नामक्कल) : माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक विस्तृत विधयक प्रस्तुत किया जायेगा पर यह विधेयक देख कर हमें बहुत निराशा हुई 'सार्वजनिक प्रदर्शन' वाले उपबन्ध के कारण अनेक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं । किसी स्कूल के बच्चों को शिक्षा देने के लिये या परिवार के सदस्यों को मनोरंजन करने के लिये यदि कोई फिल्म किसी स्कूल या घर में दिखाई जायेगी तो वह इन उपबन्धों के अधीन आयेगी यह एक अनुचित बात है । मेरा निवेदन है कि इस में संशोधन किया जाये । मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन की सूचना भी दे दी है ।

इस विधेयक द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को हस्तक्षेप करने का जो अधिकार दिया गया है वह और भी बुरा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं आप का ध्यान इस सम्बन्ध में पुस्तकों तथा पत्रों की ओर आकृष्ट करता हूं। कोई आपत्ति-जनक बात पुस्तकों या पत्रों में छपने के बाद उस पर आपत्ति उठाई जाती है पर फिल्मों के संबंध में पहले से ही विवाचन का झंझट क्यों रखा गया है। मैं पूछता हूं कि पत्रों तथा पुस्तकों व फिल्मों के मामले में ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है।

श्री महन्ती ने जो कुछ कहा है मैं उस से पूर्णतः सहमत हूं। अमरीका में निर्माण संहिता प्रशासन तथा ब्रिटेन में विवाचन का जो स्वैच्छिक सिद्धान्त अपनाया गया है वह काफी सफल रहा है। मेरा निवेदन है कि भारत में भी हमें इस अनुभव से लाभ उठाना चाहिये।

क्षेत्रीय मंत्रणा परिषदों में लोगों को नाम निर्देशित करने के मामले में राज्य सरकारों की राय लेना परम आवश्यक है। खेद की बात है कि इस में राज्य सरकारों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। उन की राय लिये बिना इस विधेयक को सफल बनाना संभव नहीं होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** यह वादविवाद अब कल पुनः आरम्भ होगा। अब गन्ने के लिये अधिक ऊंचे मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को लिया जायेगा।

---

## गन्ने की अधिक कीमत निर्धारित करनेके बारें में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदयः** श्री ब्रजराज सिंह वादविवाद आरंभ करेंगे। तीन माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव की सूचना दी है। तीन स्थानापन्न प्रस्ताव भी हैं। एक स्थानापन्न प्रस्ताव १० सदस्यों द्वारा दिया गया है, दूसरा दो सदस्यों द्वारा तथा तीसरा एक माननीय सदस्य द्वारा दिया गया है। अनेक माननीय सदस्य इस वादविवाद में भाग लेना चाहते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि प्रस्तावक महोदय २० मिनट स अधिक तथा अन्य माननीय सदस्य १० मिनट से अधिक समय न लें।

**श्री ब्रजराज सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

> "कि गन्ने की अधिक ऊंची कीमत निर्धारित करने के प्रश्न पर जैसाकि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की विधान सभाओं ने सिफारिश की है, विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद है कि इस सदन में और हमारे देश के जो सब से बड़े दो चीनी पैदा करने वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, उन राज्यों की विधान सभाओं में चीनी और गन्ने की कीमतों के विषय पर अक्सर चर्चा चलती रहती है। इस सदन में भी २२ मार्च सन् १९५७ को एक चर्चा चली थी गन्ने की कीमत को बढ़ाने के सम्बन्ध में और उस वक्त भी सरकार की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था। सिर्फ एक बात कह दी गयी थी, जिसकी सरकार बार-बार रट लगाती रहती है, और वह यह दलील है कि यदि गन्ने की कीमत बढ़ा दी गयी तो खाद्यान्न की पैदावार कम हो जायेगी, अगर गन्ने की कीमत बढ़ा दी गयी तो गन्ने की खेती का क्षेत्र बढ़ जायेगा और देश के खाद्य संकट को दूर करने में इससे कठिनाई पैदा होगी क्योंकि इस प्रकार खाद्यान्न की पैदावार कम हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश की विधान सभा से पूर्व बिहार की विधान सभा ने सन् १९५७ में एक प्रस्ताव पास किया, सर्व सम्मति से, जिसमें उन्होंने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की कि गन्ने की कीमत एक रुपया १२ आना मन किसान को देना सरकार तै करे। २५ जुलाई सन् १९५८ को उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की गयी है कि केन्द्रीय सरकार गन्ने का भाव एक रुपया १२ आना मन तै कर दे। लेकिन इन दो विधान सभाओं के यह सिफारिश करने के बावजूद गन्ने की कीमत नहीं बढ़ायी गयी। यह याद रहे कि ये दो राज्य सारे हिन्दुस्तान के गन्ने का ७० प्रतिशत पैदा करते हैं।

उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त शुगरकेन बोर्ड ने भी केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की, ऐसी मेरी सूचना है, कि गन्ने की कीमत बढ़ायी जानी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश और बिहार की विधान सभाओं ने यह प्रस्ताव पास कर दिया तो उत्तर प्रदेश और बिहार के गन्ना बोर्ड के सामने इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था कि वह भी सिफारिश करे केन्द्रीय सरकार से कि गन्ने की कीमत बढ़ायी जाये। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की विधान सभाओं में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है। उन विधान सभाओं ने यह प्रस्ताव पास किया, और इस वक्त जो कानूनी तरीके से संयुक्त गन्ना बोर्ड संगठित है, उस ने भी यह सिफारिश की कि गन्ने की कीमत बढ़ायी जाये, और गैर सरकारी संस्थाओं जैसे हिन्द किसान पंचायत, और सोशलिस्ट पार्टी आदि दूसरी संस्थाओं ने भी यह मांग की कि किसान को उसकी उपज का उचित लाभ मिलने के लिये यह आवश्यक है कि गन्ने की कीमत बढ़ायी जाये, इस सब के बावजूद केन्द्रीय सरकार अपने हठ पर दृढ़ रही और कहती रही कि हम गन्ने की कीमत नहीं बढ़ायेंगे।

इस संदर्भ में यह याद रखने की जरूरत है कि पिछले अधिवेशन में केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो चीनी अध्यादेश जारी किया गया था उस वक्त अध्यादेश पर बहस होते समय यह बात साफ सामने आयी थी कि किस तरह यह सरकार चीनी की कीमत बढ़ाने के लिये तैयार हो जाती है और किस तरह चीनी के मिल मालिकों को नाजायज तरीके से मुनाफा कराने के लिये तैयार हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब गन्ने के उत्पादन में लगे तीस बत्तीस लाख खानदानों का सवाल आता है, उन दो करोड़ लोगों का सवाल आता है जो अपनी जीविका के लिये इसी काम पर निर्भर करते हैं, तो उनके गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये सरकार तैयार नहीं होती है।

हमारे सामने टैरिफ बोर्ड ने सन् १९५० में एक रिपोर्ट पेश की थी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दो विधान सभाओं की सिफारिश के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने गन्ने के सवाल को टैरिफ बोर्ड के सुपुर्द नहीं किया ताकि वह निश्चित करता कि गन्ने की उत्पादन कीमत क्या होती है और चीनी की क्या होती है। सन् १९५० की अपनी रिपोर्ट में टैरिफ बोर्ड ने कहा है कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं जिनके द्वारा वे पता लगा सकें कि गन्ने का उत्पादन व्यय क्या है। इन आंकड़ों के अभाव में वे अन्दाजा नहीं लगा सकते कि १०० मन गन्ने के उत्पादन का क्या व्यय होता है। सरकार के पास वैसे बहुत से आंकड़े रहते हैं, सरकार के पास आंकड़े संग्रह करने के लिये अलग एक आंकड़ा विभाग है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अपना आंकड़ा विभाग है। लेकिन जहां तक गन्ने के उत्पादन व्यय का सवाल है उसके आंकड़े सरकार के पास नहीं जिनसे कि अन्दाजा लगाया जा सके कि गन्ने को क्या उचित कीमत दी जानी चाहिये। सरकार द्वारा सिर्फ यही दलील बार बार दी जाती है कि अगर गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया तो उससे अनाज की पैदावार कम हो जायेगी। इसलिये सरकार गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि सरकार की यह दलील कितनी थोथी है। गन्ने की कीमत बढ़ने या घटनेसे अनाज की पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम गन्ने की खेती के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देखें तो उससे कुछ बड़े ही आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने आयेंगे। आप

**[श्री ब्रजराज सिंह]**

देखें कि सन् १९३५-३६ में गन्ने की खेती ४,५४,००० एकड़ भूमि में हुई थी; सन् १९३६-३७ में गन्ने की खेती ४५,८२,००० एकड़ भूमि में हुई थी। और सन् १९५७-५८ में ४७,८४,००० एकड़ भूमि में गन्ने की खेती की गयी। तो आप देखेंगे कि सन् १९३५-३६ से सन् १९५७-५८ तक यानी पिछले २२ साल में गन्ने की खेती के क्षेत्र में ६ लाख एकड़ की वृद्धि हुई। यह ऐसी बढ़ोतरी नहीं है जिससे कि अनाज की पैदावार में कोई कमी हो सकती है। यह याद रहे कि सन् १९५६-५७ में ५०,१९,००० एकड़ में गन्ने की खेती हुई थी और सन् १९५७-५८ में ४७,८४,००० एकड़ में ही गन्ने की खेती हुई। जो इस वक्त अन्दाजा लगाया जाता है उसके अनुसार इस साल गन्ने की पैदावार और कम क्षेत्र में होगी। तो आप देखें कि गन्ने की खेती कम क्षेत्र में होती जा रही है। लेकिन सरकार की ओर से बार बार यह कह दिया जाता है कि यदि हम ने गन्ने का कीमत बढ़ा दी तो अनाज की पैदावार कम हो जायेगी क्योंकि लोग गन्ने की तरफ ज्यादा बढ़ने लगेंगे। तो मेरा निवेदन है कि यह तथ्यों को छिपाने की बात है। सरकार की नीति यह रही है कि मिल मालिक को फायदा करा दिया जाये, और गन्ने के उत्पादक से ऐसी बातें कह दी जायें कि गन्ने की कीमत बढ़ने से अनाज की फसल कम हो जायेगी। आप जरा सिंचाई के सम्बन्ध में सरकार के आंकड़े देखिये। वहां पर लगभग चालीस फीसदी ही जमीन ऐसी है, जहां सरकार सिंचाई की सुविधायें दे सकती है। बाकी साठ फ़ीसदी जमीन पर सिंचाई की सुविधायें नहीं मिल सकती हैं। गन्ना बिना सिंचाई के नहीं हो सकता है। आज ८६ फ़ीसदी छोटे किसान हैं, जिन की जमीनें अनार्थिक हैं, जिन से कोई लाभ नहीं होता है। वे गन्ने की सिंचाई के लिये अपना कोई इन्तज़ाम नहीं कर सकते हैं। अगर कल गन्ने की कीमत बढ़ जाये और किसान गन्ने की खेती को बढ़ाना भी चाहें, तो वे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ चालीस फ़ीसदी जमीन पर सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं। जब तक सिंचाई की सुविधायें नहीं दी जाती हैं, तब तक गन्ने की खेती नहीं बढ़ सकती है। इस स्थिति में बार बार इस तरह की बहानेबाजी करने का कोई लाभ नहीं कि गन्ने की खेती बढ़ाने से अनाज की फ़सल कम होने लगेगी। यह एक ऐसी दलील है, जो कि निराधार है, जिस में कोई तथ्य नहीं है, जिस का कोई आधार नहीं है। तो फिर प्रश्न यह है कि सरकार क्यों नहीं यह चाहती कि गन्ने का उत्पादन बढ़े। जिस पार्टी की सरकार यहां केन्द्र में है, उसी पार्टी की सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश में है और बिहार विधान सभा ने सर्वसम्मति से और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने बहुमत से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये हैं, तब भी सरकार नहीं चाहती कि गन्ने का उत्पादन बढ़े। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का खाद्य और कृषि मंत्रालय ऐसे हाथों में है, जिस का खाद्य और कृषि से कोई सम्बन्ध नहीं है—जिस का सम्बन्ध तिजारत और व्यापार से तो है, लेकिन किसान और खेती से नहीं है। जब भी कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सरकार के द्वारा जान में या अनजान में ऐसा काम होता है, जिस से खेती को नुकसान होता है और व्यापार को फ़ायदा होता है। कुछ समय पहले जब चीनी का निर्यात करने के सम्बन्ध में जो अध्यादेश जारी किया गया था, तो मैं ने उसी वक्त दिखा दिया था कि कृषि मंत्रालय ने जान या अनजान में चीनी के मिल-मालिकों को चार पांच करोड़ रुपये का मुनाफ़ा दिलाया था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह दलील सही नहीं है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई नहीं जा सकती है। इस वक्त गन्ने की कीमत सेन्टर पर १-७-० रुपये दी जाती है और मिल के दरवाजे पर १-५-० रुपये दी जाती है। अगर इस कीमत को १-१२-० कर दिया जाय, तो क्या असर पड़ेगा? आज चीनी के मिल-मालिकों की तरफ़ से बड़ा प्रचार हो रहा है और उन की तरफ़ से इस सम्बन्ध में हर पार्लियामेंट के मेम्बर के पास बड़े सुन्दर लिफाफे में बड़े सुन्दर छपे हुए कागज़ भेजे जा रहे हैं, जिन में इस आशय का प्रचार किया जाता है कि सरकार ने चीनी पर कितना अधिक टैक्स लगाया हुआ है। शायद इस पृष्ठभूमि में ऐसा किया जा रहा है कि अगले बजट में चीनी पर एक्साइज़ कम कर दिया जाय।

प्रस्ताव

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीनी पर एक्साइज को कम करने की जरूरत नहीं है और चीनी पर टैक्सों को कम किये बगैर गन्ने की कीमत १-१२-० का जा सकती है। मैं जानता हूं कि सरकार की ओर से कहा जायगा कि अगर गन्ने की कीमत १-१२-०, २-०-० रुपये कर दी जायगी, तो सरकार को चीनी के टैक्स कम करने होंगे, जिन पर कि पंच-वर्षीय आयोजन की सफलता निर्भर करती है। हम नहीं चाहते कि चीनी के टैक्स को कम कर के गन्ने के दाम बढ़ाये जायें। उस सम्बन्ध में हम आप के साथ हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है कि चीनी के टैक्स को कम किये बगैर गन्ने की कीमत बढ़ाई जा सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस का ज़रिया है।

पहले हम ने देखना है कि गन्ने के उत्पादन में क्या चीजें होती हैं। उन में से एक चीज़ वगास है, जिसे खोई कहते हैं। उस का कहीं कोई हिसाब नहीं है। जब चीनी के उत्पादन पर होने वाले खर्च का हिसाब लगाया जाता है, तो उस में खोई का कोई हिसाब नहीं होता है। सौ मन गन्ने में से बीस मन खोई निकलती है। उस को गन्ने की मिलों को आठ आने मन के हिसाब से बेचा जा सकता है। गन्ने की हर मिल के पास कोयले का परमिट मौजूद होता है सरकार की तरफ़ से उन को कोयला दान में दे दिया जाता है। इस के बावजूद स्थिति यह है कि चीनी की मिलें चलती हैं खोई से और कोयला काला बाज़ार में चला जाता है। लेकिन मान लीजिए कि चीनी की मिलें कोयले से चलती हैं, तो फिर सौ मन में से बीस मन निकलने वाली खोई का क्या हिसाब है? जब टैरिफ़ कमीशन ने इस सम्बन्ध में हिसाब लगाया, तो उस में खोई का कोई हिसाब नहीं था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि खोई की कीमत का क्या हिसाब है। चीनी के मिल-मालिक उस को आठ आने मन के हिसाब से बेचते हैं। अगर वे कोयले के बजाय खोई जला रहे हैं, तो ज्यादा कीमत पड़ेगी। जैसा कि मैं ने अभी कहा, वगास आठ आने मन के हिसाब से गन्ने की मिलों को बिकती है।

**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर): एक रुपया बारह आने मन के हिसाब से बिकती है।

**श्री ब्रजराज सिंह:** मेरे मित्र कह रहे हैं कि वह एक रुपया बारह आने मन के हिसाब से बिकती है, लेकिन हम तो कम से कम हिसाब लगाना चाहते हैं। अगर वह आठ आने मन के हिसाब से भी गन्ना मिलों को बिके, तो १०० मन गन्ना पेरने पर दस रुपए मिलते हैं।

इसके अलावा शीरा—मौलैसिज़ भी निकलता है, जो कि सौ मन पेरने पर साढ़े तीन मन के हिसाब से निकलता है। उस में भी एक अजब बात है। उस के बारे में कहा गया है कि वह सिर्फ़ मिलों को जायगा और सरकार उस को खरीद लेगी और वह कम कीमत पर खरीदती है। जो भी हो। लेकिन क्या यह सही है कि पूरा शीरा मिलों के लिए जाता है और सरकार उस को खरीदती है। मेरी सूचना है कि पूरा शीरा जाता नहीं है। मिलें उस को डेढ़ दो रुपये मन के हिसाब से बेच देती हैं। अगर उस का हिसाब लगायें, तो शीरे से भी हम सौ मन गन्ने पर दो रुपया ज्यादा पा सकते हैं।

इस के अलावा चीनी का उत्पादन करने में प्रैस-मड—मैलो—भी निकलता है। चूने के भट्टे लगाने में और ईंट के भट्टे लगाने में उस का इस्तेमाल होता है। यह मैली सौ मन में से ढाई मन निकलती है। उस से भी हम सवा रुपया पैदा कर सकते हैं।

अगर खोई, शीरा और मैली का हिसाब हम लगायें, तो सौ मन गन्ने से हम को सवा तेरह रुपए मिल जाते हैं। चीनी के उत्पादन पर छः पैसे मन की जो बात की जाती है, उस में प्रैस-मड,

**[श्री ब्रजराज सिंह]**

खोई और शीरे का कोई हिसाब नहीं है। इस से स्पष्ट है कि बिना कोई कीमत बढ़ाए हुए आज की हालतों में तेरह नए पैसे प्रति मन के हिसाब से गन्ने की कीमत बढ़ाई जा सकती है।

इस के बाद में एक दूसरी बात की तरफ़ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य समय का भी ख्याल रखें।

**श्री ब्रजराज सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे आध घंटे से कम मिलेगा, तो मैं अपने विषय के साथ अन्याय करूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तमाम उत्तर प्रदेश में इस के कारण बेचैनी फैली हुई है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अगर आध घंटा आप लें लेंगे, तो बाकी सदस्यों के लिए कितना समय बचेगा ?

**श्री ब्रजराज सिंह :** यह तो परम्परा रही है कि मूवर को कम से कम आध घंटा मिलता है।

जहां तक रिकवरी का सवाल है, उस के बारे में टैरिफ़ बोर्ड ने १९५० में कहा कि रिकवरी बढ़नी चाहिए और इस के लिए उस ने कुछ सिफ़ारिशें कीं और सरकार ने उन सिफ़ारिशों को मंजूर कर लिया। रिकवरी को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ़ से कुछ काम भी किए गए, जैसे अच्छी नस्ल का गन्ना बोना, अच्छी खाद उपलब्ध करना और सिंचाई की सुविधायें देना, वगैरह। लेकिन उलटा काम होता है।

**[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]**

एक तरफ़ तो सरकार रिकवरी को बढ़ाने के लिए कुछ काम करती है और बड़े गर्व के साथ कहती है कि गन्ने का उत्पादन और रिकवरी बढ़ाने के लिए हम ने पंच-वर्षीय योजना में इतना रुपया खर्च किया है और खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ़ रिकवरी घटती जा रही है--लगातार घटती जा रही है। मेरे पास इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, बिहार और हिन्दुस्तान भर के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में १९५३-५४ में सौ मन गन्ने पर ९.८७ मन रिकवरी थी, १९५४-५५ में ९.६६ मन, १९५५-५६ में ९.७० मन, १९५६-५७ में ९.६८ मन रिकवरी थी। यही हालत बिहार की है। उस को मैं छोड़ देता हूं। हिन्दुस्तान भर में १९५३-५४ में १०.०८ मन रिकवरी थी, १९५४-५५ में ९.९२ मन, १९५५-५६ में ९.८३ मन, १९५६-५७ में ९.७३ मन थी। इन आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि रिकवरी लगातार घटती जा रही है। क्या वह इस लिए घट रही है कि वाकई गन्ना अच्छा नहीं होता है। बात ऐसी नहीं है। अगर हम गुड़ की रिकवरी के आंकड़े देखें, तो पता चलेगा कि गुड़ की रिकवरी तो बढ़ रही है, जब कि चीनी की रिकवरी घट रही है। इन्हीं चार सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि हिन्दुस्तान के पैमाने पर जहां १९५३-५४ में एक एकड़ में १.२८ टन गुड़ पैदा हुआ, वहां १९५४-५५ में १.४४ मन गुड़ पैदा हुआ। फिर १९५६-५७ में जाकर यह १.४४ मन पैदा हुआ। एक तरफ़ हम देखते हैं कि चीनी की रिकवरी घट रही है और उसी गन्ने से जो गुड़ बनता है उस गुड़ की रिकवरी बढ़ रही है। इससे क्या साबित होता है ? इससे यह साबित होता है कि हर मिल में लगातार रिकवरी के जो आंकड़े दिये जाते हैं वह गलत दिये जाते हैं। कम से कम आधा मन चीनी प्रति सौ मन गन्ने के हिसाब से रिकवरी की चोरी की जाती है। यह भी याद रखा जाना चाहिये कि केन्द्रीय

सरकार को जो एक्साइज टैक्स मिलता है चीनी पर उसकी भी चोरी होती है, कोआपरेटिव सोसाइटीज को जो गन्ना मिलता है उसकी चोरी होती है । अगर इस आधे मन का आप हिसाब लगायें तो पता लगेगा कि हर सौ मन गन्ने पर आधा मन चीनी बढ़ जाती है । इसका मतलब यह हुआ कि १८ रुपये की चीनी मिल जाती है । इस चीनी पर मिल मालिक को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है । यह रुपया उसकी जेब में जाता है । इसका मतलब हुआ कि एक मन गन्ने पर उसको १८ नए पैसे मिल जाते हैं, १३ नए पैसे खोई, सीरा, प्रेसमड से निकाल सकता है । १८ नए पैसे रिकवरी से जैसे मैंने अभी आपको बताया वह निकाल सकता है और १३ नए पैसे दूसरी तरह से लेता है इस तरह से ३१ नए पैसे वह निकालता है बिना किसी तरह की आज की जो कीमत है, उसमें कोई अव्यवस्था पैदा किये हुये

आप किसान को १ रुपया ७ आना मन दे रहे हैं । हम कहते हैं कि उसको १ रुपया १२ आना मन दिया जाए । यह पांच आना फी मन बिना किसी दिक्कत के आप बढ़ा सकते हैं । इससे आज जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा । मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि नाजायज तरीके से जो आज मिल मालिक फायदा उठा रहे हैं, उनको मैं नहीं ले रहा हूं । यह कहा गया है कि ७० करोड़ रुपया सभें लगा हुआ है । पिछले चार सालों में जो गन्ने की कम कीमत दी गई है उसका हम हिसाब लगायें तो पता चलेगा कि ८० करोड़ रुपया मिल मालिक ज्यादा पैदा कर चुके हैं । ७० करोड़ तो कैपिटल है और ८० करोड़ रुपया पैदा ये लोग कर चुके हैं । लेकिन इस तरफ मैं आज जाना नहीं चाहता । ७० करोड़ रुपये पर जितना मुनाफा आज ये कमा रहे हैं उसको जाने दीजिये, उसको रहने दीजिये, वह ये लोग लेते रहें । इसके बावजूद जो दूसरी चोरी हो रही है उसको रोक कर के, उसको ठीक करके हम आज पांच आना मन गन्ने की कीमत को बढ़ा सकते हैं बगैर किसी परेशानी के ।

मैं साबित कर चुका हूं कि सरकार की यह दलील कि अगर गन्ने की कीमत बढ़ा दी गई तो उससे अनाज की पैदावार कम हो जाएगी, इसको भी मैं गलत मानता हूं । इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है । अगर आप पिछले बीस वर्षों के आंकड़े देखें तो यह मेरी बात साबित हो जाएगी । अगर हम आज पांच आने मन गन्ने की कीमत बढ़ा दें तो न कोई टैक्सों में फर्क पड़ेगा और न ही कोई दूसरा फर्क पड़ने वाला है । फिर क्या वजह है कि यह नहीं होता है ।

आप यह भी न भूलें कि आपके पास जो मेरठ जिला है उसमें ६० मिलें हैं । वहां एक मिल में भी एक मन गन्ना आज नहीं जा रहा है । बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर इत्यादि के पास के जिले जो हैं वहां पर भी हड़ताल हो गई है । पूर्वी जिलों में हड़ताल होने वाली है । मैं यह नहीं कहता कि हड़ताल के डर से आप गन्ने की कीमत बढ़ा दें । हड़ताल के डर से आप यह न करें बल्कि यह आपके लिए जरूरी है कि हिन्दुस्तान के उन दो करोड़ लोगों के लिए जो गन्ने पर निर्भर करते हैं, जिन की आजीविका उस से ही चलती है, उनके हित की बात भी आप सोचें ।

आपने इस पंच वर्षीय योजना में २५ लाख टन चीनी पैदा करने का लक्ष्य रखा है । साढ़े बीस लाख टन चीनी पिछले साल पैदा की गई है । इस साल पौने बीस लाख टन पैदा होगी । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर यही हालत रही तो अगले साल चीनी की पैदावार में बढ़ोत्तरी नहीं होगी बल्कि उसकी पैदावार घटेगी ही । इसका अर्थ यह होगा कि आप की पंच वर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं होगा । आज आप ५०,००० टन चीनी बाहर के मुल्कों में भेजने की बात करते हैं । लेकिन मुझे भय है कि फिर पहले की तरह से यहां चीनी का अकाल न पड़ जाए ।

**[श्री ब्रजराज सिंह]**

कहीं वही जमाना फिर न आ जाए जब चीनी दो रुपया सेर बिकने लग जाए। आपने १५–२० साल तक लगातार चीनी मिलों को प्रोटैक्शन दिया है। इस चीनी उद्योग ने करोड़ों और अरबों रुपया कमा लिया है और अब इन मिल मालिकों की खातिर आप गन्ने के दो करोड़ लोगों के हितों को न्यौछावर न करें। यह मुनासिब नहीं होगा। समय आ गया है जबकि सरकार इस तरह की बहानेबाजी न करे कि चूंकि मार्च में यह कीमत तय हो चुकी है, इसलिए अब सको बदल नहीं सकते हैं। पार्लियामेंट सर्वसत्ता प्राप्त है, सार्वभौम है, जो चाहे कर सकती है। पहले भी यह प्रश्न यहां उठा है और कहा गया है कि क स्टेचुटरी बाडी कायम की जाए और सरकार इसको टालती रही है। अब जो बिहार और उत्तर प्रदेश के शुगर बोर्ड हैं उन्होंने सिफारिश की है कि स्टेचुटरी बोर्ड कायम कर दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य के लिए आप स्टेचुटरी बोर्ड, स्टेचुटरी बाडी कायम करें जो कि सब चीज को देखता रहे।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय रफी अहमद किदवई साहब ने कहा था कि अगर चीनी एक रुपया मन बढ़े तो एक आना मन गन्ने की कीमत भी बढ़नी चाहिये। आठ आना मन १९३३ में यह बिकता था जबकि एक रुपये का डेढ़ सेर घी बिका करता था। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आप को कहना पड़ेगा कि गन्ने की कीमत चार रुपये मन होनी चाहिये क्योंकि महंगाई का सवाल है। इतनी कीमत की कोई मांग नहीं करता है। मांग तो केवल यह की जा रही है कि दो रुपय मन होना चाहिय या पौदे दो रुपये मन होना चाहिये। यह कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि और भी बहुत से मसले हैं जिन पर गौर करना है। मिल मालिकों के जो कांटे होते हैं वे खराब होते है और वे ज्यादा तोल लेते हैं। मेरठ में इसके बारे में एक दो मुकदमे भी चल रहे हैं कि कांटा खराब है। एक बार में वे आधा मन के करीब गन्ना कम तोल लेते हैं। इस पर भी आपको गौर करना होगा।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गन्ने की जो कीमत है वह एक रुपया बारह आना तय कर दी जाए और अगर इस मांग को नहीं माना गया तो गन्ना उत्पादकों को बहुत हानि होगी और उसके साथ ही साथ आपकी भी बहुत हानि होगी।

†**सभापति महोदय :** स्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री कृ० च० शर्मा** (हापुड़) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं अपना स्थानापन्न स्ताव संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय :** अब तीनों स्थानापन्न प्रस्ताव और मूल प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

**श्री सरजू पांडे :** (रसड़ा) : सभापति महोदय, हमारे पूर्व में एक कहावत है जिसे मैं यहां कहना चाहता हूं। यह उस जमाने में कही जाती थी जबकि मिलें नहीं थीं और से एक मामूली किसान भी जानता है। कहावत यह है कि जितने आने मन गन्ना उतने ही रुपये मन चीनी। यह बड़ी पुरानी बात है। मगर ताज्जुब इस बात का है कि हमारे यहां गन्ने के दाम तो हैं एक रुपया पांच आने मन या २१ आने मन मगर चीनी के दाम हैं ३८ रुपये मन। ये दाम उस हालत में बड़े हैं जबकि चीनी पहले के मुका-

---

†मूल अंग्रेजी में

बले में ज्यादा पैदा होती है। यह बात उस वक्त कही जाती थी जबकि किसान घरों पर चीनी पैदा किया करते थे। लेकिन आज यह हालत हो गई है कि २१ आना मन गन्ना और चीनी २१ रुपया मन होने के बजाय ३८ रुपया मन है। इसके बारे में अगर सरकार से कहा जाता है कि दो विधान सभाओं ने इसके बारे में जो प्रस्ताव पास किये हैं उनको मान लिया जाय क्योंकि मंत्री मण्डल को जनमत का आदर करना चाहिये तो सरकार की तरफ से हठवादिता दिखाई जाती है, यह बड़ी ही अजीब चीज़ है। यह कहा जाता है कि यह प्रोपेगण्डा है। दो विधान सभाओं ने एक चीज़ को पास किया है, सारी रिपोर्ट मौजूद हैं और उनमें यही है कि गन्ने के दाम बढ़ाये जायें लेकिन इतना होने पर भी हमारी सरकार यह कहती है कि यह गैर-मुमकिन है और ऐसा करने से मिल वालों का जो मुनाफा है वह खत्म हो जाएगा। मेरा निवेदन ह कि आपकी यह घोषित नीति है कि आप यहां समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा जाता है, तो कम से कम जो चीज़ किसान पैदा करता है उसमें और जो चीज़ कारखानों में पैदा होती है उसमें समानता लाने की कोशिश होनी चाहिय, उनकी कीमतों में समानता होनी चाहिये। मगर होता यहां उल्टा है।

अगर आप गन्ने के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि १९४६ से पहले जब गन्ना एक रुपया चार आने मन था तो चीनी २० पये और १४ आने मन थी। फिर गन्ने का दाम दो पया मन आ और चीनी का दाम ३० रुपया मन, उसके बाद गन्ने का १ रुपया १२ आना मन हुआ और चीनी का दाम २८ रुपया ८ आना मन। लेकिन आज़ादी के बाद बराबर गन्ने का दाम घटता गया और चीनी का दाम बढ़ता गया। यह एक अजीब और उल्टी ही बात है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मिल मालिकों से केन्द्रीय सरकार का एक समझौता यह हुआ था कि वे चीनी के दाम २७ रुपये मन से अधिक नहीं लेंगे यह समझौता उस ज़माने में हुआ था जबकि गन्ने का दाम क रुपया सात आना मन था। लेकिन आज उनका समझौता भी टूट गया है और गन्ने का दाम घटते-घटते एक रुपया पांच आना मन हो गया है ?

उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में किसान लोग गन्ने का उत्पादन करते हैं।

शेअर क्राप के नाम पर उसके पास गन्ना ही एक ऐसी चीज है जिसे बेच कर वह अपनी सारी चीजें हासिल करता है लगान देता है, शादी करता है, ब्याह करता है, कपड़ा बनाता है। वही उसके पास है और आज हालत यह है कि किसान परेशान है। सरकार की नोटिस में लाने के लिये बा कही जाती हैं, जब यहां पर मांग उठती है, कहा जाता है कि गन्ना सस्ता होने की वजह से मिल मालिक को मुनाफा है तो जवाब दिया जाता है कि यह पोलिटिकल पार्टीज का स्टन्ट है, यह पोलिटिकल पार्टीज़ किसानों को उभारती हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस कमेटियां के प्रस्ताव मौजूद हैं, यू० पी० असेम्बली के डिबेट मेरे हाथ में हैं, जहां पर कांग्रेस मेम्बरों ने ही कहा है इसके बारे में, और इस सदन के कांग्रेसी सदस्य भी जानते हैं। उन की भी सके बारे में अपनी फीलिंग है और उनको पता है कि आज किसानों की क्या दशा है।

मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जितने आने मन गन्ना, उतने ही रुपये मन चीनी होनी चाहिये, यह एक बड़ा पुराना फार्मूला है। पहले भी था और सरकार भी इसको मानती रही है। इस लिये इस फार्मूले को सामने रख कर चीनी के दाम नहीं बढ़ने चाहियें और गन्ने के दाम बढ़ने चाहियें क्योंकि स की सख्त जरूरत है। अगर सा नही होता है तो लाजिमी तौर पर यू० पी०, बिहार और और पूरे देश के अन्य क्षेत्रों में एक भयानक संकट पैदा हो जायेगा।

कहा जाता है कि यू० पी० और बिहार में रिकबरी कम होती है इसलिये गन्ने का दाम ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता हमारे भाई ने बतलाया कि रिकवरी से आपका क्या मतलब है। अगर आप सिर्फ चीनी को ही रिकवरी में लेते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह क्या बात है कि खोइयां

[श्री सरजू पाण्डे]

का कोई हिसाब नहीं, शीरे का कोई हिसाब नहीं, मैल का कोई हिसाब नहीं। सब जानते हैं कि शीरे से देश में स्प्रिट बनती है, सब जानते हैं कि खोइयों से कागज बनता है, सब जानते हैं कि जो मैल निकलता है उससे मोम और रंग बनते हैं, जिसका कुल मुनाफा मिल मालिक को मिलता है, लेकिन रिकवरी में उसे शुमार नहीं किया जाता। उस रिकवरी के ऊपर सरकार को कोई अधिकार नहीं, उसके लिये कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले दिनों १६ मन गन्ने पर एक मन चीनी की रिकवरी की स्वीकृति सरकार देती थी, अब वह २७ मन गन्ने पर एक मन चीनी की किरवरी की स्वीकृति देती है। रिकवरी की सारी जिम्मेदारी किसानों पर डाल दी गई है। सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी मुकर्रर की थी उसकी रिपोर्ट को देखिये। बहुत से डिटेल्स उसमें दिये हुए हैं। उनका कहना है कि अगर गन्ने का सीजन ६० दिन का हो और रिकवरी का परसेन्टेज ८·५ परसेन्ट हो तो गन्ने का दाम ३८·२४ रु० होना चाहिये। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि अगर गन्ने का सीजन ९० दिन का हो और रिकवरी ८·५ परसेन्ट हो तो गन्ने का दाम ३९·९० रु० पर टन होना चाहिये। सी तरह से अगर सीजन १२० या १६० दिन का हो और रिकवरी ९ या १० परसेन्ट हो गन्ने का दाम ५० रु० २९ नये पैसे पर टन तक होना चाहिये। हमारी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आती है, लेकिन उस को भी सरकार नही मानती। वह न तो हमारी ही बात मानती है और न अपनी एक्सपर्ट कमेटी की जो कि उसकी खुद की बनाई हुई कमेटी है।

जहां तक रिकवरी का सवाल है, उस की पूरी जिम्मेदारी किसानों पर डाली जाती है। मैं कहना चाहता हुं कि उस की जिम्मेदारी मिल मालिकों पर भी हो सकती है, फर्ज कीजिये कि मिल वाले खराब मशीनें लगाते हैं। तो उससे न तो उतना रस ही निकल सकेगा और न उतनी चीनी ही निकल सकेगी। मशीन न अच्छी होने पर भी सारी की सारी जिम्मेदारी किसानों के सिर पर थोप दी जाय कि तुम्हारा गन्ना अच्छा नहीं है और हम दाम नहीं बढ़ायेंगे, यह ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ मिल वाले की मशीन को भी देखना चाहिये और रिकवरी की जिम्मेदारी मिल ओनर्स पर भी है। यह नहीं होना चाहिये कि वह तो हमेशा अच्छी मशीनें लगाते हैं और उनसे जितना रस निकलना चाहिये नहीं निकलेगा। हमारी सरकार को यह नहीं कहना चाहिये कि सारी जिम्मेदारी किसानों पर है और चूंकि रिकवरी अच्छी नहीं है, इसलिये हम गन्ने का दाम नहीं बढ़ायेंगे।

आज अक्सर मिलवालों के लिये यह कहा जाता है कि उनके ऊपर यूटीज हैं, टैक्स इतना ज्यादा है कि वह सिर्फ ६ नये पैसे पर ही काम कर रहे हैं और अगर गन्ने का दाम बढ़ाया गया तो मिलें बन्द हो जायेंगी। यू० पी० असेम्बली के अन्दर मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि गन्ने के दाम अगर हम बढ़ायेंगे तो मिल ओनर्स सूबे को छोड़ कर भाग जायेंगे। उनको भागना नहीं है। सरकार का यह कहना है कि अगर हम गन्ने का दाम बढ़ायेंगे और चीनी का नहीं बढ़ायेंगे तो वह जरूर भाग जायेंगे। दलीलें बहुत दी जा सकती हैं लेकिन हकीकत यह है कि मिल वालों का आज भी इतना मुनाफा है कि अगर हिसाब लगा कर देखा जाय तो एक मन गन्ने की पेराई में जितनी लागत उस की होती है उसको निकाल देने के बाद, उस का जो भी खर्च होता है उसको दे देने के बाद भी ११ आना फी मन के हिसाब से पैसा मिल वालों की जेब में आता है एक एकड़ में लगभग ५०० मन गन्ना होता है तो इस तरह एक किसान की एक एक पर करीब ३०० ० मिल वालों को दे देना पड़ता है। लेकिन सरकार इस की तरफ नहीं देखती सलिये मैं कहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि हम सभी इस बात को सोचें कि दरअस्ल गन्ने का दाम बढ़ाने से मिल वालों पर क्या असर पड़ सकता है। एक तर्क दिया जाता है कि अगर गन्ने का दाम बढ़ाया गया तो सारे किसान गन्ने की खेती करने लगेंगे। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं। पिछले दिनों से गन्ने की खेती में ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं। अगर आप अकांड़ों को लें तो पता चलेगा कि १९३५-३६ में २५ लाख एकड़ में गन्ना बोया जाता था वह बढ़ कर १९५८-५९ में ३० लाख

एक हो गया है। और अनाजों की बढ़ती के मुकाबले में यह कोई बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है। इसलिये इसका सवाल नहीं उठता कि किसान अन्य खाद्य पदार्थों की जगह गन्ना बोने लगेंगे। अगर हम कितना गन्ना पेरा गया इसको देखें तो पता चलेगा कि सन १९५६-५७ में ३० करोड़ मन गन्ना मिलों में पेरा गया, लेकिन आगे चल कर सन १९५७-५८ में कम होकर २७ करोड़ मन हो गया। इसलिये यह तर्क नहीं माना जा सकता।

दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर हम गन्ने का दाम बढ़ायेंगे तो चीनी महंगी हो जायेगी और हम को बाहर से जो फारेन एक्सचेंज चीनी पर मिलता है वह नहीं मिल सकेगा। मैं कहता हूं कि आप जो चीनी बाहर भेज रहे हैं उस का तो एक फिक्स्ड कोटा है, यह तो है नहीं कि वह अनलिमिटेड है कि जितनी चीनी चाहें बाहर भेज दें और उस पर जितना चाहें रुपया लें। इस लिये गन्ने का दाम बढ़ने के कारण चीनी का दाम बढ़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। फिर ऐसा भी कोई कानून नहीं है कि गन्ने का दाम बढ़ने से चीनी का भी दाम बढ़ जाय। मैं तो कहता हूं कि गन्ने का दाम बढ़ना चाहिये और चीनी का दाम नहीं बढ़ना चाहिये। आज चीनी से जितना भी लाभ हो रहा है वह मिल वालों को हो रहा है। आप अपने कामों से मिल वालों की जेबें भर रहे हैं और किसानों की जेबें काट रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आज जनमत का आदर कीजिये और देखिये कि दरअस्ल हम कहां खड़े हैं। मैं कहता हूं कि अगर यह सोचा जाय कि जो कुछ किसान कहते हैं वह गलत है, तो आप गन्ने के क्षेत्रों में दौरा कर लीजिये, वहां देख लीजिये कि किसानों का क्या हालत है। आप बम्बई में देख लीजिये, मद्रास में देख लीजिये, वहां पर किसानों को क्या दिया जाता है। हमारे यहां तो यह हालत है कि मिल मालिक जितना भी मुनाफा ले ले वह ठीक है। चीनी की कीमत की बात तो मिल वाला करता है लेकिन उसको जो और मुनाफा होता है, उस की और कोई नहीं देखता। आज उस का खोइयां १ रु० १२ आने मन बिकता है, शीरा बिकता है, मैल बिकता है, वह लोग हर चीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां पर भी किसानों के गन्ने के दाम बढ़ाने की बात होती है, वह तरह तरह की बातें करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप जनमत का आदर कीजिये, आज किसान भूखों मर रहा है।

आज सब से बड़ी बात तो यह है कि सरकार का कानून है कि अगर किसान अपना गन्ना मिल वालों को दे दें और उन के दाम का पेमेंट १५ दिन के अन्दर न हो, तो उतने दिन के लिये उन को साढ़े सात प्रतिशत सूद मिलना चाहिये। लेकिन कोई भी किसी कारखाने में चला जाय, गोरखपुर चला जाय, देवरिया चला जाय, पचीसों करोड़ रुपया बकाया पड़ा आ है। उन किसानों को न रुपया दिया जाता है और उस का सूद दिया जाता है। वे बेचारे मिलों के फाटकों पर चिल्लाते रहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस के लिये दो ही रास्ते हैं कि या तो इस सरकार का जो कानून विधान सभाओं ने पास किये हैं उन का आदर करना चाहिये, या तो उन विधान सभाओं को इस सवाल पर इस्तीफा देना चाहिये। आज जो विधान सभायें इस बारे में एक मत हैं, लेकिन फिर भी यह मंत्रिमंडल उस को सुनने के लिये तैयार नहीं है। आज किसानों की जिन्दगियां तबाह हो रही हैं, वह परेशान हैं। सारी मिलें बन्द हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। अगर यह सवाल ठीक से हल नहीं होता तो लाजिमी तौर पर लोगों के अन्दर असन्तोष होगा। सलिये जो बातें हम यहां कह रहे हैं, आज जिस की चारों ओर से मांग की जा रही है, उस का आदर करना चाहिये और गन्ने की कीमत १ रु० १२ आ० मन कर देना चाहिये क्योंकि इस से मिल मालिकों की चीनी के दाम पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। अगर १ रु० १२ आ० मन भी गन्ने का दाम कर दिया जाय तो भी चीनी का दाम मुश्किल से ३०, ३२ रु० मन आता है सारी लागत को काट कर। अगर इस तरह से कर दिया जाय और गन्ने का दाम बढ़ा दिया जाय तो किसानों की खुशहाली बढ़ेगी और साथ ही साथ गांवों में जो माल पैदा होता है

[श्री सरजू पाण्डे]

उस के कारखाने में जो माल पैदा होता है उस में कुछ समानता आ जायेगी। यही समाजवाद का रास्ता हो सकता है। समाजवाद का रास्ता यह नहीं हो सकता कि एक तरफ तो बड़े बड़े आदमियों की जेबें भरती जायें और जो लोग परेशानी में हैं उन की ओर ध्यान न दिया जाय। इसलिये इस प्रस्ताव को मान कर हमें जनमत का आदर करना चाहि ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा :** जिस क्षे का मैं रहने वाला हूं। वहां के किसानों की दशा बहुत दयनीय है। वे भूखे हैं, नंगे और उन के मकान नष्ट हो चुके हैं। उन की दशा बहुत ही दयनीय है। जब देश के किसानों की, जिन के बल पर हमारा राज्य टिका हुआ है, यह हालत है तो इसे हम कब तक सह सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री का कहना है कि देश का भविष्य देश के किसानों पर निर्भर है। पर हमने किसानों के लिये क्या किया है। उन की क्या हालत है। आप `स्टेट्स मैन' में पढ़ा होगा कि एक किसान ने, जिस की फसल नष्ट हो गई थी, अपने परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। क्या किसी कल्याणकारी समाज में ऐसी कोई घटना सुन को मिली है ? कदापि नहीं। इस में किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है बल्कि हमारी व्यवस्था का दोष है। हमारी व्यवस्था इस के लिये उत्तरदायी है।

आज स्वतन्त्रता मिले १० वर्ष हो चुके हैं। हम ने अभी तक नकद फसल को एक औद्योगिक व्यवसाय नही बनाया ह। यह हमारी महान असफलता है। आज किसान जो बलिदान दे रहा है उस के बल पर मजे उड़ाने वालों को इस का भारी बदला चुकाना होगा। आज देश का किसान अपने बच्चों को मार डालता है अपने बच्चों को बेच देता है कल को, यदि यही दशा रही तो आप को अपनी आजादी भी बेचनी पड़ेगी।

अतः मेरा निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रख कर आप इस सूत्र में कुछ परिवर्तन करें ताकि किसानों का कुछ भला हो सके।

**पंडित द्वा० ना० तिवारी** (केसरिया) : सभापति महोदय, मेरे सामने बिहार विधान सभा और उत्तर प्रदेश वि ान सभा के प्रस्ताव जिन में उन्हों ने गन्ने की प्राइस बढ़ाने के लिये कहा है। लेकिन मैं एक बात सब से पहले यह कहना चाहता हूं कि जो देश की आर्थिक समस्या है और खास कर किसानों की आर्थिक समस्या है, वह क संगत रूप से और एक कोरिलेटेड तरीके से तय होनी चाहिये यह नहीं कि किसी कमोडिटी का दाम तो हम लोग बढ़ा दें और किसी चीज का दाम घटाते रहें।

अब सदन के सामने बार बार यह प्रश्न आया है कि जूट का दाम गिरता जा रहा है और उस की कीमत इतनी गिर गई कि जितनी लागत में किसान लोग उस को पैदा करते हैं, उस से भी कम दाम उन्हें जूट का मिल रहा है। दूसरी तरफ धान की फसल स साल इतनी अच्छी हुई कि धान और चावल का दाम गिरता जा रहा है। उस ओर हम लोगों का ध्यान कम जा रहा है।

ऊख का दाम एक तरह से फसल से पहले तय हो जाता है। आगे होने वाली फसल का दाम पहले ही तय हो जाता है और सब लोगों को मालूम रहता है कि हम को ऊख का अगले साल कितना दाम मिलेगा और उसी पर उन को खेती होती है। मैं चाहता था कि हर एक फसल के लिये ऐसा नियम लागू होता ताकि धान, पाट और कौटन का दाम भी ऊ की तरह से खेती करने के पहले तय हो जाया करे जिस से किसानों को यह मालूम हो जाय कि अगले सीजन में हम को धान वगैरह

†मूल अंग्रेजी में

का क्या दाम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऊख के किसान बहुत फारचुनेट हैं कि उनके लिए दाम बहुत पहले से तै हो जाता है और उस दाम को देखकर वह खेत का बुवाई करते हैं। मैं यह अनुपयुक्त समझता हूं कि जब पहले से दाम ठीक किया हुआ है तो यह यक.यक दाम बढ़ाने की बात की जाये जो हमारे उत्तर प्रदेश के मित्र किसानों को बहकाकर उनसे मिलों को ऊख नहीं दिलवा रहे हैं वे किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। वे जानते हैं कि मिल वाले ज्यादा दिन टिक सकते हैं लेकिन किसान अधिक दिन नहीं टिक सकते और यह होगा कि दो चार पांच दिन बाद वे जाकर अपना गन्ना बेचने लगेंगे जिसमें उनको घाटा होगा। मिल वाले तो चाहते हैं कि वे ऊख की पिराई जनवरी, फरवरी और मार्च में करें। क्योंकि उसमें उनको चीनी का परसेंटेज ज्यादा मिलता है और इस वक्त परसेंटेज कम रहता है। फिर मार्च के बाद रिकवरी बहुत कम हो जाती है। तो मिल वाले तो चाहते ही हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च में पिराई करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो, और हमारे मित्र अनजाने उनके हाथों में खेल रहे हैं।

**श्री ब्रजराज सिंह** : तो आप जनवरी में कराइये।

**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : लेकिन गृहस्थों की जरूरियात को आप नहीं देखते। वे रुक नहीं सकते। वे जल्दी से जल्दी अपना ऊख बेचना चाहते हैं, अपने खेत खाली करना चाहते हैं और उस रुपये से अपना काम चलाना चाहते हैं। उनकी रिटेंटिव पावर बहुत कम है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि फरवरी या मार्च में उनका गन्ना दिलवायें। आज जो परिस्थिति है उसके मुताबिक हमको काम करना होगा।

इस सदन में बार बार प्रश्न आया है कि चावल का दाम बढ़ता जा रहा है, तीन महीने पहले यह समस्या कई बार सदन के सामने आयी। जूट का दाम बढ़ता जा रहा है और गल्ले का दाम बढ़ता जा रहा था, और हम लोगों ने शोरगुल मचाया कि दाम घटना चाहिए। तो हमने जूट बोने वालों की पैदावार का, धान बोने वालों की पैदावार का और और पाट बोने वालों की पैदावार का दाम कम करने की कोशिश की बगैर यह सोचे हुए कि उनको घाटा होता है या नफा होता है। लेकिन आज ऊख के दामों को बढ़ाने का सवाल उठाया जा रहा है यह जानते हुए कि यह सत्याग्रह अधिक दिनों तक नहीं चल सकता और इससे गृहस्थों को हानि ही उठानी पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि पहले ऊख का दाम अधिक था, वह एक रुपये १२ आना और दो पया मन था। इस वजह से ऊख की खेती बहुत अधिक हुई और उस का परिणाम यह हुआ कि किसानों का सारा ऊख मिल वाले खरीद नहीं सके और खेतों में ही खडा रह गया। इस से उन को बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ी। तब गवर्नमेंट ने जितना बगैर बिका ऊख था उस का सब कराया और उस का पैसा उन को दिया गया, लेकिन जो पैसा इस तरह मिला वह उस से बहुत कम था जो मिल वालों से मिलता। आज आप दाम बढ़ा देंगे तो उस का क्या असर होगा? यहां पर इस बात की खिल्ली उड़ाई गई है और यह कहा गया है कि यह कहना गलत है कि अगर गन्ने के दाम बढ़ा दिये जायेंगे तो अधिक जमीन में गन्ने का उत्पादन होने लगेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यह गलत नहीं है। यह अनुभव की बात है। हम पीछे की बात भूल जाते हैं और केवल वर्तमान की ही सोचते हैं। भविष्य का भी हम खयाल नहीं करते तो जो पीछे हो चुका है उस को आप को मद्देनजर रखना चाहिये। आज हम समझते हैं कि अगर हम तो रुपया मन कर देंगे तो अच्छा होगा लेकिन उस का नतीजा क्या होगा। हमारा यह भय नहीं है कि इस से गल्ले की पैदावार कम हो जायेगी, बल्कि हमारा भय यह है कि गन्ने का उत्पादन बहुत बढ़ जायगा और उस को मिल वाले नहीं ले सकेंगे फिर किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी।

[पं० द्वा० ना० तिवारी]

मेरे हाथ में इस समय टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट है। मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसके पेज १२३, १२४ और १२५ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं यह सब कोट नहीं करना चाहता लेकिन केवल यह बता देना चाहता हूं कि एन्क्वायरी के बाद उन्होंने कास्ट आव कल्टीवेशन के बारे में कहा कि गन्ने का दाम एक रुपया चार आना तीन पैसे मन होना चाहिये।

इसके अनुसार जो आज दाम दिया जा रहा है वह कम नहीं है। हमको एक आइसोलेटेड चीज को नहीं देखना चाहिये बल्कि सारी चीजों को एक साथ रखकर देखना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हम एक ही चीज को तरजीह दें और दूसरी चीजों की तरफ हमारा ध्यान ही न जाये। इसलिए मेरा कहना है कि इस वक्त यह आन्दोलन और हल्ला करना उचित नहीं है। हां आगे के लिए सबको मालूम हो जाना चाहिए कि दाम क्या रहेगा। अगर आज एक रुपया १२ आना या दो रुपया मन तै कर दिया जाये तो गन्ना उत्पादक समझ जायेंगे कि आगे हमको क्या मिलने वाला है।

साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिस पर मिनिस्टर साहब को ध्यान देना चाहिए। वह यह है कि जो दाम ऊख का दिया जाता है वह बहुत इर्रेगुलर तरीके से दिया जाता है। इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। किसानों का बहुत सा रुपया बहुत दिनों तक मिलों पर बाकी रहता है जिससे उनको बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। तो मोड आफ पेमेंट ऐसा होना चाहिए कि किसानों का दाम जल्दी से जल्दी मिल जाये और अगर दाम जल्दी न मिल सके तो उस पर उनको उचित सूद मिल वालों से दिलाया जाये।

**श्री वाजपेयी**: सभापति जी, गन्ने का दाम निर्धारित करते समय हमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों का विचार रखना चाहिए। लेकिन मेरा यह आरोप है कि आज तक सरकार जिस पद्धति से गन्ने का मूल्य निर्धारित करती रही है उसमें न तो उत्पादक के हितों का संरक्षण होता है और न उपभोक्ता ही सस्ते दाम पर चीनी प्राप्त कर सकता है।

आज गन्ना पैदा करने वाले किसान को उसके गन्ने के लिए एक रुपया सात आना मन मूल्य दिया जा रहा है। और जो चीनी के उपभोक्ता हैं वे ३९ या ४० रुपये मन चीनी खरीद रहे हैं। तो सवाल यह है कि चीनी और गन्ने के दाम किस गणित और किस तरीके से निर्धारित किये जाते हैं कि जिनके परिणाम स्वरूप गन्ने के उत्पादक किसानों को भी उसका उचित मूल्य नहीं मिलता और चीनी खाने वालों को भी अधिक दाम देने पड़ते हैं।

आज स्थिति यह है कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि सरकार चीनी का मूल्य बढ़ाने जा रही है या गन्ने का मूल्य बढ़ाने जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें चीनी के बढ़ते हुए मूल्यों के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की है और इस हड़ताल के परिणामस्वरूप मूल्य और भी बढ़ेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बढ़ते हुये मूल्य की स्थिति में सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिये कौन से कदम उठाने का निश्चय किया है। जो हड़ताल हो रही है, मैं उससे सहमत नहीं। हड़ताल नहीं होनी चाहिये, यद्यपि मैं उनकी इस मांग से सहमत हूं कि गन्ने के दाम बढ़ाये जायें और मैं इस प्रश्न को एक व्यापक दृष्टि से देखना चाहता हूं और शासन से भी निवेदन करूंगा कि कृषि पैदावार के मूल्य निर्धारित करते समय वह इस बात का ध्यान रखे कि अगर हम देश का औद्योगीकरण सफल करना चाहते हैं, तो अगर देश की अधिकांश जनसंख्या, जो कि कृषि पर निर्भर करती है, की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाई जायेगी, तो देश में बढ़ती हुई

पैदावार के लिये हम अपने देश में बाजार नहीं प्राप्त कर सकेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि हमारे औद्योगीकरण की सारी योजना विफल हो जायेगी । जो आंकड़े सरकार ने दिये हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि हमारे देश में खेती पर ६९.८ परसेंट लोग निर्भर करते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में उनका कांट्रीब्यूशन केवल ५१ परसेंट है । इसका अभिप्राय यह है कि कृषि की प्रति व्यक्ति आय केवल ५०० रुपये है, जब कि खानों और कारखानों में वह १७०० रुपये है । जो लोग खेती में लगे हैं, अगर उनकी पैदावार का—चाहे वह अनाज हो, चाहे गन्ना इत्यादि हो—मूल्य निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि उनके हितों की रक्षा हो, तो मेरा निवेदन है कि आगे जा कर—आज नहीं तो आगे जाकर—संकट खड़ा होगा और सरकार पर मेरा यह आरोप है कि कृषि की पैदावार और औद्योगिक पैदावार के मूल्यों के बीच में कोई अनुपात निर्धारित करने में वह सफल नहीं हुई है, जिसका परिणाम यह है कि जब किसान को अधिक कीमत मिलनी चाहिये, वह अधिक कीमत उसको नहीं मिलती । वह अपना माल बाजार में सस्ते दाम पर बेचने के लिये मजबूर होता है । अभी हमारे मित्र तिवारी जी कह रहे थे कि जब चावल का दाम बढ़ता है, तो लोग चिल्लाते हैं । वे इसलिये नहीं चिल्लाते हैं कि किसान को अधिक दाम न मिलें, मगर दुर्भाग्य यह है कि इन चीजों के दाम तभी बढ़ते हैं, जब ये चीजें किसान के हाथों से निकल कर मध्यम वर्ग के व्यापारी के हाथों में, बिचौलिये के हाथ में आ जाती हैं । किसान को अगर कुछ अधिक मिल जाये, तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये, लेकिन सरकार की जो मूल्य निर्धारण की नीति है, जो प्राइस-पालिसी है, मेरा निवेदन है कि वह किसानों के हित को देख कर निर्धारित नहीं की जाती है । गन्ने की कीमत पर भी व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये । मैं इस आपत्ति से सहमत नहीं हूं कि अगर गन्ने की कीमत बढ़ा दी गई, तो अनाज का क्षेत्रफल कम हो जायेगा और किसान गन्ना ही बोने लगेंगे और अगर सचमुच में यह आशंका है, तो क्या हम कम कीमत दे कर, किसान को उसके परिश्रम का उचित लाभ न देकर इस व्यवस्था को अधिक दिनों तक बनाये रख सकते हैं । इसके लिये हमें खुले बाजार पर छोड़ देना चाहिये । अगर किसान अधिक गन्ना पैदा करेगा और उसकी खपत नहीं होगी, तो फिर उससे वह लाभ उठायेगा, शिक्षा लेगा और गन्ने की पैदावार कम करेगा । आज भी हमारे मिल-मालिक घाटा सह कर चीनी को बाहर भेज रहे हैं, जिससे हम कुछ फ़ारेन एक्सचेंज कमा रहे हैं । अगर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ गया, उसकी पैदावार बढ़ गई और कोआपरेटिव आधार पर हमने मिलें खड़ी कीं और चीनी को बाहर भेजा, तो मैं समझता हूं कि क्षेत्रफल बढ़ने से जिस संकट की हम आशंका करते हैं, वह संकट पैदा नहीं होगा और उसमें से शायद हमारा कुछ लाभ ही होगा ।

इसके साथ एक और बात का भी विचार आवश्यक है और वह यह है कि गन्ना पैदा करने वाले किसानों की छोटी छोटी कठिनाइयां जब प्रशासन दूर नहीं कर पाता, तो वे इकट्ठी होती रहती हैं । तो फिर वे एक ही सवाल पर—गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिये, इसको अपना केन्द्र बना कर विस्फोट के रूप में प्रकट होती हैं । जैसा कि कई मित्रों ने कहा है, किसानों का लाखों रुपया मिल-मालिकों पर बकाया है । रुपया उन्हें नहीं दिया जाता है । उसका कोई ब्याज ही नहीं दिया जाता है । उन्हें कुछ दिनों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है । पर्ची ठीक तरह नहीं बांटी जातीं । गन्ना ठीक तरह से तोला नहीं जाता और भुगतान में भी कुछ गड़बड़ होती है—कुछ दक्षिणा ली जाती है । ये छोटी छोटी अव्यवस्थायें, छोटी छोटी असुविधायें किसान के मन में असन्तोष पैदा करती हैं, जो कि गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिये, इस बड़े सवाल पर हड़ताल के रूप में प्रकट होता है । मेरा निवेदन है कि सरकार गन्ने या कृषि से पैदा होने वाली अन्य चीजों का मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का विचार रखे कि किसान की क्रय-शक्ति बढ़नी चाहिये, जिससे औद्योगिक पैदावार से जो माल तैयार होगा, उसके लिये हम अपने देश में ही बाजार पैदा कर सकें ।

दूसरी बात यह है कि औद्योगिक माल और कृषि की पैदावार, इन दोनों की कीमतों के बीच में कोई सन्तुलन होना चाहिये । यह काम कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर हम अपना राष्ट्रीय आयोजन सफल करना चाहते हैं लोकतंत्रीय मार्ग से—मैं तानाशाही की बात नहीं करता—तो हमें ऐसी व्यवस्था का विकास करना होगा, जिसमें यह स्थिति उत्पन्न न हो कि खेतों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति को अपनी मेहनत का कम पैसा मिले, सिर्फ़ इसलिये कि वह खेती में लगा है, और औद्योगिक माल के दाम बढ़ जायें और हम जो किसान का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं, वह हम न उठा सकें । गन्ने की कीमत बढ़ाने के सवाल पर भी इसी दृष्टि से विचार करना चाहिये और मैं समझता हूं कि अगर सरकार गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों और मिल मालिकों के साथ स्वयं बैठ कर गोल-मेज़ सम्मेलन में विचार करे, अपना पक्ष उन्हें समझाये, उनकी कठिनाइयां सुने, तो कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है, जिससे हड़ताल का संकट टल जाये, जिससे किसानों को भी नुकसान न हो और गन्ने के दाम उचित मूल्य पर निर्धारित किये जा सकें ।

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू ):** सभापति महोदय, जो सवाल आपके सामने पेश है, उस पर मेरे साथी, जिन की ख़ास तवज्जह उस पर रहती है, जवाब देंगे, लेकिन उसके कुछ पहलू हैं, जिनकी तरफ़ मैं आपका ध्यान और इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं । कुछ पहलू दूर के हैं और इस हाउस को इन बातों को खास तौर से निगाह में रखना है ।

अभी कुछ ज़िक्र हुआ फ़ारेन एक्सचेंज का । वह भी एक हिस्सा है, एक जुज़ है हमारे बड़े सवाल का । पंच-वर्षीय योजनायें हैं, हमारे बढ़ने का सवाल है, आइन्दा की तरक्की के लिये हम कितना रुपया इनवेस्ट करें, ये बड़े सवाल हैं । ज़ाहिरा इसमें हमें महज़ गौर नहीं करना है, लेकिन बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, अगर हम तरक्की करना चाहते हैं । मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है, हम समझते हैं कि हम आइन्दा के लिये, तरक्की को इनवेस्टमेंट वगैरह के लिये ९ फी सदी सालाना बचायें । और जितने मुल्क अक्सर हैं, वे उसका दुगुना और ढाई गुना कर रहे हैं और अगर इस में ढील हो, तो ज़ाहिर है कि हम वहीं के वहीं रहते हैं । कुछ दिनों में हमें तीसरी पंच-वर्षीय योजना का विचार करना पड़ेगा, लेकिन उसके विचार करने के पहले हम सब दरवाजे बढ़ने के बन्द कर दें, तो ज़ाहिर है कि उस पर विचार करना बहुत कारामद नहीं होगा ।

अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस गणित से इसके दाम मुकर्रर होते हैं, वह बहुत ठीक बात है । उन्होंने कई बातें कहीं—कि तोलने में खराबियां होती हैं, वगैरह वगैरह । वह तो ग़ौर-तलब है और उन पर विचार करना चाहिये और खराबियों को दूर करना चाहिये । लेकिन बुनियादी बात आपके सामने यह है कि गन्ने के दाम बढ़ें या न बढ़ें । मोटी बात है । और खराबियां निकलें । ज़ाहिर है कि हर एक आदमी चाहता है कि हमारे किसानों को फ़ायदा हो, जितना हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं । लेकिन उस फ़ायदे की कोशिश में, एक आर्ज़ी फ़ायदे की कोशिश में उनको आखिर में नुक्सान पहुंचायें, हमारा प्लानिंग सब ठंडा हो जाये, यह कैसे ठीक है । इससे न उनको फायदा होगा और न किसी और को । क्या इस वक्त जो दाम हैं, वे वाजिबी दाम हैं ? चूंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसलिये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं । लेकिन दो तीन मोटी मोटी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं । एक तो यह बात है कि जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि शक्कर वगैरह के दाम बाकी दुनिया के देशों के दामों से काफ़ी बढ़े हुये हैं । हम चाहते हैं कि हम उसको

बाहर एक्सपोर्ट करें। तो अगर हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है तो हम दूसरे देशों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं अगर हमारे दाम अधिक होंगे। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यह मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी मिल मालिक नुकसान उठा कर चीनी बाहर भेजेगा। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी ऐसा नहीं करता है लेकिन यह और बात है कि अगर कोई आइन्दा के फायदे के लिये थोड़े दिन नुक्सान उठा ले तो वह उठाने को तैयार हो जाता है। अगर मिल मालिक ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर गवर्नमेंट को नुक्सान को बर्दाश्त करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सबसिडी देनी होगी और यह सवाल उठे बगैर नहीं रहता है। ऐसे मौके पर यह कहना कि और उस फर्क को बढ़ा दिया जाये या कोई ऐसा कदम उठाया जाये जिससे फर्क बढ़ जाये और देशों को शूगर के मुकाबले में तो जाहिर है कि इससे दिक्कतें बढ़ जायेंगी और जो असली चीज़ है वह आसान हम नहीं कर पायेंगे।

दूसरा मसला यह है कि हमारी ज़मीन कुछ पहले से ज्यादा गन्ने की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि गल्ले से गन्ने की तरफ जा रही है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसका मतलब यह नहीं है कि गन्ना पैदा करने वाले लोगों के ज़रिये बढ़े हैं बल्कि वे लोग पसन्द करते हैं वहां जाना बजाय गल्ले के।

आज सुबह मैं आचार्य विनोबा भावे की पदयात्रा में शरीक हुआ और एक दो मील उनके साथ चला। उनके साथ मेरी बातें भी होती रहीं। मैंने उनसे कुछ यों ही ज़िक्र किया इसके बारे में। वह भी इसी गन्ने की हालत के बारे में पूछ रहे थे। वह कहने लगे कि जब वह गोरखपुर में थे तो उन्होंने वहां अपने एक व्याख्यान में कहा था कि बहुत जल्दी लड़ाई आने वाली है गल्ले में और गन्ने में।

**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : गल्ला-गन्ना।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लड़ाई से मतलब यह है कि ज्यादा गल्ला पैदा किया जाये या गन्ना पैदा किया जाये। उनकी राय यह थी कि गल्ला पैदा किया जाये और यह राय उनकी बहुत ज़ोरों की थी। उनकी यह राय थी कि ज्यादा गन्ना होता जाता है गल्ला उसके मुकाबले में कम होता है। इनका मुकाबला नहीं है और मैं समझता हूं सारी चीज़ एक है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो यह बताऊं कि गल्ले को पैदा करने वालों पर ज्यादा बोझा है क्योंकि उसको हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं।

तो ऐसे मौके पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें और वह यह है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे गल्ला पैदा करने से जो लोग हट चुके हैं उनको तादाद हम बढ़ायें यह बात मुनासिब मालूम नहीं देती है। हम चाहते हैं कि हर एक को फायदा हो, हर एक को लाभ हो लेकिन हमें उसके आर्थिक नतीजे जो निकलते हैं उन पर भी गौर करना है।

दूसरे एक्सपोर्ट के बारे में मैं यह नहीं कहता कि हमें बहुत एक्सपोर्ट करना चाहिये या हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम इसके नाकाबिल होते जाते हैं और अगर दाम बढ़े तो और भी नाकाबिल हो जायेंगे।

**श्री ब्रजराज सिंह** : एक साल के बाद एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुमकिन है यह भी हो और इसको भी देख लिया जायेगा एक साल के बाद। अगर हम गलत पालिसी पर चलेंगे तो तरह तरह के उसके गलत नतीजे होंगे। तो ज़ाहिर

है हमें इस पर ज़रा गौर करना है। खाली इस बात पर ज़ोर देना कि हमें उन्हें फायदा पहुंचाना है, ठीक नहीं होगा। फायदा पहुंचाने में हम सब एक हैं। लेकिन हमें सोचना होगा कि आखिर किसकी जेब से फायदा पहुंचायेंगे आप। यह तो उन्हीं की जेब से हो सकता है किसी और की जेब से तो नहीं। आम किसान की जेब से ही आखिर यह सब होता है। जो कुछ आपकी आमदनी है उसका बहुत कुछ भाग आम किसान से ही आता है, उसी के ऊपर उसका बोझा पड़ता है। अगर हर चीज़ की कीमत बढ़ाते जायें, खर्चा बढ़ाते जायें, तनख्वाहें बढ़ाते जायें तो आखिर में वह गरीब किसान की जेब से ही आयेगा। असली सवाल मुल्क की आमदनी बढ़ाने का है।

चुनाचे यह छोटा सा सवाल नहीं है। सवाल यह नहीं है कि एक रुपया सात आने या एक रुपया आठ आने कर दिया जाये या न किया जाये बल्कि जो उसूल की चीज है जो बुनियादी चीज़ है वह यह है कि आइन्दा आप किस नीति पर चलेंगे, प्लानिंग की पालिसी आप अख्त्यार करेंगे या जो कुछ भी आपके पास पैसे हैं उनको आप इधर उधर लगा दें ताकि बाद में साफ हाथ बैठ जायें। इस चीज़ को कोई भी पसन्द नहीं करेगा और यह बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी। हमारे ऊपर काफी बोझ हैं—मेरा मतलब यह है कि मुल्क के ऊपर काफी बोझे पड़ने वाले हैं अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें तेजी से तरक्की करनी है। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। सभी दल चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। लेकिन शायद अलग अलग बात के साथ विचार होने से उस बड़ी बात का विचार नहीं होता। इस तरह से अलग अलग बातों में हमारे बहक जाने का अन्देशा होता है—

**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं जिससे ये हड़तालें जो आज हो रही हैं न हों। आप देखें कि दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है। आपको मेहरबानी करके कोई तरीका निकालना चाहिये जिससे ये हड़तालें हों ही न।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर खत्म हो गया, कोई आप रूलिंग देना चाहते हैं इस पर ?

मैं बहुत अदब से इस हाउस से अर्ज़ करूंगा कि वह इस बड़ी तसवीर को देखें और बड़ी तसवीर में अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि एक के बाद एक चीज़ होती है। इसलिये अगर उस बड़ी तसवीर को आप अपने सामने रखें तो पता चलेगा कि इस वक्त इस गन्ने के दाम बढ़ाना बहुत नामुनासिब होगा।

**श्री स० म० बनर्जी** : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे हरदिलअज़ीज़ प्रधान मंत्री जी के बाद कोई ऐसी चीज़ इस हाउस में न कहूं जिससे उनके जज़बात को ठेस लगे। जबकि देश के लोगों के जज़बात में ठेस लगेगी। एक चीज़ मेरे मन में आती है। आज कहा यह जाता है और उत्तर प्रदेश की असैम्बली में भी हमारे मंत्री महोदय, श्री मोहनलाल गौतम जी ने कहा है कि अगर गन्ने के दाम बढ़ गये तो हो सकता है कि जो जमीन गल्ले या दूसरी दूसरी चीजों का उत्पादन करने के लिये काम में लाई जाती है, उसको लोग गन्ने के उत्पादन में बदल दें। मैं समझता हूं कि यह नहीं हो सकता है। मैं आज इस सदन के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो कि मेरे पास हैं। सन् १९३५ और १९३६ में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि २५ लाख एकड़ ज़मीन गन्ना पैदा करने के लिये काश्त में लाई जाती थी। अब सन् १९५७ और १९५८ में वह ३० लाख एकड़ हुई यानी सिर्फ ५००० एकड़ ज़मीन ही और गन्ने की काश्त के लिये इस्तेमाल में लाई गई। साथ ही साथ जो गन्ना शूगर फैक्टरीज़ में पेरा

गया उसके अब में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं । में उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और वहीं के आंकड़े मेरे पास हैं और उन्हीं को मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं । १९५७–५८ में २७ करोड़ मन गन्ना पेरा गया जब कि १९५६–५७ में २० करोड़ मन पेरा गया था । यह कह देना कि अगर जो ज़मीन अन्न के नीचे है वह गन्ने की काश्त के नीचे आ जायेगी या उन लोगों का झुकाव और रुझान उस तरफ बढ़ेगा और अन्न जिसका कि हमारे सामने संकट है, जो एक समस्या बनी हुई है और जिसको हल करने के लिये सब को मिल कर काम करना चाहिये, वह शायद हल नहीं होगी, मेरी समझ में नहीं आता है । अगर गन्ने का दाम एक रुपया बारह आने मन कर दिया जाये तो आखिर किस तरीके से यह तमाम दिक्कतें पेश होंगी जिनका जिक्र कि हमारे हरदिलअज़ीज़ प्रधान मंत्री ने किया है । किस तरह से चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जब गन्ने का दाम एक रुपया बारह आने मन था तो चीनी का दाम ३० रुपया ८ आने मन था । सन् १९४७–४८ में जब गन्ने का दाम दो रुपया मन हुआ तो चीनी का दाम उस वक्त भी ३५ रुपया मन रहा । मेरी समझ में नहीं आता है कि कौनसी चातुरी कौनसी जादूगरी है कि आज जब गन्ने के दाम एक रुपया सात आना मन हुआ यानी काफी घट गया तब चीनी का दाम ३५ रुपया, ३६ रुपया और यहां तक कि कुछ जगहों पर ३७, ३८ और ३९ रुपया मन हो गया । यह कैसे हो गया यह मेरी समझ में नहीं आया है ।

दूसरी चीज़ प्रधान मंत्री जी ने यह कही है कि अगर हम गन्ने का दाम बढ़ाते हैं तो उसमें काफी रुपये की जरूरत होगी और वह जो रुपया हम चाहेंगे वह कहां से आयेगा, आखिर में जो लोग टैक्स देते हैं जिनमें गरीब किसान भी शामिल हैं उन्हीं की जेब से वह पैसा निकलेगा । मेरा नम्र निवेदन है कि हम गरीबों की जेबें टटोलने के लिये इस सदन में भाषण नहीं देते । हम चाहते हैं कि जो शुगर मैगनेटस हैं, बड़े बड़े सरमायेदार हैं, शुगर इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी जेबों को भी कभी अहिंसात्मक तरीके से अगर हाथ लगाया जाये तो शायद कुछ पैसा आ सकता है और अगर आप मुनाफे का बटवारा करें और देखें कि चीनी से कितना मुनाफा हुआ, प्रेसमड से कितना हुआ, मोलेसिस से कितना हुआ और दूसरी चीजों से कितना हुआ और पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों को एकत्र करें तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गरीब किसानों की जेब में भी हमें टटोलने की जरूरत नहीं होगी या दूसरे लोगों की जेब को टटोलना न होगा । वेज बोर्ड का फैसला हो सकता है और हम किसानों और वर्कर्स को भी १ रु० १२ आ० मन दे सकते हैं । मैं सदन के सामने सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप मुनाफे की बात को देखिये तो मुनाफे में कोई कमी नहीं है किसी तरह की । उनको डिवीडेंड काफी मिल रहा है । मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि जब सन् १९५७–५८ में काफी आन्दोलन उत्तर प्रदेश में हुआ तो उसके नतीजे के फलस्वरूप गन्ना १ रु० ५ आ० और १ रु० ७ आ० मन हुआ । इसलिये अगर हम या आप देश के सामने कोई बड़ी भारी समस्या रख दें कि हमारी जमीन में और गल्ला न हो कर गन्ना होने लगेगा, और गल्ले और गन्ने में लड़ाई हो जायेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि गल्ले और गन्ने के बीच कोई ज्यादा लड़ाई नहीं है । जिस तरीके से हमारे और आपके बीच में लड़ाई है, उससे कम है और उसका समाधान हो सकता है ।

दोनों असेम्बलीज ने बिल्कुल एक राय हो कर पास किया कि गन्ने का दाम १ रु० १२ आ० मन होना चाहिये, लेकिन जो फैसला जम्हूरी तरह से, प्रजातांत्रिक रूप से किया गया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कदमों के नीचे मसल दिया गया और फिर भी कहा जाता है जबान से कि हम प्रजातांत्रिक उसूलों की हिफाजत करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप यहां पर एक्सपोर्ट की बात न सोचें, आप एक उसूल की बात सोचें । तमाम चीजों को हल करने के लिये मैं निवेदन करूंगा

कि मंत्री महोदय एक मीटिंग बुला लें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ तरीके से कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधान सभा की सिफारिश को संघ सरकार के पास भेज दिया है और यह प्रार्थना की है कि वह उसे कार्यान्वित करे। इससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लिखा है, या उनसे बातचीत की है कि इस फैसले का इंप्लीमेंट होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि जब दोनों राज्य सरकारें इस बात पर राजी हैं तो आखिर इसकी पुष्टि आप क्यों नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप केन ग्रोअर्स ऐसोसिएशन के नुमाइन्दों को बुलाइये, उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकारी नुमाइन्दों को बुलाइये और हमारे मंत्री महोदय यहां से रहें और तीनों मिल कर एक फैसला करें। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चूंकि मंत्री महोदय ने एक दफा कह दिया कि अभी दाम नहीं बढ़ सकता है इसलिये उस पर विचार न किया जा सके। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको ले कर गरीबों की जिन्दगियों के साथ मजाक हो। यह नहीं होना चाहिये कि हमने कह दिया कि अब दाम नहीं बढ़ेगा और "रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई" इस रीति का निभाना रामराज्य की परिभाषा नहीं है। इसलिये मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आज अगर आप क्वालिटी के बारे में कहते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती, सैक्राज के परसेन्टेज के बारे में कहते हैं, तो मैं बतलाऊंगा कि हमारे मंत्री महोदय जो श्री अजित प्रसाद जैन हैं उन्होंने इसके बारे में कहा है। सरमायेदारों का जो पत्र "इंडियन शुगर" है उसने उनकी स्पीच को कोट किया है। जिससे साफ पता लगता है कि मंत्री महोदय समझते हैं कि परसेन्टेज गिरता जा रहा है। जब वह खुद भी महसूस करते हैं कि यह परसेन्टेज गिरता जा रहा है, आज रिकवरी की परसेन्टेज गिरती जा रही है, तो आखिर काश्तकार किस लालच में गन्ना पैदा करे? अगर क्वालिटी को बढ़ाना है, तो जरूरी है कि उसके लिये काश्तकारों के अन्दर इंसेन्टिव पैदा हो। इसलिये मैं इस सदन के रेजोल्यूशन की बात नहीं करता हूं, मोदीनगर में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने मैन्डेट दिया लोगों को कि आप गेट छोड़ दें और हड़ताल न करें, लेकिन दूसरे कांग्रेसी भाइयों ने कहा कि नहीं यह ठीक नहीं है। हमारे सामने बहुत से भाइयों ने सब्स्टिट्यूट मोशन दिये हैं जो कि रूलिंग पार्टी के हैं। मैं जानता हूं कि किसी खास वजह से, कोई खास चीज आ गई है, जिसकी वजह से उनकी चलती हुई जबान सदन में रुकती जा रही है। लेकिन मुझे पूछना है कि क्यो नहीं इस चीज को राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाता। अगर हमें इसको वाकई राष्ट्रीय पैमाने पर हल करना है तो हम यह मत सोचें कि इसमें कोई पालिटिकल पार्टीज इन्टरेस्टेड हैं या नहीं। पूरे देश की पोलिटिकल पार्टीज इसमें इन्टरेस्टेड हैं कि चीनी के दाम घटें और गन्ने के दाम बढ़ें और सरमायेदारों की जेब से पैसा निकले। इसी तरह से यह मामला हल हो सकता है।

दो साल पहले गोपालकृष्णन कमेटी के नाम से एक कमेटी बिठाई गई। इस कमेटी का काम यह था कि वह जांच करे कि किस तरह शुगरकेन की प्राइस निर्धारित की जाय। उसकी रिपोर्ट सदन के सामने तो नहीं आई, लेकिन सुना जाता है कि उसकी रिपोर्ट आउट हो गई है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर वह रिपोर्ट है कहां? क्या वह कोई खुफिया रिपोर्ट तो नहीं है, डिफेन्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट तो नहीं है, कि इस सदन के सामने नहीं आ सकती है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर किया क्या जाय, यहां कमेटी बैठती है, कमेटी लेटती है और कमेटी सो जाती है। मुझे खतरा है कि कहीं वह कमेटी भी तो सो नहीं गई। मैं प्रधान मंत्री जी से और जो हमारे मोअज्जिज लीडर यहां मौजूद हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको राष्ट्रीय मसला समझ कर हल करने की कोशिश की जाय। आप एक मीटिंग बुलाइये जिसमें केन ग्रोअर्स के रिप्रेजेन्टेटिव हों, उत्तर प्रदेश और बिहार के रिप्रेजेन्टेटिव हों, और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव हों, और उनके

बीच इसका फैसला हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर उनके जरिये इस अहम मसले को तय करने की कोशिश करें तो समस्या सुलझ सकती है। हम इसका फैसला जल्दी करें ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जितनी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके हाथ मजबूत हो जायें। मेरा निवेदन है कि आप सरमायेदारों की जेबों को टटोलें, उनकी जेब से थोड़ा पैसा लें तो उसके बाद भी वे चुनाव में आपको पैसा देंगे।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: मैं किसी कानूनी या प्रविधिक बात को नहीं ले रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि चूंकि एक समय पर गन्ने का मूल्य निर्धारित कर दिया गया था, और अब उसे बढ़ाने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है फिर भी, हम उसे बढ़ायें नहीं। बोई जाने वाली फसल के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की नीति गन्ना उत्पादकों के लाभ के लिये ही अपनाई गई थी। यह नीति इसलिये अपनाई गई थी ताकि गन्ना उत्पादक अपनी फसल की ठीक व्यवस्था कर सकें और यह तय कर सकें कि कितनी भूमि में वह गन्ना बोये और कितनी भूमि में अन्य फसलें। फिर भी, मूल्य बढ़ाने के मार्ग में इससे कोई बाधा नहीं पड़ती यदि मूल्य बढ़ाने के समुचित कारण हों।

सभा के सामने एक साधारण सा प्रश्न है कि क्या गन्ने का मूल्य १ रु० ७ आ० से बढ़ा कर १ रु० १२ आने कर दिया जाये या कुछ बढ़ाया जाये। किसानों के सम्बन्ध में अनेक बातें कही गयीं। हम सभी जानते हैं कि भारत का किसान बहुत गरीब है, उसके सामने अनेक कठिनाइयां हैं और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। यद्यपि इन बातों का महत्व हम समझते हैं पर मूल्य बढ़ाने के मामले में ये बातें सुसंगत नहीं हैं। जब हम गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिये विचार करते हैं तो हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि भारत का प्रत्येक किसान गन्ना नहीं पैदा करता; कुछ थोड़े से किसान गन्ना पैदा करते हैं। अतः हमें ध्यान रखना है कि गन्ने के मूल्य तथा अन्य कृषि उत्पादों के मूल्य में एक समानता बनी रहे। जब हम गन्ना उत्पादकों की बातें करते हैं तो उसमें गन्ना पैदा करने वालों का एक वर्ग मात्र आता है। हमारे यहां जितना गन्ना पैदा होता है उसका एक-तिहाई भाग ही मिलों में जाता है। शेष दो-तिहाई भाग गन्ना गुड़ या खण्डसारी बनाने के काम आता है।

देखना है कि स्थिति क्या है? अभी उस दिन हमारे गांव के कुछ लोग मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि गुड़ तथा खण्डसारी बनाने के लिये गन्ना १ रु० या १ रु० १ आने मन बिक रहा है। इसके विपरीत मिलों में गन्ना देने वाले किसानों को मिल में गन्ना पहुंचाने पर १ रु० ७ आने मन तथा बाहर स्टेशन तक पहुंचाने में १ रु० ५ आने मन का दाम मिलता है। अतः सभा सोचे कि ये बातें हम जिन गन्ना उत्पादकों के सम्बन्ध में कह रहे हैं उन्हें उन गन्ना उत्पादकों से बहुत अधिक दाम मिल रहा है, जो खण्डसारी या गुड़ बनाने के लिये गन्ना बेचते हैं।

एक बात और है कि गन्ने से हट कर अन्य खाद्यान्नों की खेती कम हुई है। उत्तर प्रदेश में गत ४ वर्षों में अर्थात् १९५३-५४ से अब तक गन्ने की खेती का क्षेत्र १९,७३,००० एकड़ से बढ़ कर ३०,१७,००० एकड़ हो गया है। सारे देश में १९५३-५४ में ३४,८५,००० एकड़ भूमि में गन्ने की खेती होती थी जब कि अब ५०,२१,००० एकड़ भूमि में होती है।

श्री ब्रजराज सिंह ने जिन आंकड़ों का उल्लेख किया वे विभाजन के पूर्व के आंकड़े हैं और आज के आंकड़ों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी ध्यान रहे कि आज गन्ना पैदा करने वालो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

को अन्य फसलें पैदा करने वालों की अपेक्षा अधिक लाभ हो रहा है। अतः हमें ध्यान देना है कि अन्य वस्तुओं का मूल्य पूर्व जैसा ही रख कर गन्ना का मूल्य बढ़ा देना कहां तक उचित होगा।

दूसरी बात देखिये। इस वर्ष जूट का मूल्य गत वर्ष की तुलना में लगभग २० प्रतिशत कम है। कपास का मूल्य भी गत वर्ष की तुलना में १८ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक कम है। चावल का मूल्य भी लगभग ५ प्रतिशत कम है। स्पष्ट है कि अन्य कृषि उत्पादों का मूल्य धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। अतः अन्य कृषि-उत्पादों का मूल्य कम होने के साथ गन्ने का मूल्य बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? अतः मेरा निवेदन है कि यह अवसर गन्ने का मूल्य बढ़ाने का नहीं है क्योंकि गन्ना उत्पादक अन्य कृषि उत्पादों की अपेक्षा अधिक धन कमा रहे हैं।

माननीय प्रधान मंत्री ने हमें बताया कि हम काफी घाटे के साथ चीनी का निर्यात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश व बिहार में चीनी का कारखाना मूल्य ३६ रु० मन है और कोई भी कारखाना जो ३६ रु० मन से अधिक दर पर चीनी बेचेगा दण्ड का भागी होगा। इन ३६ रुपयों में से १३ या १४ रु० उन करों के होते हैं जो हम निर्यात के घाटे को पूरा करने के लिये चीनी पर लगाते हैं। शेष २२ या २३ पये रहते हैं। आज चीनी का विश्व मूल्य १६ रु० ८ आने से १७ रु० तक है। इस प्रकार हमारा चीनी का कारखाना मूल्य संसार के मूल्य से ६ या ७ रु० अधिक है। अतः यदि हमें चीनी का निर्यात बड़ी मात्रा में करना है तो यह आवश्यक है कि हम चीनी का मूल्य न बढ़ायें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा बिहार विधान सभा द्वारा पारित दो संकल्पों का उल्लेख किया गया। बिहार विधान सभा ने १९५७ में एक संकल्प पारित किया था कि गन्ने का मूल्य १ रु० ७ आने से बढ़ाकर १ रु० १२ आने कर दिया जाये। राज्य सरकार को इसमें कुछ कठिनाई पड़ी और उसने हमसे सिफारिश की कि हम अन्य राज्य सरकारों से परामर्श करें कि क्या मूल्य बढ़ाये जा सकते हैं। मार्च में हमने गन्ना पैदा करने वाले राज्यों से परामर्श किया। राज्यों ने बताया कि १ ० ७ आने और १ ० ५ आने समुचित मूल्य हैं। अतः हमने अपने मन से नहीं बल्कि गन्ना पैदा करने वाले राज्यों से राय करके १ रु० ७ आने तथा १ ० ५ आने का मूल्य निर्धारित किया। उत्तर प्रदेश सरकार कई वर्षों से चिन्तित है कि गन्ने का समुचित मूल्य मिलने के कारण अधिकाधिक भूमि में गन्ने की खेती हो रही है और अन्य खाद्यान्नों की खेती कम होती जा रही है। मेरे पास आंकड़े हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि गत ४ वर्षों से उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा करने वाले ४ मुख्य जिलों में गन्ने की खेती की भूमि में ५८ से ५९ प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। उसके बाद जुलाई के महीने में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया। इस संकल्प पर विचार करने के लिये इसे उत्तर प्रदेश व बिहार के संयुक्त चीनी बोर्ड को सौंप दिया गया। श्री ब्रजराज सिंह ने बताया कि संयुक्त बोर्ड ने सिफारिश की है कि गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। सच यह है कि संयुक्त चीनी बोर्ड ने विचार करने के बाद यह निर्णय किया कि इस समय मूल्य बढ़ाना भारत सरकार के लिये असुविधाजनक होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि भविष्य के लिये विहित बोर्ड बना दिया जाये। और यह मामला विचाराधीन नहीं है, इस मामले पर सरकार बाद में विचार करेगी और जो भी नीति निर्धारित की जायेगी सरकार उसे सभा में घोषित करेगी। जहां तक इस मौसम का सम्बन्ध है, यह संभव नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बोर्ड की सिफारिश का समर्थन किया है। अतः, हम लोगों ने केवल बिहार सरकार से ही बात नही की है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात की है। अतएव, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में इस सम्बन्ध में पूर्ण सहमति रही है। मैं यह नहीं कहता

कि कभी भी कोई मतभेद नहीं होगा । जब किसी भी सरकार को कोई निर्णय करना होता है तो अपनी जिम्मेदारी पर करना होता है ।

मेरा निवेदन है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाना गन्ना उत्पादकों के हित में नहीं है । यदि गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जायेगा तो उत्पादन बढ़ जायेगा । गन्ना पेरने के कारखानों की क्षमता भी सीमित है । अतः गुड़ और खण्डसारी बनाने वालों को अधिक गन्ना मिलने लगेगा और परिणामस्वरूप गन्ने का मूल्य गिरने लग जायेगा । अतः हमें एक संतुलित व्यवस्था बनाये रखना चाहिये । एक उत्पादन को नष्ट कर के दूसरे उत्पादन को बढ़ाना ठीक नहीं है । अतः मिलों को दिये जाने वाले गन्ने का मूल्य बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है । सरकार ने इस मामले पर, अच्छी प्रकार विचार कर लिया है और हम समझते हैं कि गन्ने का मूल्य बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री ब्रजराज सिंह ने अनेक बातों का उल्लेख किया । उन्होंने बताया कि चीनी के कारखाने बहुत लाभ उठा रहे हैं । जब हमने चीनी का मूल्य ३६ रुपये कारखाना मूल्य निर्धारित किया तो मिलों ने कहा कि यह मूल्य बहुत कम है । पर हमारे सामने सारी बात स्पष्ट थी । गन्ना उत्पादकों तथा मिलों को, दोनों में से किसी को अनुचित लाभ उठाने का अवसर न मिले, इसलिये हमने १ रु० ७ आने व १ रु० ५ आने के मूल्य का मामला प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया है । प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन आने वाला है । यदि कोई गलती हुई होगी या लागत की गणना में कोई गलती हुई होगी तो आयोग उसे ठीक कर देगा । मैं समझता हूं कि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इन सब मामलों पर निर्णय किया जायेगा ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में मूल्य निर्धारण के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी है । ध्यान रहे कि हम न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर रहे हैं । १ रु० ७ आने व १ ० ५ आने न्यूनतम मूल्य हैं । इसके अतिरिक्त गन्ना उत्पादक को स्वेच्छा आधार पर बोनस भी मिलता है । यदि कारखाने को अधिक लाभ होता है, कारखाना अधिक दिनों तक चलता है या चीनी का उत्पादन अधिक होता है, तो गन्ना उत्पादक को बोनस भी मिलता है । पिछले कुछ वर्षों से गन्ना उत्पादकों को निम्नलिखित राशियां बोनस के रूप में दी गई हैं :

| | रु० |
|---|---|
| १९५२–५३ | १,००,५३,००० |
| १९५३–५४ | १,१३,०४,००० |
| १९५४–५५ | ७१,०७,००० |
| १९५५–५६ | ६२,४१,००० |
| १९५६–५७ | ८५,००,००० (अस्थायी आंकड़े) |

इस वर्ष हमने बोनस को विहित मूल्य का एक अंग बना दिया है । इस सूत्र को और भी उदार बना दिया गया है । सूत्र की लागत आंकड़े प्रशुल्क आयोग के सामने हैं । जहां तक मिलों के लाभ का प्रश्न है, मेरा अनुमान है कि चीनी उद्योग देश का सब से अधिक नियमित उद्योग है । कच्चे माल का मूल्य निर्धारित है, मजदूरों का वेतन नियमानुकूल मिलता है, उत्पादन की लागत बहुत कम होने वाली या बढ़ने वाली नहीं है, उसके ऊपर कुछ लाभ की भी व्यवस्था है और इन सब बातों के आधार पर चीनी का कारखाना-मूल्य निर्धारित किया जाता है और वह मूल्य भी नियंत्रित है । फिर भी, लोगों को अधिकार है कि वे इस सम्बन्ध में मनमाने विचार रखें । लोग अपने विचार

[श्री अ० प्र० जैन]

प्रशुल्क आयोग के सामने प्रकट कर सकते हैं। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुये और केवल गन्ना उत्पादकों के हित को ही नहीं बल्कि सभी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये गन्ने का जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह केवल उचित ही नहीं है बल्कि मिलों को गन्ना देने वाले किसानों के लिये अधिक लाभप्रद ही है। मैं समझता हूं कि वर्तमान मूल्य उचित तथा न्यायपूर्ण है तथा गन्ना उत्पादकों के हित में है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** गोपालकृष्णन समिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** उस प्रतिवेदन पर कार्यवाही की गई है।

**श्री ब्रजराज सिंह :** अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई और उसमें जो हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने कहा उससे मुझे बहुत अधिक निराशा हुई है। ऐसा लगता है कि जो आंकड़े सरकार की तरफ से प्रकाशित किये जाते हैं उनका खुद वह उपयोग नहीं करना चाहती।

प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि यदि हम गन्ने की कीमत बढ़ाते हैं तो गन्ने का उत्पादन क्षेत्र बढ़ जायेगा ऐसा हमें खतरा है। लेकिन जो हमारे सामने आंकड़े हैं वे तो दूसरी बात साबित करते हैं। सन् १९४७ में गन्ने की कीमत दो रुपये मन थी, तो उस समय हिन्दुस्तान में गन्ना ४० लाख ४७ हजार एकड़ जमीन में उगाया गया। अब इस कीमत के अनुसार सन् १९४८-४९ में यह क्षेत्र बढ़ना चाहिये था लेकिन हुआ क्या, सन् १९४८-४९ में वह क्षेत्र ३७,५२,००० एकड़ ही रह गया यद्यपि उस साल गन्ने की कीमत एक रुपया दस आने मन थी। इसके मुताबिक भी गन्ने का क्षेत्र बढ़ना चाहिये था लेकिन १९४९-५० में वह ३९,३४,००० एकड़ ही रहा। तो यह बात कहना कि यदि हम गन्ने के दाम बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्र बढ़ता है, निराधार है। यह आंकड़ों से साबित नहीं होती। आप काल्पनिक बात कह सकते हैं।

खाद्य मंत्री महोदय ने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन चार साल में गन्ने का क्षेत्र ५० से ६० प्रतिशत तक बढ़ गया है। लेकिन खाद्य का मसला तो सारे हिन्दुस्तान का है। अगर दक्षिण में कहीं गन्ने का क्षेत्र कम हो जाता है और उत्तर प्रदेश में कहीं बढ़ जाता है तो हमें तो सारे हिन्दुस्तान के पैमाने पर देखना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करें तो यह साबित होता है कि जहां सन् १९५६-५७ में गन्ने का क्षेत्र ५०,१९,००० एकड़ था वहां सन् १९५७-५८ में घट कर ४७,८४,००० एकड़ रह गया। तो यह साबित नहीं होता कि गन्ने का क्षेत्र बढ़ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जो यह कहा जाता है कि यदि गन्ने के दाम बढ़ाये गये तो किसान कैश क्राप की तरफ जायेगा यह बात बिल्कुल निराधार है। असल में गन्ने के उत्पादन में और भी बहुत सी चीजें शामिल हैं। उसमें सिंचाई का भी सवाल है। इसके अलावा किसान को अपने लिये गल्ला पैदा करना होता है, अपने पशुओं के लिये चारा पैदा करना होता है। तब कहीं जा कर वह गन्ना पैदा कर सकता है।

प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि वह विनोबा जी के साथ पदयात्रा कर रहे थे। बड़ी खुशी की बात है। विनोबा जी कहते हैं कि आज गन्ने और गल्ले की लड़ाई हो रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह की कोई लड़ाई नहीं हो रही है। क्योंकि किसान ही दोनों चीजें पैदा करता है। अगर ऐसी स्थिति आ भी जाये कि गन्ने की पैदावार ज्यादा होने लगे तो चीनी की पैदावार भी बढ़ेगी और

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी पैदा करने का खर्चा कम होगा और उस सूरत में हम पचास हजार टन से बजाये बहुत ज्यादा चीनी बाहर भेज सकेंगे और इस तरह फारिन एक्सचेंज पैदा कर सकेंगे। यहां फारिन एक्सचेंज का सवाल बार-बार आता है। पचास हजार टन चीनी से तो हमने केवल ढाई करोड़ फारिन एक्सचेंज ही पैदा किया है। पिछले दिनों जब हमारे देश में चीनी की कमी हो गई तो हमने देखा कि हमको १७ करोड़ कीमती फारिन एक्सचेंज चीनी बाहर से मंगाने पर खर्च करना पड़ा। और आज जो स्थिति हो रही है अगर उसे सुधारने की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उसका यह नतीजा होने वाला है कि पिछली बार से इस बार ७५ हजार टन चीनी कम पैदा होगी और हो सकता है कि आगे और भी कम हो जाये। हमने लक्ष्य यह बनाया है कि दूसरी योजना के समाप्त होने तक हम अपने देश में २५ लाख टन चीनी पैदा करने लगें। तो पैदावार बढ़ने की बजाय घटेगी। इसका नतीजा क्या होगा ? मुल्क की जो हालत है, उसमें चीनी का खर्चा बढ़ रहा है। जब खर्चा बढ़ेगा, तो फिर संकट पैदा हो सकता है और अगर संकट पैदा होगा, तो हो सकता है कि हमें इम्पोर्ट करना पड़े और जिस कीमती फारेन एक्सचेंज की बार बार बात की जाती है और उसको बचाने और अधिक पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, वह खर्च करना पड़े। इसलिये मैं कह रहा था कि इस विषय पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। खाद्य मंत्री ने कह दिया कि १९५३-५४ में ३४,९८,००० एकड़ पैदावार थी और अब वह उससे बढ़ गई है। सब आंकड़ों में से इस तरह एक को चूज करना ठीक नहीं है। हो सकता है कि उस अवधि में अकाल की स्थिति रही हो या सिंचाई की सुविधा न उपलब्ध रही हो या पानी न बरसा हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का किसान खास तौर से गन्ने की तरफ जाना चाहता है, तो इसका कारण यह है कि गन्ने की फसल पर न तो सूखे का इतना असर पड़ता है और न अधिक वर्षा का। गन्ना अधिक वर्षा बर्दाश्त कर सकता है, जब कि दूसरी फसलें, जैसे ज्वार, और बाजरा वगैरह बर्बाद हो सकती हैं। यह विचार करके कि बाढ़ भी आयेगी, तो भी गन्ना बना रहेगा, किसान गन्ना बोना चाहता है। उसके सामने यह बात नहीं होती है कि गन्ने का भाव कितना होता है। हमने देखा है कि जब गन्ने की कीमत ज्यादा भी होती है, तो भी अगले साल उसने कम गन्ना बोना शुरू कर दिया। मेरे पास इस आशय के भी आंकड़े हैं कि गन्ने की कीमत कम दी गई, लेकिन फिर भी गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ गया। ऐसा कोई सवाल नहीं है कि गन्ने की कीमत बढ़ने से गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ जाता हो।

यह कहा गया है कि किसान की दूसरी पैदावार में पैरिटी—संतुलन—कायम हो। मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन याद रहे कि किसान की अपनी ही पैदावार का आपस में संतुलन कायम करने का ही सवाल नहीं है। किसान की पैदावार और फ़ैक्ट्री-ओनर की पैदावार में संतुलन कायम करने की जरूरत है। जब तक हम ऐसा नहीं करते, तब तक इस दिशा में कोई लाभ नहीं हो सकता है। इस समय हमारी नीति गलत है। इस वक्त किसान की पैदावार और फ़ैक्ट्री की पैदावार में संतुलन नहीं पैदा किया जा रहा है। । यह उसी का नतीजा है कि जूट, धान और कपास की कीमत कम हो गई हैं। अगर यह संतुलन कायम कर दिया जाये, तो अच्छा होगा।

खाद्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि किसान खंडसारी के लिए जो गन्ना देता है, उन को उस का एक रुपया या एक रुपया क आना ही मिलता है। मैं यह निवेदन करना चाहता कि यह तो किसान की मजबूरी से फायदा उठाने की बात है। यह तो सरकार का कर्तव्य है कि आप उन से भी ठीक दाम दिलायें। चीनी पर १३-१३-० रुपए का जो टैक्स लगता है, गृह उद्योग होने के कारण खंडसारी पर उस को माफ़ किया हुआ है, लेकिन टैक्स माफ करने के बाद सरकार खंडसारी उद्योग पर भी १-५-० और १-७-० गन्ने का भाव लागू क्यों नहीं करती है ? ऐसा करना सरकार का काम है, जो

[श्री ब्रजराजसिंह]

कि वह नहीं कर रही है। खंडसारी के जो छोटे छोटे मिल-मालिक हैं, वे १–१–० पर क्यों खरीद रहे हैं? उनको भी १–५–० पर खरीदना चाहिये। जितनी कीमत इस वक्त गन्ने की दी जा रही है, उस को खंडसारी उद्योग पर भी लागू करना चाहिए। सरकार की ओर से उन को कहा जाना चाहिए कि आप को सुविधायें दी जा रही हैं, आप पर एक्साईज नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगते हैं, इस लिये आप को भी १–५–० रुपया देना पड़ेगा।

जहां तक गुड़ का सवाल है, आज स्थिति यह है कि सत्तर फीसदी किसान कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, इस लिए उन्हें खेती का काम ही करना पड़ेगा, चाहे उस में उन्हें फ़ायदा हो या नुक्सान हो। इस लिए इस दलील में कोई वजन नहीं है कि चंकि गुड़ बनाने में किसान को गन्ने की कम कीमत मिलती है, स लिए मिल-मालिको की ओर से उस को जो कीमत मिल रही है, वह भी ठीक है।

यह सवाल सरकार ने टैरिफ़ कमीशन के सुपुर्द किया हुआ है। इस बात की जांच कराई जानी चाहिए कि किसान का गन्ना पैदा करने का व्यय क्या है। १९५० में टैरिफ़ कमीशन ने गन्ने के उत्पादन-व्यय की जांच-पड़ताल करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी, क्योंकि उन के पास वक्त कम था और वह आंकड़े क ठे नहीं कर पाए। इसलिए अब टैरिफ़ कमीशन से गन्ने की पैदावार पर होने वाले व्यय की जांच-पड़ताल कराई जानी चाहिए और उसी के मुताबिक उस के भाव निर्धारित किए जाने चाहिए। चीनी का उत्पादन-व्यय तो हमें मालूम है। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रैस-मड, बगास और शीरे के बारें में मैंने जो सवाल उठाए थे, खाद्य मंत्री के पास उनका कोई जवाब नहीं है। वह कहते हैं कि टैरिफ़ कमीशन उन को देख लेगा। वह तो देख लेगा, लेकिन अब तक जो करो ों रुपए वे ले गए हैं, उन का क्या होगा? मैं कहना चाहता हूं कि चीनी के उद्योग में जितना कैपिटल लगा हुआ है, उस से ज्यादा रुपया चीनी के मिल-मालिक प्रैस-मड बगास और शीरे में पैदा कर रहे हैं। बात यह है कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। जहां तक गन्ने की कीमत में पांच आ बढ़ाने का सवाल है, वह तो आप वर्तमान स्थिति में ही बढ़ा सकते हैं। इस से उद्योग पर संकट आने या टैक्स बढ़ाने की बात नहीं है। अगर फिर भी आप कीमत नहीं ब ाना चाहते , ो दूसरी बात है।

जहां तक पंच-वर्षीय योजना और पैदावार बढ़ाने का सवाल है, जिस का जिक्र इस सम्बन्ध में किया जाता है, मैं कहना चाहता हूं कि उस में हम आप के साथ हैं। हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, हम पंचवर्षीय ोजना को सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन आप की नीती गलत है और वह नीति पंचवर्षीय योजना को असफल कर सकती है और वे असफलताएं दिखाई दे रही हैं। आज खेती की पैदावार के दाम घट रहे और कारखाने की पैदावार के दाम बढ़ रहे हैं। मेरा नि दन है कि अभी भी वक्त है कि आप कोई ज़िद मत कीजिये और यह मत सोचिए कि चूंकि किसानों ने फैक्टरियों में गन्ना देना बन्द कर दिया है, स लिए यह आप की तिष्ठा का सवाल है। अगर यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जरा सब सदस्यों को वोट देने की आजादी दीजिए, जिस तरह कि उत्तर देश असेम्बली में कृषि मंत्री ने कहा कि हर एक सदस्य को आजादी है कि वह जिस तरह वोट देना चाहे, उस तरह वोट दे। आप भी वैसा ही

कीजिए। मैं देखता हूं कि जिन सदस्यों ने एक सब्स्टीच्यूट मोशन का नोटिस दिया है, उन के दर्शन नहीं हो रहे हैं। यह बात तो नहीं है कि हमारे सदस्य लापरवाह हैं—वे सतर्क हैं, लेकिन फिर भी उन के दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्या बात हो गई है। अब वक्त है कि आप इस प्रश्न की जांच-पड़ताल करा के फौरन इस पर निर्णय कीजिए, वर्ना जिस आयोजन को आप सफल करना चाहते हैं उस का एक बहुत बड़ा हिस्सा असफल हो जायगा।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री वाजपेयी का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ मतदान के लिए रखा गया।**

सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में २१, विपक्ष में १३०।

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

---

## कुलटी की भट्टियों का बन्द हो जाना*

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट): श्रीमान मैं सभा का ध्यान इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी की कुलटी भट्टी संख्या ४ तथा ५ के बन्द हो जाने पर आकर्षित करती हूँ। भट्टी संख्या ४ के बन्द हो जाने से १०,००० टन लोहे के निर्माण में कमी हुई।

पहले ७१० कर्मचारी बेकार हुए और दूसरी भट्टी के बन्द हो जाने के पश्चात ६०० कर्मचारी बेकार हो गये। २०,००० टन कच्चे लोहे का उत्पादन भी रुक गया। कहा जाता है कि भारत में कच्चा लोहा अतिरिक्त है किन्तु हम ४ लाख टन स्पात बाहर से मंगाते हैं। यदि हम यहां कच्चे लोहे से इस्पात तैयार कर लें तो विदेशी विनिमय का अभाव भी दूर हो सकता है किन्तु सरकार चिन्ता ही नहीं करती। हमारी रेलवे कच्चे लोहे की मांग करती है। इन परिस्थितियों में मैं पूछना चाहती हूं कि क्या न भट्टियों के बन्द हो जाने पर हमें हानि न होगी? गैर-सरकारी समवाय ने बन्द करने के बारे में बड़ी विचित्र बातें हमारे सामने रखी हैं। वास्तव में वह कम्पनी कम उत्पादन इस कारण करती है कि उसे पर्याप्त लाभ की मात्रा मिले। उन्होंने इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर भट्टियां बन्द कर डाली हैं।

कुलटी की भट्टियों में विशेष प्रकार फाउंडरी कच्चा लोहा तैयार होता था। हम ढलाई इत्यादि के कामों के लिये विशेष प्रकार के लोहे की आवश्यकता पड़ती है किन्तु उनके बन्द हो जाने से काम में गड़बड़ हो गई है।

कहा गया है कि एक दुर्घटना के कारण भट्टियां बन्द कर दी गई हैं किन्तु यह भी स्पष्ट ही है कि वह लोग पहले से ही भट्टियां बन्द करने को तैयार बैठे हुए थे। कुछ समय पूर्व मैंने श्री वीरेण मुकर्जी का भाषण पढ़ा था उन्होंने कहा था कि बर्नपुर में १२,००० टन कच्चा लोहा तैयार होगा तथा उसके पश्चात १,००० टन इस्पात तैयार होगा। इससे उनके अनुसार देश को प्रति मासिक २ करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। यदि दूसरी भट्टी चालू हो जाये तो लाभ दुगना हो जाय। वास्तव में विशेषज्ञों का मत है

---

*आधे घंटे की चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

कि फाउंडरी में काम आने वाला लोहा बनाने पर समयानुसार लागत बदलनी पड़ती है। आज देश को इस्पात की अत्यावश्यकता है किन्तु इसकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही।

वास्तव में पहले यह अनुमान था कि जब सरकारी क्षेत्र में इस्पात का निर्माण होने लगे तब यह विचार किया जाये कि क्या हमें देश में इस्पात अथवा लोहे के निर्माण के पुरातन तरीकों को छोड़ देना चाहिये? किन्तु बाद में सरकार ने गलती का अनुभव किया तथा कहा कि सरकार इन भट्टियों को ३/४ वर्ष तक और चलने देगी। किन्तु बाद में समवाय वाले बन्द करने की मांग करने लगे। विश्व बैंक ने भी कम्पनी की हां में हां मिला दी क्योंकि वह तो यह चाहता है कि हम कृषि पर ही जोर दें। किन्तु मैं पूछती हूँ सरकार स बात पर सहमत कैसे हो गई। यह बड़े आश्चर्य की बात है।

कम्पनी के निदेशक भी यह कहते हैं कि भट्टियां पुरानी हैं तथा उनका लाभ नहीं है किन्तु यहां हमें चीन का उदाहरण अपने सामने रखना चाहिये। हमें तो अपनी पुरानी भट्टियों से भी पूरा काम लेना चाहिये।

अब समवाय वालों का कहना है कि कुलटी भट्टियां इस कारण बन्द कर दी गईं कि सरकार ने लोहे के साधारण मूल्यों में ६-८ प्रति टन की कमी कर दी थी। किन्तु उन्होंने स बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि अन्य वस्तुओं की कीमतें गिरने से लाभ की गुंजाइश अधिक है।

इसके पश्चात अतिरिक्त श्रमिकों का भी तो प्रश्न है। जब से सरकारी क्षेत्र में स्पात के कारखाने लगने लगे हैं तभी से गैर-सरकारी क्षेत्र वाले यही चिल्ला रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उच्च प्रकार की मशीनें लगी हैं। उनके कारखानों में इवर अधिक लोग काम करते हैं। इस कारण इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा। हमने हाल में देख ही लिया है कि अक्तूबर में ७५० श्रमिक अतिरिक्त घोषित किये गये थे।

इन लोगों का क्या होगा। यह कहां जायेंगे हम ने इस श्न पर बंगाल के मुख्य मंत्री की सहायता चाही उन्होंने संव के श्रम मंत्री से बातचीत की। अब केवल १४० व्यक्ति लिये जा रहे हैं सरकारी क्षेत्र के कारखानों में। अभी तक यह भी नहीं पता है कि उन्हें किस सिद्धान्त पर खपाया जायेगा। माननीय श्रम मंत्री को इन चारों के हाल पर थोड़ा प्रकाश डालना होगा।

अभी हाल ही में पता लगा है कि वहां विस्फोट हुआ। माननीय मंत्री यह भी बतायें कि विस्फोट किस प्रकार का था।

भट्टी संख्या ५ के बन्द हो जाने से और भी मजदूर बेकार हो गये हैं। यदि प्रशिक्षित श्रमिकों की यह दशा रही तो हमारे देश का कल्याण कैसे होगा। इस समवाय का उद्देश्य तो यही है कि उत्पादन को कम रखते ए लाभ की मात्रा अधिक रखी जाये।

इन सब से विचित्र बात तो यह है कि सरकार ने भट्टियों को बन्द करने की आज्ञा दे दी। अतः माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह न सब बातों का यथोचित उत्तर दें।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मेरा क प्रश्न है । कहा जाता है भट्टियों को इस कारण बन्द किया गया कि कच्चा लोहा अतिरिक्त था । मैं पूछता हूं यह ज्ञान कब हुआ जब कि देश में कच्चे लोहे की मांग अभी तक है।

†**श्री नागी रेड्डी** ( अनन्तपुर ) : सरकार सब बातें जानते बूझते विश्व बैंक की राय से कि भट्टियां बन्द करनी ठीक हैं, क्यों सहमत हुई ?

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप ) : बेकार श्रमिकों का क्या होगा ?

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : जब हमें प्रशिक्षित श्रमिकों की अत्यावश्यकता है तब ऐसे लोगों को बेकार बना देना क्या उपहासास्पद कार्य नहीं है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह ):** श्रीमान् यह तो सब जानते हैं कि कुलटी भट्टियां, कुलटी की कोक भट्टियां तथा बर्नपुर इस्पात संयंत्र एक ही समवाय की मिलकीयत है । समय-समय पर यह जानकारी भी दी गई है कि इंडियन आयरन एंड स्टील वर्कस के विस्तार कार्य क्रम में बर्नपुर में दो अतिरिक्त भट्टियों का उपबन्ध है और इनका बन्द किया जाना भी उसी कार्यक्रम के अन्तर्गत है। इस समय मैं आपके सामने केवल तथ्य रखना चाहता हूं। विस्तार कार्य क्रम के अन्तर्गत यही व्यवस्था थी कि कुलटी की भट्टियों से अधिक क्षमता वाली दो भट्टियां बर्नपुर में खोली जायें और कुलटी वाली भट्टियों को बन्द करा दिया जाये । यह बात गलत है, कि चूंकि दो भट्टियां खुल रही थीं इस कारण उन्हें बन्द कर दिया गया है । वास्तव में तथ्य यह है कि कुलटी की यह भट्टियां वास्तव में ही पुरानी और व्यर्थ सी थीं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार यह अधिक देर न चल सकती थीं और यदि प्रर्याप्त नवीकरण न किया जाता तो यह कच्चा लोहा ठीक मूल्य पर नहीं कर सकती थीं । इसका अर्थ था अधिक व्यय करना ।

दोनों में से एक तो अक्तूबर में बन्द हुई । इसका नाम संख्या ४ भट्टी था । ४ अक्तूबर को समवाय ने श्रमिकों से जो करार किया उस में लिखा था कि दूसरी भट्टी अर्थात् संख्या ५ भट्टी भी चालू वर्ष के अन्त तक बन्द की जायेगी और अतिरिक्त श्रमिकों के बारे में अलग करार किया जायेगा। यह जानकारी मैं इस कारण दे रहा हूं कि श्रमिकों को यह पहले से ही पता था क्योंकि करार में इसका उल्लेख किया गया था और यह उल्लेख अक्तूबर ही में हो चुका था।

तुरन्त बन्द करने के बारे में, मैंने प्रबन्धकों से जानकारी ली तो वहां के प्रबन्धक निदेशक १७ दिसम्बर के एक पत्र में हमें यह लिखते हैं :—

> "मुझे खेद है कि हम संख्या ५ भट्टी को भी खो बैठे क्योंकि १५ दिसम्बर को आधी रात के समय वहां एक दुर्घटना हो गई ।
>
> "इन इस्पात संयंत्रों के मुख्य प्रबन्धक श्री मैक्केन ने भी लिखा है कि इस भट्टी को दोबारा चालू करने का पूरा प्रयास किया गया किन्तु १८ तारीख को यह देख लिया गया कि अब इस से आशा नहीं है । उसके पश्चात उसने भट्टी बन्द करा दी ।
>
> लगभग इसी समय कलकत्ता तथा आसनसोल के बीच तार तथा टेलीप्रिंटर के सम्बन्ध टूट गये और आज ४ बजे तक भी डाक व तार विभाग के लोग इसे ठीक न कर सके हैं। उनका कहना है कि कलकत्ता के उत्तर की ओर से कुछ तारें चुरा ली गई हैं ? "

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : भट्टियां बन्द होते ही तार कट गये; इस में कुछ संदेह वाली बात अवश्य है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं तो नहीं जानता कि इसका श्रेय किस को दिया जाये । मुझे तो नहीं ।

"खैर भट्टी इस मास के अन्त में तो बन्द होनी ही थी । किन्तु यह तथ्य कि हमें उसे एक तो दामोदर घाटी निगम से बिजली न आने के कारण तथा दूसरे पम्प हाउस संचालकों की लापरवाही के कारण गंवाना पड़ा, बड़ा ही भयानक तथ्य है तथा उद्योग के सामने यही बड़ी समस्या है ।"

मैं समझता हूं कि सभा को मैक्केकन के टिप्पण में भी रुचि होगी । वह यह था :—

"१६ दिसम्बर को १२.१५ प्रातः ढलाई के बाद भट्टी संख्या ५ का सुराख बन्द किया जा रहा था जब कि भट्टी के फोरमैन बोड़ी मंडल ने यह देखा कि जल द्वारा शीतल करने वाले क्षेत्र के एक किनारे से गीली मिट्टी गिर रही है जिसका अर्थ था ठंडे जल के संभरण की असफलता ।

जल के परिचालन की असफलता के कारण तांबे के शीतक यंत्र खराब हो गये तथा भट्टी में पानी की बाढ सी आ गई । इस प्रकार की दुर्घटना भट्टी के लिये घातक होती है किन्तु संख्या ५ जैसी भट्टी के लिये तो यह और भी घातक थी ।

पानी के परिचालन की असफलता की जांच करने पर यह पता लगा है कि सोमवार रात को दामोदर घाटी निगम में तीन बोल्टेज के उतार चढ़ाव हुए । बस इसी दौरान में जल परिचालन व्यवस्था बिगड़ गई ।

पम्प हाउस के कर्मचारियों ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि पम्प आधी रात बेकार हुआ । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ३५ मिनट तक किसी को पता तक नहीं चला कि कोई खराबी हो गई है या नहीं । । इसी कारण यह दुर्घटना हो गई ।"

भट्टी के बन्द किये जाने का तुरन्त कारण यह है । यह ठीक है कि यदि यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना न भी होती तो भी भट्टी को इस मास के अन्त तक बन्द कर दिया जाता । यह कहना गलत है कि बन्द इस कारण किया गया है कि कच्चे लोहे का हमारे यहां आधिक्य है । यह तथ्य है कि यहां लागत ज्यादा आती थी । यदि नवीकरण पर भी व्यय किया जाता तो लागत और भी बढ़ जाती । यह ठीक है कि जब कमी हो तो हम ज्यादा लागत भी सह सकते हैं किन्तु जब देश की आवश्यकतायें लगभग पूरी होती ही हों तो राष्ट्र के हित में यह बात नहीं होती तो हम ऐसे कारखाने में भी उत्पादन करते जिस से बचत न हो और जो लाभप्रद न हो ।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है, वह पहले के समय की है । कुछ समय पूर्व देश में लोहे की कमी थी किन्तु हमें यह भी तो देखना चाहिये कि दो और भट्टियों ने उत्पादन कार्य आरंभ कर दिया है और इस समय देश में कच्चे लोहे की कोई भी कमी नहीं है । जहां तक कच्चे लोहे की सामूहिक उपलब्धता का सम्बन्ध है देश में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं है इस कारण हम ऐसे कारखाने जारी नहीं रख सकते जो लाभप्रद न हों, व्यर्थ हों और जिन में माल तैयार करने पर लागत बहुत ही ज्यादा आती हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है मुझे भी उनके बारे में माननीय सदस्यों के समानपूर्ण सहानुभूति है। पहली भट्टी के बन्द होते समय स्पष्ट कर ही दिया गया था कि दूसरी भट्टी भी इसी वर्ष के अन्त तक बन्द की जायेगी। जो करार उन्होंने श्रमिकों से किया था उसे क्रियान्वित किया गया है। मैं ने वहां के श्रममंत्री से जानकारी प्राप्त की है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पूरे १४० सरकारी क्षेत्र में नहीं लिये गये हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक इन श्रमिकों का सम्बन्ध है; यह तो बात ही करार में न थी क्योंकि हम तो करार में पक्ष के रूप से थे ही नहीं। यह ठीक है कि हमें श्रमिकों की आवश्यकता है तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स उन्हें लेकर प्रसन्न होगा किन्तु यह बात गलत है कि अनिवार्यतया ऐसा करना ही पड़ेगा।

हिन्दुस्तान स्टील ऐसा करार कभी नहीं कर सकता। मैं इस बात को अत्यन्त स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमें, यह ठीक है प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है और कुलटी के श्रमिक प्रशिक्षित हैं, इस कारण उनके मामले पर विचार अवश्य किया जायेगा; किन्तु सरकार ने कभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि वह यह करेगी ही। यह बात अलग है कि हमें लोगों की जरूरत है और वे लोग उपयुक्त हैं अतः उनके लिये जाने की संभावना है। किन्तु दूसरी बात गलत है।

जहां तक पहली भट्टी के बन्द किये जाने का सम्बन्ध है, अक्तूबर १९५८ को हुए प्रबन्धक-मजदूर करार के अनुसार यह स्पष्ट है कि इस के लिये पक्षों में अलग करार होगा। आज प्रबन्धक तथा मजदूर बैठेंगे तथा देख लेंगे कि कितने लोग तो बर्नपुर में खपाये जा सकते हैं; शेष को छंटनी के पूरे लाभ मिलेंगे ; और कुछ लोग जो उपयुक्त होंगे उन्हें हिन्दुस्तान स्टील में खपाया जायेगा। वास्तविकता के लिये इतना ही किया जा सकता है । अभी इस मामले पर प्रबन्धकों तथा श्रमिकों में विचार विमर्श होगा।

वर्तमान अवस्था तो एक दुर्घटना के कारण उत्पन्न हो गई और मेरा विचार है कि हमें श्रमिकों तथा मजदूरों की सामान्य स्थिति को चलने देना चाहिये ताकि जिन श्रमिकों की बर्नपुर में आवश्यकता हो वह वहां खपाये जा सकें और शेष का भी सामान्य रीत्यानुसार ध्यान रखा जायेगा।

दूसरे यह भी कहा गया कि बर्नपुर में तैयार किया जाने वाला कच्चा लोहा स्पन पाइप के लिये उपयुक्त नहीं है । पता नहीं माननीय सदस्या ने यह जानकारी कहां से ली है। स्पन पाइप तो बर्नपुर के लोहे से ही पूर्ण होता था—यही तो विस्तार कार्यक्रम का भाग था।

हो सकता है कि अभी तक यह लोहा वहां से न लाया गया हो क्योंकि यह भट्टी कुछ कच्चा लोहा तैयार तो करती ही थी। आगे स्पन पाइप के लिये बर्नपुर से ही लोहा आया करेगा। इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि बर्नपुर का लोहा वहां के लिये उपयुक्त ही नहीं है।

यह तो हो ही नहीं सकता कि गैर-सरकारी समवाय अपने हितों का ध्यान न रखे। में समझता हूं कि लोहे की स्थिति, श्रम तथा भट्टियों के बन्द हो जाने के बारे में स्थिति स्पष्ट है और कोई ऐसी बात नहीं जिस पर सरकार अग्रेत्तर कार्यवाही कर सकती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस समय सात या आठ सौ के लगभग श्रमिक बेकार हैं। क्या हम यह समझें कि सरकार कोई आश्वासन न देगी कि उन्हें खपाया जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** श्रमिक प्रबन्धकों के साथ मिलकर इस मामले को निपटा लेंगे। हमने स्टील वर्क्स की ओर से एक दल वहां पर उपयुक्त लोगों को भर्ती करने के लिये भेजा था और उन्होंने इन्टरव्यू किये। संभावना है कि उनमें से पर्याप्त लोगों को वहां खपा दिया जायेगा। किन्तु यह कहना कि जो भी व्यक्ति बेकार हैं उन्हें भी, चाहे वह अनुपयुक्त ही हों, ले लिया जाये और स्टील वर्कस यह आश्वासन दे कि वह हरेक व्यक्ति को ही रख लेंगे, यह बात हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स के लिये न्यायोचित नहीं है ; उन पर ऐसा उत्तरदायित्व डालना न्यायोचित न होगा। किन्तु जैसा मैं कह चुका हूं वहां काम है और विस्तार हो रहा है और वहां ज्यादा लोगों की आवश्यकता है। यदि वे श्रमिक उपयुक्त हुए तो उन्हें वहां रख लिया जायेगा।

**इसके पश्चात् लोक-सभा, शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५८ को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में

# दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १८ दिसम्बर, १९५८]


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | २८६३–८३ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ११३८ | इस्पात संयंत्रों की प्रगति | २८६३–६५ |
| ११३९ | कार्य का विकेन्द्रीयकरण | २८६५–६७ |
| ११४३ | 'यूथ होस्टल' | २८६७–६९ |
| ११४४ | केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी-बूटी संगठन | २८६९–७१ |
| ११४५ | रूरकेला इस्पात संयंत्र का सामान्य सेवा व्यय | २८७१–७४ |
| ११४६ | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय | २८७४–७९ |
| ११४८ | हिमाचल प्रदेश परिषद् बैंक लेखा | २८७९–८० |
| ११४९ | राष्ट्रीय अनुशासन योजना | २८८०–८२ |
| **अल्प सूचना प्रश्न संख्या** | | |
| ६ | रूस को गये भारतीय वकील प्रतिनिधिमण्डल का प्रतिवेदन | २८८२–८३ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | २८८४–९५७ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ११३७ | 'हरक्युलिस' एयरक्राफ्ट कैरियर के लिये जेट विमान | २८८४ |
| ११४१ | भूतपूर्व शासकों पर व्यय-कर | २८८४ |
| ११४२ | प्रविधिज्ञों की आवश्यकता | २८८४ |
| ११४८ | इस्पात के कारखानों में उपोत्पाद संयंत्र | २८८५ |
| ११५० | विस्थापित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता | २८८५–८६ |
| ११५१ | विश्व विपणि में इस्पात के भावों में गिरावट | २८८६ |
| ११५२ | नन्द गांव और अथमल्लिक की गद्दियों का उत्तराधिकार | २८८६–८७ |
| ११५३ | बेलाडिला क्षेत्र में लौह अयस्क की खोज | २८८७ |
| ११५४ | सम्बद्ध कालेजों के शिक्षकों के वेतनक्रम | २८८७–८८ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः) | | |
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| ११५५ | कल्याण पदाधिकारी | २८८८ |
| ११५६ | आदमपुर हवाई अड्डा | २८८८ |
| ११५७ | अनुसूचित जातियों को घर बनाने के लिये सहायता | २८८८–८९ |
| ११५८ | इम्फाल में हथियारों का पकड़ा जाना | २८८९ |
| ११५९ | सैनिक शिक्षा के लिये निदेशालय | २८८९ |
| ११६० | नौसेना सम्बन्धी साहित्य | २८८९–९० |
| ११६१ | दिल्ली में मद्यसार की खपत | २८९० |
| ११६२ | जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को आसाम-प्रतिकर भत्ता | २८९० |
| ११६३ | अस्पृश्यता | २८९० |
| ११६४ | स्वतंत्रता संग्राम के शहीद | २८९१ |
| ११६५ | रत्नागिरि पहाड़ी में पायी गयी वस्तुएं | २८९१ |
| ११६६ | अमरीकी आयात-निर्यात बैंक ऋण | २८९१–९२ |
| ११६७ | निर्धन विद्यार्थियों को प्राविधिक शिक्षा के लिये सुविधायें | २८९२ |
| ११६८ | दिल्ली मजदूर श्रमिक संघ द्वारा प्रदर्शन | २८९२ |
| ११६८-क | मजदूरों का प्रदर्शन | २८९३ |
| ११६८-ख | सैनिक ट्रकों की आवश्यकता | २८९३ |
| ११६९ | नेपाल को सहायता | २८९४ |
| ११७० | दिल्ली शराब लाइसेंस का मुकद्दमा | २८९४ |
| ११७१ | विश्वविद्यालय शिक्षा | २८९५ |
| ११७२ | तिब्बती सीमा सुरक्षा दल के लिये मुफ्त राशन | २८९५ |
| ११७३ | रूरकेला के 'ग' ज़ोन में मिट्टी की खुदाई का ठेका | २८९६ |
| ११७४ | मैसर्ज होचीफ गैमन, बम्बई, के साथ ठेका | २८९६ |
| ११७५ | मंदिरों को वास्तुकला का अध्ययन | २८९६ |
| ११७६ | राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड़कवासला | २८९७ |
| ११७६-क | दिल्ली में बुनियादी शिक्षा | २८९७ |
| ११७७ | राष्ट्रमण्डल संस्था, लंदन | २८९७ |
| ११७७-क | आयात बीजकों में अधिक मूल्य लिखना | २८९८ |
| ११७८ | बथुला में तेल के लिये खुदाई | २८९८ |
| ११७९ | कनाडा द्वारा गेहूं के लिये दिया गया ऋण | २८९८–९९ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ११८० | रूरकेला के लिये सिविल इंजीनियरिंग परामर्शदाता | २८९९ |
| ११८०-क | गैस क्लीनिंग प्लांट | २८९९–२९०० |
| ११८१ | जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक | २९०० |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १९९६ | व्यय कर | २९००–०१ |
| १९९७ | दान कर | २९०१ |
| १९९८ | शिक्षा विकास कार्यक्रम | २९०२ |
| १९९९ | गृह विज्ञान शिक्षा | २९०२ |
| २००० | गैर-सरकारी टैक्नीकल संस्थायें | २९०३ |
| २००१ | दुर्गापुर और भिलाई में सामान्य सेवा व्यय | २९०३–०४ |
| २००२ | सांध्यकालीन शिक्षण संस्थाएं | २९०४ |
| २००३ | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूमि | २९०४ |
| २००४ | आदिमजाति क्षेत्रों के लिये स्वास्थ्य योजनायें | २९०४ |
| २००५ | केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड | २९०५ |
| २००६ | बम्बई राज्य द्वारा लोहे और इस्पात के लिये मांग | २९०५ |
| २००७ | जलगांव जिले में खुदाई | २९०५–०६ |
| २००८ | दौलताबाद का किला | २९०६ |
| २००९ | इस्पात की खरीद | २९०६ |
| २०१० | पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां | २९०६–०७ |
| २०११ | सेना कर्मचारियों के लिये सामान | २९०७ |
| २०१२ | भंगियों की बस्तियां | २९०७ |
| २०१३ | मैट्रिक से आगे की छात्रवृत्तियां | २९०८ |
| २०१४ | राजस्थान में स्मारक | २९०८ |
| २०१६ | उड़ीसा में 'बाद की देख-भाल' का कार्यक्रम | २९०९ |
| २०१७ | विदेश भ्रमण के लिये विदेशी मुद्रा | २९०९ |
| २०१८ | महावाहिनी गुल्म निधि | २९०९–१० |
| २०१९ | मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स | २९१० |
| २०२० | भारतीय पुलिस सेवा ( विशेष भर्ती ) योजना | २९१० |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः) | | |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| २०२१ | कोलम्बो योजना के अन्तर्गत नेपाल को सहायता . . | २९१०-११ |
| २०२२ | अपहृत बच्चे . . | २९११ |
| २०२३ | तेल शोधक कारखाने . . | २९११-१२ |
| २०२४ | १९६१ की जनगणना . . | २९१२-१३ |
| २०२५ | हिन्दी में विधि शब्दावली | २९१३ |
| २०२६ | अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद . . . | २९१३ |
| २०२७ | विद्यार्थियों की रहन सहन की हालत . | २९१३ |
| २०२८ | त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम . . | २९१३-१४ |
| २०२९ | सैनिकों को सुविधायें . | २९१४ |
| २०३० | बंदियों का छोड़ा जाना . | २९१४ |
| २०३१ | जापान से इस्पात उत्पादों का आयात | २९१५ |
| २०३२ | कोयला उत्पादन | २९१५ |
| २०३३ | तेल शोधन प्रशिक्षण स्कूल . | २९१५-१६ |
| २०३४ | नागा पहाड़ियों में तेल की खोज | २९१६ |
| २०३५ | मनीपुर नृत्य महाविद्यालय | २९१६ |
| २०३६ | सरकार द्वारा की गई साधारण बीमा पालिसियां | २९१६ |
| २०३७ | अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का पुनर्वास . | २९१६-१७ |
| २०३८ | कल्याण विस्तार परियोजनायें . . | २९१७ |
| २०३९ | उड़ीसा में स्त्रियों और बालकों के लिये पुस्तकालय . | २९१७ |
| २०४० | किरायेदारी के संशोधित नियम | २९१८ |
| २०४१ | भ्रष्टाचार . . | २९१८-१९ |
| २०४२ | पश्चिमी सीमा पर तस्कर व्यापारी . . | २९१९ |
| २०४३ | जब्त शुदा सोना और चांदी . . | २९१९ |
| २०४४ | वैज्ञानिकों और प्रविधिज्ञों की केन्द्रीय पदावली | २९१९-२० |
| २०४५ | दिल्ली में स्कूलों की इमारतें . . | २९२०-२१ |
| २०४६ | भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के उपकरणों की लागत में वृद्धि . . | २९२१ |
| २०४७ | रूरकेला के लिये ब्लास्ट फर्नेस ( भट्टियां ) | २९२१-२२ |
| २०४८ | रूरकेला में जोन 'बी' में मिट्टी के काम का ठेका | २९२२ |
| २०४९ | रूरकेला में बेलन मिलें . | २९२२-२३ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)**

**अतारांकित प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| २०५० | इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सेवाएं | २९२३ |
| २०५१ | रूरकेला में जल संभरण | २९२३ |
| २०५२ | अध्ययन के लिये विदेश जाने वाले छात्र | २९२४ |
| २०५३ | शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स | २९२४ |
| २०५४ | भारत में पाकिस्तानी | २९२४ |
| २०५५ | ड्रिलिंग कर्मचारियों की भरती | २९२५ |
| २०५६ | पंजाब में विकास योजनाओं के लिये इस्पात का कोटा | २९२५ |
| २०५७ | पंजाब में समाज कल्याण केन्द्र | २९२५-२६ |
| २०५८ | विज्ञान मंदिर | २९२६ |
| २०५९ | उड़ीसा में कुम्हार जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृतियां | २९२६-२७ |
| २०६० | कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के वकील | २९२७ |
| २०६१ | मनीपुर क्षेत्रीय परिषद् के चेयरमैन का हटाया जाना | २९२८ |
| २०६२ | कृत्रिम वर्षा करना | २९२८ |
| २०६३ | खराब जलवायु सम्बन्धी भत्ता | २९२९ |
| २०६४ | सोने का तस्कर व्यापार | २९२९ |
| २०६५ | सेवा काल में वृद्धि | २९२९ |
| २०६६ | रूरकेला इस्पात कारखाने का उपमहाप्रबन्धक | २९२९-३० |
| २०६७ | ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थी | २९३० |
| २०६८ | सेना कर्मचारियों का पुनर्गठन | २९३०-३१ |
| २०६९ | भारत में फोर्ड प्रतिष्ठान प्रशिक्षण केन्द्र | २९३१ |
| २०७० | दिल्ली प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग | २९३१ |
| २०७१ | पब्लिक स्कूल | २९३१-३२ |
| २०७२ | उत्तर प्रदेश में गन्धक के निक्षेप | २९३२ |
| २०७३ | विद्यार्थी पर्यटनों के लिए अनुदान | २९३२ |
| २०७४ | त्रिपुरा में तेल का सर्वेक्षण | २९३२ |
| २०७५ | दुर्गापुर के लिए कोयला लादने का संयंत्र | २९३३ |
| २०७६ | मनीपुर में नेपाली | २९३३ |
| २०७७ | मनापुर पदाधिकारियों की मुअत्तली | २९३३ |
| २०७८ | कोयले के निक्षेप | २९३४ |
| २०७९ | जम्मू में कोयले के निक्षेप | २९३४ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)** | | |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| २०८० | अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को हिन्दी का मैट्रिक के आगे अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां | २९३४ |
| २०८१ | दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्रों का विकास | २९३५ |
| २०८२ | रूरकेला इस्पात कारखाने में विस्फोट | २९३५ |
| २०८३ | अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां | २९३५–३६ |
| २०८४ | शिक्षा निदेशालय, दिल्ली | २९३६–३७ |
| २०८५ | शिक्षा पाठचर्या समिति | २९३७ |
| २०८६ | राज्य सरकारों को मार्गोपाय अग्रिम | २९३७–३८ |
| २०८७ | क्वार्टर डैक पर नौसेना कर्मचारियों द्वारा सलामी | २९३८ |
| २०८८ | हथियारों और गोला बारूद का निर्माण | २९३८–३९ |
| २०८९ | अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्र-वृत्तियां | २९३९ |
| २०९० | पंजाब में समाज कल्याण केन्द्र | २९३९ |
| २०९१ | त्रिपुरा में बढ़ईगीरी तथा लोहारगीरी के नमूने के एकक | २९३९ |
| २०९२ | त्रिपुरा में छोटे पैमाने के उद्योग | २९४० |
| २०९३ | त्रिपुरा में प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र | २९४०–४१ |
| २०९४ | खान मालिकों को प्रोत्साहन | २९४१ |
| २०९५ | हिन्दी अध्यापक तथा पर्यवेक्षक | २९४१ |
| २०९६ | रूरकेला क्षेत्र का यूनेस्को द्वारा अध्ययन | २९४२ |
| २०९७ | असैनिक आयुध पदाधिकारी | २९४२ |
| २०९८ | दिल्ली में ठगी के मामले | २९४२ |
| २०९९ | विदेशी मुद्रा | २९४३ |
| २१०० | संगीत भारती | २९४३ |
| २१०१ | ब्रिटिश कांउसिल छात्रवृत्तियां | २९४३–४४ |
| २१०२ | यूथ होस्टल | २९४४ |
| २१०३ | जम्मू और काश्मीर राज्य में केन्द्रीय करों की वसूली | २९४४ |
| २१०४ | कामरूपी सत्रीय नृत्य और संगीत | २९४४–४५ |
| २१०५ | नैपाली सिक्कों का पकड़ा जाना | २९४५ |
| २१०६ | हिमाचल प्रदेश में स्त्री शिक्षा | २९४५–४६ |
| २१०७ | हिमाचल प्रदेश में बन्दूक के लाइसेंस | २९४६ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या


| | | |
|---|---|---|
| २१०८ | पंजाब में इस्पात की पुनर्बेलन मिलें . . | २६४६ |
| २१०६ | निवेली लिगनाइट परियोजना . | २६४६ |
| २११० | पुलिस वालों की विधवाओं को पेंशन . | २६४६–४७ |
| २१११ | रिक्शा चालक औद्योगिक सहकारी संस्था, दिल्ली . | २६४७ |
| २११२ | लोक निर्माण कार्य विभाग, मनीपुर | २६४७–४८ |
| २११३ | मनीपुर के लिये नियुक्ति मंडल | २६४८ |
| २११४ | मनीपुर प्रादेशिक परिषद् . | २६४८ |
| २११५ | उड़ीसा में 'केअर प्रोग्राम' | २६४८ |
| २११६ | असिस्टेंटों का स्थायी किया जाना . . . | २६४६ |
| २११७ | अर्ध-स्थायी असिस्टेंट . | २६४६ |
| २११८ | महाकवि तुलसीदास का स्मारक . | २६४६ |
| २११६ | इस्पात संयंत्रों की परियोजना रिपोर्ट . | २६४६–५० |
| २१२० | मध्य प्रदेश को शिक्षा के लिये अनुदान . | २६५० |
| २१२१ | टोंक में तांबे का निक्षेप | २६५० |
| २१२२ | पैट्रोलियम गोष्ठी . . | २६५१–५२ |
| २१२३ | हिन्दी सीखने में सहायता के लिये चार्ट . . | २६५२ |
| २१२४ | सरकारी पदाधिकारियों द्वारा सांस्कृतिक संगठनों से लिया जाने वाला मानदेय | २६५२ |
| २१२५ | कृषि आय-कर न्यायाधिकरण, त्रिपुरा | २६५२–५३ |
| २१२६ | त्रिपुरा में भूमि का अधिग्रहण | २६५३ |
| २१२७ | त्रिपुरा में निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना | २६५३ |
| २१२८ | त्रिपुरा में सोने चांदी का पकड़ा जाना | २६५४ |
| २१२६ | केन्द्रीय सरकार के अफसरों की अचल सम्पत्ति का ब्यौरा . | २६५४ |
| २१३० | दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये क्रेन | २६५४–५५ |
| २१३१ | रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर . | २६५५ |
| २१३१-क | मेसर्स हिन्दुस्तान कान्सट्रक्शन कम्पनी और मेसर्स कौशल कान्सट्रक्शन कम्पनी को ठेके | २६५५–५६ |
| २१३१-ख | नाजायज़ बच्चों के लिये केन्द्र | २६५६ |
| २१३१-ग | रोहतांग दर्रे पर रस्सी का पुल | २६५६ |
| २१३१-घ | हिन्दी | २६५६–५७ |

विषय पृष्ठ

**सभा-पटल पर रखे गये पत्र** . . . . २९६०–६१

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) दूसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के आगे दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, बचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति:—

(एक) विवरण संख्या १ . छठा सत्र, १९५८

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ पांचवां सत्र, १९५८

(तीन) अनुपूरक विरण संख्या १३ . चौथा सत्र, १९५८

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १५ तीसरा सत्र, १९५७

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १९ दूसरा सत्र, १९५७

(२) विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत छूट की निम्नलिखित घोषणाओं की एक-एक प्रति :—

(१) संख्या १/३४/५८/एफ० १, दिनांक ४ सितम्बर, १९५८ (१ घोषणा)

(दो संख्या १/३८/५८/एफ० १, दिनांक १० सितम्बर, १९५८ . . . (२ घोषणायें)

(तीन) संख्या १/४१/५८/एफ० १, दिनांक ६ नवम्बर, १९५८ . . (१ घोषणा)

(चार) संख्या १/४२/५८/एफ० १, दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ . (१ घोषणा)

(पांच) संख्या २३/२६/५८/एफ०१, दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ . . (३ घोषणायें)

(छः) २३/२८/५८/एफ० १, दिनांक २१ नवम्बर, १९५८ . . (३ घोषणायें)

(३) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११३८ की एक प्रति ।

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखे गये** . . . . . २९६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की तीसवीं से चौंतीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखे गये ।

विषय पृष्ठ

**याचिका समिति के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखे गये** . . २९६१

याचिका समिति की तेइसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखे गये ।

**सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी, समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित** . २९६१

ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

**मंत्री द्वारा वक्तव्य** . . . . . २९६१–६२

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने जीवन बीमा निगम के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १४०३ पर श्री तंगामणि द्वारा २ अप्रैल, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

**विधेयक पुर:स्थापित** . . . . . २९६२

शस्त्र विधेयक, १९५८ ।

**विधेयक पारित** . . . . . २९६३—७३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

**विधेयक विचाराधीन** . . . . . २९७३—८२

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि चलचित्र (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

**गन्ने की अधिक कीमत निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव** . . २९८२—३००७

श्री ब्रजराज सिंह ने प्रस्ताव किया कि गन्ने की अधिक कीमत निर्धारित करने के प्रश्न पर, जैसी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की विधान सभाओं ने सिफ़ारिश की है, विचार किया जाये । प्रस्ताव पर तीन स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिसमें से दो अवरुद्ध ठहराये गये और तीसरा अस्वीकृत हुआ । श्री ब्रजराज सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

**आधे घण्टे की चर्चा** . . . . . ३००७—१२

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कुलटी भट्टियों के बन्द होने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १९१ के २४ नवम्बर, १९५८ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

**शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५८ के लिए कार्यावलि** . . .

चल चित्र (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर विचार तथा उसे पारित करना ; और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।